तृतीय माला, खण्ड १९—अंक ७

बुधवार, २१ अगस्त, १९६३
३० श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(पांचवां सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १९ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित* प्रश्न संख्या १८० से १८६	८३३—५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या १८७ से २०६	८५७—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ से ६८० . .	८६६—६१५
ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की पूर्वसूचना के बारे में . .	६१६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——	
(१) गौहाटी के निकट पुलिस स्टोरेज मैगजीन में विस्फोट .	६१६—१८
(२) बम्बई में हड़ताल की स्थिति . . .	६१८—२०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६२०—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——	
तेईसवां प्रतिवेदन	६२१
मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	६२१—७८
श्री भागवत झा आजाद . .	६२३—२७
डा० राम मनोहर लोहिया . . .	६२७—४१
श्री राम सहाय पाण्डेय .	६४२—४८
श्री दी० चं० शर्मा .	६४८—४६
श्री अ० प्र० शर्मा .	६४६—५४
श्री बूटा सिंह	६५४
श्री करुथिरमण	६५४—५५
श्री गु० सिं० मुसाफिर . . .	६५५—६०
श्री मौर्य	६६०—६४
श्री मोरारजी देसाई	६६४—७७
श्री जोकीम आल्वा .	६७७—७८
श्री अन्सार हरवानी	६७८
दैनिक संक्षेपिका	६७६—८५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

बुधवार २१ अगस्त, १९६३

३० श्रावण, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विवियन बोस आयोग की सिफारिशें

+

†*१८०. श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री हरि विष्णु कामत
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री मुरारका :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवियन बोस आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में महान्यायवादी तथा श्री विश्वनाथ शास्त्री के गोपनीय प्रतिवेदन के पहले भाग के भेद खुल जाने से सम्बन्धित जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच की क्या उपपत्तियां हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) और (ख). जांच समाप्त हो गई है। यह पता न लग सका कि भेद कैसे खुला ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : सरकार का कौनसा विभाग भेद खुलने का पता न लगा सका और क्या सरकार भेद खुलने का पता लगाने के लिए पुनः कोई व्यवस्था करेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : अन्य कोई विभाग भेद खुलने का पता नहीं लगा सकता। जहां तक यह प्रश्न है कि किस व्यवस्था का प्रयोग किया गया, मैं चाहता हूं कि मुझसे यह बताने के लिए न कहा जाये। परन्तु यदि सदस्यों की यही इच्छा है तो मैं बता दूंगा। जिस विभाग ने इसकी जांच की उसके बारे में यदि और पूछ ताछ न की जाये तो अच्छा है।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार अपनी कार्यवाही और कड़ी कर रही है ताकि भविष्य में सचेत रहे कि ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भेद न खुले जैसा कि इस भेद खुलने के मामले में हुआ है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां; मैं पूर्णतया सहमत हूं। यह आवश्यक है कि हम इस मामले में अपेक्षित सावधानी से काम लें। परन्तु यह मामला इतना नाजुक और इतना कठिन है कि सरकार द्वारा अनेक कार्यवाही की जाने के बावजूद गोपनीय कागजात का भेद खुल जाने की घटनाएं बंद नहीं हुई हैं।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जांच के सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों से पूछताछ की गई और कितने स्थानों की तलाशियां ली गईं, और क्या उन के अन्दर कोई सामग्री मिली जिस के आधार पर आगे चला जा सकता है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पूछ ताछ तो बहुत से आदमियों से की गई। तलाशियां लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि उस में से कुछ निकलता नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि इन दफ्तरों में जासूस काम कर रहे हैं जो कि लीकेज करते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इस काम के लिये जासूस की जरूरत नहीं थी।

†श्री हरि विष्णु कामत : यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि गृह-कार्य मंत्री यह भी बताना नहीं चाहते कि इस मामले की जांच-पड़ताल के लिये क्या व्यवस्था की गई थी। हम व्यक्तियों के नाम जानना नहीं चाहते परन्तु यह जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था की गई थी। क्या इसमें विशेष पुलिस संस्थान का कोई हाथ था और फिर व्यवस्था को यह काम सौंपा गया और क्या . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : तीन प्रश्नों को मिला रहे हैं ?

†श्री हरि विष्णु कामत : क्योंकि यह सब उनके उत्तर से उत्पन्न हुआ है। मेरा प्रश्न है : क्या सरकार मेहरचन्द खन्ना के व्यक्तित्व का पता लगा सकी है जिसने पहिली रिपोर्ट की ये प्रतियां सभा के अनेक सदस्यों को भेजीं ? क्या यह नाम और पता झूठा था और पुलिस को बहकाने के लिए था ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां, हमने श्री मेहरचन्द खन्ना से पूछताछ की थी .

†श्री हरि विष्णु कामत : वह मेहरचन्द खन्ना कौन हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : . . . हमारे मंत्री और हम देखते हैं कि यह जाली नाम था। हमारे मंत्री का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत :** उस पत्र में पता भी दिया था। क्या उसका पता लगाने के लिए कुछ किया गया ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुझे ठीक से याद नहीं है कि उस पर पता भी था या नहीं। परन्तु कुछ भी सही मेहर चन्द खन्ना . . .

†**श्री त्यागी :** माननीय सदस्य उस पत्र की प्रत्येक बात कैसे जानते हैं ? क्या उसमें वह भी सम्मिलित थे ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** कुछ वर्ष पहिले, आय-व्यय का कुछ भेद खुला था। जो व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी थे वे पकड़े गये और उन पर अभियोग चलाया गया। क्या इस भेद खुलने के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** सन्देह होने पर ही कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब तक कि प्रथम दृष्टि में साक्ष्य न हो, सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस की जांच का काम किस को सौंपा गया था, और क्या यह बात सही है कि जांच में ज्यादा पूछताछ इस लिये नहीं कराई गई कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है ? मेरा मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसमें बड़े बड़े लोगों के फंसने की सम्भावना थी इस लिये पूरी जांच नहीं कराई गई ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** यह तो पता नहीं कि इसमें बड़े बड़े आदमियों का हाथ था। मगर छोटे आदमी भी कभी गलती कर जाते हैं, मेरे जैसे कद के।

श्री हरि विष्णु कामत : कद के नहीं, दिल और दिमाग के छोटे।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : लेकिन जहां तक एजेन्सी की बात है मैंने उसके सम्बन्ध में निवेदन किया, और कामत साहब ने भी उस को मानने की कृपा की।

श्री हरि विष्णु कामत : मैंने उस पर आश्चर्य जाहिर किया है।

†**श्री दाजी :** पिछली बार जब प्रश्न पूछा गया था तो हमें बताया गया था एक अभिलेख महान्यायवादी के कार्यालय तथा विधि मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय से आया था। इन्हीं तीन कार्यालयों में से अभिलेख सरकारी रूप में गया था। क्या यह पता लगा था कि अभिलेख सरकारी तौर पर और कहीं गया था, या केवल ये तीन ही अभिलेख के पूर्णरूपेण मालिक थे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जहां तक मुझे विदित है, यह एक या दो मंत्रालयों को और गया था। यह सही है कि मुख्यकर इन्हीं दो मंत्रालयों का संबंध था जिनके नाम माननीय सदस्य ने बताये हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या गोपनीय बातों का भेद खुलने से रोकने के लिए कोई विशेष कड़ी कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो वे क्या है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हां, हमने अनेक कार्यवाही की हैं, परन्तु मैं यह अवश्य स्वीकार करूंगा कि हम पूर्णतया सफल नहीं रहे। मैं बता दूं कि उन अन्य देशों में भी भेद-खुले हैं और खुलते हैं जिनका गुप्तचर विभाग काफी बड़ा है तथा अन्य विभाग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि सरकारी दफ्तरों में ऐसे आदमी भरे पड़े हैं जो सरकार के गुप्त कागजों का लीकेज करते हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कोई कार्रवाई करने की बात सोच रही है?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : बहुत से सरकारी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, मुकदमे चले हैं, सजायें भी हुई हैं। लेकिन बात यह है कि किसी पूछ-ताछ में कोई पकड़ में आता है तभी कुछ उस के विरुद्ध हो सकता है।

जीवन-मरण के आंकड़े

+

†*१८१. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन-मरण के आंकड़ों, जो जनसंख्या की वृद्धि एवं प्रवत्ति के सही सूचक होंगे, के पंजीयन की पद्धति में सुधार करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच हैं कि महापंजीयक द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी दल बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दल द्वारा किये गये विनिर्णयों का ब्योरा क्या है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) हां।

(ख) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें ये हैं :

(१) राज्यों में पंजीयन को नियमित करने कराने के लिए केन्द्रीय अधिनियम का अधिनियमन।

(२)(१) संबंधित क्षेत्रों में उत्तम उत्तम देख रेख तथा उत्तम पंजीयन करने को सुदृढ़ बनाना;

(२) मध्यवर्ती स्तरों पर जीवन-मरण के एकत्रित किये गये आंकड़ों को स्पष्ट करना तथा योजना;

(३) राज्य के मुख्यालय में संकलन को केन्द्रित करना;

(४) ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी नमूना पंजीयन केन्द्रों की स्थापना करना;

†मूल अंग्रेजी में

(५) जीवन-मरण आंकड़ों में सुधार करने के लिए नगरपालिकाओं में सांख्यिकीय एककों को बढ़ाना ;

(६) जनसंख्या का वार्षिक नमूना सर्वेक्षण करना तथा जन्म-मरण का पंजीयन लगातार करना ;

के लिए एक छ: वर्षीय योजना ।

(ग) हां ।

(घ) कार्यकारी दल ने सामान्यतया योजना की मुख्य बातें स्वीकार करली हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि जब कोई पिता अपने बच्चे को रजिस्टर कराने जाता है तो उस से ४ रु० कम्पलसरी डिपाजिट फंड के लिये जाते हैं और २७ न० पै० बच्चे की कीमत मांगी जाती है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ! इसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री यशपाल सिंह** : ४ रु० २७ न०पै० लगते हैं, रूल यह है । इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लीजिये . . . . डा० गायतोंडे ।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दीजिये दूसरा सवाल पूछने का ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप ने सुना नहीं । मैं आप को बाद में बुलाऊंगा ।

†**श्री गायतोंडे** : इस दृष्टि से कि गोआ और पांडेचेरी में जीवन-मरण के आंकड़ों की पंजीयन पद्धति अपेक्षाकृत बाकी भारत से अधिक उन्नत है, क्या गोआ और पाण्डेचेरी प्रशासनों से सलाह ली गई है और क्या इन दोनों प्रशासनों का कोई अधिकारी दल में है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पंजीयन तथा मूल्यांकन में सुधार करने के लिए हम पहले ही कार्यवाही कर चुके हैं । अतः अन्य किसी राज्य से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कभी ख्याल किया है कि अगर यह बच्चों को रजिस्टर कराने का काम बाप के बजाय सरकार को सौंप दिया जाए, पो फिर अलग से फैमिली प्लानिग तथा बर्थ कंट्रोल के आंकड़े एकत्र नहीं करने पड़ेंगे ? एक ही रजिस्टर में दोनों काम हो जायेंगे ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इस योजना से सब सुधार होगा । माननीय सदस्य जिसे भी सुधरी कार्यवाही समझते हैं , उसका ध्यान रखा जायेगा :

श्री विभूति मिश्र : अब तक आंकड़े एकत्र करने का जो तरीका रहा है उसको बदलने में सरकार को काफी रुपया खर्च करना पड़ेगा । इस इमरजेंसी के समय में सरकार इस काम के लिए कहां से रुपया लायेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारी विकास योजनाओं के लिए जीवन-मरण आंकड़ों होना अनिवार्य है, और विशेषकर विकासोन्मुख अर्थ- व्यवस्था में, जबकि हमारे साधन बहुत ही सीमित हैं, हमें बहुत ही सही जीवन-मरण आंकड़े रखने हैं। अतः इस पर कुछ व्यय करने की आवश्यकता है। अतः हमें सन्तुलित विचार बनाना है।

†**श्री बसुमतारी** : इस अध्ययन दल में कौन कौन व्यक्ति हैं, और उसकी वित्तीय संभावनायें क्या हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अध्ययन दल में गृह-कार्य सचिव सभापति हैं और योजना आयोग, केन्द्रीय सांस्कृतिक संगठन, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा महा-पंजीयक आदि के प्रतिनिधि हैं।

†**श्री शं० शा० मोरे** : इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जहां तक तीसरी पंचवर्षीय योजना का संबंध है, १३३ लाख रु० व्यय होंगे जिसमें लगभग १०५ लाख रु० केन्द्र देगा और शेष राशि राज्य देंगे।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या जीवन मरण के इन आंकड़ों का संकलन निरन्तर होता रहेगा, और क्या कोई केन्द्रीय संगठन होगा जिसके अन्तर्गत राज्यों में अन्य सम्बद्ध निकाय कार्य करेंगे और यदि हां, तो समूचे संगठन पर प्रशासनिक प्राधिकार किसका होगा ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह कार्य निरन्तर होगा। वर्तमान योजना में लगभग छः वर्ष लगेंगे और यह चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में पूरी होगी।

श्री प्रिय गुप्त : एवरेज लागेविटी जो ४२ साल की दिखायी गई है, इसको कालकुलेट करने का क्या आधार है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह काम जीवन-मरण आंकड़ों से होगा, बशर्ते कि आंकड़े ठीक हों। अतः यह अनन्त क्रिया है।

पिछड़ेपन की कसौटी

†*१८२. { **श्री हरि विष्णु कामत** : +
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री प्र० के० देव : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ९१४ और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने लोगों का पिछड़ापन निर्धारित करने के लिए सरकारी आदेश के प्रतिकूल आर्थिक कसौटी के अतिरिक्त अन्य कोई कसौटी अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में : और

(ग) प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ग). भारत सरकार मई १९६१ में अन्य पिछड़ी जातियों की कोई अखिल भारतीय सूची न बनाने का निश्चय किया था, और यह काम राज्यों पर छोड़ दिया था कि वे अपनी सूचियां स्वयं बनायें। राज्य सरकारों को भी बताया गया था कि भारत सरकार की दृष्टि में यह उत्तम होगा कि जाति को आधार न मानकर आर्थिक कसौटी को अपनाया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

तब से, मैसूर, पंजाब और उड़ीसा राज्यों ने आर्थिक कसौटी अपना ली है। महाराष्ट्र और गुजरात पहिले से ही यह कसौटी अपनाये हुए हैं। अन्य राज्य इस पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले इस संबंध में मैसूर सरकार के एक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, और न्यायालय ने आदेश को संविधान को धोका देने वाला बताया था और यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने मैसूर सरकार को क्या अनुदेश दिये हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य मेरा मुख्य उत्तर नहीं समझे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं उसे समझ गया हूं। केवल उपमंत्री मेरा अनुपूरक प्रश्न नहीं समझ सकीं।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मैंने कहा है कि तब से मैसूर राज्य ने आर्थिक कसौटी अपनाई है। उनका मत चाहे जो रहा हो, वह बात भिन्न है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय मैसूर सरकार के शिक्षा निकायों में प्रवेश के बारे में था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैसूर सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझायी गई कसौटी या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदेश मान लिये हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें अनुदेश दिये गये या पहिले दिये गये। उपमंत्री को प्रश्न के इस भाग का उत्तर अवश्य देना चाहिये।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** पिछड़े वर्गों संबंधी मंत्रियों के सम्मेलन में सभी राज्य सरकारों ने आर्थिक कसौटी अपनाना स्वीकार किया था।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि अनुदेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहिले दिये गये या बाद में दिये गये ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहिले अनुदेश दिये गये थे ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या ? . . . तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। आप हमारी सहायता कीजिये। उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहिले उन्होंने अनुदेश दे दिये थे। इसके होने पर भी, बाद में, उच्चतम न्यायालय ने मैसूर सरकार के आदेश को रद्द कर दिया और उसे संविधान के प्रति धोका बताया। उसके बाद क्या कार्यवाही की गई ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** निश्चिय ही यह आदेश पहिले का होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** नहीं, नहीं। मुझे खेद है। यदि मैं ने उन्हें ठीक समझा है, तो उन्होंने कहा था कि केन्द्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय देने से पहिले अनुदेश दिये थे। अतः लगता है कि मैसूर सरकार को केन्द्रीय सरकार के आदेश के होते हुए भी, मैसूर सरकार ने उसके विरुद्ध आदेश दिया और वह उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया और उसे संविधान के प्रति धोखा बताया ? उसके बाद क्या हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : मामला उच्चतम न्यायालय में रहा होगा। यह उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील के रूप में आया होगा। वह काफी पहिले हुआ होगा।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरा आपसे निवेदन है कि वरिष्ठ या कनिष्ठ मंत्री को कहने दीजिये कि क्या मैसूर सरकार ने यह आदेश केन्द्रीय सरकार के अनुदेश देने तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे रद्द किये जाने के बाद दिया था। जसका उत्तर नहीं दिया गया है।

†उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दे दिया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश रद्द कर दिया।

†श्री हरि विष्णु कामत : इसके बाद भी, यहां से क्या किया गया है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है।

†श्री त्यागी : उन्हें जानकारी के बजाये 'धोखे' में अधिक रूचि है।

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। ऐसे कोई अनुदेश नहीं दिये गये और न ही निदेश दिया गया। इस मामले में, हम निदेश नहीं दे सकते।

†श्री हरि विष्णु कामत : आपात काल---अनुच्छेद ३५३।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : नहीं, नहीं। माननीय सदस्य का विचार गलत है। यह आपातकाल से बहुत पहिले किया गया था। अतः उस समय आपात का प्रश्न नहीं उठा था। हमने सभी राज्य सरकारों को अनुदेश दिये थे कि साधन कसौटी अपनाई जाये। जाति को आधार बनाने की बजाये, जो भी छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता दी जाती है वह साधनों, सम्बन्धित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जानी चाहिये। कुछ राज्य सरकारों ने वह सलाह स्वीकार की। उस समय, मैसूर ने इसे नहीं माना था ; क्योंकि अन्य राज्यों ने अभी तक इसे नहीं माना है। जैसा कि मेरे माननीय सहकर्मी ने अभी कहा है, ५ राज्यों ने इसे मान लिया है, अन्य राज्यों ने नहीं माना है। हम इस पर फिर कार्यवाही कर सकते हैं और मेरा विचार है कि हमें इसे मानने के लिए उन्हें अवश्य मनाना चाहिये और फिर यह लागू होनी चाहिये।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या मैं अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : वह पहिले ही पूछ चुके हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अतः मुझे दुबारा पूछना पड़ा। मैं ने केवल एक प्रश्न पूछा है। यह बात रिकार्ड से देखी जा सकती है।

श्री रामेश्वरानन्द : आपने एक आदमी को खड़ा कर दिया है और किसी की सुनते ही नहीं हैं।

†उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा। श्री कामत।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि कुछ उन राज्यों में, जिनके लिए मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार की सलाह नहीं मानी है, वहां जनसंख्या के कुछ भागों में यह प्रवृत्ति बढ़ रही है कि वे अपने स्वयं पिछड़े हुए बतायें ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह यकीन करने के कारण है कि इससे पिछड़े वर्गों में निहित रूचि उत्पन्न हो जायेगी ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां, कुछ प्रवृत्ति रही है, या यह सच हो सकता है कि अब भी कुछ प्रवृत्ति हो। इस प्रवृत्ति के निराकरण के लिए यह कार्यवाही की गई है। वास्तव में मुझे हर्ष है कि मैसूर सरकार ने सब से पहिले यह सलाह स्वीकार की। महाराष्ट्र और गुजरात पहिले ही यह काम कर चुके हैं। परन्तु अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय और हमारी और सलाह के बाद मैसूर सरकार ने, जिसने प्रायः अपनी अधिकतर जनता को पिछड़े वर्ग की बताई है, इसे स्वीकार कर लिया है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या आर्थिक पिछड़ेपन की कसौटी विशिष्ट जातियों के व्यक्तियों में लागू की जायेगी या पिछड़ी और वगैर पिछड़ी वर्गों में लागू की जायेगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** आर्थिक कसौटी का ध्यान रखा जायेगा और जहां तक अन्य पिछड़े वर्गों का सम्बन्ध है, किसी का ध्यान नहीं रखा जायेगा।

†**श्री प्र० कं० देव :** हम जो जातिहीन और वर्गहीन समाज का निर्माण कर रहे हैं उसका ध्यान रख कर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए किये जाने वाले अनेक आरक्षण और सेवाओं में किये जाने वाले आरक्षण, केन्द्र और राज्यों में, हटा दिये जायेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : हम कालेजों में, विशेषकर केन्द्रीय सरकार के कालेजों में जाति के आधार पर स्थानों का कोई आरक्षण नहीं करते। इसका आधार केवल आर्थिक स्थिति है। इसमें एक अपवाद है, संविधान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को संरक्षण देता है।

†**श्री प्र० कं० देव :** मेरे प्रश्न पिछड़े वर्गों के बारे में हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में नहीं। अतः माननीय उपमंत्री का उत्तर गलत है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह पिछड़े वर्गों के बारे में पूछ रहे हैं।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** मैं पहिले ही उत्तर दे चुकी हूं। मैं ने यह अधिक कह दिया था कि एक अपवाद है और वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में है।

†**श्री वासुदेवन नायर :** यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सलाह सिद्धांत स्वरूप उत्तम है, क्या केन्द्रीय सरकार ने इसे सभी राज्यों में तत्काल लागू करने की सम्भावना पर विचार किया है और, क्या सरकार ने राज्य सरकारों को यह सिद्धांत लागू करने में इच्छानुसार समय लेने को कहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती चन्द्रशेखर**: मेरा ख्याल है कि गृह-कार्य मंत्री ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया था कि हम अनुरोध द्वारा उनके आर्थिक कसौटी स्वीकार और जाति सिद्धांत को पूर्णतया त्याग देने की आशा करते हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : सरकार ने जो १२०० रुपया न्यूनतम आय के ऊपर सहूलियत देने के लिए रक्खा है वह कम है और उसमें वह अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं तो क्या सरकार ने इसको बढ़ाने के बारे में भी कुछ सोच विचार किया है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह अलग प्रश्न है। फिर यह हमारे पास उपलब्ध धन पर निर्भर है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि यह जो पिछड़ापन आंका गया है निश्चित किया गया है यह किस नीति से किया गया है केवल आर्थिक दृष्टि से निश्चित किया गया है या शिक्षा की दृष्टि से और इसको दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इसका उत्तर तो माननीय सदस्य को दिया जा चुका है . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : मैं ने सुना नहीं कि क्या उत्तर दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप धीरज धर कर बैठें। बाद में दे दिया जायेगा।

†**श्री जसवन्त मेहता** : उच्चतम न्यायालय के निर्णय विभिन्न राज्यों ने अनुदेश लागू नहीं किये हैं। क्या सरकार पिछड़ेपन को आर्थिक कसौटी पर तोलने के लिए कोई समान राष्ट्रीय सिद्धांत बनाने पर विचार कर रही है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : पिछड़े वर्गों सम्बन्धी सम्मेलन में जिन राज्यों के मंत्रियों ने भाग लिया था, वे सभी सिद्धांतस्वरूप सहमत थे कि वे आर्थिक कसौटी अपनायेंगे परन्तु वे इच्छानुसार समय ले रहे हैं। संभव है कि उनकी कुछ कठिनाइयां हों। मैं समझती हूं कि कठिनाइयां दूर करने के लिए हमें उन्हें कुछ समय देना चाहिये।

श्री राम सेवक यादव : केन्द्र ने पिछड़ेपन को आधार न मान कर आर्थिक विपन्नता को पिछड़ेपन का आधार मानने का जो निर्देश राज्यों को दिया है तो क्या सरकार अपना यह आदेश राज्यों पर लादना चाहती है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : अभी जवाब दिया गया कि हम कोई किसी चीज़ की जबरदस्ती नहीं करना चाहते। तमाम राज्यों के मिनिस्टर्स मिले थे और उनकी एक कांफ्रेंस हुई थी। उस कांफ्रेंस में सबने इस उसूल को माना कि बैकवर्ड क्लासेज या बैकवर्ड कम्युनिटीज को जो मदद दी जाये वह शिक्षा व जाति आदि के आधार पर अब न दी जा कर उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर दी जाये। ५ राज्य सरकारों ने इस को मान लिया है और इसको अपने यहां लागू भी कर दिया है। बाकी स्टेट्स समय निकाल कर जैसा वह मुनासिब समझेंगी, करेंगीं ।

श्री जि० मंडल : भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत उसमें सिर्फ शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को ही क्राइटेरिया माना गया है इसलिए क्या आर्थिक अवस्था को क्राइटेरिया मानना संविधान के अनुच्छेद ३४० के विरूद्ध नहीं होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री: जी नहीं कांस्टीट्यूशन के अनुसार सशैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को पिछड़ा हुआ माना गया है और बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में उसमें चर्चा है। इसी लिये गवर्नमेंट ने एक कमिशन भी वगैरा बिठाया था। उसमें भी विचार हुआ। कुछ राय उसमें अलग थी लेकिन यह हमारा फैसला कांस्टीट्यूशन के विरूद्ध नहीं है। पहले भारत सरकार ने उसको माना और अमल में लाया और जैसा मैं ने कहा तमाम प्रदेशों के मिनिस्टरों ने इस उसूल को माना है ।

†**श्री मेनन** : क्या यह सच है कि पाली भाषी जातियों को कुछ राज्यों में पिछड़ा हुआ माना जाता है और अन्य राज्यों में नहीं माना जाता और यदि हां तो क्या हमें भी पाली भाषी व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग नहीं मानना चाहिये ।

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : यदि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुऐ हैं, यदि व यहां, वहां पाली भाषा बोलते हैं, तो उन्हें पिछड़ा माना जाना चाहिये ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमख** : कुछ वर्गों तथा जातियों में, आर्थिक स्थितियों के बावजूद भी, अत्यधिक पिछड़ापन होने के बारे में माननीय सदस्य क्या कार्यवाही करेंगे ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस देश में सभी वर्गों और जातियों में पिछड़ापन समान है । साधारणतया हमारा देश गरीब है और हमारे सामान्य विकास प्रोग्राम हैं और सभी जातियां देश के विकास के साथ-साथ विकसित होंगी ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या किसी राज्य ने सुझाया है कि अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां आर्थिक कसौटी के अन्तर्गत आयें यद्यपि उनके लिए संवैधानिक गारन्टी है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : अनुसूचित जातियों पर भी धीरे धीरे आर्थिक कसौटी लागू हो जायगी । हम मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां केवल साधन कसौटी के आधार पर दे रहे हैं ।

विश्वविद्यालय शिक्षा का मूल्यांकन

†*१८३. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० बं० सिंह :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मूल्यांकन के लिये विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन्हें किस सीमा तक सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं यह जानना चाहता था कि अगर यह नहीं आप कर रहे हैं तो इसकी वजह आप बतला सकते हैं कि क्या है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : आप ने यह पूछा था कि रिपोर्ट आई या नहीं, मैं ने उत्तर दिया कि अभी नहीं आई है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या माननीय शिक्षा मंत्री को इस बात का थोड़ा बहुत पता है कि इस रिपोर्ट के मातहत जो लड़के युनिवरसिटीज़ में फर्स्ट डिवीजन में पास होते हैं सैंकड़ों की तादाद में वह गरीबी की वजह से इस शिक्षा को जारी नहीं रख सके तो क्या इसके मुताल्लिक भी कुछ कहा गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इससे यह प्रश्न नहीं उठता लेकिन मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में ६ करोड़ की एक योजना रक्खी है जिससे जो गरीब विद्यार्थी हैं उनको लोंस स्कालरशिप मिलेगा ।

श्री सरजू पाण्डेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी में कौन कौन-लोग हैं और उसके प्रतिवेदन पर यह सरकार कब तक फैसला कर लेगी और उसको कार्यान्वित करेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसके पहले चेअरमैन प्रोफेसर सिद्धान्त थे । उन का देहान्त होने के बाद श्री गोविन्द राजालू जो कि वैंकटेश्वरा युनिवरसिटी के वाइस चांसलर हैं, वह इसके चेअरमैन हैं और उनके अलावा आप चाहें तो मैं नाम पढ़ दूंगा, ११ व्यक्ति हैं जो कि इस कमेटी के सदस्य हैं ।

†**श्री वारियर :** इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस समिति से विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर की जांच पड़ताल और मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है । स्तर गिरने की संसद् में और बाहर आलोचना हुई है । अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पूर्ण और नियमित जांच कर रहा है कि क्या स्तर गिरे हैं और यदि गिरे हैं तो कितने गिरे हैं और उसके क्या कारण हैं एवं उन्हें गिरने से रोकने के लिए वे क्या कर सकते हैं ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** क्या यह संभव है कि रिपोर्ट उन संसत्सदस्यों को उपलब्ध कर दी जाय जो आजकल विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का केन्द्रीयकरण, आदि के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य उस बैठक में परामर्शदायी समिति में थे या नहीं जिसमें हमने इस मामले पर विचार किया था । परामर्शदायी समिति में सामान्य मत यह था कि शिक्षा के संबंध में केन्द्र सरकार को अधिकार

†मूल अंग्रेज़ी में

लेना चाहिये । यह भी निश्चय हुआ कि हमें सर्वप्रथम यह पता लगाना चाहिये कि उन अधिकारों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है या नहीं । अतः समिति में यह निश्चय हुआ कि एक छोटी समिति इस मामले की जांच करके सरकार को रिपोर्ट दे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन से इस बारे में विचार विमर्श किया है कि जब थर्ड डिवीज़न में परीक्षायें पास करने वालों—थर्ड डिविजन आई० ए०, सिम्पल बी०ए० और थर्ड डिविजन एम०ए० पास करने वालों—को जगह नहीं मिल रही है, तो विद्यार्थियों को यह क्लास देने और इस तरह पढ़ाने से क्या फायदा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस का जवाब तो मैं क्या दूं । पढ़े लिखे लोगों की समाज में आवश्यकता होती है । हमारे यहां तो इस वक्त इतनी तेजी से विकास हो रहा है कि जो थर्ड क्लास में पास होते हैं, उन को भी काफी मात्रा में काम मिल जाता है ।

श्री विभूति मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वायंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। यह जवाब सही नहीं है । थर्ड क्लास आई० ए०, सिम्पल बी०ए० और थर्ड क्लास एम० ए० पास करने वालों को जगह नहीं मिलती है, जब कि मंत्री महोदय कहते हैं कि मिल जाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शिव नारायण ।

श्री शिव नारायण : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट कब तक हाउस के सामने आ जायगी ।

डा० का० ला० श्रीमाली : रिपोर्ट तो यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन तैयार करवा रहा है । मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के अन्त तक—दिसम्बर के अन्त तक—शायद रिपोर्ट आ जायेगी ।

†**श्री स्वेल :** क्या इस समिति से क्षेत्रीय भाषाओं को राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बनाने के निश्चय के परिणामस्वरूप देश के टुकड़ों में बंट जाने की संभावना की जांच करने के लिए कहा गया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । यह भिन्न मामला है ।

श्री भू० ना० मंडल : क्या सरकार बतलायेगी कि चूंकि वर्तमान योजना के जरिये शिक्षा की रफ्तार बहुत धीमी है, इस लिए क्या उसके पास कोई दूसरी योजना है, जिसके जरिये शिक्षा की रफ्तार तेज की जा सके और साक्षरता को बढ़ाया जा सके ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह भिन्न प्रश्न है । यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में है ।

श्री रामेश्वरानन्द : आज सैकड़ों गांवों के बीच में विश्वविद्यालय की बात तो छोड़िये, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल भी नहीं है । इसके बारे में मैं स्वयं भी मंत्री महोदय से प्रार्थना कर चुका हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात का यत्न करेगी कि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दो दो, चार चार गांवों के बीच में हाई स्कूल स्थापित किये जायें, ताकि गांवों के लड़के हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर सकें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह हाई स्कूलों के बारे में नहीं है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद में एक प्रस्ताव था कि तीसरी श्रेणी में एम०ए० उत्तीर्ण हुए व्यक्तियों को अपनी श्रेणी सुधारने के लिए पुनः परीक्षा देने का एक मौका दिया जा सकता है। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि उस संकल्प का क्या हुआ ? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा परिषद ने इस मामले में कोई निश्चय किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैं उस प्रश्न का उत्तर तो दे सकता हूं, परन्तु क्या वह इस मुख्य प्रश्न से उठता है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न विश्वविद्याला अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति के संबंध में है। यह देहली विश्वविद्यालय के संबंध में तो बिल्कुल भी नहीं है।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य :** विश्वविद्यालय शिक्षा के निर्धारण के संबंध में एक प्रश्न पूछना है।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** वह एक भिन्न प्रश्न विधिवत सभा में पूछ सकते हैं।

†**डा० सरोजिनी महिषी :** क्या मैं जान सकती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विशिष्ट समिति के निदेश पद क्या हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मैंने वह पहले ही बता दिये हैं।

केंद्रीय जांच ब्यूरो

+

†*१८४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री भक्त दर्शन :
श्री मोहन स्वरूप :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० के० देव :
श्री बूटा सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रचना और कृत्य ठीक किस प्रकार के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक जिन मामलों की जांच इस ब्यूरो द्वारा की गई है उन की संख्या क्या है और वे किस प्रकार के हैं ; और

(ग) अन्तर्राज्यीय अपराध का निबटारा करने और कठिन मामलों की जांच करने में अब तक विभिन्न राज्य सरकारों ने कहां तक इस ब्यूरो की सेवाओं का लाभ उठाया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) प्रशासनीय तथा वैधिक विभागों के अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो में निम्नलिखित विभाग हैं ; अर्थात् :--

(१) जांच तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग (दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान) ;

(२) प्रविधिक विभाग ;

(३) अपराध अभिलेख तथा सांख्यिक विभाग ;

(४) अनुसंधान विभाग ।

अपराधों की जांच का जो कार्य इस समय दिल्ली विशेष पुलिस संस्थान द्वारा किया जाता है वह अब इसे सौंप दिया गया है और उसमें निम्नलिखित अपराध सम्मिलित हैं : भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा नियमों के अधीन अपराध विशेष रूप से अत्यावश्यक वस्तुओं में मुनाफाखोरी के अपराध जिनका कि एक से अधिक राज्यों में जाल फैला हुआ है ; कुछ प्रकार के अपराधों के संबंध में गुप्त जानकारी का एकत्रित करना ; अपराध संबंधी सांख्यिकी का रखना तथा अपराध और अपराधियों संबंधी सूचनाओं का फैलाना ; उन विशेष अपराधों का अध्ययन जिनका कि समस्त भारत में अथवा अन्तर्राजीय जाल फैला हुआ है और पुलिस अनुसंधान ।

(ख) १ अप्रैल, १९६३ से लेकर ३१ जुलाई, १९६३ तक ५६७ मामलों की जांच की गई है । आरोप अवैध परितुष्टि की मांग तथा स्वीकृति ; भ्रष्टाचार, दुर्विनियोग, धोखादेही और जालसाजी में भाग लेने आदि के संबंध में थे ।

(ग) अभी तक छः मामलों में राज्य सरकारों अथवा उनके विभागीय अधिकारियों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाओं का लाभ उठाने के लिये प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं ।

†**श्री श्रीनारायण** : क्या यह सच है कि सभी मामलों के कार्य को प्रारम्भ करने तथा जांच को समय पर समाप्त करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त नहीं है ; यदि हां, तो इसे सुदृढ़ बनाने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिये पग उठाये जा रहे हैं और हम कुछ नये अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भी रखेंगे ।

†**श्री श्री नारायण दास** : इस वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले महीने तक जो ५६७ मामले लिये गये हैं उनमें से कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है । और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैंने पहले विस्तृत रूप में यह उत्तर दे चुका हूं कि कितने मामलों की जांच की गई और कितने अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली थी इत्यादि । मैं इस समय तो ब्यौरा नहीं बता सकता परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि सामान्यतया केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जो महत्वपूर्ण मामले अपने हाथ में लिये हैं उनमें उसने अच्छा कार्य किया है ।

†श्री श्री नारायण दास : क्या सभी राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपना सहयोग दे रही हैं तथा यह जो नई संस्था स्थापित हुई है उसका लाभ उठा रही हैं ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें सभी राज्य सरकारों से सहयोग प्राप्त होने की आशा है, परन्तु पिछले कुछ महीनों में छः राज्य सरकारों ने हमारी सहायता के लिये प्रार्थना की थी और हमने उन्हें वह सहायता दी थी ।

†श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो जिन कार्यों को पूरा करने में लगा है उसके लिये विशेष ज्ञान तथा विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्य करने वाले कितने अधिकारियों को फैडरल ब्यूरो आफ इनवेस्टिगेशन, वाशिंगटन अथवा स्काटलैण्ड यार्ड, लन्दन अथवा मास्को स्थित तदनुरूप संस्था में प्रशिक्षण दिलाया गया है अथवा दिलाया जा रहा है अथवा दिलाये जाने का विचार है ? मास्को की संस्था का नाम मुझे ज्ञात नहीं है ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : श्रीमन्, हम यहीं पर अपनी एक प्रशिक्षण संस्था खोलने जा रहेहैं और स्वाभाविक ही हम उसमें पहले अपने लोगों को, अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे । उसके अतिरिक्त, हम कुछ अधिकारियों को बाहर भी भेज सकते हैं । मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि इस संस्था के हमारे उच्च अधिकारियों में से एक अभी हाल ही में दस दिन के लिये विदेश गये हैं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : कहां ? क्या यह कोई गुप्त बात है ? यह बात गुप्त क्यों रखी जानी चाहिये ? यहां बहुत सारी बातें गुप्त रखी जाती हैं, मौन साधने की नीति बहुत अधिक है । मैं यह नहीं जानता कि यह सूचना क्यों नहीं दी जाती । क्या ऐसा लोक हित में है ? किसके हित में यह जानकारी नहीं दी जा रही है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

†श्री हरि विष्णु कामत : उन्होंने कारण नहीं बताया है । वह कारण क्यों नहीं बताते हैं ? क्या यह लोक हित में है, उनके हित में है, आपके हित में है, मेरे हित में है अथवा किसके हित में वह कारण नहीं बता रहे हैं ?

†उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

†श्री हरि विष्णु कामत : बात क्या है कि जन हित का हौआ बनाया जा रहा है ? श्रीमन्, मैं आपसे अपील करता हूं क्योंकि नियमों के अधीन ....

†उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । वह केवल जानकारी पूछ सकते हैं, कारण नहीं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : यह अनेकों बार पूछे गये हैं । श्रद्धास्पद अध्यक्ष महोदय ने ऐसे प्रश्नों के पूछे जाने की, कारणों के पूछ जाने की, अनुमति दी है । उन्हें कहने तो दीजिए कि यह

†मूल अंग्रेजी में ।

"लोक हित" में है। आप यहां प्रतिदिन सभा में बैठते रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वह आपको याद होना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** "शांति शांति" कहना सरल है। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। हम यहां कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। श्री यशपाल सिंह।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** ये "शांति, शति" क्या है? मैं भी "शांति, शांति" कह सकता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री यशपाल सिंह :

†**श्री शिव नारायण :** श्रीमन्, मुझे एक औचित्य का प्रश्न उठाना है। श्री कामत को उपाध्यक्ष महोदय के आदेशों को, अध्यक्ष पीठ के आदेशों को, दुहराना नहीं चाहिये।

†**श्री यशपाल सिंह :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सैंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन का गोल्ड स्मगिंलग से भी ताल्लुक है, यदि हां, तो इसने अब तक गोल्ड स्मगिंलग के कितने केसेज़ पकड़े हैं?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक मुझे मालूम है, उसके सिलसिले में कोई खास काम इधर सैंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने नहीं किया है। लेकिन सैंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन कोई रोज़ के स्मगिंलग केसेज़ नहीं, बल्कि बड़े बड़े केसेज़ लेता है और अगर कोई मिनिस्ट्री उस को कोई रिपोर्ट करे, तो वह उस की जांच करता है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन, मैं यह जानना चाहता हूं कि अपराधों की जांच करने की जो प्रणाली प्रारम्भ की गई है, इस में और पहले की प्रणाली में कौन सा विशेष अन्तर है और उस का असर अपराधों की छानबीन पर क्या पड़ा है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : माननीय सदस्य को स्वयं थोड़ा सा अन्तर तो देखना है। साधारणतः जांच जुर्मों की, क्राइम्ज़ की पुलिस विभाग या तो जिले में या प्रदेश में किया करता है। रोज़ाना का काम उनका है। सैंट्रल इन्वेस्टीगेशन्स ब्यूरो एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसका खास तौर पर काम यह होगा कि एक सूबे से अतिरिक्त अगर और अधिक सूबों से किसी गैंग का ताल्लुक है, कोई जुर्म ऐसा है जो एक बड़े पैमाने पर हो रहा है तो उस में यह सैंट्रल इनवेस्टीगेशन ब्यूरो एक स्टेट, दूसरी स्टेट, सब में जांच कर सकता है, पता लगा सकता है।

दूसरी बात यह है कि एक वैज्ञानिक ढंग से जांच करने की जो बात है, उस में खास तौर पर यह विभाग एक विशेषता प्राप्त करना चाहता है। उसके अनुसार यह काम करेगा।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या इस ब्यूरो के क्षेत्राधिकार का विस्तार विभिन्न राज्यों में मंत्रियों और राजनीतिज्ञों तक भी है। पैरा (ख) में दिये गये मामलों में से, क्या कोई ऐसा भी मामला है जो कि किसी राज्य के किसी मंत्री अथवा किसी राजनीतिज्ञ के विरुद्ध दर्ज किया गया था अथवा चला था?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वास्तव में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का क्षेत्र सरकारी कर्मचारियों, कारोबार करने वालों, व्यापारियों और उन लोगों तक सीमित है जो कि विभिन्न प्रकार के अपराधों को करते हैं। यदि कोई मंत्री कोई विशेष प्रकार का अपराध करता है तो उसकी सूचना दे दी जाती है और यदि राज्य सरकार ऐसा चाहे तो निश्चय ही वह कार्यवाही कर सकती है।

†**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : श्री भक्त दर्शन के सवाल के जवाब में अभी यह बताया गया है कि पहले की जो इनवैस्टीगेशन की प्रणाली थी, उसमें और इसकी कार्य प्रणाली में वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने का अन्तर है। वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने की जो सफलता प्राप्त की गई है, इसके आधार पर विस्तृत बनाने का क्या कोई प्रोग्राम सरकार के सामने है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : पहली बात तो यह है कि इसे कायम हुए अभी थोड़ी देर हुई है ? १ अप्रैल को कायम हुआ है। इसके माने यह नहीं हैं कि स्पैशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट नहीं था। लेकिन अब इसको जो एक विशद् रूप दिया है यह तो १ अप्रैल से दिया है। अभी थोड़ा ही समय बीता है। लेकिन इसके कई काम हैं, जुर्मों के अलावा। जैसा अगर बयान को माननीय सदस्य देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि उसका एक टैक्नीकल डिविजन है, जिसमें खास तौर पर सांइटिफिक शिक्षा दी जाएगी, क्राइम रिकार्डज़ स्टैटिसटिक्स डिविज़न है जिस में तमाम आंकड़े रखे जायेंगे, रिसर्च डिवीज़न है जो खोज आदि करेगा इनवैस्टीगेशन के अलावा इस तरह से एक विशद् रूप से वह स्कीम बनाई गई है हम इस काम को जितना बढ़ा सकते हैं, बढ़ायेंगे।

†**श्री प्र० के० देव** : मैसर्स सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी से दल निधियों के लिये अवैधिक रूप से धन लेने के सम्बन्ध में मेरे राज्य के मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री के वक्तव्यों तथा विरुद्ध वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह विशेष मामला इस ब्यूरो को जांच के लिय सौंपा गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या इस बात का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या वह विशेष मामला इस संस्था को सौंपा गया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी, नहीं।

†**श्री रंगा** : क्यों नहीं ? क्या सरकार इस मामले को ब्यूरो को सौंपना उचित नहीं समझती ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कारण एक दूसरी ही बात है (**अन्तर्बाधाएं**)।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह प्रश्न काल है। हमारे प्रश्नों के उत्तर में सरकार को जानकारी देनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अविश्वास प्रस्ताव सामने है। वह इस प्रश्न को भी वाद विवाद के दौरान उठा सकते हैं। (**अन्तर्बाधाएं**)।

†**श्री रंगा** : उस वाद विवाद में कहने के लिय अन्य बहुत सी बातें हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह भी हो सकता है कि आपको चर्चा का समय एक सप्ताह अथवा अधिक समय तक के लिये बढ़ाना पड़े। (**अन्तर्बाधायें**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। प्रश्न यह था कि क्या यह मामला इस संस्था को सौंप दिया गया है। उत्तर दे दिया गया है और वह है कि "नहीं"। हम यह नहीं पूछ सकते कि क्यों अथवा इसके क्या कारण थे ? **(अन्तर्बाधाएं)**।

†**श्री रंगा** : आपकी इस प्रश्न की अनुमति न देते के लिये कोई कारण तो होना चाहिये ... **(अन्तर्बाधाएं)**।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह मनमाने ही अनुमति न देने वाली बात है ... **(अन्तर्बाधाएं)**।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम "क्यों" अथवा "क्यों नहीं" पर ही चर्चा नहीं करते रह सकते। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं।

†**श्री रंगा** : यह एक भली भांति स्थापित संसदीय प्रश्न है कि माननीय सदस्य पूछें कि ... **(अन्तर्बाधाएं)**।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है।

†**श्री रंगा** : अन्यथा तो, यह कह कर कि लोक हित में वह कोई बात प्रकट नहीं करना चाहते सरकार को कोई कारण देने की आवश्यकता ही नहीं रहती ... **(अंतर्बाधायें)**

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : वह कुछ कहने के लिये तैयार हैं ... **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री हरिविष्णु कामत** : आप अमेरीका गये हैं, आप यूरोप गये हैं। आपने वहां संसदों को कार्य करते हुए अपनी आंखों से देखा तथा कानों से सुना है। क्या अपने संसदों और मंत्रि-मंच को इस ढंग के कार्य करते हुए देखा है... **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री रंगा** : क्या हम यह समझ लें ... **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री हरिविष्णु कामत** : हम किन बातों पर आ रहे हैं ? ... **(अंतर्बाधायें)**। आप बैठ जाइय .. **(अन्तर्बाधायें)** आप चुप रहिये। ... **(अंतर्बाधायें)** मैं उनको सम्बोधन कर रहा हूं, आपको नहीं ... **(अन्तर्बाधायें)** बैठ जाइये ... **(अन्तर्बाधायें)** शांत रहिये **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री प्रिय गुप्त** : यह क्या है ?... **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री रंगा** : आज प्रत्यक को टुल्लबाजी में खदेड़ना चाहते हैं ... **(अंतर्बाधायें)**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस बात पर तर्क कर सकते हैं। आपके पास सरकार के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव है। आप इस बात पर तर्क कर सकते हैं... **(अंतर्बाधायें)**।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या मैं एक विनम्र निवेदन कर सकता हूं। मेरा विचार है कि यह उचित होगा ... **(अन्तर्बाधाएं)**। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं... **(अंतर्बाधायें)**

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : क्या मैं कुछ कह सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में·

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उन्हें उत्तर देने की अनुमति नहीं है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** पहली बात तो यह है कि उड़ीसा में दो कांग्रेसियों के बीच वक्तव्यों तथा विरुद्ध वक्तव्यों का किसी सरकारी मामले से बिल्कुल भी सम्बन्ध नहीं है । वह केवल . . . (**अंतर्बाधायें**) ।

†**श्री प्र० के० देव :** मुख्य मंत्री तथा भूतपूर्व मुख्य मंत्री ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** मुख्य मंत्री तथा दूसरे संसद् सदस्य ने, जोकि भूतपूर्व मुख्य मंत्री हैं, कुछ बातें कहीं । वे केवल कुछ किये गये चन्दों के सम्बन्ध में थीं . . . (**अंतर्बाधायें**)

†**श्री प्र० के० देव :** शक्ति का दुरुपयोग ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** जो कि राजनीतिक तथा संस्था सम्बन्धी कार्य के लिये किये गये थे । यह एक ऐसा मामला है जिस पर कि, यदि थोड़ा भी कुछ, विचार करना है तो वह राजनीतिक अथवा संस्था के स्तर पर करना है । इसलिये, इस संस्था का इससे किसी भी प्रकार से सम्बन्ध नहीं है । दूसरे, मैंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी राज्य सरकार से सम्बन्धित मामले को तब तक नहीं ले सकते जब तक कि स्वयं राज्य सरकार ही उन मामलों की जांच करने के लिये केन्द्र से प्रार्थना न करे । इसलिये, वह प्रश्न बिलकुल उठता ही नहीं है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री बूटा सिंह ।

†**श्री प्र० के० देव :** सिराजुद्दीन कम्पनी के जो अभिलेख पहले ही जब्त कर लिये गये हैं . . . (**अंतर्बाधायें**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आपने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है । श्री बूटा सिंह ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वह अनुपस्थित हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने श्री बूटा सिंह को पुकारा है ।

श्री बूटा सिंह : आज तक केन्द्रीय सरकार के पास कितने राज्यों के मुख्य मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं ? जैसे अभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में पंजाब के मुख्य मंत्री के खिलाफ़ जो उनको रिपोर्ट आई, है, उसके बारे में कुछ जांच पड़ताल करने का काम शुरू किया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच पड़ताल का काम क्या यही ब्यूरो कर रहा है या कोई और केन्द्रीय मशीनरी कर रही है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक पंजाब सरकार की बात है, यह सही है कि एक मैमोरेंडम राष्ट्रपति जी को पेश किया गया था और वह मैमोरेंडम प्रधान मंत्री जी के पास राष्ट्रपति जी ने भेजा और उसे पंजाब के मुख्य मंत्री जी के पास भेजा गया है कि वह अपने कमेंट्स उस पर भेजें, उस पर दें ।

श्री ओंकार लाल बैरवा : राजधानी के अन्दर आए दिन विस्फोट होते रहते हैं । उसकी जांच क्या वही ब्यूरो करता है या और कोई डिपार्टमेंट करता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री लाल बहादुर शास्त्री : इधर आए दिन तो नहीं हुए हैं। और बहुत समय से नहीं हुए हैं . . .

श्री ओंकार लाल बेरवा : बहुत से होते रहते हैं।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मुझे डर है कि कहीं पार्लियामेंट के इस अधिवेशन के अन्दर कोई विस्फोट न हो जाए।

लेकिन इसकी जांच एक अलग विभाग करता है। एक छोटा सा विभाग है जिसको खास तौर पर इसमें लगाया है। मैं यह कह सकता हूं कि. . .कहना कोई जरा बिल्कुल पक्का तो होता नहीं है—लेकिन, जब से दो चार खास आदमियों के सुपुर्द यह काम हुआ है, कोई विस्फोट उस तरह का नहीं हुआ है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री हरिविष्णु कामत :** श्रीमन्, एक औचित्य प्रश्न पर। मैं **नियमों** के नियम ४१, उप-नियम (२) की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। आपने अभी विनिर्णय दिया था कि एक सदस्य कारणों को नहीं पूछ सकता है। किसी प्रश्न को पूंछने के अधिकार का प्रयोग निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है, अर्थात्, . . . मैंने इन दस अथवा बीस सभी के ब्यौरे पढ़ लिये हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि कोई सदस्य कारणों के लिये नहीं पूछ सकता। आप आराम से इसे पढ़ें और यह देखें कि क्या इसमें कहा गया है कि कोई सदस्य कारणों को नहीं पूछ सकता है। यह एक दूसरी बात है कि मंत्री ऐसे प्रश्न का उत्तर न दे कि कारण क्या हैं। वह चाहे प्रश्न का उत्तर न दे परन्तु सदस्यों को इस प्रकार का प्रश्न पूछने का अधिकार अवश्य है। इस नियम के द्वारा इसे अस्वीकार नहीं किया जाता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं नियमों को देखूंगा तथा विनिर्णय दूंगा। अगला प्रश्न।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** इस प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं दी गई है . . . **(अंतर्बाधायें)**

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति। मैंने इस पर १५ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दी है।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** आपने केवल उनको ही अनुमति दी है जिनके नाम प्रश्न सूची में हैं। **(अंतर्बाधायें)**

†**श्री रंगा :** प्रतीत होता है कि आप यह विचार नही करते कि कुछ अन्तर भी है। कुछ ऐसे सदस्य हैं जो कि जिम्मेवार व्यक्ति हैं। आपका उन्हें विशेष ख्याल रखना ही होता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं जानता हूं . . . **(अंतर्बाधायें)** शान्ति, शान्ति।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : अनुपूरक प्रश्नों के लिये केवल उनको अनुमति दी गई है जिनके नाम में कि यह प्रश्न पूछा गया है। हम जिन लोगों के नाम में प्रश्न नहीं हैं उन्हें तो कोई अवसर ही नहीं मिला ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि मैं हस्ताक्षरकर्ताओं को अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं देता तो यह आपत्ति उठाई जाती है कि मैं हस्ताक्षरकर्ताओं को अनुपूरक प्रश्नों के लिये अनुमति नहीं देता। यदि मैं अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता हूं, तो भी आपत्ति उठाई जाती है--दूसरा वर्ग आपत्ति उठाता है । मैंने इस प्रश्न पर १५ प्रश्नों की अनुमति दी है। इस प्रश्न पर हमने २० मिनिट का समय लगाया है। मेरा विचार है कि इस पर पर्याप्त समय व्यय हुआ है । अगला प्रश्न ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। जिन लोगों ने प्रश्न नहीं रखा है उनके द्वारा अनुपूरक प्रश्न सर्वदा ही पूछे जा सकते हैं। अभी तक यही प्रथा रही है । जिस समय तक आप उन समस्यों के नाम पुकारते हैं जिनके नाम कि प्रश्न के साथ लिखे हैं तो हम हस्तक्षेप नहीं करते । परन्तु जब वह सूची समाप्त हो जाती है तो हमें भी प्रश्न पूछने का अधिकार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी प्रश्न पर पर्याप्त समय व्यय हुआ है अथवा नहीं, इस प्रश्न को अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ देना चाहिये। मेरा विचार है कि इस प्रश्न पर हम पर्याप्त समय व्यतीत कर चुके हैं। अगला प्रश्न ।

मद्रास में तेल शोधक कारखाना

†*१८५. **श्री भागवत झा आजाद** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्रं० कु० घोष :
श्री गुलशन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने मद्रास में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां तो उस योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**मूल अंग्रेजी में**

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) अभी तक कोई भी निर्णय नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या सरकार ने इस मामले पर अपने पहले निर्णय को देख लिया है और उस निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए क्या कोई अन्तिम निर्णय लेने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो इस मामले पर किस समय तक वह निर्णय ले लेगी ?

†**श्री अलगेशन** : पिछले वर्ष के अन्त में सरकार ने इस मामले पर विचार किया था और तब उन्होंने इस मामले को कुछ अध्ययन किये जानने के हेतु योजना आयोग को सौंपने का निर्णय किया था । मंत्रालय के अधिकारियों ने योजना आयोग से बातचीत की थीं और इस सम्बन्ध में उस समय किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की सम्भावना है जब कि सरकार के लिये निर्णय लेने का उचित समय होगा ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें तेल शोधक कारखानों की बहुत शीघ्र आवश्यकता है, क्या योजना आयोग से ऐसा कोई संकेत मिला है कि यह या तो मद्रास में अथवा अन्य किसी स्थान पर होना चाहिये ?

†**श्री अलगेशन** : इस पर यथासम्भव शीघ्र कार्य किया जा रहा है । यह संकेत मिल चुके हैं कि मद्रास में तेल शोधक कारखाने की आवश्यकता पड़ेगी । मांग और पूर्ति की स्थिति ऐसी है कि हमें मद्रास में एक तेल शोधक कारखाना खोलना चाहिये । परन्तु विनिर्णय के लिये जाने के पूर्व कुछ अध्ययन किया जाना है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस तेल शोधक कारखाने का कार्य तृतीय योजना में ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा अथवा वह चतुर्थ पंचवर्शीय योजना के समय तक के लिये हट जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : यदि जल्दी ही निर्णय ले लिया जाता है तो यह सम्भव हो सकता है कि हम चौथी योजना के प्रारम्भ में ही इस पर कार्य प्रारम्भ कर दें ।

†**श्री मुरारका** : क्या चतुर्थ योजना के अन्त तक की पैट्रोलियम उत्पादों की कुछ आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर लिया गया है और यदि हां, तो देश के विभिन्न तेल शोधक कारखाने इस मांग को किस प्रकार पूरा करेंग ?

†**श्री अलगेशन** : तृतीय योजना के अन्त तक की पैट्रोलियम उत्पादों की कुल आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर लिया गया है । चतुर्थ योजना के अन्त तक की सम्भावित आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भी कुछ अध्ययन कर लिया गया है । यह सब बातें विचाराधीन हैं । तृतीय योजना के अन्त पर क्या क्षमता होगी अथवा ततीय योजना के अन्त पर स्वीकृत क्षमता तक पहुंचा जा सकेगा अथवा नहीं, यह सब प्रश्न विचाराधीन हैं और इस विशेष प्रश्न पर निर्णय लिया जायेगा ।

†**श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या शक्ति सर्वेक्षण आयोग का प्रतिवदन प्राप्त हो गया है ?

†**श्री अलगेशन** : वास्तव में यह सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से सम्बन्धिन्त है परन्तु अभी तक उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ है । कदाचित, इस वर्ष के अन्त तक वह अपना प्रतिवेंदन दे सकेंगें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : इस तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में निर्णय लेने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

†श्री अलगेशन : मैंने पहले ही बताया है कि शायद थोड़े समय में ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

†श्री वेंकटासुब्बया : इस शोधक कारखाने को प्रारम्भ करने में कुल कितना व्यय होगा और इस शोधक कारखाने को प्रारम्भ करने के लिये क्या कोई विदेशी सहयोग अथवा सहायता मांगी जा रही है ?

†श्री अलगेशन : यह बात क्षमता पर निर्भर करेगी । यह बात इतनी जल्दी नहीं बताई जा सकती ।

†श्री वारियर : क्या गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों के विस्तार की अनुमति देने के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का प्रश्न स्वयं ही इस मद्रास तेल शोधक कारखाने पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ?

†श्री अलगेशन : वह प्रश्न भी विचाराधीन है । यह सब एक प्रकार से एक दूसरे से सम्बन्धित हैं । परन्तु, उसके अतिरिक्त दक्षिणी प्रदेश में मांग और पूर्ति के सम्बन्ध में अब तक किया गया अध्ययन ऐसा है--मेरा मतलब है कि उसके परिणाम ऐसे हैं कि--एक तेल शोधक कारखाने की आवश्यकता है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें

†*१८६. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के आधुनिकीकरण के लिए विश्व बैंक के ऋण का आधे से अधिक भाग अप्रयुक्त पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के स्वामियों को इस पर विवश करने के लिये कि आवश्यक विकास कार्यक्रमों को बिना अग्रेतर विलम्ब कार्यान्वित करें सरकार का कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

†मूल अंग्रेजी में

†खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जी, नहीं। १७ करोड़ रुपये के कुल ऋण में से उद्योग अब तक लगभग १२.२७ करोड़ रुपये के मूल्य के उपकरणों के लिये क्रयादेश दे चुका है। उद्योग को आशा है कि समय सीमा के बढ़ने से वह शेष धन का काफ़ी भाग उपयोग कर सकेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

†श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि विश्व बैंक ऋण केवल उन्हीं कोयला खानों को दिये गये थे जो कि उच्च, श्रणी के कोयले का उत्पादन करते हैं और यह सुविधा अन्य उन कोयला खानों को लगभग नहीं दी गई थी जो कि निम्न तथा मध्यम श्रेणी के कोयले का उत्पादन करते हैं और जो कि वास्तव में देश के कुल कोयला उत्पादन का ७० प्रतिशत भाग होता है ?

†श्री तिम्मय्या : विश्व बैंक ने ऋण विशिष्ट रूप से सर्वोत्तम श्रणी के कोयले को नहीं दिया था, यह विद्यमान खानों के विस्तार के लिये तथा नई खानों के खोलने के लिये भी है। उन्होंने पांच वर्गों के लिए ऋण दिये हैं जिनके अधीन कोयला खानों द्वारा ऋण का उपयोग किया जाता है।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि इनमें से बहुत सी कोयला खानें उन कठिनाइयों की शिकायत कर रही हैं जो कि उन्हें ऋण लेने के लिये पात्रता प्राप्त करने के हेतु समान अनुदानों की व्यवस्था करने में होती है और यदि हां, तो क्या कम से कम उसका एक कारण यह भी है कि कोयले का वर्तमान उत्पादन वास्तव में मांग से अधिक हो रहा है और बहुत सी कोयला खानें उद्योग के भविष्य के विषय में भयातुर हैं ?

†खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : कोयला खानों को समान धन का वित्तपोषण पाने में समर्थ बनाने के हेतु कुछ पग उठाये गये हैं। साख संस्थाओं द्वारा कोयला खानों को अग्रिम धन दिये जाने के लिये सरकार ने एक आंशिक प्रत्याभूति योजना की स्वीकृति दे दी है। दूसरे, जो साख संस्थायें उक्त प्रत्याभूति योजना में भाग ले रही हैं उनको पुनर्वित्तीकरण सुविधायें प्रदान करने के लिये पुनर्वित्त निगम भी सहमत हो गया है। तीसरे, रक्षित बैंक भी अनुसूचित बैंकों को उनके द्वारा प्रत्याभूति योजना के अधीन कोयला उद्योगों को दिये गये ऋणों के विरुद्ध कुछ ऋण सुविधायें देने के लिये सहमत हो गया है। इस प्रकार यह सब कदम उठाये गये हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या कोयला का अति-उत्पादन हो रहा है, यह नहीं कहा जा सकता कि अति-उत्पादन हो रहा है। शायद एक महीने का भण्डार हो, और उसे भी वहां से उपभोक्ताओं के लिये भेजा जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

साक्षरता

†*१८७. { श्री दी० बं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री पू० ना० खां : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसे बढ़ाने के लिये कौन से कदम उठाय गये हैं ; अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) १९६१ की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों की साक्षरता प्रतिशतता २४.०२ है, पुरुषों की ३४.४४ है तथा स्त्रियों की १२.९५ ।

(ख) कई राज्यों में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिये विधान लागू कर दिया गया है। शेष राज्यों से कहा गया है कि वे भी शीघ्र ही उपयुक्त विधान लागू करें।

अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाओं, अध्यापकों के वेतन में सुधार, लड़कियों की शिक्षा सम्बन्धी विशेष योजनाओं तथा प्राथमिक विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियों के लिय राज्यों को सहायता दी जाती है ।

सहकारी गृह-निर्माण समितियों

*१८८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन में कुछ सहकारी गृह-निर्माण समितियों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस भूमि को सहकारी समितियों को लौटा देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां।

(ख) जिन सहकारी गृह-निर्माण समितियों की भूमि अधिग्रहण की गई है, या की जा रही है, उनको भूमि "दिल्ली में भूमि के उच्च स्तरीय अधिग्रहण, विकास तथा निपटान" की योजना के अधीन एलाट की जावेगी, जिसकी मुख्य-मुख्य बातें लोक सभा में २३ मार्च, १९६१ को श्री पी० जी० देव द्वारा दिये गये नियम १९७ के नोटिस के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण में समाविष्ट हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्राथमिक शिक्षा

१८९. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री प्र० चं० बरुआ

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के विकास की योजना का प्रारूप बनाया है; और

(ख) यदि हां तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). योजना तैयार की जा रही है ।

ह्विटले परिषदें

*१९०. { **श्री भक्त दर्शन :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रा० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये ह्विटले परिषदों की स्थापना करने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) यह निर्णय कब से लागू होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) तथा (ख). इस मामले पर सरकार अभी विचार कर रही है ।

सामान्य शब्दों का हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष

*१९१. { **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य शब्दों का हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष जिसका उल्लेख प्रधान मंत्री ने किया था. बनाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) शब्दकोष बनाने में लगे हुए विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) शब्दकोष कब तक प्रकाशित हो जायेगा; और

(घ) इस शब्दकोष की विशषतायें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) शब्दकोष तैयार कर लिया गया है।

(ख) शब्दकोष केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में निम्नांकित व्यक्तियों की विशषज्ञ समिति के मार्ग दर्शन में तैयार किया गया है :—

(१) श्री रमाप्रसन्न नायक—अध्यक्ष

सदस्य

(२) डा० बाबू राम सक्सेना

(३) डा० विश्व नाथ प्रसाद

(४) डा० हरिवंश राय बच्चन

(५) श्री वियोगी हरि

(६) श्री हरिशंकर शर्मा

(७) श्री राचन्द्र टंडन

(८) श्री बाल कृष्ण राव

(९) श्री जहूर वख्स

(ग) लगभग ३१ दिसम्बर, १९६३ तक।

(घ) इसमें हिन्दी में आमतौर से प्रयोग किए जाने वाले लगभग ७००० शब्दों के अंग्रेज़ी पर्याय दिए गये हैं। इनमें अंग्रज़ी में सामान्य रूप से प्रयोग कि जाने वाले ३०० शब्द भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त २०० नये शब्द भी हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अभी हाल में प्रचलित हुये हैं।

"एस्सो"

†*१९२. **श्री मुरारका** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'एस्सो' को रुपया कम्पनी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर सरकार ध्यान दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सराकार ने इस मामले पर "एस्सो" के साथ बातचीत की है; और

(ग) इह सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी हां।

(ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राजपथों पर मोटल

†*१९३. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री बूटा सिंह :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता को उत्तर बंगाल तथा आसाम से मिलाने वाले राजपथ पर अमरीकी ढंग के मोटल बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इसी तरह के मोटल अन्य राष्ट्रीय राजपथों पर भी बनाये जायेंगे ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) इंडियन आयल कम्पनी भारतीय वातावरण के अनुसार डिजायन पर मोटल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ग) इंडियन आयल कम्पनी देश के अन्य भागों में भी मोटल बनाने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। परन्तु वास्तविक निर्माण स्थापना स्थान के महत्व तथा अन्य सम्बन्धित तथ्यों के महत्व पर आधारित होगा ।

मिट्टी का तेल

†*१६४. **श्री च० का० भट्टाचार्य :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में १० लाख मीट्रिक टन से अधिक मिट्टी के तेल की कमी हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). मिट्टी का तेल कम उत्पादन वाली वस्तु है क्योंकि देश में उत्पादन खपत से कम है। तेल की कमी देश की आवश्यकतानुसार आयात से पूरी की जाती है।

१९६३ में कमी लगभग १० लाख टन होने की आशा है। बाद के वर्षों में मांग की वृद्धि देश में अतिरिक्त शोधक कारखाने की क्षमता की स्थापना से इस प्रकार पूरी की जायेगी कि १९६६ तक यह कमी काफी मात्रा में पूरी हो जाये।

पैट्रोलियम गैस बना कर वैकल्पिक इंधन का निर्माण करने से कमी को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

विश्वविद्यालयों की स्थापना

*१६५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री बसुमतारी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुछ और विश्वविद्यालय खोलने की जो योजना विचाराधीन थी उसमें क्या प्रगति हुई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श लिये बिना ही विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी है ; और

(ग) क्या उन राज्यों ने, जिन्होंने नये विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दी है अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार का परामर्श लिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) राज्यों में नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रश्न का संबंध राज्य सरकारों से है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने, उच्च शिक्षा की आवश्कताओं और इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होने वाले साधनों के संबंध में और राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के पुनर्विलोकन के बाद, आगामी कुछ वर्षो के लिए एक योजना की सामान्य रूपरेखा का सुझाव देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो समिति नियुक्त की थी, उसने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी राज्य सरकार द्वारा की गई ऐसी किसी घोषणा से अवगत नहीं है, जिसके अनुसार नए विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में आयोग से परामर्श न लिया गया हो। किन्तु कुछ राज्य सरकारें नए विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं। इन सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श लिया गया है। केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए कोई अनुदान नहीं देते हैं। किसी विश्वविद्यालय के कार्य प्रारम्भ करने के बाद, आयोग केवल स्वीकृत प्रायोजनाओं के लिए ही अनुदान देता है।

केरल के तटीय क्षेत्रों में तेल के लिये खोज

†*१९६. श्री प० कुन्हन :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री गो० महन्ती :
श्री मणियंगाडन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के तटीय क्षेत्रों में तेल की खोज करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा केरल के तटीय क्षेत्र में भूतत्वीय तथा आकर्षण सर्वेक्षण किए गए हैं। तट के निकट के कीचड़ वाले स्थानों की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तेल शोधक कारखानें

†*१९७. {**श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान और इंधन** मंत्री २१ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वितरण कम्पनियों को रुपया कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिए भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के मुख्य तेल शोधक कारखानों के साथ करार करने के मामले की सरकार ने जांच की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) एस्सो, बर्मा शेल, तथा कालटेक्स कम्पनी द्वारा बनाये गये अस्थाई प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

राजस्थान भूमि सुधार विधेयक

†*१९८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व राजाओं की संपदाओं के अर्जन के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भूमि सुधार और भूस्वामी संपदा अर्जन विधेयक को अन्तिम रूप देने से पहिले, केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था ; और

(ख) क्या यह विधेयक भूतपूर्व राजाओं को दी गई किन्हीं प्रत्याभूतियों का उल्लंघन करता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी हां।

(ख) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और उचित समय पर उन पर विचार किया जायेगा।

पदाधिकारियों का केन्द्रीय पूल

†*१९९. {**श्री राम रतन गुप्त :**
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पदाधिकारियों के केन्द्रीय पूल को समाप्त करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) प्रश्न विचाराधीन है परन्तु मामले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय परियोजनाओं में भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति

†*२००. **श्री हो० ना० मुकर्जी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान उस संकल्प की ओर दिलाया गया है जो जून १६६३ में भारत के वैज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं की संस्था ने जमशेदपुर में पारित किया था और जिस में यह प्रार्थना की गई थी कि सभी परियोजनाओं और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में विदेशी विशेषज्ञों के स्थान पर भारतीय वैज्ञानिकों और प्रविधिज्ञों को नियुक्त किया जाये ; और

(ख) क्या वे इस शिकायत की जांच कर रहे हैं कि विदेशी विशषज्ञों के विचार भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होते, जिसके कारण भारतीय ज्ञान का पूरा विकास नहीं हो पाता ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) जी नहीं। संस्था से तथ्यों के बारे में एक प्रतिवेदन मांगा गया है तथा उत्तर मिल जाने पर और आगे आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

गुजरात के राजधानी क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना

†*२०१. **श्री जशवंत मेहता** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गुजरात सरकार को गुजरात राज्य की नई राजधानी उत्तर गुजरात में बनाने के बारे में अन्तिम परामर्श दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उस क्षेत्र में तेल मिलने की क्या संभावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) प्रस्तुत क्षेत्र में तेल की खोज का काम जारी रखने के संबंध में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और गुजरात सरकार के बीच एक समझौता हो गया है। समझौते के अनुसार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात सरकार की निर्माण योजनाओं में कम से कम बाधा डालकर उस क्षेत्र के कुछ भागों में कूवें ड्रिल किए जायेंगे।

(ख) खोज कार्य के आधार पर अब तक क्षेत्र में तेल का कोई निश्चित निर्धारण नहीं हो पाया है।

कोयले का उत्पादन

*२०२. { **श्री दे० जी० नायक** :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले का उत्पादन तीसरी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं किया जा रहा ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) अब तक कोयले का उत्पादन केवल अनुसूची के अनुसार ही नहीं हुआ है अपितु १९६२–६३ में लक्ष्य से बढ़ गया है अर्थात् कुल उत्पादन ६३८.३ लाख टन हुआ है जब कि लक्ष्य ६२०३ लाख टन था। इस बीच योजना की शेष अवधि में पुनः मूल्यांकन किया गया। उससे पता लगा कि विदेशी मुद्रा की कमी आदि की कठिनाइयों के कारण योजना के अन्त तक उत्पादन लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं होगा। कोयले की खपत की परियोजनाओं के चालू होने में देरी के कारण पहले की आशाओं के अनुसार कोयले की मांग पूरी न हो सके। परन्तु फिर भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिनसे उत्पादन मांग से अधिक होता रहे।

आपातकाल की घोषणा का प्रतिसंहरण

†*२०३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आपातकाल की घोषणा का प्रतिसंहरण करने के लिय राष्ट्रपति को परामर्श देने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) आपातकाल की घोषणा विदेशी आक्रमण के खपरे से भारत की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह खतरा अभी बना हुआ है इसलिए सरकार का विचार घोषणा का प्रतिसंहरण करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देने का नहीं है।

ग्रीष्मकालीन 'स्कूल'

†*२०४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित चार ग्रीष्मकालीन 'स्कूल' में किस प्रकार के विषयों पर चर्चा की गई थी ;

†मूल अंग्रज़ी में.

(ख) क्या अध्ययन की कोई भावी योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) चारों ग्रीष्मकालीन स्कूलों में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई थी :—

'स्कूल' का नाम	विषय
१. इंजीनियरिंग का ग्रीष्म कालीन 'स्कूल'	इंजीनियरिंग का आधुनिक विकास ।
२. पोलिमर्स का रसामन शास्त्रका ग्रीष्मकालीन 'स्कूल'	पोलिमर्स का रसायन शास्त्र के हाल के विकास
३. उच्च शक्ति भैतिक शास्त्र का ग्रीष्मकालीन 'स्कूल'	उच्च शक्ति भौतिक शास्त्र के हाल के विकास
४. हिमालय के भूतत्वों का ग्रीष्मकालीन 'स्कूल'	हिमालय के भूतत्वों के विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन के लिए योजना बनाने तथा उस पर विचार ।

(ख) और (ग) ग्रीष्मकालीन 'स्कूल' वह अध्ययन दल है जहां कि देश के विभिन्न भागों की बातों पर ब्योरेवार चर्चा होती है । अनुसंधान कार्य अपने काम का व्योरा देते हैं तथा उस पर वैज्ञानिकों की आलोचना मांगते हैं ।

ग्रीष्मकालीन 'स्कूलों' की कार्यवाहियों का प्रकाशन होता है तथा वह बिकती है तथा भारत और विदेशों में अनुसंधानकर्ता उससे लाभ उठाते हैं ।

काबेरी बेसिन में तेल छिद्रण कार्य

†*२०५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंक्टासुब्बया :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री मुथिया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मद्रास राज्य के कावरी बसिन क्षत्र में संरचनात्मक छिद्रण कार्य आरम्भ किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) मद्रास के तंजौर ज़िल में प्रछुकौट में दो मील पर पहला कूंवा ड्रिल किया जायेगा । कूंवा शीघ्र ही खोदा जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

कोयली तेल शोधक कारखाना

†*२०६. { **श्री प्र० च० बरुआ :**
श्री दे० जी० नायक :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री य॒ बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोययी तेल शोधक कारखाने की परियोजना का काम आरम्भ कर दिया गया गया है ; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) (१) विभिन्न दफ्तरों, गोदामों, भाडागारों, कारखानों, गराजों, अस्पतालों, बैरीगों के लिए २१ शैड बनाये जा रहे हैं ।

(२) जुलाई, १९६३ के मध्य तक बाजुवा रेलवे क्रासिंग तथा रिफाइनरी तथा साउथ लिंक रोड बन जाने की आशा है ।

(३) रेलवे साइडिंग के लिए भूमि का अर्जन किया जा रहा है ।

(४) नार्थ लिंक लोड बनाई जा रही है ।

(५) रिफाइनरी क्षेत्र के चारों ओर तार लगाने के लिए टेंडरों पर अन्तिम निर्णय लिया जा रहा है ।

(६) रिफाइनरी क्षेत्र में वर्तमान भवनों को अस्थाई कार्यालयों के लिए मरम्मत की जा रही है । रिफाइनरी ग्रिड खंभों का निर्धारण पूरा हो गया है ।

(७) रिफाइनरी को विभिन्न गोदामों से मिलाने वाली अस्थाई सड़क निर्माणाधीन है ।

(८) रिफाइनरी के लिए मुख्य असैनिक इंजीनियरिंग कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं । १५० मकानों के निर्माण के लिए भी टेंडर जारी कर दिए गए है । मैकनिकल इंजीनियरिंग कार्यों के लिए टेंडर बनाये जा रहे हैं तथा शीघ्र ही जारी किए जायेंगे ।

शिक्षा प्रणाली में सुधार

†*२०७. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सरजू पाण्डय :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मई, १९६३ में, पंचमढ़ी में हुई बैठक में, देश की शिक्षा प्रणाली में कुछ सुधारों का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) उपयुक्त सिफारिशों की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०—१४६१/६३]

(ग) और (घ) अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के विचारार्थ तथा कर्यान्वित किए गये है। भारत सरकार ने सभी सिफारिशों को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को भेज दिया है ।

भारत सरकार से संबंधित सिफारिशों की जांच हो रही है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा

*२०८. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में 'डाक द्वारा शिक्षा' के लिए कितने प्राफेसर लेक्चर तैयार करते हैं ;

(ख) इस समय कितने विद्यार्थियों को डाक द्वारा शिक्षा दी जा रही है ; और

(ग) इनको कौन कौन से विषयों में शिक्षा दी जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ४६ (पाठ-लेखक-४२, सम्पादक और संवीक्षक ७)

(ख) १०५७

(ग) अंग्रेज़ी, गणित, हिन्दी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास तथा वाणिज्य में बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम के लिए ।

शारीरिक शिक्षा मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति

*२०६. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब्रं० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या शिक्षा मंत्री ३ अप्रैल, १६६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति अथवा मुख्य सिफारिशों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है !

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी नहीं। समिति द्वारा आगामी मास में रिपोर्ट पेश करने की सम्भावना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

वाराणसी के पास खुदाई

†५७७. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी के पास प्रल्हादपुर में खुदाई से १००० ई० पू० की पुरातत्वीय रुचि की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) जो वस्तुएं खोदकर निकाली गयी है उनके संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और पुरातत्व तथा इतिहास की दृष्टि से उनका पूरा पूरा उपयोग करने की दिशा में और क्या कार्यवाही करने का विचार है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां। उन अवशेषों का काल संभवतः ५०० से १००० ई० पू० के बीच में है।

(ख) ये अवशेष काशी हिन्दू विश्वविद्यालयों में रहेंगे जिसने इस जगह में खुदाई की थी और जहां विद्वान उनका अध्ययन कर सकते हैं।

नाट्य-मण्डलियों को सहायता

५७८. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने नाट्य-मण्डलियों को नये नाटकों के अभिनय के लिये वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो सहायता का आधार और राशि क्या है; और

(ग) १९६३-६४ के वित्तीय वर्ष के लिये इसके अन्तर्गत कुल कितनी राशि राज्यवार देने के लिये निर्धारित की गई है?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हां।

(ख) विहित शर्तें पूरी करने वाली नाट्य मण्डलियों को नए नाटक प्रस्तुत करने के लिए, राज्य सरकार की सिफारिश पर ५,००० रुपए का अनुदान दिया जा सकता है।

(ग) बजट में ३,६०,००० रुपए रखे गए हैं और उन्हें राज्य सरकारों की सिफारिशों के अनुसार बांटा जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

शिकायत की पेटियां

५७९. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में दिल्ली प्रशासन की जन सम्पर्क समिति की बैठक में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि बड़े अफसरों के घरों पर शिकायत की पेटियां रखी जायें ताकि लोग नि:संकोच अपनी बात लिख कर डाल सकें और उनकी जांच की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका यह सुझाव कार्यान्वित किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) गृह मंत्री ने सुझाव दिया था कि डिप्टी कमिश्नर जैसे अफसरों के घर में शिकायत की पेटी रखी जाय ।

(ख) शिकायतें डालने के लिये दो पेटियां रखी गईं हैं, जिनमें से एक डिप्टी कमिश्नर के निवास स्थान पर है और दूसरी उनके दफ्तर में है ।

"मद्यपान की बुराइयां"--अध्ययन का एक विषय

†**५८०. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस शैक्षणिक सत्र से दिल्ली के हायर सेकेन्डरी स्कूलों के पाठ्यक्रम में "मद्यपान की बुराइयां" नामक एक नया विषय जोड़ने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या यह नया विषय अनिवार्य या वैकल्पिक होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी

†**५८१. श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उड़ीसा से कितने आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अधिकारी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) ३ ।

(ख) कोई नहीं ।

महिलाओं के लिये छात्रावास

†**५८२. श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्राओं के लिए एक छात्रावास बनाने की उत्कल विश्वविद्यालय की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो इस मामले में उनका क्या निश्चय है ; और

(ग) छात्रावास की कुल अनुमानित लागत कितनी होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) छात्रावास के निर्माण की योजनाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार कर ली हैं और परियोजना का काम जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय को कहा गया है ।

(ग) परियोजना की वर्तमान अनुमानित लागत ४,१६,००० रुपये है लेकिन संभव है कि विस्तृत अनुमान उत्कल विश्वविद्यालय से प्राप्त होने पर उसमें कुछ परिवर्तन किया जाये ।

दिल्ली में अनैतिक पण्य रोक अधिनियम

†५८२. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में १९६२–६३ में अनैतिक पण्य रोक अधिनियम के अधीन कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : ३६ व्यक्तियों को ।

कोयले का परिवहन

†५८४. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में तटीय जहाजों और जलमार्गों से कुल कितने टन कोयला लाया ले जाया गया ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : १९६२–६३ में रेल तथा समुद्र मार्ग से (तटीय जहाजों द्वारा) और जल मार्गों से जो कोयला लाया ले जाया गया उसकी मात्रा इस प्रकार है:—

रेल तथा समुद्री मार्ग	१९,०६४ लाख मीट्रिक टन
जलमार्ग	५४,९६२ मीट्रिक टन

पुलिस के लिए मकान बनाने की योजनायें

†५८५. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ और १९६२–६३ में क्रमशः उड़ीसा और राजस्थान सरकार को उन राज्यों में पुलिस के लिए मकान बनाने की योजनाओं के लिए अभी तक अलग अलग कोई रकमें दी गयी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) और (ख) १९६१–६२ और १९६२–६३ में पुलिस के लिए मकान बनाने की योजनाओं के लिए उड़ीसा और राजस्थान सरकारों को जो रकमें दी गयी हैं वे इस प्रकार हैं :—

	उड़ीसा	राजस्थान
१९६१–६२	१५,००,०००	३९,००,०००
१९६२–६३	१८,००,०००	१३,००,०००
	३३,००,०००	५२,००,०००

वयस्क औरतों को शिक्षा

†५८६. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ और १९६२-६३ में वयस्क महिलाओं की शिक्षा की विशेष योजनाओं के लिए उड़ीसा को कोई रकम दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस अवधि में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए उड़ीसा सरकार ने कितनी रकम काम में लायी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) वयस्क महिलाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजनाओं के लिए कोई अलग रकम उड़ीसा को नहीं दी गयी थी ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए मकान बनाने की योजनायें

†५८७. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में उड़ीसा सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए मकान बनाने की योजनाओं के लिए कितनी रकम दी गयी ; और

(ख) उसी अवधि के लिए उड़ीसा सरकार ने कितनी रकम मांगी थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) ३.८८ लाख रुपया । आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृति शीघ्र ही जारी की जायेगी ।

(ख) ४ लाख रुपया ।

†मूल अंग्रेजी में

उड़िया भाषा का विकास

†५८८. **श्री रामचन्द्र उलाका :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़िया भाषा के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को दूसरी पंच-वर्षीय योजना की अवधि में कितनी दूसरी वित्तीय सहायता दी थी ; और

(ख) १९६२-६३ और १९६३-६४ में कितना अनुदान मंजूर किया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) ४४,३१० रुपये ।

(ख) १९६२–६३ के लिए ३६,००० रुपये स्वीकृत किये गये और १९६३–६४ के लिए ४०,००० रुपये नियत किये गये थे ।

पंजाब में एकीकरण सूत्र

†५८९. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१ अप्रैल, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में दिया गया यह आश्वासन कि एकीकरण सूत्र पंजाब में भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायगा, पंजाब सरकार ने १२ जून, १९६२ के अपने परिपत्र से समाप्त कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सदन में दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ घोषित किये गये भूतपूर्व पेप्सू कर्मचारियों को सभी प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से उचित वरिष्ठता प्रदान की जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) और (ख) २१ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६१ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो बताया गया था वह वास्तव में यह था कि संशोधित सूत्र भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायगा । संशोधित सूत्र के अनुसार समाज पदक्रम सूचियों (कॉमन ग्रेडेशन लिस्टस) में जो १-११-१९६५ से लागू की गयी है, परिवर्तन करके यह किया गया है । दिनांक १२ जून, १९६२ के सरकारी पत्र में उल्लिखित आदेश के विरुद्ध, जिनसे वरिष्ठता और पदवृद्धि पर वेतन आदि जैसे कई अन्य मामलों में भूतलक्षी प्रभाव से वह सूत्र लागू किया गया है, अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

भारत का प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण विभाग

†५९०. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण विभाग संबंधी समीक्षा समिति की रिपोर्ट उसे प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ग) उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ; और

(घ) उनकी सिफारिशें कब तक कार्यान्वित की जायेंगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी हां ।

(ख) समीक्षा समिति की मुख्य मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

१. सर्वेक्षण विभाग के मुख्य कार्यालय तथा प्रादेशिक केन्द्रों के लिए भी उपयुक्त फायरप्रूफ इमारतें तैयार करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

२. तीसरी योजना के अधीन अतिरिक्त विभाग (डिविजन्स) चालू करने का काम तब तक रोक दिया जाना चाहिये जब तक कि उचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी सुविधाएं और स्थान उपलब्ध न हों ।

३. प्रारक्षित संग्रहों (रिजर्व कलेकशन्स) को ठीक तरह से नहीं रखा जा रहा है । इस काम की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये और देश के तथा विदेश के विशेषज्ञों की सहायता से अनामांकित संग्रहों को नाम देने और उन्हें वर्गीकृत करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये । सर्वेक्षण और विकास के कार्यक्रमों में इस प्रकार परिवर्तन किये जाने चाहियें कि संग्र , में जो कमी है वह पूरी की जा सके ।

४. विश्वविद्यालयों के साथ अधिक सम्पर्क होना चाहिये और निश्चित अवधियों तथा परियोजनाओं के लिए प्राध्यापकों और कर्मचारियों का अधिक आदान प्रदान होना चाहिये ।

५. भारतीय संग्रहालय के 'रेकार्ड्स' और 'मेमायर्स' और सर्वे की 'वार्षिक रिपोर्टों' को अधिक से अधिक वर्तमान बनाया जाना चाहिये : "त्रैमासिक बुलटिन" बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

६. भारतीय संग्रहालय में प्राणिशास्त्र विषयक सार्वजनिक दीर्घाओं की पुनर्व्यवस्था की जानी चाहिये ।

(ग) और (घ) सिफारिशों पर विचार हो रहा है । निर्णयों को लागू करने के सम्बन्ध में कार्यवाही यथा शीघ्र की जायगी ।

रामनाड में लिग्नाइट

†५९१. **श्री सेझियान :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य के रामनाड जिल में लिग्नाइट के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन निक्षेप से लिग्नाइट निकालने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रामनाड जिले में कराइकुडी के पास लिग्नाइट मिलने का समाचार मिला है ।

(ख) भारत का भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग इस संबंध में और खोज पड़ताल करेगा ?

---

†मल अंग्रेजी में

जम्मू और काश्मीर को ऋण और सहायक अनुदान

†५९२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ से १९६२-६३ तक हर साल जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग-अलग कितना-कितना ऋण और स यिक अनुदान दिया गया ;

(ख) प्रत्येक ऋण और अनुदान किस किस प्रयोजन के लिए दिया गया ;

(ग) अब तक कितना ऋण वापिस चुकता कर दिया गया है ; और

(घ) क्या हर साल हिसाब किताब की उचित ढंग से जांच की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–१४९२/६३]**

(ख) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता दी गयी थी :—

(१) बजट की कमी पूरी करना ;

(२) राज्य के विकास की योजनाओं, बाढ़ से संरक्षण, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास, कम आय वाले समुदाय के लिए मकान बनाने, पुलिस के लिए मकान बनाने, सामुदायिक विकास, अनाज की खरीद और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास आदि संबंधी योजनाओं पर खर्च के लिए;

(३) जम्मू और कश्मीर की अतिरिक्त पुलिस और जम्मू और कश्मीर सेना का खर्च चलाने के लिए ।

(ग) २१,२०,१६,९७१ रुपये (इसमें चुकता की गयी या समायोजित रकमें शामिल हैं) ।

(घ) नियंत्रक-म ालेखा परीक्षक का क्षेत्राधिकार जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी है । सभी सरकारी लेन देनों की रकमों और लेखा परीक्षा के संबंध में उसका वही अधिकार होता है जो अन्य राज्यों के मामले में होता है ।

माताटीला बांध परियोजना

†५९३. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने माताटीला बांध परियोजना के संबंध में अपनी सिफारिशें अंतिम रूप से निश्चित कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका सारांश क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख) समिति की बैठक दो बार हुई थी लेकिन वे सर्वसम्मति से कोई सिफारिशें नहीं कर सकीं । इसलिए १ और २ जुलाई, १९६३ को नैनीताल में केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् की अंतिम बैठक में उस विषय पर पुनः चर्चा की गयी । उस बैठक में माताटीला परियोजना से मध्य प्रदेश को बिजली की सप्लाई के संबंध में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था । उन कार्यवाहियों की जिनमें परिषद् के निश्चय दिये गये हैं, प्रतियां अंतिम निर्णय के बाद यथाशीघ्र संसद् पुस्तकालय में रख दी जायेंगी ।

†मूल अंग्रेज़ी में

पुस्तकालयों के लिए संपत्ति पर अधिकर

†५६४. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को देश में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए संपत्ति पर अधिकर लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) इस सुझाव पर कितने राज्यों ने अपने विचार सूचित किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां ।

(ख) १४ राज्य सरकारों और ६ संघ राज्य क्षेत्रों ने इस विषय पर अपने विचार अभी तक सूचित किये हैं ।

प्राथमिक शिक्षा समिति

५६५. { **श्री राम हरख यादव :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नैनीताल में श्री यू० एन० ढेबर की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा समिति की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को कब तक लागू किया जायेगा ; और

(घ) इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-१५६३/६३]**

स्कूलों में उत्पादक श्रम योजना

†५६६. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा का वर्तमान ढांचा बदलने के लिए एक व्यापक योजना के अंग के रूप में २००० चुने हुए सैकेन्डरी स्कूलों में उत्पादक श्रम योजना लागू की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यह योजना लागू करने के लिए किस आधार पर स्कूल चुने जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग) : फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। जैसा कि केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मई १९६३ की अपनी बैठक में सिफारिश की है, सभी स्तरों पर शिक्षा संस्थाओं के छात्र उत्पादक कार्यवाहियों में हाथ बंटा सके इसके लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति बनायी गयी है।

सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय वेतनक्रम

†५६७. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय सेकेन्डरी स्कूल टीचर्स सोसियेशन एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत में सभी अध्यापकों के लिए न्यूनतम "राष्ट्रीय" वेतन क्रम के प्रश्न पर चर्चा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की थी ;

(ख) यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम निकला ;

(ग) उस प्रतिनिधि मंडल ने चर्चा के दौरान अन्य कौन से विषय उठाये ; और

(घ) सरकार उनके प्रस्तावों से कहां तक सहमत हुई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग और राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रश्न की छानबीन की जायगी।

(ग) और (घ) प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों द्वारा उठाये गये अन्य विषय और उन पर राज्य सरकारों के विचार संलग्न विवरण में दिये हुए हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० १४६४/६३]**

ग्राम शिक्षा

†५६८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्राम शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से उसकी छानबीन करने के लिए एक समिति कायम की है जिससे शहरों के अतिरिक्त छात्रों को ग्रामीण कालेजों में भेजा जा सके ; और

(ख) यदि हां तो उस समिति के समक्ष ठीक ठीक विचारणीय विषय क्या है और वह किस प्रकार बनायी गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिए सख्या एल० टी० १४६५/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में हायर सेकेण्डरी कक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या

†५९९. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के हायर सेकेन्डरी कक्षाओं में काफी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो उनकी प्रतिशत संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या उसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच पड़ताल की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी नहीं । बोर्ड की औसत पास प्रतिशतता ६३·९ है ।

(ख) अनुत्तीर्ण छात्रों की औसत प्रतिशतता ३६·१ है ।

(ग) जिन स्कूलों में पास प्रतिशतता ४० से कम है वहां जांच पड़ताल करने का विचार है ।

पिछड़े वर्ग

†६०० { **श्री इम्बीचिबावा** :
श्री प० कुन्हन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना के पहले दो वर्षों में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए दी गयी रकम पूरी पूरी खर्च नहीं की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तीसरी योजना के पहले दो वर्षो में कुल कितनी रकम व्ययगत हो गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: (क) नियत की गयी रकम के १० प्रतिशत से कम रकम निम्नलिखित कारणों से खर्च नहीं की जा सकी :—

(१) शिल्पिक कर्मचारियों का न मिलना ;

(२) मकान बनाने की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान और बस्तियां बसाने की योजनाओं के लिए खेती योग्य जमीन का न मिलना ;

(३) लाभान्वित व्यक्तियों से समर्थन की कमी उदाहरणार्थ स्कूलों में भरती के लिए बच्चों की अपर्याप्त संख्या, योजनाओं में उचित अंशदान देने में असमर्थता ।

(ग) लगभग ३४९२ लाख रुपये की कुल नियत रकम के मुकाबले में ३४४·२१ लाख रुपये की कुल रकम व्ययगत हो गयी ।

दिल्ली के स्कूलों में फीस

†६०१ **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में दिल्ली के सहायक अनुदान पाने वाले स्कूलों में अप्राधिकृत फीस या फण्ड लेने के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) छः

(ख) जिन स्कूलों के विरुद्ध अनधिकृत फीसें लेने की शिकायतें मिली थीं और उनके विरुद्ध शिक्षा निदेशालय ने जो कार्यवाही की वह निम्नलिखित है :—

(१) डी० ए० वी० हायर सैकेंडरी स्कूल, वेस्ट पटेल नगर (२) डी० ए० वी० हायर सैकेंडरी स्कूल, गांधी नगर (३) डी० ए० वी० हायर सैकेंडरी स्कूल, पहाड़ी धीरज, बेयर्ड रोड (४) डी० ए० वी० हायर सैकेंडरी स्कूल, चित्रगुप्ता रोड	मामले की जांच हो रही है ।
(५) लेडी इरविन हायर सैकेंडरी स्कूल, नई दिल्ली	ज्ञात हुआ है कि स्कूल कला तथा विज्ञान की छात्राओं से देहली शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत दर से अधिक विकास शुल्क लेता है । स्कूल को केवल विभाग द्वारा स्वीकृत दर पर ही विकास शुल्क लेने के लिये कह दिया गया है ।
(६) जैन गर्ल्ज हायर सैकेंडरी स्कूल, जंगपुरा	पता चला कि स्कूल विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना विकास शुल्क लेता था । विभाग द्वारा अग्रेतर पूछताछ पूरी होने तक स्कूल को विकास शुल्क लेना बन्द कर देने के लिये कहा गया परन्तु उसने विभाग की हिदायतों का पालन नहीं किया । परिणाम स्वरूप स्कूल ने नवम्बर १९६१ से जून १९६२ तक विकास शुल्क की जो कुल राशि वसूल की थी वह उसे देय सहायक अनुदान में से काट ली गई है ।

सानन्द के समीप निकला तेल

†६०२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सानन्द के समीप निकले तेल का कोई मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** (क) और (ख) इस संरचना पर छः कुयें खोदे गये हैं और इनमें से चार का आंशिक रूप से परीक्षण किया जा चुका है। परिणामों से पता चला है कि इस क्षेत्र में रेत विकास काफी क्षीण है। गैस और तेल की थोड़ी थोड़ी मात्रायें पाई गई हैं। अग्रेतर परीक्षात्मक खुदाई हो रही है।

पाठ्य पुस्तकें

†६०३ { **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार प्राथमिक विद्यार्थियों की पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त बांटने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ;

(ग) यह योजना कब तक शुरू की जायेगी ; और

(घ) इस प्रयोजन के लिये कितनी धन राशि खर्च करने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते।

रिग्स और फालतू पुर्जों[1] का संभरण

†६०४ { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भारी मशीन निर्माण संयंत्र, रांची को रिग्स और फालतू पुर्जों के संभरण के लिये कोई क्रयादेश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्रयादेश कब दिया गया था ;

(ग) क्या सभी रिग्स और फालतू पुर्जों का संभरण कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो एसे रिग्स और फालतू पुर्जों की संख्या क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं ही उठते।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Rigs and Spares

तम्बुओं वाले स्कूल

†६०५. { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितने स्कूल इस समय तम्बुओं अथवा किराये के मकानों में चल रहे हैं ;

(ख) कितने समय से इस प्रकार चल रहे हैं

(ग) क्या उन्हें अपने भवनों के बनाने में सहायता देने की कोई योजनायें हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क)

	पूर्णतः तम्बुओं वाले स्कूल	किराये की इमारतों में स्कूल
दिल्ली प्रशासन के अधीन स्कूल	२२	२२
स्थानीय निकायों के अधीन स्कूल	४२	१४४

(ख) इन में से अधिकतर स्कूल पिछले पांच वर्षों में खोले गये थे ।

(ग) जी हां । दिल्ली की तृतीय पंचवर्षीय शैक्षणिक विकास योजना के अन्तर्गत स्कूलों के नये भवनों के निर्माण के लिये एक आवस्थित कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है ।

स्कूलों में हिन्दी

†६०६. **श्री जेना :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की किन्हीं राज्य सरकारों ने स्कूलों में हिन्दी आरम्भ करने का विरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं और उन्होंने किस प्रकार का विरोध किया है ; और

(ग) देश के हिन्दी न बोलने वाले राज्यों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये सरकार तथा हिन्दी प्रचार सभा द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये भारत सरकार निम्नलिखित योजनायें चला रही है :—

(१) हिन्दी के प्रचार के लिये स्वयंसेवक हिन्दी संगठनों को अनुदान/स्वयंसेवक संगठनों की अनुमोदित योजनाओं पर व्यय का ६०% भारत सरकार देती है ;

(२) स्कूल, कालेज और सार्वजनिक पुस्तकलायों को हिन्दी पुस्तकों का मुफ्त उपहार ;

(३) प्रत्येक हायर सैकेंडरी/हाई/मिडिल/प्राइमरी स्कूल में कम से कम एक हिन्दी अध्यापक सुनिश्चित करने के लिये हिन्दी के अध्यापकों की नियुक्ति। इस व्यय को शत प्रतिशत भारत सरकार ही करती है ;

(४) हिन्दी के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना। सारा खर्च भारत सरकार द्वारा किया जाता है ; और

(५) हिन्दी में उच्चतर अध्ययन करने तथा अनुसन्धान करने के लिये अहिन्दी भाषी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देना।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की कार्यवाहियों में ये सम्मिलित हैं : (१) हिन्दी तथा अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में साहित्य का सृजन, (२) हिन्दी परीक्षाओं का लेना, (३) हिन्दी भाषा तथा साहित्य का संबद्धन तथा अनुसन्धान, (४) हिन्दीं पढ़ाने तथा हिन्दी के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये स्कूलों, कालेजों, तथा अन्य संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण, (५) हिन्दी के विद्वानों को पुरस्कार देना और हिन्दी के हित में प्रतिष्ठित सेवा करने वाले व्यक्तियों को गौरवार्थ उपाधियां तथा अन्य बौद्धिक उपाधियां प्रदान करना।

प्राथमिक शिक्षा

†६०७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री ज० ब० सिंह:
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री दे० जी० नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू सत्र में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने योजना आयोग को तत्काल ही एक अतिरिक्त अनुदान देने के लिये कहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग का निर्णय क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) सिद्धान्त रूप से यह निर्णय किया गया है कि राज्यों को तेज़ी से केन्द्रीय सहायता दी जाए। वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के परामर्श से ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

मकान बनाने के लिए ऋण

६०८. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिपाहियों को मकान बनाने के लिये ऋण देने के लिये सरकार ने १८ करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली को इसमें से कितना दिया गया है ; और

(ग) क्या इनको विकसित प्लाट देने की योजना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं। मकान बनाने के हेतु सिपाहियों को ऋण देने के लिये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को कोई आवंटन नहीं किया है, परन्तु पुलिस कर्मचारियों को उत्तम मकान मुहैया करने में सहायता देने के लिये राज्य सरकारों को हर साल कर्ज दिये जा रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सिपाहियों को विकसित प्लाट देने की कोई योजना नहीं है, परन्तु पुलिस के लिये घर बनाने के हेतु दिल्ली में कुछ जमीन निश्चित कर ली गई है।

अम्बाला जिले में चूने के पत्थर वाले क्षेत्र

†६०९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गांव मुल्लाह, खरार तहसील, जिला अम्बाला में चूने के पत्थर वाले क्षेत्र मिले हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** हां। मल्ला के निकट चूनापत्थर वाले कुछ क्षेत्र का कुछ समय से पता है।

२,००० वर्ष ई० पू० का मानव ढांचा

†६२०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच कि बर्दबान जिले में पांडू राजार ढीबी टीलों में सतह से १२ फुट नीचे एक मानव ढांचा मिला था जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि वह २,००० वर्ष ई० पू० का है।

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** जी हां। परन्तु ढांचे का काल निश्चित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अवैध शराब

†६११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले चार महीनों के दौरान दिल्ली तथा नई दिल्ली के इलाकों में पुलिस द्वारा पकड़ी गई अवैध शराब की बोतलें की संख्या क्या है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : १ अप्रैल, १९६३ से ३१ जुलाई, १९६२ तक की अवधि में पुलिस ने दिल्ली में अवैध शराब की ३९७९¹/₂ बोतलें तथा नई दिल्ली दिल्ली के इलाकों में ११४२³/₄ बोतलें पकड़ी हैं।

स्वीडन से कागज

६१२. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धन छात्रों को मुफ्त पुस्तकें देने के लिने स्वीडन ने गत वर्ष जो आठ हजार टन कागज दिया था उससे कितने विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : कागज अभी बहुत हाल ही में प्राप्त हुआ है और अभी इस समय लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या बताना कठिन है।

मलकानी समिति

६१३. **श्री बाल्मीकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मेहतरों द्वारा गन्दा ढोने की स्थिति सम्बन्धी मलकानी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों लागू करने के लिये स्वायत्त संस्थाओं को अभी तक आदेश नहीं दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के क्या नाम हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकारों व यूनियन टेरिटरिज से एकत्र की जा रही है।

मलकानी समिति की रिपोर्ट

६१४. **श्री बाल्मीकी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहतरों द्वारा गन्दा ढोने से सम्बन्धित मलकानी समिति की रिपोर्ट का हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करा दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). रिपोर्ट को हिन्दी में अनुवाद करके छापा जा चुका है। मराठी तथा मलयालम में भी इसका अनुवाद किया अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य आपातकाल को दृष्टि में रखते हुए थगित कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रजी में

दिल्ली में अर्जित भूमि

६१५. श्री बाल्मीकी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमि अर्जन कानून के अधीन दिल्ली में गत दो वर्ष में कितनी भूमि अर्जित की गई है ; और

(ख) इसके लिये कितना मुआवजा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) मई १९६१ से मई १९६३ तक की अवधि में १२०३८ एकड़ भूमि "भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४" के अधीन अधिग्रहण की गई है। इसके अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे जमीन के टुकड़े दिल्ली प्रशासन और दिल्ली निगर निगम की छोटी योजनाओं के लिये अधिग्रहण किये गये हैं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट १२०३८ एकड़ भूमि के लिये १४,८२,२६,८५८ रुपये की रकम निर्धारित की गई है।

डिस्ट्रिक्ट जज या हाई कोर्ट में उनके उज़र या अपीलों का फैसला होने तक कुछ जमीन मालिकों ने इसमें से कुछ रकम वसूल नहीं की है और कुछ रकम के बारे में उज़र होने से भी अभी जमीन मालिकों ने उसे वसूल नहीं किया है।

कोयला उद्योग में प्रति व्यक्ति उत्पादन

†६१६. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के दौरान कोयला उद्योग में प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन क्या था ;

(ख) पिछले वर्ष के आंकड़ों से इसकी क्या तुलना है ; और

(ग) उत्पादिता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). १९६२ और १९६१ के दौरान कोयला उद्योग में श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिये प्रति श्रमिक औसत वार्षिक उत्पादन इस प्रकार से था :

(मीट्रिक टनों में)

	१९६२	१९६१
(१) खनिक और भरने वाले	३९८	३९१
(२) धरती के नीचे और खुली ढुलाई में काम करने वाले श्रमिक	१९९	१९२
(३) खानों के सभी श्रमिक	१४२	१३५

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) उत्पादिता बढ़ाने के लिये किये गये उपायों में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित हैं :

(१) नीचे दिये तरीकों से वर्तमान खानों के विन्यास में सुधार :

(क) अधिक अच्छी ढुलाई प्रणाली की व्यवस्था ;

(ख) आधुनिक भूगर्भी खनन यंत्रों का अधिक प्रयोग यथा कोयला काटने वाले यंत्र, भरने वाली मशीनें, विद्युतचालित बरमे, सतह से मशीनों द्वारा कोयला ले जाना ; और

(ग) हवा के आने जाने की अधिक अच्छी व्यवस्था करना इत्यादि।

(२) मंत्रीकरण पर बल देते हुये नई खानों का आयोजन, भूमिगित तथा खुली ढुलाई दोनों ही,

(३) जहां परिस्थितियां अनुकूल हों वहां आधुनिक गुफा-निर्माण सहित लम्बी दीवार' खनन पद्धतियों का अपनाया जाना,

(४) श्रमिकों को मशीनें चलाने से परिचित कराने के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था, और

(५) श्रमिकों की सुरक्षा और सामान्य स्वास्थ्य आदि के उपायों में सुधार।

नूनमाटी तेलशोधक कारखाने को दिया गया कच्चा तेल

†६१७. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'नूनमाटी तेलशोधक कारखाने को दिये जाने वाले कच्चे तेल के दाम ८२ रुपये प्रति टन वसूल किये जाते हैं जबकि बम्बई के तेल शोधक कारखाने को दिये जाने वाले आयातित कच्चे तेल के लिये प्रति टन ६५ रुपये लिये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) नूनमाटी तेलशोधक कारखाने को जो कच्चा तेल दिया जाता हे अस्थायी आधार पर उसका मूल्य ८३·७० रुपये से ८५·२० रुपये प्रति मीट्रिक टन तक है। मूल्य में आसाम सरकार द्वारा लगाया गया १ नये पैसे प्रति लिटर का बिक्री कर (लगभग १३ रुपये प्रति टन) सम्मिलित है। इसी किस्म के आयातित कच्चे तेल का चालू मूल्य अनुमानतः ६९·७७ रुपये है।

(ख) इण्डियन रिफ़ाइनरीज़ लि० को आयल इंडिया लि० से जिस मूल्य पर कच्चा तेल प्राप्त होना है वह भारत सरकार, बर्मा आयल कम्पनी, आसाम आयल कम्पनी और आयल इंडिया लि० के बीच २७ जुलाई, १९६१ के द्वितीय अनुपूरक करार में दिये गये आधार पर निश्चित किया जाता है। करार में सभी खर्चे, जावकों तथा करों को कम करने के बाद आयल इंडिया की समन्याय्य पूंजी पर ९ प्रतिशत प्रति वर्ष का न्यूनतम शुद्ध

†मूल अंग्रेज़ी में

'Long-wall with Caving.

लाभ नियत किया गया है। तदनुसार, जब संभरण कम होगा तो कच्चे तेल का प्रति टन मूल्य बढ़ जायेगा और जब संभरण इण्डियन रिफाइनरीज़ लि० की सम्पूर्ण आवश्यकताओं जितना होगा तो मल्य कम हो जायेगा।

कोयला क्षेत्रों में रज्जुपथ

†६१८. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि के दौरान झरिया तथा रानीगंज कोयला क्षेत्रों में लगाये जाने वाले छः रज्जुपथों के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उन पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) छः रज्जुपथों में से तीन झरिया कोयला क्षेत्र में बनाये जाने वाले हैं और तीन रानीगंज कोयला क्षेत्र के जम्बद कारोजा क्षेत्र में। इनमें से प्रत्येक रज्जुपथ के संबंध में हुई प्रगति नीचे बताई गई है :

(१) **झरिया कोयला क्षेत्र के 'डी' क्षेत्र के लिये रज्जुपथ :**

रज्जुपथ के काम का ठेका जनवरी, १९६२ में दिया गया था और उसके अप्रैल, १९६५ तक चालू होने की आशा की जाती है। आवश्यक भूमि का अधिकतर भाग अर्जित कर लिया गया है, सामग्री कार्यस्थल पर पहुंचा दी गई है और विभिन्न स्टेशनों तथा टिकटिकियों के लिये ढांचों का निर्माण ५०% तक पूरा हो गया है।

(२) **रानीगंज कोयला क्षेत्र के जम्द-कारोजा क्षेत्र के लिये तीन रज्जुपथ :**

इन रज्जुपथों के लिये जनवरी १९६३ में ठेका दिया गया था और इन के जनवरी १९६६ तक चालू होने की संभावना है। संयंत्र और मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस प्राप्त हो चुका है और रज्जुपथ बनाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की अनुमति ले ली गई है।

(३) **झरिया कोयला क्षेत्र के 'एफ' क्षेत्र के लिये हवाई रज्जुपथ :**

इसके जनवरी १९६६ तक चाल हो जाने की आशा है। इस परियोजना को ए० आई० डी० कोष से वित्तपोषित करने का विचार है। एक अमरीकन फर्म को ठेका दे दिया गया है।

(४) **झरिया कोयला क्षेत्र के 'बी सी' क्षेत्रों के लिये रज्जुपथ :**

रेत निक्षेपों की पर्याप्तता के बारे में क्योंकि सन्देह प्रकट किये गये हैं इसलिये सामान्य रूप से इस मामले की कोयला बोर्ड तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) ३१ जुलाई, १९६३ तक इस योजना पर खर्च की गई राशि १७३·०३३ लाख रुपये है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

संगीत नाटक अकादमी

६१९. श्री भक्त दर्शन : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री २० फरवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी के प्रसासन में सुधार करने के लिए कौन कौन से ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उन कदमों के उठाये जाने से उस अकादमी के प्रबन्ध में कौन सा निश्चित सुधार हुआ है?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) दूसरे कामों के साथ साथ, निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं :—

(एक) एक वित्त और लेखा नियमावलि तैयार करके लागू की गयी है। एक प्रशासनिक और लेखा अधिकारी, एक मुख्य सहायक और एक वरिष्ठ लेखाकार की नियुक्ति कर के वित्तीय प्रशासन को मज़बूत बनाया गया है।

(दो) एक संशोधित विधान तैयार किया गया है और अकादमी का पंजीकरण कराया गया है। जनरल कौंसिल और दूसरे प्राधिकरणों के लिए नये चुनाव नामजदगियां की गई हैं।

(तीन) एक वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी जो पहले आकाशवाणी में काम करते थे आजकल डेपुटेशन पर अकादमी में काम कर रहे हैं।

(ख) (एक) अकादमी के सचिवालय के काम में स्पष्टतः सुधार हुआ है। काफी समय से देर या अव्यवस्था की कोई शिकायत नहीं आई है।

(दो) अकादमी एक निश्चित योजना से काम कर रही है और नृत्य, नाटक और संगीत में रुचि रखने वाले सभी भागों में अब अधिक संतोष है।

(तीन) महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व की सन् १९६०–६१ और १९६१–६२ की रिपोर्टों के अनुसार लेखा संतोषजनक ढंग से रखा गया है।

दिल्ली के लिये उच्च न्यायालय

**६२०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री महेश्वर नायक :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में एक स्वतन्त्र उच्च न्यायालय स्थापित करने के सुझाव के बारे में इस बीच क्या कोई निश्चय किया गया है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : जी नहीं।

महिला अधिकारी

†६२१. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले १६ वर्षों में विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती किये गये महिला अधिकारियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केवल महिला अधिकारियों से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं का कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें हल करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा २५
भारतीय पुलिस सेवा . . . . कोई नहीं।

(ख) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई विशेष कठिनाइयां नहीं लाई गई हैं जिनका संबंध केवल महिला अधिकारियों से ही हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्व प्राच्यविद्याज्ञों[1] का सम्मेलन

†६२२. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष के शुरू में भारत में विश्व प्राच्यविद्याज्ञों का सम्मेलन करने का प्रस्ताव पक्का हो गया है;

(ख) जिन विभिन्न देशों ने भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रकट कर दी है उनके भाग लेने वालों की संख्या क्या होगी; और

(ग) उक्त सम्मेलन में ऐसे कौन से विषयों पर चर्चा होने की संभावना जिनमें इस देश की विशेष रुचि हो?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) प्राच्यविद्याज्ञों का छब्बीसवां अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ४ से १० जनवरी, १९६४ तक नई दिल्ली में होगा।

(ख) २०० विदेशी विद्वानों ने अब तक इस सम्मेलन में भाग लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की है।

(ग) सम्मेलन को जिन भागों में विभक्त किया जाएगा उनकी सूची नीचे दी जाती है :

(१) मिस्री पुरातत्व[2]

(२) सैमिटिक अध्ययन;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Orientalists.

[2]Egyptalogy.

(क) बेबीलोनिया संबंधी अध्ययन, असीरियन अध्ययन इत्यादि

(ख) हिब्रू सम्बन्धी अध्ययन

(३) हिट्टाइट तथा काकेशियन अध्ययन

(४) आलटेक अध्ययन जिसमें टरकालोजी सम्मिलित हैं

(५) इरानी अध्ययन

(६) इन्डोलाजी

(७) दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन

(८) पूर्व एशियाई अध्ययन

(९) इस्लाम संबंधी अध्ययन

(१०) अफ्रीकी अध्ययन :

स्कूलों का पाठ्यक्रम

†६२३. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त पाठ्यक्रम समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि सैकेंडरी स्कूल स्तर तक लड़कों तथा लड़कियों के लिये मुख्य पाठ्यक्रम एक ही होना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार समिति की सिफारिशों से मोटे तौर पर सहमत है । तथापि, इस मामले में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा जिन्हें समिति के प्रतिवेदन की प्रतियां भेज दी गई हैं ।

स्कूलों में सदाचार की शिक्षा

६२४. **श्री म० ला० द्विवेदी** :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बालकों को सदाचार, शिष्टता एवं राष्ट्रीय भावना आदि सद्गुणों की शिक्षा पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किये जाने के लिए भारत सरकार क्या कुछ विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त विषयों की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने की दिशा में क्या कोई प्रयत्न जारी है और वह क्या है ; और

(ग) क्या उक्त कार्य में परामर्श देने के कार्य को प्रगति देने और उचित पुस्तकों का चयन करने के लिये सरकार ने कोई समिति बनाई है या बनाने का विचार है ?

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग) : धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा के संबंध में श्री श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में, भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी। इस समिति की सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है जो अपने अपने क्षेत्रों के स्कूलों में उपयोग के लिए पाठ्यचर्यायें और पुस्तकें तैयार करती हैं।

लगभग सभी राज्यों ने इन सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार कर लिया है और सूचित किया है कि वे इनको (सिफारिशों को) किसी न किसी रूप में कार्यान्वित कर रही हैं। नैतिक और धार्मिक शिक्षा के विषय पर शिक्षा मंत्रालय कुछ सहायक पुस्तकें भी तैयार करा रहा है।

कोयले के परिवहन की समस्या

†६२५. **श्रीमती सावित्री निगम ;**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के परिवहन की समस्याओं का अध्ययन करने तथा परामर्श देने के लिये १९६१–६२ में हालेंड से कोई विशेषज्ञ भारत आया था ;

(ख) क्या उसने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

तेलशोधक कारखानों के कार्यकरण में समन्वय

†६२६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिक अच्छे परिणामों और अधिक उत्पादन के लिये भारतीय तेल शोधक कारखाना लि०, आयल इंडिया लि० तथा इंडियन आयल कम्पनी के कार्यकरण में अधिक समन्वय लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: इंडियन आयल कम्पनी लि० के प्रबन्ध निदेशक को भारतीय तेल शोधक कारखाना लि० के निदेशक बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है तथा भारतीय तेल शोधक कारखाना लि० के प्रबन्ध निदेशक को इंडियन आयल कम्पनी के निर्देशन बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इससे दो कम्पनियां सांझे हित की समस्याओं से निबट सकती हैं।

आसाम तेल तथा गैस परियोजनाओं की भी एक समन्वय समिति है। औरों के साथ साथ आयल इंडिया लि०, भारतीय तेल शोधक कारखाना लि० तथा इंडियन आयल कम्पनी लि० इस समिति के सदस्य हैं जो आसाम तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं की कार्यान्विति/निष्पादन के दौरान पेश आने वाली समस्याओं पर विचार करने के लिये समय समय पर समवेत होती है।

भारतीय तेल शोधक कारखाना लि० तथा इंडियन आयल कम्पनी लि० को मिला देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

सैनिक इंजीनियर कालिज बैंगकाक के लिये प्रशिक्षणार्थी

†६२७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सीटो द्वारा बैंगकाक में चलाये गये सैनिक इंजीनियर कालेज में प्रशिक्षण पाने के लिये भेजने के लिये कुछ विद्यार्थियों को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने अन्तिम स्तर पर शोधन तथा पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया ; और

(ग) इस इन्क्वारी के क्या कारण हैं?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

खेलों की शिक्षा के लिये रूसी छात्रवृत्तियां

†६२८. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस की सरकार ने १९६३–६४ में खेलों के आधुनिक तरीकों को सिखलाने के लिये भारत को अच्छी छात्रवृत्तियों की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की ; और

(ग) अभ्यर्थियों को चुनने की कसौटी क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक सहयोग योजना के अन्तर्गत, १९६३–६४ में खेलों की उच्च सिखलाई समेत मानव शास्त्र के अन्तर्गत उच्च अध्ययन के लिये दस छात्रवृत्तियों प्राप्त हो रही हैं ।

(ख) छात्रवृत्तियों में ये शामिल हैं—

(१) प्रति मास १०० रूबल (५२६ रुपये) का गुजारा भत्ता ;

(२) निःशुल्क पढ़ाई ;

(३) निःशुल्क डाक्टरी सहायता ;

(४) पुस्तकें तथा अन्य सामान खरीदने के लिये प्रति वर्ष २० रूबल तक भत्ता ;

(५) स्वास्थ्य गृहों या विश्राम गृहों तक पास खरीदने के लिये १५० रूबल (७८९ रुपये) का भत्ता, जिसमें रूस तक जाने और वापिस लोटने का किराया है, यदि छात्र वहां छुट्टियां बिताना चाहे ;

(६) ३०० रूबल (१५७९ रुपये) तक कपड़ों का भत्ता ; और

(७) रूस से भारत तक पर्यटन द्वितीय श्रेणी का समुद्र का किराया बाहर की यात्रा का खर्च चुने गये छात्र या उसको भेजने वाले प्राधिकार द्वारा दिया जाना होगा ।

†मूल अंग्रजी में

(ग) अर्जियां खुले विज्ञापन के द्वारा मंगवाई गई थीं और चुनाव इस काम के लिये समुचित रूप से बनाई गई एक चुनाव समिति द्वारा व्यक्तिगत मुलाकात तथा योग्यताओं पर निर्धारित गुणों के आधार पर अखिल भारतीय आकार पर किया गया है।

नेत्र विज्ञान की हिन्दी पुस्तकें

†६२९. **श्री प्र० के० देव :**
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल ।

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेत्र विज्ञान पढ़ाने के लिये हिन्दी पुस्तकें संकलित की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन कालेजों में ये पुस्तकें जारी की गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दी का समेकित शब्द संग्रह

†६३०. **श्री प्र० के० देव:**
श्री कपूर सिंह :
श्री केसर लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दो लाख अंग्रेज़ी शब्दों के लिये एक समेकित हिन्दी शब्द-संग्रह तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन में वैज्ञानिक शब्द भी शामिल हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । एक समेकित अंग्रेज़ी हिन्दी शब्द संग्रह, जिसमें १५०,००० शब्द हैं, तैयार करके प्रकाशित कर दिया गया है ।

(ख) जी हां ।

गूंगे और बहरों लोगों के लिये होस्टल

†६३१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि होस्टल बनाने के लिये १९६१–६२ में सरकार ने गूंगे और बहरे की कितनी संस्थाओं को अनुदान दिये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : किसी को नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

होम गार्ड

†६३२. { श्री हेम राज :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ के १५ अगस्त तक राज्यवार प्रत्येक राज्य में कितने होम गार्ड प्रशिक्षित किये गये ;

(ख) विविध राज्यों द्वारा बनाये गये रक्षा दल आदि संगठन होम गार्ड में मिलाये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** :(क) से (ग). सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए एल टी १४९६ / ६३]**

हल्दिया बरौनी तेल पाइपलाइन

†**६३३. श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बरौनी तेल पाइपलाइन संबंधी सर्वेक्षण कार्य आरम्भ हो गया है :

(ख) कब पाइपलाइन बनाने का काम पूरा करने की योजना है ; और

(ग) क्या पाइपलाइन का एकतरफा यातायात होगा या दोतरफा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) ३१-१२-१९६४ ।

(ग) पाइपलाइन में दोतरफा यातायात की व्यवस्था होगी ।

एम० ए० परीक्षा

६३४. { **श्री सरजू पण्डेय :**
श्री ज० ब० सिंह०

क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण एम०ए०, एम०एस०सी० और एम०काम० के विद्यार्थियों को पुनः परीक्षा देने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : विषय दिल्ली विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् के विचाराधीन है । परिषद ने इस संबंध में विभागाध्यक्षों के विचार मांगे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय एटलस

६३५. **श्री मोहन स्वरूप : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय एटलस संस्थान के अन्तर्गत कोई ऐसा निश्चय किया जा रहा है कि राष्ट्रीय एटलस छापने का कार्य व्यक्तिगत रूप से विभिन्न छापेखाने के मालिकों को दे दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत विवरण क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० मं० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) मामले पर विचार हो रहा है ।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

६३६. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार की "नेशनल लोन स्कालरशिप स्कीम" के अन्तर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित कर्जे के रूप में छात्रवृत्तियां देने की कोई योजना अपनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना रुपया बांटा जा चुका है ; और

(ग) कितने राज्य इससे लाभान्वित हुए हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) १९६३-६४ वर्ष में ऋण देने के लिए राज्यों को १,३२,४०,००० रुपये की राशि दी जा रही है ।

(ग) भारत के समस्त राज्य ।

दिल्ली शिक्षा विभाग के प्रकाशन

६३७. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा विभाग दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रकाशित नव शिक्षितों के लिए पाक्षिक पत्र "हमारा गांव" और "हमारा शहर" कितनी संख्या में छपता है ;

(ख) इनकी ग्राहक संख्या कितनी-कतनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह पत्र घाटे में चल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रकाशनों का औचित्य क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

(क) हमारा गांव	. २,०००
हमारा शहर	. १,०००
(ख) हमारा गांव	. ८० ग्राहक (११६ प्रतियां)
हमारा शहर	. ८५ ग्राहक (१२१ प्रतियां)

(ग) और (घ) यह पत्रिकायें मुख्यतः उन नव शिक्षितों के हित के लिये प्रकाशित की जाती हैं जिन्होंने समाज शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा पाई है । यह पत्रिकायें नव शिक्षितों की सहायक सेवाओं का एक अंग है जिससे कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई भूल न जायें । इन पत्रिकाओं को समाज शिक्षा केन्द्रों में मुफ्त बांटा जाता है । अतः इनका घाटे पर चलने का प्रश्न ही नहीं उठता । यह पत्रिकायें स्थानीय स्कूलों और गैर सरकारी संस्थाओं को भी, जो इन्हें खरीदना चाहें, मामूली वार्षिक चन्दे पर दे दी जाती हैं ।

कोयला खानों का विकास

†६३३. { **श्री रा० बरुआ :**
श्री प्र० कॅ० देव :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम पोलैंड के ऋण की सहायता से गहरी खानों के विकास की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) किन क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी हां ।

(ख) और (घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने पोलैंड के सहयोग से ७ गहरी खानें विकसित करने का कार्यक्रम किया है, जिन में से ५ बिहार के झरिया कोयला क्षेत्र में होंगे और दो पश्चिम बंगाल के सेना कोयला क्षेत्र में ।

(ग) लागत संबंधी अनुमान इन में से केवल पहली खानों के बारे में प्राप्य हैं, जो झरिया में सुदामदीह में होंगी और जिस का काम शुरू हो चुका है । इस पर लगभग १७.५ करोड़ लागत आएगी । शेष के बारे में अभी प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं ।

'एकरा' सरकंडे से फुरफुरल (चोकर का तेल)

†६३६. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में 'एकरा' सरकंडे से फुरफुरल (चोकर का तेल) निकालने के लिये, असम की प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला में प्रयोग में लाया गया तरीका सफल रहा है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस उत्पाद के लिये और इस के वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन के लिये अग्रिम स्तर प्रयोग करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही की गई है;

(ग) इस समय इस की प्रत्याशित मांग कितनी है; और

(घ) हमें यह कहां से मिलता है और प्रतिशत इसकी कुल लागत कितनी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां, प्रयोगशाला स्तर पर

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) वर्तमान मांग का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता; किन्तु भूतकाल में किये गये अनुमान के आधार पर यह बहुत कम होगी ।

(घ) देशी उत्पादन से और इसे ४·५० प्रति पौण्ड बेचे जाने की सूचना है ।

पेट्रोल की बर्बादी

†६४०. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान दिल्ली में एक पैट्रोल फिलिंग स्टेशन पर पाइपलाइन चूने के कारण आई० ओ० सी० के १००० लीटर पैट्रोल से अधिक बर्बादी के बारे में ३० मई, १९६३ के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस असावधानी के लिये कौन जिम्मेवार है; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) सरकार को प्रेस रिपोर्ट का पता है। इस मामले की जांच एक स्वतन्त्र अफसर द्वारा की गई है। कमी की संभावना के कारण (जो ५०३·४७ लीटर पाई गई, जिस का मूल्य लगभग ४०० रुपये है) जो टैन्कों के सैद्धान्तिक और व्यवहारिक आंकड़ों में अन्तर के कारण है, स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है ।

नूनमाटी तेलशोधक कारखाना

†६४१. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री ह० चं० सोय :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमाटी तेलशोधक कारखाने में पूर्ण क्षमता के साथ काम हो रहा है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस तेलशोधक कारखाने में प्रति दिन क्रूड आयल की कितनी आवश्यकता होती है;

(ग) क्या तेल क्षेत्रों से तेलशोधक कारखाने को नियमित रूप में तेल मिलता है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी नहीं।

(ख) पूरी गति से काम करने पर २,२५० मीट्रिक टन प्रति दिन।

(ग) जी हां।

करनपुरा कोयला खानें

†६४२. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में करनपुरा क्षेत्र में कोयले की मोटी तहों की खुदाई के लिये भारत और फ्रांस में एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संविदे की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) परियोजना समझौते के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास निगम प्रयोगात्मक आधार पर खुदाई और छत्रिम छत की दीर्घ-भीति फ्रांसीसी प्रणाली का आश्रय ले कर करनपुरा में गीडी-क में मोटी और अधिक सारवान सिरका तह में कोयला निकालेगा। इस स्थान पर प्रशिक्षक और आपरेटर्स के रूप में काम करने के लिये फ्रांसीसी सरकार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को, एक फ्रांसीसी इंजीनियर और तकनीकी की सेवायें प्रदान करेगा। इस के अतिरिक्त फ्रासीसी सरकार स्टील प्राप्त, केन्टीलीवर बार, आर्मर्ड चेन कन्वेयर, कम्प्रेसर और मेथान मीटर आदि विशेष उपकरण भी देगा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा दी जाने वाली तकनीकी और मैनेजर की सेवाओं सम्बन्धी इंजीनियरिंग फीस उसी देश की सरकार देगी तथा फ्रांस से आयात किये जाने वाले विशिष्ट उपकरणों के अवमूल्यन के लिए निर्धारित उपबन्ध की व्यवस्था भी वही देश करेगा। फ्रांस सरकार द्वारा दिये जाने वाले उपकरणों का सही मूल्य इस खान के बारे में पूरे आंकड़ों और उपकरणों की सूची तैयार करने पर ही मालूम होगा। अन्य खर्च का भार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम करेगा। फ्रांसीसी दल के लौटने के पश्चात् उपकरणों का स्वामी निगम ही होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम

†६४३. { **श्री प० कुन्हन :**
श्री वीरप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में १९६१ और १९६२ में कुल कितने मामलों की पुलिस को रिपोर्ट दी गई है;

(ख) पुलिस द्वारा कितने मामलों का चालान किया गया है;

(ग) कितने मामलों में न्यायालयों द्वारा अपराधियों को दंडित किया गया है;

(घ) कितने मामलों में अपराधियों को न्यायालयों द्वारा दोष मुक्त किया गया है; और

(ङ) कितने मामले अब भी न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) से (ङ) . जानकारी एकत्र की जा रही है । यथा संभव शीघ्र पटल पर एक विवरण प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

हरिजनों के लिये मकान

†६४४. **श्री प० कुन्हन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में केरल में हरिजनों के लिये मकान बनाने के लिये उस राज्य को कितना धन आवंटित किया गया;

(ख) इस में से कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इस अवधि में कितने मकान बनाये गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) १२.०१ लाख रुपये ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से यथार्थ स्थिति मालूम की जा रही है । अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सूचना प्राप्त हो जाने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

राज्य के शिक्षा सचिवों का सम्मलन

†६४५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री किशन पटनायक :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, १९६३ में शिक्षा योजना की त्रुटियों एवं सफलताओं को आंकने तथा यह विचार करने के लिये कि आया वर्तमान शैक्षणिक लक्ष्यों में किसी परिवर्तन की जरूरत है, राज्यों के शिक्षा सचिवों की एक बैठक हुई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या सिफारिशें की गयीं; और

(ग) इस के सम्बन्ध में सरकार ने क्या फैसले किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमली)** : (क) जी हां।

(ख) कार्यवाही का एक तत्संगत भाग सभा पटल पर रखा जाता है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० १४६७ / ६३]

(ग) योजना पर विचार करते समय सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है।

राज्यों में अंग्रेजी को जारी रखने के लिये अधिनियम

†६४६. { **श्री हेम राज :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम रतन गुप्त : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अंग्रेजी को जारी रखने के लिये किन राज्यों ने अपने राज्यों में विधान पारित कर दिये हैं या विधान बनाने का विचार किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : संविधान के अनुच्छेद ३४५ के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा राज्य के अन्दर उन सरकारी कामों के लिये प्रयुक्त होती रहेगी, जिन के लिये यह संविधान के लागू होने से तुरन्त पूर्व प्रयुक्त होती रही है। अतः २६ जनवरी, १९६५ की सीमा रेखा राज्यों के सरकारी कामों के लिये अंग्रेजी के प्रयोग पर लागू नहीं होती तथापि अनुच्छेद २१० (२) के अन्तर्गत अंग्रेजी भाषा २६ जनवरी, १९६५ के पश्चात् राज्य के विधान मंडल में कार्य-संचालन के लिये अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य का विधान मंडल विधिवत ढंग से इस का उपबन्धन करे। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस काम के लिये कितने राज्य विधि पारित करने का विचार करते हैं।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

†६४७. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री बड़े :
श्री कृष्ण पाल सिंह : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कार्य के संबंध में प्रोफेसर ब्लैकैट्ट की रिपोर्ट. सरकार को दे दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो उन रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों का सारांश क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) रिपोर्ट वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को प्राप्त हो गई है।

(ख) मूल सिफारिशें ये हैं :—(क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के व्यावहारिक कार्य से अधिकांशतः असंबंधित व्यावहारिक अनुसन्धान उच्च भौतिक शास्त्र केन्द्र को सौंप दिये जायें जो दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिल कर काम करें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) शेष कार्य का समुचित पुनर्गठन किया जाय जिस में अन्य राज्यों के साथ साथ (१) उद्योगों की सहायता करने के लिये मापकों और टैस्ट करने का काम करने वाले एक मजबूत प्रभाग, (ख) विशिष्ट विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक परियोजना प्रभाग, और

(ग) (१) इलैक्ट्रोनिक पुर्जों के फैब्रिकेशन के लिये

(२) शीशे के सामान और औजारों के फैब्रिकेशन के लिये, दो विकास एवं उत्पादन एकक स्थापित करने का काम शामिल हो :

कोयला उद्योग

†६४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुगल सराय से आगे कोयले के सम्भरण में सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) स्थिति में अग्रेतर सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख) जी, हां। दैनिक औसत कोयला गाड़ी भराई स्थिति मुगल सराय से आगे की जाने के लिये सुधर गई है, जैसा कि निम्न विवरण से मालूम होगी होगी :—

महीने		(आंकड़े (वैगनों में)
	यथार्थ भराई १९६२ में	यथार्थ भराई १९६३ में
जनवरी	१८७५	२०२७
फरवरी	१७३४	२१३०
मार्च	१९१८	२१४६
अप्रैल	१८९०	२१२७
मई	१८०७	२०२६
जून	१८१५	१९०८
जुलाई	१९२७	२११८

(ग) सरकार ने मुगल सराय से ऊपर के स्थानों पर उपभोक्ताओं के लिये कोयले के संभरण की स्थिति को अग्रेतर सुधारने के लिये निम्न मुख्य कार्यवाइयां की हैं :—

(१) बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों से 'मुगल सराय से परे के क्षेत्र' में प्रति दिन १०० वैगन रेल बहन क्षमता जुलाई १९६२ से बढ़ा दी गई है।

†मूल अंग्रेजी में

(२) फरवरी, १९६३ से वितरण के ढंग में संशोधन कर दिया गया है ताकि लम्बी दूरी के लिये ब्लाक रेकों में अधिकतम माल भेजा जा सके;

(३) रविवार और छुट्टी वाले दिनों को कोयला गाड़ियों को भरने का काम तेज़ करने के लिये कोयला खानों को कहा जा रहा है;

(४) बंगाल-बिहार क्षेत्रों से मुगल सराय से आगे के स्थानों तक उपभोक्ताओं को कोयला भेजने के लिये, गढ़वा रोड को राबर्ट गंज से मिलाने के लिये एक नई लाइन का निर्माण करके एक अतिरिक्त मार्ग बनाया जा रहा है।

(५) सिंगरौल कोयला क्षेत्र का विकास करने के लिये योजनायें बनाई गई हैं, जो तीसरी योजना में लगभग २५ लाख टन माल निकालेगा और समस्त कोयला मुगल सराय से ऊपर ही ऊपर उद्योगों के लिये होगा।

(६) विविध राज्यों में महत्वपूर्ण स्थानों पर कोयले के ढेर बनाना।

राजस्थान में वायु वेग का सर्वेक्षण

†६४६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वायुवेग का जो सर्वेक्षण किया गया था, उसके परिणाम स्वरूप अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ख) सर्वेक्षण किन स्थानों पर किया गया था ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) सर्वेक्षण से पता चला है कि यदि जोधपुर से उत्तर और पश्चिम की ओर रेखायें खींची जायें, तो इन रेखाओं के पश्चिम और उत्तर की ओर का क्षेत्र वायु विद्युत् उपयोग के लिये अधिक लाभदायक है। १-२ किलोवाट के वायु विद्युत् जैनरेटर इन क्षेत्रों में सरदी के महीनों में काम कर सकते हैं। राजस्थान के अधिकांश भागों में जल खेंचने की वायु मिलें काम करेंगी, किन्तु सरदी के महीनों में उनका काम काफी कम होगा।

(ग) उन स्थानों के नाम हैं : —

१. गंगानगर	२. बीकानेर	३. जोधपुर	४. बारमेढ़
५. जयपुर	६. अजमेर	७. कोटा	८. वजनगर
९. गाद्रा रोड	१०. चूरू	११. नागौर	१२. पिलानी
१३. टोंक	१४. अलवर	१५. धौलपुर	१६. एरिनपुरा रोड
१७. फलोडी	१८. सीकर	१९. जैसलमेर	२०. उदयपुर
२१. झालावाड़			

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व बस्तर नरेश

†६५०. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री पू० चं० देवभंज :
श्री लखमू भवानी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री माते :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोर्ट आफ वार्ड्स के नियंत्रण से बस्तर के भूतपूर्व शासक की सम्पत्ति को मुक्त करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वह निर्णय कार्यान्वित किया जा चुका है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग). मध्य प्रदेश सरकार ने बस्तर के भूतपूर्व शासक की सम्पत्ति को २५ जुलाई, १९६३ से कोर्ट आफ वार्ड्स से मुक्त कर दिया है। भूतपूर्व शासक की अपनी निजी सम्पत्ति उसको दे दी जायेगी, किन्तु शासक के नाते उस की सम्पत्ति वर्तमान शासक महाराज विजय चन्द्र भंजदेव को दी जायगी ।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

†६५१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय रक्षा कोष में भूतपूर्व नरेशों ने अब तक कितना पैसा दिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : भूतपूर्व नरेशों ने राष्ट्रीय रक्षा कोष में अपनी निजी थैलियों में से कुल २८,७१,९१७ रु० ४० न पै० का वार्षिक अंशदान देने का वचन दिया था। गृह-मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार भूतपूर्व नरेशों ने अभी तक १७,६३,४४५ रु० की रकम दे दी है ।

जीव उत्पत्ति संबंधी अनुसन्धान

६५२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार भारतीय वैज्ञानिकों ने नैनीताल की प्रयोगशाला में जीव उत्पत्ति के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इनके पांच साल के अध्ययन का क्या परिणाम रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) यह प्रश्न शायद उस अनुसन्धान के बारे में है जो प्रोफेसर ओ०एन० पर्ती के नेतृत्व में डी० एस० बी० गवर्नमेंट कालेज, नैनीताल के बारे में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रसायन शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डा० कृष्ण बहादुर के नेतृत्व में इनआर्गेनिक सामग्री से जीव-उत्पति के बारे में की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारी पूछताछ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित सूचना दी है :—

'नैनीताल में प्रोफेसर ओ० एन० पर्ती और श्री एम० डी० पाठक तथा इलाहाबाद में डा० कृष्ण बहादुर और उनकी पत्नी डा० एस० रंगनायकी, अपने अनुसंधान छात्रों की मदद से, फोटोकेमिकल प्रोसेस के जरिए ऐसी सेल के आकार की यूनिटें (०·५ से २·५ माइक्रोन) तैयार करने में सफल हुए हैं जिनमें समरस वृद्धि, गुणन और मैटाबोलिक क्रिया के जीव सम्बन्धी गुण दिखाई देते हैं इन यूनिटों को जीवाणु कहा गया है।'

आस्ट्रेलियाई टैनिस शिक्षक का प्रस्थान

†६५३. { **श्री दे० द० पुरी :**
श्री प० कुन्हन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आस्ट्रेलियाई टैनिस शिक्षक श्री स्टेनले ऐडवर्ड्स के बारे में राष्ट्रीय खेल संस्था निदेशक के प्रेस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या श्री एडवर्ड्स इस संस्था के निदेशक की अनुमति के बिना टैनिस टीम के साथ भारत से चले गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उनका त्यागपत्र किसने स्वीकार किया है ; और

(घ) क्या त्यागपत्र इस काल में स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय खेल बोर्ड संस्था का एक निर्णय एक मत से इसके विपरीत था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) श्री स्टेनले एडवर्डस भारत सरकार की अनुमति से इंगलैंड को कनिष्ठ टैनिस टीम के साथ गये, और भारत सरकार ने संस्था के निदेशक को उसे छोड़ने के लिये कह दिया था।

(घ) जी नहीं।

पदोन्नतियों पर रोक

†६५४. **श्री वारियर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल में पदोन्नति पर कोई रोक है और यदि हां, तो यह रोक किन वर्गों के पदों पर लागू होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि गृह-कार्य और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की हाल में ही पदोन्नति की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कितने मामलों में अवर सचिव स्तर के नीचे कर्मचारियों के लिये, रोक के होते हुए, पदोन्नति की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (रोक केवल विकेन्द्रीकृत पदावलियों पर है और अवर सचिव तथा अवर के पदों पर पदोन्नतियों पर लागू नहीं होती, क्योंकि इन पदों पर नियुक्तियां केन्द्रीकृत हैं और यदि कहीं अफसर फालतू होते हैं तो उनको एक मंत्रालय से बदल कर दूसरे मंत्रालय में तथा पदावधि प्रतिनियुक्तियों पर लगा दिया जाता है ।

(ख) जी हां ।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर की दृष्टि से यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रख दिया गया । देखिये एल०टी०–१४६८/६३]।

भारत सर्वेक्षण समिति

†६५५. { **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत सर्वेक्षण समिति तथा राष्ट्रीय अटलस संगठन के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). रिपोर्ट पर अभी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

विज्ञान का अध्यापन

†६५६. { **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या शिक्षा मंत्री १४ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान के अध्यापन में सुधार करने के लिये विज्ञान सलाहकारों की राष्ट्रीय गोष्ठी की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). गोष्ठी की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिये सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में उच्च शिक्षा

†६५६. { श्री भागवत झा आजाद :
श्री बालकृष्ण वासनिक :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कछवाय : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के इस वर्ष के शिक्षा वर्ष के दौरान कालिजों में प्रवेश की समस्या बहुत कठिन रही ;

(ख) क्या बहुत से लोग जो उच्च शिक्षा के लिये जाना चाहते थे प्रवेश प्राप्त न कर सके ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम स्थिति क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). यह सच है कि कुछ कठिनाई थी, चालू शिक्षा वर्ष में कालिजों में प्रवेश का मामला दिल्ली में कठिन रहा। परन्तु विश्वविद्यालय ने स्थिति का मुकाबला करने की दृष्टि से विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या बढ़ा कर १७०२ कर दी। इसके अतिरिक्त, कुछ और लोग भी विज्ञान पाठ्यक्रमों में प्रवेश पा सकें, इस दृष्टि से पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशतता कम कर दी गई। बी० एस० सी० (आनर्ज़) में प्रति शतता ६० से कम करके ५७ और बी० एस० सी० (सामान्य) वर्ग "क" में ५० से कम करके ४५ कर दी गई। जो नियमित बी० ए० (पास) पाठ्यक्रम में प्रवेश न ले सके उन्हें सलाह दी गई कि वे डाक द्वारा शिक्षा के पाठ्यक्रम में तथा महिला (नान कालेजिएट) शिक्षा के मंत्रणा बोर्ड में प्रवेश प्राप्त कर लें।

(ग) प्रवेश के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पास १०५७५ नाम विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए रजिस्टर हुए थे। उन में से ८३९० को प्रवेश प्राप्त हो गया।

कालीकट में सन्ध्याकालीन कालेज

†६५८. **श्री इम्बीचिबाबा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय ने कालीकट में सन्ध्याकालीन कालेज चालू करने के बारे में कोई प्रस्थापना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ; और

(ग) यह कालेज कब से अपना कार्य आरम्भ कर देगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा के लिये योजना आवंटन

†६५६. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम, द्वितीय, और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत शिक्षा के लिए सब मिला कर कुल कितनी धन राशि का आवंटन किया गया और इन वर्षों में कितने प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया ; और

(ख) किन योजनाओं में कुल आवंटन के ४० प्रतिशत से भी कम का उपयोग हो पाया है और इस धीमी प्रगति के कारण क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये एल० टी० संख्या १४६६/६३)।**

(ख) सामान्य शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है—प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा । इन वर्गों में से किसी में भी १९६१–६४ में ४० प्रतिशत से कम राशि का उपयोग होने की संभावना नहीं है ।

एस० वी० अध्यापिकायें

†६६०. **श्री बड़े :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्य करने वालों को १३०—३०० रुपये का वेतनक्रम मंजूर करने के मामले में एस० वी० अध्यापिकाओं की उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निकट भविष्य में उन्हें यह वेतनक्रम मिल जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) सभी पात्र एस० वी० अध्यापिकाओं को १३०—३०० रुपये का वेतनक्रम दे दिया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला

†६६१. **श्री बड़े :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक की नियुक्ति अभी तक नहीं की गयी है ; और

(ख) यह स्थान कबसे खाली पड़ा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) जी हां ।

(ख) १४ जून, १९६१ से, परन्तु एक भार-साधक उप-निदेशक २१–४–६२ को नियुक्त कर दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कोयले का उत्पादन

†६६२. **श्री बड़े :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने क्षेत्रवार विभिन्न खानों के कोयला उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) :** जी हां, सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्रवार कोयला उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर दिये हैं ।

नागरिक शास्त्र के शिक्षक

†६६३. **श्री बड़े :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या क्या है, जहां पर कि ११ वीं कक्षा को नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए अर्ह शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है ; और इस प्रकार की व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या दिल्ली उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे शिक्षक भी हैं जो ग्यारहवीं कक्षा को नागरिक शास्त्र पढ़ाने के लिए पूर्णतः अर्ह हैं और जो इस समय ग्यारहवीं कक्षा को नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं, परन्तु जिन्हें स्नातकोत्तर शिक्षक वेतन क्रम नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) कोई नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत सेवक समाज को सहायता

†६६४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ के दौरान और १९६३–६४ में अब तक विभिन्न शिविरों को चलाने के लिये भारत सैवक सामज (पंजाब शाखा) को सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

वर्ष	राशि*
१९६२–६३	२६,६११·७१
१९६३–६४	१०,८०६·००

*नोट :— यह अनुदान केन्द्रीय भारत सेवक समाज के द्वारा दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

वैज्ञानिक जलविज्ञान का राष्ट्रीय कार्यक्रम

†६६५. { **श्री स० च० सामन्त :**
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या शिक्षा मंत्री १७ अप्रैल, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूनेस्को द्वारा बुलाई हुई वैज्ञानिक जल विज्ञान के अन्तर्गत कार्यक्रम के लिये विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया था जो कि गत मई में दीर्घ-कालीन कार्यक्रम बनाने के लिये बुलाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिष्टमण्डल में परिवहन तथा संचार मंत्रालय के कुछ विशेषज्ञों को शामिल किया गया था ; और

(ग) जिन मुख्य बातों पर चर्चा हुई जिन पर बैठक ने सिफारिशें की हैं वे क्या थीं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विवरण बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने और उसके परीक्षण के बाद सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

गुरू गोविन्द सिंह की "कलगी"

†६६६. **श्री दलजीत सिंह : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिखों के दशम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, की कलगी (पवित्र ताज) को अंग्रेज लंदन में ले गये थे और वह वहां अजायब घर में हैं ;

(ख) क्या उसे वापिस लेने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर के मुद्रणालय द्वारा पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन

†६६७. { **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री सेझियान : }

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर के मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रैस) द्वारा प्रकाशित स्कूल पाठ्यपुस्तकें विषय और श्रेणी-वार विस्तार से क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) छपने के लिये इन पाठ्य पुस्तकों के चयन का क्या ढंग अपनाया जाता है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में गरीब और जरूरत मंद बच्चों में कितनी पुस्तकें बांटी जायेंगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : मैसूर का पुस्तकालय यूनेस्को के दक्षिण-पूर्व (एशियाई देशों को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सहायता देने के कार्यक्रम के अधीन पश्चिमी जर्मनी की सरकार द्वारा भारत को उपहार स्वरूप दिये गये तीन प्रिंटिंग प्रेस में से एक है। यह अभी स्थापित नहीं किया गया है। जो बातें (क) (ख) तथा (ग) में उठाई गयी हैं, उनका प्रश्न स्तर पर उत्पन्न नहीं होता ।

ज्योतिष में अनुसंधान

†६६८. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में ज्योतिष की शिक्षा देने तथा उसके अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह विस्तार से क्या है ; और

(ग) उस पर १९६३-६४ में व्यय की जाने वाली राशि क्या होगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार के समक्ष ऐसी कोई योजना नहीं है, परन्तु दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान विश्वद्यिालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित दो केन्दरों को चुना यहां पर कि ज्योतिष विज्ञान के शिक्षण तथा अनुसंधान को प्रोत्साहन देने की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी थी :—

(१) निजामियाँ वेधशाला और उस्मानिया विश्वविद्यालय का ज्योतिष विभाग, हैदराबाद (दक्षिण) जहां कि प्रयोगात्मक ज्योतिष में अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी ; और

(२) दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिक शास्त्र विभाग में सैद्धांतिक ज्योतिष और ज्योतिष भौतिक के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी थी ।

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में आयोग ने निजामिया वैधशाला और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के ज्योतिष विभाग के विकास के लिए १८,५८,५०० रुपये को व्यय की स्वीकृति दी। इस व्यय का एक अंश, अर्थात् १,६०,००० डालर पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाओं के खरीदने के लिये उपलब्ध था यह भारत गेहूं कर्जा शिक्षा विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत के कोषों से है। बाकी का व्यय २:१ के हिसाब से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देगा तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय के बीच बांट दिया जायेगा आयोग ने ३२,००० रुपये वार्षिक व्यय स्टाफ के लिये भी स्वीकृत किये ताकि ज्योतिष विभाग को चलाया जा सके। दिल्ली के भौतिक विज्ञान विभाग के लिये भी दूसरी योजना काल में ८.५० लाख रुपये का अनावर्ती तथा २०,००० रु० प्रति वर्ष का आवर्ती व्यय भी स्वीकृत किया गया था ।

तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के लिये भी अनुमानता ७,६५० रुपये का वार्षिक आवर्ती तथा १०,०००० रुपये का अनावर्ती व्यय स्वीकृत किया गया। जिससे उस्मानिया विश्वविद्यालय का ज्योतिष विभाग पुस्तकें, पत्र पत्रिकायें इत्यादि खरीद सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वीकृत व्यय के लिये अपेक्षित अनुदान सम्बद्ध विश्वविद्यालयों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें दिया जा रहा हैं, और १९६३–६४ के दौरान में भी उन्हें उपलब्ध हो जायेगा।

मुद्रण के क्षेत्रीय स्कूल

†६६९. **श्री कजरोलकर :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० सिंह सहगल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन ने सरकार पर इस बात का दबाव डाला है कि मुद्रण के क्षेत्रीय स्कूलों के शिक्षण स्तर में सुधार किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) मुद्रक सम्मेलन से ऐसी कोई प्रस्तापना सरकार को प्राप्त नहीं हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्था

†६७०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्था की स्थापना की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय होगी ; और

(ग) इस दिशा में क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ग) केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्था को दिल्ली में स्थापित करने की प्रस्थापना विचारधीन है और विस्तार से उस पर विचार हो रहा है।

मिर्जापुर जिले में लौह अयस्क और चूने का पत्थर

†६७१. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिर्जापुर जिले (उत्तर प्रदेश) में भूगर्भवेत्ताओं के दल को लौह अयस्क और चूने के पत्थर का भारी भंडार मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क तथा चूने के पत्थर का कितना भंडार प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) (क) हाल ही में ऐसी कोई खोज नहीं की गई है किन्तु बहुत वर्षों से चूना-पत्थर के बड़े निक्षेपों और कच्चे लोहे की कम मात्रा की विद्यमानता का पता लगा है ।

(ख) चूना पत्थर के संचयों का ७५ मिलियन मीटरी टन में होने का अनुमान है ।

समस्त कोयला धोने के कारखानों को एक संगठन के अधीन लाना

†६७२. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि तमाम कोयला धोने वाले कारखानों का कार्य-संचालन एक संस्था के अधीन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निर्णय किया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख) इस प्रकार की कोई प्रस्थापना अभी हाल विचाराधीन नहीं है ।

रुद्र सागर क्षेत्र में तेल

६७३. **श्री रा० स० तिवारी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम के रूद्र सागर क्षेत्र में जो पड़ताल की गई है उसमें तेल पाये जाने की पूरी सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निकाले जाने पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) यह कार्य कब से शुरू हो सकेगा ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) इस स्थिति पर नहीं बताया जा सकता ।

(ग) २८–५–१९६० को अन्वेषणी कार्य शुरू हुआ । अब तक ६ कुएं व्यधित किये गये हैं आगे अन्वेषण कार्य प्रगति पर है ।

'ग्राफिक' कलाओं के लिये केन्द्रीय अनुसंधान संस्था

†६७४. **श्री कजरोलकर:**
श्री यशपाल सिंह :
श्री अ० सिंह सहगल :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ वें अखिल भारतीय मुद्रक सम्मेलन ने सरकार पर इस बात के लिए जोर दिया है कि 'ग्राफिक' कलाओं के लिए एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था की स्थापना की जाये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) मुद्रक सम्मेलन की ओर से एसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं मिला ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय अर्थ सेवा'

†६७५. **श्री रा० गि० दुबे** : क्या गृह कार्य मन्त्री १ मई, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अर्थ सेवा में जिन अधिकारियों को शामिल किया जाना है, उनकी अन्तिम सूची तैयार कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

†**गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) सूची को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(ख) अन्तिम रूप दिये जाने के तुरन्त बाद इसे प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

दिल्ली के स्कूलों में भाषाओं का अध्ययन

†६७६. **श्री गु० सिं० मुसाफिर** क्या शिक्षा मन्त्री वह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के उन स्कूलों में जहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी है, दूसरी भाषा का पढ़ाना किस कक्षा से आरम्भ किया जाता है और इसकी शिक्षा को प्रारम्भ करने के लिए कम से कम कितने छात्रों का होना आवश्यक है ;

(ख) जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी न होकर भारतीय संविधान में उल्लिखित चौदह भाषाओं में से कोई अन्य भाषा होती है वहां दूसरी भाषा का अध्ययन किस कक्षा से आरम्भ होता है ; और

(ग) जिन स्कूलों में माध्यम हिन्दी भाषा हो, उनमें तीसरी भाषा का अध्ययन किस कक्षा से आरम्भ होता है और तीसरी भाषा को कक्षा आरम्भ करने के लिए कम से कम कितने छात्रों की जरूरत होती है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग)

(१) पहली से आठवीं कक्षा तक

(क) हिन्दी माध्यमिक वाले स्कूल

हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों में दूसरी भाषा इंग्लिश होती है जोकि छठी कक्षा से आरम्भ होती है । यह दूसरी भाषा पढ़ना सबके लिए अनिवार्य होता है । अतः कम से कम अपेक्षित छात्रों की संख्या का प्रश्न इस मामले में नहीं उठता है । छठी कक्षा से तीसरी भाषा भी आरम्भ कर दी जाती है, यदि पढ़ने वालों की संख्या १२ हो । तीसरी भाषा की पढ़ाई निम्न विषयों के विकल्प के रूप में की जा सकती है । वे विषय हैं : संस्कृत, ड्राइंग, संगीत कला तथा शिल्प ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'Indian Economic Service'.

(ख) गैर-हिन्दी माध्यम वाले स्कूल

जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी न होकर कोई अन्य भाषा होती है, हिन्दी का पढ़ाना तीसरी कक्षा से आरम्भ कर दिया जाता है। इंग्लिश तीसरी भाषा होती है जिसे छठी श्रेणी से आरम्भ किया जाता है और यह अनिवार्य होती है।

(२) नवीं से ग्यारहवीं कक्षा तक

(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

९वीं से ११ वीं कक्षा तक सभी के लिए इंग्लिश अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त आधुनिक भारतीय भाषा (हिन्दी, उर्दू, पंजाबी, बंगला, तमिल, तेलगू, गुजराती, मराठी अथवा सिन्धी) भी पढ़नी होती है। यदि पढने वालों की संख्या १२ हो तो किसी भी भारतीय भाषा की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी जाती है।

(ख) बहुउद्देश्यीय स्कूल

बहुउद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तीन भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य है (१) इंग्लिश (२) मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा (३) मातृभाषा के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनके लिए कोई अन्य भारतीय भाषा) अनिवार्य भाषाओं की पढ़ाई के लिए छात्रों की संख्या की कोई शर्त नहीं है। परन्तु अन्य किसी भाषा को पढ़ाने के लिए १२ छात्रों की संख्या होना अनिवार्य है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषायें

†६७७. श्री गु० सि० मुसाफिर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसके साथ सम्बद्ध कालिजों में आधुनिक भारतीय भाषाओं विशेष रूप से बंगाली, उर्दू, तमिल और पंजाबी के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या व्यवस्था की गयी है ;

(ख) जिन कालिजों में यह व्यवस्था है उनकी तथा जिनमें आने वाले शिक्षा वर्ष में यह व्यवस्था हो जायेगी उनकी अलग अलग से संख्या क्या है ; और

(ग) किसी आधुनिक भारतीय भाषा के शिक्षा को आरम्भ करने के लिए कितने छात्रों का अनिवार्य रूप में होना अपेक्षित है।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) दिल्ली विश्वविद्यालय में निम्नलिखित आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था है—

बी० ए० (पास) हिन्दी, उर्दू, बंगला, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलगु, कन्नड़, मलयालम और गुजराती, अध्ययन के एक विषय के रूप में।

बी० ए० आनर्स हिन्दी, उर्दू, बंगला और पंजाबी

दिल्ली विश्वविद्यालय में हिन्दी, उर्दू, बंगला और पंजाबी के एम० ए० के पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था है। और अभी अभी तमिल, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, बंगला, तेलगु और मराठी का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बी० ए० में एक अथवा एक से अधिक भाषाओं को पढ़ाने की व्यवस्था तो सभी कालिजों में है, परन्तु बहुत कुछ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर है। यह व्यवस्था आगामी शिक्षा वर्ष में भी इसी तरह रहेगी।

(ग) कम से कम संख्या निर्धारित नहीं है परन्तु अक्तूबर १९६२ में कालिजों के प्रिंसिपलों की एक बैठक में यह निर्णय किया गया था कि यदि तमिल तेलगु, बंगला इत्यादि भारतीय भाषाओं के पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या यदि १० से १२ हो तो उस भाषा के शिक्षण का प्रबन्ध कर दिया जाय और उसके लिए किसी प्राध्यापक की अंशकालीन सेवा ले ली जाय। यदि किसी निकटवर्ती कालिज में यह व्यवस्था हो तो उसके सहयोग से भी दूसरा कालिज यह कार्य कर सकता है।

संघ राज्य क्षेत्रों में आत्महत्यायें

†६७८. { **श्री रामचन्द्र उल्लाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :-

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, १९६३ में संघ राज्य क्षेत्रों में भूख के कारण आत्महत्या करने के कुछ मामले हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है, और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नेफा में कल्याण विस्तार परियोजनायें

†६७९. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने नेफा क्षेत्र में कोई कल्याण विस्तार परियोजनायें चालू की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो १९६२-६३ में इस उद्देश्य के लिए व्यय की गयी राशि क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी हां, बोर्ड ने १० बहुउद्देश्यीय कल्याण विस्तार परियोजना केन्द्रों की स्वीकृति जुलाई, १९६३ में दी है। कितने केन्द्रों में काम वास्तव में आरम्भ हो चुका है इसका पता नहीं है।

(ख) १९६२-६३ में इन परियोजनाओं पर कुछ भी व्यय नहीं किया गया, क्योंकि १९६३-६४ में इन विस्तार केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी है।

शिक्षा संस्थाओं के लिए हिन्दी की पुस्तकें

†६८०. **श्री सेझियान :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९६३-६४ में अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के पुस्तकालयों तथा शिक्षा संस्थाओं को मुफ्त पुस्तकें देने के लिए आवंटित की गयी धनराशि क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** दो लाख रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की पूर्व सूचना के बारे में

†**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्त जिले): आज से चार दिन पूर्व मैंने प्रधान मन्त्री का ध्यान नेफा में विद्यार्थियों की उस हड़ताल की ओर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना देकर, दिलाया था जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में आदिम जाति के लोगों के विश्वास को आघात पहुंचा है। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी अवहेलना की गई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे मेरे कक्ष में मिल कर इसका उत्तर प्राप्त करें।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

गोहाटी के निकट पुलिस स्टोरेज मैगज़ीन में विस्फोट

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"१३ अगस्त, १९६३ को गौहाटी के निकट पुलिस स्टोरेज मैगजीन में विस्फोट जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्ति मारे गये।"

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: मैं, १३ अगस्त, को, आसाम में गौहाटी से ६ मील की दूरी पर गरभंगा में हुई उस दुखद घटना के बारे में वक्तव्य दे रहा हूं जिसके फलस्वरूप अनेकों व्यक्ति मारे गये। स्थानीय अधिकारी वहां पर घटना हो जाने के पश्चात् पहुंचे और जांच पड़ताल आरम्भ की। कलकत्ता से हमारे विस्फोट निरीक्षक और नागपुर से विस्फोट के उपमुख्य निरीक्षक भी अविलम्ब गौहाटी पहुंचे। दुर्घटना का ब्यौरा, जो हमें राज्य सरकार से और अपने अधिकारियों से मिल सका है, इस प्रकार है।

विस्फोट १३ अगस्त को, १६.०० बजे, राज्य लोक निर्माण विभाग के विस्फोटक मैगनीज गरभंगा, में हुआ। यह स्थान रक्षित वन में है। ऐसा प्रतीत होता है कि संफटी क्यूसिस से भरे तीन ट्रक खाली कर के मैगजीन में रखे जा रहे थे। इस मैगज़ीन के साथही एक और विस्फोट मैगज़ीन था। यह दोनों मैगजीनों को विस्फोट विभाग से लाइसेंस प्राप्त थे। यह दोनों मैगजीन फट गये जिस के फलस्वरूप एक ७० फीट गहरा और दूसरा ३० फीट गहरा मुहाना बन गया। श्रमिकों सहित लगभग ३२ व्यक्ति, मोटर गाड़ियों के चालक, राज्य लोक निर्माण के कर्मचारी और पुलिस गार्ड मर गये। लोक निर्माण विभाग के ३ मजदूर जो बाहर किसी काम के लिये गये थे बच गये। विस्फोट का धमाका इतना जोरदार था कि करीब ही चर रहे २८ मवेशी मारे गये और आसपास के ३०० गज के क्षेत्र के पत्ते तक समाप्त हो गये।

भारतीय विस्फोट अधिनियम की धारा ९ में दिया हुआ है कि जब कभी विस्फोट होने से दुर्घटना होगी और उस के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होगी, तो जिला दण्डाधीश स्वयं जांच करेगा अथवा अधीनस्थ दण्डाधीश को जांच करने के लिये कहेगा, और उस जांच के बारे में सरकार

†मूल अंग्रेजी में

को प्रतिवेदन दिया जायगा । अतिरिक्त जिला दण्डाधीश ने उसी धारा के अन्तर्गत जांच की, परन्तु हमने राज्य सरकार के परामर्श से अधिनियम की धारा ६-क के अन्तर्गत गौहाटी के वरिष्ठ खंड आयुक्त और आसाम के राजस्व बोर्ड के सभापति द्वारा जांच कराने का निश्चय किया है । मामले की गम्भीरता को देखते हुए हमने ऐसा करना आवश्यक समझा है, और धारा ६-क के खंड (२) के उपबन्ध के अनुसार हमने यह भी आदेश दिया है कि अतिरिक्त जिला दण्डाधीश द्वारा जांच न की जाय । जांच में सहायता करने के लिये विस्फोटों के मुख्य निरीक्षक को नियुक्त किया गया है ।

इस दुर्घटना की परिस्थितियां और कारणों को जानने के लिये अब हम धारा ६-क के अन्तर्गत जांच की मालूमात की प्रतीक्षा करेंगे ।

यह दुर्घटना अत्यन्त दुखद और अफसोसनाक थी और मैं सरकार की ओर से वियोगी परिवार के लिये हार्दिक हमदर्दी का इजहार करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या सरकार ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह मामला अन्तर्ध्वंस्त करने का नहीं था ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : चूंकि जांच जिले के एक अधिकारी द्वारा की जा रही है इसलिये मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा, परन्तु हमने एक वरिष्ठतम अधिकारी को जांच करने के लिये और नागपुर के विस्फोटों के मुख्य निरीक्षक को उस में जांच सहायता करने के लिये नियुक्त किया है ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैं जानना चाहता हूं कि जो एक्सप्लोसिव्स का ट्रक अनलोड किया जा रहा था उसमें असम से आए हुए दो पाकिस्तानी मजदूर भी काम कर रहे थे और क्या इसी कारण विस्फोट हुआ ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मुझे इस चीज का इल्म नहीं है । मैंने अभी सदन के सामने अर्ज किया कि एनक्वायरी शुरू हुई है । जब तक एनक्वायरी की रिपोर्ट न मिल जाए तब तक यह कहना बहुत मुश्किल है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : यह एनक्वायरी कब तक खत्म हो जायेगी ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : अभी तो शुरू हुई है । मैं सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकेगा इसको खत्म किया जाएगा ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : क्या एनक्वायरी के बाद सदन को सूचना दी जाएगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्वामी जी, आपने इस पर सही नहीं किया है । इसलिए आपको मौका नहीं मिलेगा ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह से मरने वाले लोगों के परिवारों को कोई एक्स-ग्रेशिया पेमेंट किया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह तो स्टेट पी० डब्ल्यू० डी० का काम है और स्टेट गवनमेंट का काम है । उनको लेबर लाज के मुताबिक कम्पेन्सेशन मिलेगा, लेकिन मैं खुद नहीं जानता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई में हड़ताल की स्थिति

†उपाध्यक्ष महोदय : मैंने अविलम्बनीय लोक महत्व के एक और विषय के लिए अनुमति दी है । श्री यशपाल सिंह ।

†डा० राम मनोहर लोहिया (फर्रुखाबाद) : बम्बई हड़ताल पर मैंने एक ढाई घंटे की बहस मांगी है । लोक सभा एक मकड़ी की तरह अपने ही जाले में न फंस जाए । हम इन बातों पर बहस नहीं कर पा रहे हैं, कोई इत्तला नहीं दे पा रहे हैं । और जब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है तो हम लोग अपनी बात नहीं कह पाते, खाली मंत्री अपनी बात कह लेते हैं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : केवल वही सदस्य जिन्होंने सूचना पर हस्ताक्षर किये हैं प्रश्न पूछ सकते हैं ।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : उन्होंने हड़ताल की स्थिति के बारे में २$^1/_2$ घंटे की चर्चा के लिए एक प्रस्ताव की सूचना दी है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : मैं उसे देखकर आप को सूचना दूंगा ।

†श्री यशपाल सिंह : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्वनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "बम्बई में हड़ताल की वर्तमान स्थिति और राज्य सरकार को हिदायतें देने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

†गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : चूंकि यह अविलम्बनीय प्रस्ताव मेरे नाम में है इसलिये मैं सभा को बताना चाहूंगा कि हड़ताल समाप्त कर दी गई है । मुझे और कुछ नहीं कहना है । यदि कोई अन्य बात कहनी है तो मेरे सहयोगी श्रम मंत्री उस का उत्तर देंगे ।

श्री यशपाल सिंह : जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि स्ट्राइक खत्म हो गई है और हम चाहते हैं कि वह खत्म हो जाय लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन मजदूरों ने रोजी के लिये स्ट्राइक की थी उन लोगों के साथ सख्ती की जाय या उनसे जबाब तलब किया जाय ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : एक बड़ी बात हुई और वह यह है कि स्ट्राइक अभी खत्म हुई है, मुझे यह देख कर बड़ा अफसोस होता है कि माननीय सदस्य ने एक दूसरा सवाल पेश कर दिया । स्ट्राइक के बाद बहस होती है बातचीत भी होती है और कोई फैसला होता है लेकिन इस तरीके से सवाल करने से झगड़ा बजाये घटने के बढ़ता ही है ।

†श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आज सुबह आकाशवाणी के बुलेटिन के अनुसार बातचीत किसी निर्णय पर पहुंचे बगैर टूट गई थी, तो अब यह समझा जाय कि फिर से बातचीत हुई और महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासन दिया कि मांगों पर सहानभूति पूर्ण विचार किया जायेगा ?

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मंत्री द्वारा दी गई हाल की सूचना को सम्मुख रखें ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार का आश्वासन दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : कुछ ही समय पूर्व हड़ताल समाप्त किये जाने की सूचना मुझे मिली है। मेरा अनुमान है कि ऐसा लगभग १० बजे हुआ। उसके पश्चात मुझे बताया गया कि मुख्य मंत्री एक प्रैस सम्मेलन बुला रहे हैं। हो सकता है यह हो गई हो। उन्हें जो कुछ कहना है उस प्रैस सम्मेलन में कह दिया होगा। जहां तक गोदी मजदूरों, आदि, की हड़ताल का संबंध है ऐसी हड़ताल केवल नगरपालिका के मजदूरों ही की थी और अन्य मजदूरों की हड़तालें केवल उनसे सहानुभूति के तौर पर की गई थीं। अब वह सब प्राप्त हो गई हैं और सारे नगर में स्थिति साधारण हो गई है।

†श्री नाथ पाई : क्या श्रम मंत्री और प्रतिरक्षा मंत्री इस बात का प्रयत्न करेंगे कि हड़तालियों के साथ बदले की भावना नहीं दिखाई जायेगी। **(अन्तर्बाधायें)**

†श्री नन्दा : इन मामलों में बदले की भावना नहीं हो सकती; हमें मजदूरों के साथ सहानुभूति है। वह इस बात को जानते हैं।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बतलाया है कि जो हड़ताल थी वह खत्म हो गयी है। जैसा कि समाचारपत्रों में सूचना प्रकाशित हुई थी . . .

एक माननीय सदस्य : वह पुरानी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्ट्राइक खत्म हो गयी है।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न तो किया जाता है मंत्री महोदय से और जवाब कांग्रेसी मेम्बर्ज दे देते हैं तो क्या समझा जाय कि कांग्रेस बैंचेज़ पर जितने भी सदस्य बैठे हैं वे सारे मंत्री हैं? दूसरा सवाल मैं यह जानना चाहता था कि जब १० लाख के करीब मजदूरों की हड़ताल थी उस के बारे में समाचार पत्रों में लिखा गया है कि वह बिलकुल शांतिपूर्ण हड़ताल थी, मैं उन पर मजदूरों को मुबारकबाद देता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो हड़ताल ख़त्म हुई है तो इस मसले के फैसले के लिए क्या कोई मध्यस्थ नियुक्त किया गया है?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह बात समझौते की वार्ता में तय होगी। माननीय सदस्यों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हड़ताल आज ही में समाप्त हुई है। इन मामलों के बारे में वार्ता द्वारा समझौता होगा।

†**श्री नाथ पाई :** मैं सभा के नेता से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यह उनका कर्तव्य है कि वह सभा की कार्यवाही को सम्मानपूर्वक चलने में योग दें। जब भी उस पक्ष द्वारा हमारी स्पष्टीकरण संबंधी बातों को शोर मचा कर टाल दिया जाता है तो वह शांति से बैठे रहते हैं. . . **(अन्तर्बाधायें)** वह इस तरह शोर-गुल मचा कर टाल मटोल नहीं कर सकते। हम आप की आज्ञा के अनुसार काम करते हैं और यदि हम चुप साध कर नहीं बैठ जाते तो उस का अर्थ यह है कि हम बुत की तरह बहरे हो कर नहीं बैठते। मैं सभा के नेता से अनुरोध करूंगा कि वह अपने अधिकार का प्रयोग कर के अपने पक्ष के लोगों को ठीक मार्ग पर लायें जो सभा में आचरण संबंधी नियमों का उल्लंघन करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस बात की ओर निर्देश किया क्योंकि मैं स्वयं इस बारे में चिन्तित हूं। निश्चय ही मैं सभा के प्रत्येक सदस्य से अपील करूंगा। परन्तु मैं यह समझता हूं कि अधिकतर शोर और अव्यवस्था विरोधी पक्षों के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उत्पन्न की गयी। वास्तव में, यह एक सामान्य स्थिति हो गई है कि जब भी आप खड़े होंगे माननीय सदस्य बोलना जारी रखेंगे; आप उनसे बोलना समाप्त करने के लिये कहते हैं मगर वह बोलते रहते हैं, शोर मचाते और हाथ हिलाते रहते हैं। यह बात मेरे लिये, हम सब के लिये अथवा इस सभा के लिये अनुचित है। मुझे आशा है कि सभा में सभी सदस्य आपकी आज्ञा को, आपके आदेशों को मानेंगे और जब आप बोलते होंगे तब खड़े नहीं होंगे। मैं सभा के सभी सदस्यों से ऐसी अपील करूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सभा में गरिमा तथा शिष्टता का ऊंचा स्तर बनाये रखना चाहिये। सारा देश इस संसद् की ओर देख रहा है कि यह उनके लिये मिसाल कायम करे। जैसे कि सभा के नेता ने अपील की वैसे मैं भी सभी से अपील करता हूं कि आप गरिमा और शिष्टता बनाये रखें। मैं, जहां तक अपनी योग्यता के अनुसार मेरे लिये सम्भव होगा, सभी पक्षों को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्ष १९६१–६२ के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम मैं, १९५६ की धारा ४१ के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १४२७/६३]**

भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं : —

(एक) दिनांक १५ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५४ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (छटा संशोधन) नियम, १९६३।

(दो) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९६ द्वारा संशोधित दिनांक २४ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७२ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (आठवां संशोधन) नियम, १९६३।

[पुस्तकालय में रखी गयीं। देखिये संख्या एल०टी०–१४८८/६३]।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत पत्र

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : मैं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) वर्ष १९५९–६० के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे, तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(ख) वर्ष १९६०–६१ के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे, तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० १४८९/६३]

(२) मैं ऊपर (एक) में बताये गये पत्रों को रखने में विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० १०९०/६३]**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मंत्री-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री कृपालानी द्वारा प्रस्तुत मंत्रि परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव के बारे में संसद् के भीतर और बाहर जिस प्रकार दिलचस्पी ली जा रही है उसे दृष्टि में रखते हुए इस पर चर्चा के लिये निर्धारित समय को एक दिन के लिए बढ़ा दिया जाय, यानी इस पर चर्चा कल तक और जारी रहे और प्रधान मंत्री इस वाद विवाद का उत्तर शुक्रवार सुबह देने की कृपा करें ।

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं सरकार की ओर से आपको बता दूं कि सरकार चाहती है कि यह वाद-विवाद कल तक जारी रहे और प्रधान मंत्री कल ४ बजे के करीब इस पर बोलने का प्रयत्न करेंगे; उस के पश्चात् माननीय सदस्य उत्तर देंगे और फिर उस पर मतदान होगा ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं। जिन पार्टियों ने इसमें एब्स्टेन किया है और नो-कान्फिडेंस मोशन में हिस्सा नहीं लिया है, क्या उनको हक हासिल है कि वे इस समय में से समय ले सकें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : कुछ निर्दलीय सदस्य भी बोलने के इच्छुक हैं। मैं बड़े बड़े पक्षों के सदस्यों और अन्य जितने भी सदस्यों को सम्भव हुआ बोलने का अवसर दूंगा। परन्तु सभा को मेरे साथ सहयोग देना पड़ेगा और बोलने के लिए कम समय लेना होगा। बहुत सी आवश्यक बातें पहले ही कही जा चुकी हैं।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : उपाध्यक्ष महोदय, .

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके कहने से अनेक बार बैठ जाता हूं। आप मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। मेरा निवेदन है—मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा—कि यह हाउस जिनके ऊपर बैठा हुआ है, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, इस को चुनने वाले जनता के लोग आप के द्वार पर पड़े हुए हैं अपने स्त्री बच्चों के साथ। आप कृपा करके उन की बात सुनिए। जो लोग अनाज उगाया करते हैं, वे अपने घर-बार छोड़ कर यहां पड़े हुए हैं। वे यहां पर भूखे पड़े हुए हैं और वर्षा में तंग हो रहे हैं। आप सब लोग कोठियों में रहते हैं। ग़ाज़ियाबाद के आस-पास के गांवों के पचासों आदमी यहां पर पड़े हुए हैं। कम से कम आप उन की बात को सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री रामेश्वरानन्द : आप मेरी प्रार्थना को सुन लें।

सरकार ने उन की ज़मीन जबरन ले ली है और उसके लिए उनको कोई पैसा नहीं दिया गया है, ताकि वे कहीं और काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री रामेश्वरानन्द : यह क्या पार्लियामेंट है ? यह कैसा न्याय है ? यह क्या आर्डर है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। यह एक राज्य से सम्बन्धित मामला है। यह यहां पर नहीं उठाया जा सकता। यह उत्तर प्रदेश की सरकार से संबंधित है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं। आज से तीन दिन पहले बाढ़ और ग़ाज़ियाबाद के किसानों के सम्बन्ध में हम ध्यान-आकर्षण नोटिस दे चुके हैं। हमको हमेशा यह इत्तिला मिलती है कि वे विचाराधीन हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कब तक विचाराधीन रहेंगे। न हम को कोई सूचना मिलती है और न उन को उठाने की आज्ञा मिलती है। किसान चार दिन से पड़े हुए हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह एक राज्य का मामला है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार से संबंधित है। इस संसद् का इससे सम्बन्ध नहीं है।

श्री बागड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। उस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यू० पी० गवर्नमेंट ने उनको निकाल दिया है और अब वे लोग आपके द्वार पर आ कर पड़े हुए हैं। यह बड़ी सरकार है, लेकिन वह उन

†मूल अंग्रेजी में

की बात को सुनना ही नहीं चाहती है। आखिर वे कहां चले जायें ? क्या वे पाकिस्तान चले जायें या कहीं और चले जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस मामले पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं न ही औचित्य के प्रश्न की । यह इस प्रसंग में उत्पन्न नहीं होता ।

श्री बागड़ी : मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं । मैं प्वायंट आफ़ आर्डर उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैं आप को अनुमति नहीं दे रहा ।

श्री बागड़ी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रधान मंत्री ने उन को विश्वास दिलाया था ।

श्री रामेश्वरानन्द : चूंकि उन किसानों की बात नहीं सुनी जाती है इसलिए मैं विरोधस्वरूप सदन को छोड़ कर जाता हूं ।

इसके पश्चात् श्री रामेश्वरानन्द सदन से उठ कर बाहर चले गये ।

श्री बागड़ी : प्रधान मंत्री ने उन लोगों को विश्वास दिलाया था, इसलिए वे वापस चले गए । इस वजह से यह सेंटर का विषय बन गया है । चूंकि उस पर बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती है, इसलिए मैं वाक आउट करता हूं ।

(इसके पश्चात् श्री बागड़ी सदन से उठकर बाहर चले गये।)

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस संसद् के विरोधी पक्षों को फिर असफलता मिली है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वह एक लोकतंत्र प्रणाली में काम करने में अयोग्य हैं । यह अच्छा ही हुआ कि देश के स्वतंत्र होते ही कांग्रेस ने देश की बाग-डोर सम्भाल ली । क्योंकि जहां कांग्रेस सरकार आज सफलतापूर्वक लोकतंत्रात्मक प्रणाली के अनुसार काम कर रही है वह विरोधी पक्ष अपना कर्त्तव्य निभाने में असफल रहे हैं । आप हाउस आफ कामन्स को लीजिये । वहां के इतिहास में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया । ब्रिटेन में इतने संकटकाल आये परन्तु वहां के विरोधी पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया, क्योंकि वह ऐसे प्रस्ताव की महत्ता समझते हैं । वह समझते हैं कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाये तो विरोधी पक्ष में देश की बाग डोर सम्भालने की सत्ता होनी चाहिये । परन्तु हम अपने संसद् में देखते हैं कि अनेकों विरोधी दल हैं और उन दलों की नीतियां और उद्देश्य एक दूसरे से मेल नहीं खाते । इसलिये यहां के विरोधी पक्ष वालों का अविश्वास प्रस्ताव पेश करना ही एक गलती थी । यह अत्यन्त खेद का विषय है कि जब हम देश में लोकतंत्रात्मक प्रणाली को अधिक शक्तिशाली और सफल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, विरोधी पक्ष वालों का समर्थन और सहानुभूति हमारे साथ नहीं है ।

हमारे प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमारे विरोधी दलों में कुछ फासिस्ट प्रवृत्तियां काम कर रही हैं और वह अपने उल्टे सीधे तरीकों से भारत के लोकतंत्र को, जो अभी आरम्भिक अवस्था में है, आघात पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह उन के अविश्वास प्रस्ताव से जाहिर है जिस में वह किसी विशेष बात की निन्दा न करते हुए इसे ऐसे सामान्य रूप में लाये हैं कि प्रत्येक विरोधी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भागवत झा आज़ाद]

दल जिस प्रकार भी चाहे सरकार की निन्दा कर सकता है। विरोधी दल केवल तीन उद्देश्यों में एक दूसरे से सहमत हैं : सत्ता के लिये आकर्षण, कांग्रेस के लिये घृणा, और केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार को कमज़ोर करने की इच्छा।

३२५ बी०सी० में अम्भी ने सिकन्दर को जगह दे कर उसे इस देश पर आक्रमण करने में प्रोत्साहन दिया। यही पार्ट जयचन्द ने पृथ्वीराज के विरुद्ध अदा किया। आज जब चीनी हमारी सीमाओं पर बैठे हुए हैं तो आचार्य जो कांग्रेस सरकार के विरुद्ध कार्यवाही कर के उसे कमज़ोर करना चाहते हैं। यह विरोधी दल ऐसी कार्यवाहियों द्वारा विदेशों में प्रचार के साधन और सुविधायें उपलब्ध कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार को आघात पहुंचा कर यह शत्रु के लिये अनुकूल स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।

विरोधी दल कांग्रेस के हाथों से देश की बागडोर छीन कर उसे अपने हाथ में लेना तो चाहते हैं परन्तु उनके पास नेता कोई नहीं । इसीलिये उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को नेता चुना है जो एक निराश, हताश और निराशान्ध व्यक्ति है।

श्री कृपालानी ने देश की अर्थ नीति की आलोचना करते हुए कहा कि जब हमारे पास उपयुक्त धन नहीं था तो बड़े बड़े बांधों के निर्माण कार्य को क्यों हाथ में लिया गया। परन्तु मैं यह कहूंगा कि देश की अर्थ नीति को बनाते हुए और उसे कार्यान्वित करते हुए कई बार कुछ योजनाओं को छोड़ना पड़ता है और कुछ नई योजनायें भी बनानी पड़ती हैं। तो यह कोई असाधारण बात नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह भाखड़ा नांगल में जा कर देखें कि किस प्रकार वह बांध लाखों किसानों के लिये प्रेरणा का द्योतक बना हुआ है। श्री मसानी का यह कहना सर्वथा तथ्यहीन है कि देश में किसी क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई है। आप खाद्यान्न के उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, अधिक मकानों की व्यवस्था, किसी भी क्षेत्र में देखिये, प्रगति ही प्रगति दिखाई पड़ती है। इस्पात, सीमेंट और चीनी तीनों उद्योगों को लीजिये। इन तीनों का उत्पादन बढ़ा है। केवल एक क्षेत्र में प्रगति दिखाई नहीं पड़ती और वह है हमारे विरोधी दलों का सोचने का तरीका। वह आज भी १९वीं शताब्दी में ही रहते हैं और उन का दृष्टिकोण बहुत सीमित है।

कांग्रेस नेताओं के इन शब्दों को उद्धृत करके कि निर्धन लोग और निर्धन हो रहे हैं और धनी लोग और धनी हो रहे हैं यह साबित करने का प्रयत्न किया गया है कि देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है। परन्तु इन शब्दों का निर्वचन ठीक नहीं है। वास्तव में जिस व्यक्ति की २० रुपये आय थी उस की आय अब १०० रुपये हो गई है और जिसकी आय १००० रुपये थी उसकी आय १ लाख रुपये हो गई है। परन्तु कठिनाई यह है कि साथ ही साथ जनसंख्या में भी वृद्धि हो गई है। इसलिये यह कहा गया था कि गरीब और गरीब और धनी लोग और धनी हो रहे हैं।

इस संसद् के विरोधी दलों ने अपना कर्तव्य एकमात्र यही समझ रखा है कि देश में असन्तोष की भावना फैलाई जाये बजाय इसके कि वह देश में इस बात का प्रचार करें कि चूंकि चीनी, इस्पात, सीमेंट आदि वस्तुओं की कमी है इसलिये इनके उपभोग में कमी की जाये वह यह कहते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उदाहरण दे कर साबित कर सकता हूं कि देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है और इस देशवासियों की उपभोग क्षमता बढ़ी है। इसलिये श्री कृपालानी और श्री मसानी, जो देश के निहितस्वार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, के आरोप सर्वथा तथ्यहीन हैं।

देश में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जाता है । परन्तु मैं आप को बताऊंगा कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले स्वयं भ्रष्टाचार के लिये उत्तरदायी हैं । श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने स्वयं कहा कि उन्होंने श्री पटनायक से इसलिये रुपया लिया कि वह एक कांग्रेसी उम्मीदवार को हराना चाहते थे । तो क्या श्री द्विवेदी का एक कांग्रेसी से एक अन्य कांग्रेसी को हराने के लिये धन प्राप्त करना भ्रष्टाचार नहीं था । और जब उन्हें पूछा गया कि श्री पटनायक से प्राप्त किये गये धन को प्रजा समाजवादी दल के लेखे में दिखाया गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं हुआ । तो क्या श्री पटनायक से धन प्राप्त कर के दल के लेखे में न दिखाना भ्रष्टाचार नहीं है ।

अभी परसों उड़ीसा के उपमुख्य मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया । परन्तु अब जब कि उपमुख्य मंत्री इस बात के लिये तैयार हैं कि मामले को जांच के लिये लोक लेखा समिति के सुपुर्द किया जाये तो वहां के उस विरोधी दल के नेता चाहते हैं कि उस मामले की जांच न की जाये । मेरा निवेदन है कि यदि एक आरोप लगाया जाता है तो उस के ऊपर जांच कराने में वह क्यों राजी नहीं होते । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भ्रष्टाचार का आरोप एक मिथ्या था ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । माननीय सदस्य श्री पटनायक के विरुद्ध, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, एक आरोप लगा रहे हैं कि वह भी इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित थे । **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : मैं ने यह बिल्कुल नहीं कहा । मैं ने तो केवल यह कहा था कि वह हमारे एक नेता हैं जो अपने मित्र को दुख में सहायता करने के लिये तैयार हैं । **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री राजेश्वर पटेल** : आपने कहा था कि एक राज्य के मुख्य मंत्री ने कांग्रेसी उम्मीदवार को हराने के लिये विरोधी दल के एक सदस्य को धन दिया । वह कांग्रेस पार्टी में एक सम्मानित व्यक्ति हैं और ऐसा कहने से मामला गम्भीर हो जाता है । **(अन्तर्बाधायें)** आप ने यही कहा था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं है ।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : मैं एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं । यह खबर रतलाम की है । एक समाजवादी संसद् सदस्य ने एक फारेस्ट रेंजर को पत्र लिखा कि वह उसे लकड़ी के दरवाजों की एक जोड़ी और कुछ अन्य सामान भेजे । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो वह संसद् सदस्य उसके बारे में संसद् में प्रश्न पूछेगा । यह धमकी देकर वह समाजवादी संसद् सदस्य उस फारेस्ट रेंजर से कुछ सामान प्राप्त करना चाहते थे । उस संसद् सदस्य का लिखा हुआ पत्र मध्य प्रदेश के उप वित्त और विधि मंत्री, श्री गुलशन अहमद के पास है जो वह राज्य विधान सभा में पेश करने वाले थे । जो लोग हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं उनकी नैतिकता का यह नगण्य उदाहरण है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह उदाहरण देकर मैं सामाजिक अवगुण के महत्व को कम नहीं करना चाहता हूं । इस बात का श्रेय कांग्रेस को प्राप्त है कि उस ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश के अन्तःकरण को जागृत किया है ।

हमारी विदेश नीति को संसार भर के स्वतंत्र देशों का समर्थन प्राप्त है और गुटों से अलग रहने की नीति को सभी पक्षों द्वारा सराहा गया है । अदीस अबाबा में अफ्रीकी विदेश मंत्रियों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भगवत झा आजाद]

ने भी इसी नीति को अपनाने के लिये इच्छा प्रकट की है। मान्चैस्टर गार्डियन में लार्ड अल्ट्रिन्चम ने भी ने रू को इस नीति के लिये सरा या है। परन्तु इसके बावजूद भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तथ्य से आंखें मूंद ली हैं। इस प्रकार मैं विरोधी दलों द्वारा अर्थ नीति, भ्रष्टाचार और तटस्थतावादी नीति के आधार पर लगाये गये आरोपों का खण्डन करता हूं। उनका अविश्वास प्रस्ताव केवल घृणा पर आधारित है। १९६२ के आम चुनावों में लोगों ने इस बात का प्रदर्शन कर दिया था कि व इस सरकार की नीतियों का समर्थन करते हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं पूर्ववक्ता की दो बातों के बारे में स्पष्टीकरण देना चा ता हूं।

मैं २८ जून, १९६३ को उड़ीसा के मुख्य मंत्री के प्रैस सम्मेलन में से पढ़ कर सभा को सुनाऊंगा। मुख्य मंत्री से पूछा गया था कि श्री द्विवेदी ने जनता के नेताओं द्वारा धन प्राप्त किये जाने की बात की है तो क्या उन्होंने प्रजा समाजवादी दल को कुछ धन दिया था। इसके उत्तर में मुख्य मंत्री ने क ा था कि श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने उन से व्यक्तिगत तौर पर, अपनी बीमारी के कारण, काफी धन लिया था। फिर यह प्रश्न पूछा गया कि "व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण"; तो उन्होंने क ा कि मैं ने उस धन का प्रयोग व्यक्तिगत कठिनाइयों के लिये अथवा अपने दल के लिये किया, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। **(अन्तर्बाधायें)** उन्होंने य भी क ा कि "परन्तु इसी बिना पर कि एक व्यक्ति विरोधी दल का है, हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध समाप्त नहीं हो जाते हैं"। य बातें तब हुई जब मैं अमरीका में था, और जब मैं वापिस आया तो पूछे जाने पर मैं ने स्पष्ट रूप से बता दिया कि मैंने धन प्राप्त किया था।

श्री पटनायक ने मुझे व्यक्तिगत मित्र के रूप में पूछा कि "आप अपने चुनाव में उन दो उम्मीदवारों के बारे में क्या कर रहे हैं?" क्या आप के पास उपयुक्त साधन हैं, आदि?" "क्या आप उन्हें हरा सकेंगे?" मैंने उन्हें बताया कि "कुछ कठिनाइयां हैं। दल के पास संसाधन नहीं हैं और हमें अधिक धन की आवश्यकता है।" य धन मुझे दिया गया था और य क ना झूठ है कि मैं ने उन राशियों को दल के लेखे में नहीं दिखाया। मैंने प्रैस सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया था कि प्राप्त किये गये धन को दल के लेखे में दिखाया गया है। य क ना सर्वथा झूठ है कि मैं ने प्रैस सम्मेलन में कुछ और बात कही थी।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। आप य क सकते हैं कि य सच नहीं है अथवा ठीक नहीं है। "झूठ" असंसदीय है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्री द्विवेदी पर लगाया गया आरोप बिलकुल गलत है। **(अन्तर्बाधायें)**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। जब आपके नेता बोल रहे हैं तो भी आप बातें करते जा रहे हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : यदि आप उच्च नैतिक सिद्धान्तों के स्तर से देखें तो उन का अपने ही दल के लोगों के विरुद्ध प्रयोग में लाने के लिये धन देना और मेरा उस धन को प्राप्त करना अनुचित बातें हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। प ले आरोप के बारे में मुझे यही क ना है। इस के अतिरिक्त

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद ने मुझ पर एक दोष लगाया है । इस बात का जिक्र भी उसी प्रैस सम्मेलन में आया था । य : दोष श्री बीरेन मित्र के सराजुद्दीन से १६ लाख रुपये लिये जाने के बारे में था ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** आप किसी अन्य बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** उन्होंने १६ लाख रुपये की चर्चा की है और वह चाहते हैं कि मुझे जांच के लिये तैयार होना चाहिए . . . .

†**श्री भागवत झा आजाद :** यह बात नहीं है । प्रश्न यह है कि वह और उन का दल अपने लेखों की जांच के लिये तैयार हैं अथवा नहीं (**अन्तर्बाधायें**)

†**उपाध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । मैंने उन्हें अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी है । उन्हें बोलने दीजिये परन्तु वह संक्षेप में बोलें ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** हमें नहीं मालूम कि उन्होंने कितना धन प्राप्त किया । मुख्य मंत्री ने प्रैस सम्मेलन में बताया था कि श्री मित्र को १९५९ से १९६२ तक इस काम में लगाया गया और उन चार वर्षों में उन्होंने १६ लाख रुपया कमाया और इस के ऊपर जांच की मांग की गई . . . । अब मेरे ऊपर यह दोष लगाया गया है कि लोक लेखा समिति में प्रजा समाजवादी सदस्य ने इस मामले की जांच कराने के प्रश्न का विरोध किया । पहली बार विरोधी पक्ष के नेता को इस मामले की जांच के लिये अनुरोध किया गया क्योंकि वह लोक लेखा समिति के सभापति थे, तो मालूम नहीं उसको क्यों नहीं लिया गया । परन्तु प्रधान मंत्री ने फिर उस समिति के सभापति के जांच कराने के लिए लिखा । तो उस समिति में जिस में बहुसंख्या कांग्रेसी सदस्यों की ही थी यह निश्चय किया कि लोक लेखा समिति द्वारा उस मामले की जांच न की जाये । उस के पश्चात् समिति द्वारा मुख्य मंत्री को उसूचित किया गया कि समिति उस की जांच करने के लिये सहमत नहीं है । इसी-लिये यह मांग की गई कि मामले की न्यायिक जांच की जाये । मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री इस मामले की ओर ध्यान दे कर इस की न्यायिक जांच करायेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** इस मामले की खुली न्यायिक जांच होनी चाहिये ।

†**डा० राम मनोहर लोहिया** (फर्रुखाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अचरज होगा कुछ लोगों को कि इस सरकार का आजादी के ३, ४ महीनों तक मेरे ऊपर भी मोह रहा । लेकिन कई कारण हुए जिनमें से कि एक का उदाहरण मैं आप को देता हूं । गांधी जी से एक बार मैं अन्न सेना द्वारा नई जमीन को तोड़ कर खेती करने के लायक बनाने के बारे में बात कर रहा था । इतने में प्रधान मंत्री आये और उन्होंने मुझ से बड़े ताव से पूछा कि कहां हैं यह जमीनें ? जिस तरीक से कल यहां पर खाद्य मंत्री ने यही सवाल पूछा था कि तब मने जवाब दिया था कि वह खुद अपनी किताब देखलें और कम से कम तब भी और अब भी १७--१८ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है । उसमें से ३, ४ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है कि बिना खर्चा किये हुए खेती आसानी से हो सकती है । लेकिन ऐसे रास्ते न जा कर प्रधान मंत्री ने देश को क्या क्या नुस्खे दिये--गमले में खेती करो, मकान की छत पर खेती करो । यह नुस्खे उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार दिये हैं । इसका नतीजा है (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** मेरा निवेदन है कि सदस्य के प्रथम भाषण में बाधा नहीं डाली जाती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : अब इस तरह से अगर वे हल्ला मचाते हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है हालांकि मैं आप से एक निवेदन करूंगा कि जो कुछ इस तरीके का हल्ला हो उसका समय मेरे समय में न गिना जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप का समय २५ मिनट का है । पांच मिनट आप और अधिक ले सकते हैं । आप को आध घंटे में अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यहां पर यह मेरा पहला भाषण है इसलिए कृपया आप मुझे कुछ अधिक समय दीजिये ।

मैं बतला रहा था कि प्रधान मंत्री जी ने क्या क्या नुस्खे दिये । गमले में खेती, मकान की छत पर खेती जिस का कि नतीजा हुआ कि कुछ अर्से पहले पुरलिया ज़िले में फकीर महतो जोकि कई बार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जेल गये और जिन की बदौलत हुज़ूर प्रधान मंत्री आज इस गद्दी पर बैठे हुए हैं उन के पिता की मौत बिन खाये हो गयी । इसी तरह राजस्थान के कई इलाकों में और हिसार तहसील में बिना चारे के जानवरों की हालत बिगड़ी । कुछ लोग कहेंगे कि गमले में खेती करना केवल विक्षिप्त दिमाग़ का सबूत है लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता । यह सबूत इस बात का है कि कोई आदमी शब्द जोश के द्वारा अपनी जनता को मोह ले । यह बात इतनी हुई है कि कुछ कहना नहीं । सब से पहला आरोप मैं इस सरकार के खिलाफ लगाना चाहता हूं कि यह अज्ञान के आधार पर बांझ और परिणामहीन लफ्फाजी तथा शब्द जोश के ऊपर अपना कामकाज चला रही है । इस का नतीजा यह हुआ है कि कल खाद्य मंत्री पाटिल साहब यहां आ कर फ़रमाते हैं कि खेती की पैदावार बहुत बढ़ी है । क्या बढ़ी है ? मैं चाहूंगा कि वे अपने आंकड़े सुधारें । ६ करोड़ टन से ८ करोड़ टन तक पैदावार बढ़ी है लेकिन आबादी उसी समय में कितनी अधिक बढ़ गई है उस को भी तो उन्हें रखना चाहिए था । उसके हिसाब से कोई सवा सात करोड़ एकड़ होनी चाहिए । **(अन्तर्बाधायें)**

अगर कोई तर्क हो तो बतलाइये आप को जवाब सीधे मिल जायेगा । व्यर्थ का होहल्ला मत मचाइए । कोई तर्क है क्या आप के पास ? कोई तर्क नहीं है न ? ६ करोड़ से सवा ७ करोड़ आबादी के हिसाब से बढ़ना चाहिए था । तो क्या बढ़ती हुई अनाज की पैदावार में ?

इसी के साथ साथ मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जिस चीन से आज हम लड़ रहे हैं उस के अनाज की पैदावार २४ करोड़ टन है । वह तो खुद ३०–४० करोड़ टन की पैदावार का दावा करते हैं लेकिन जैसाकि २४ करोड़ टन की पैदावार उन की आंकी गई है तो हमारे अनाज की पैदावार १६ करोड़ टन होनी चाहिए । इस के अलावा मैं आप को यह बतला दूं कि हम दुनिया के सब से भूखे देश हैं । १५००–१६०० कैलोरीज़ में रहते हैं । मुझे बड़ी लज्जा होती है जब कोई खाद्य मंत्री यहां आकर अनाज के बारे में इतनी शेखी बघारता है ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी आप के सामने अर्ज करूं कि दाम के बारे में बड़ा जिक्र किया जाता है । लेकिन वह कौन से दाम हैं ? वे कुछ मंडियों के थोक दाम हैं । फुटकर दामों की यह सरकार कभी चर्चा नहीं करती क्योंकि यह सरकार खाली ५० लाख बड़े लोगों की सरकार है और साढ़े तैंतालीस करोड़ छोटे लोगों का इस से कोई वास्ता नहीं है । इस तरह से देश के अन्दर इस सरकार की असफलता रही है और एक कुदृष्टि सरकार के अन्दर और देश में फैली है । आज कुशल मंत्री कौन है ? कुशल मंत्री वह नहीं, जो देश की पैदावार बढ़ाए । कुशल मंत्री वह है, जो रूस से मिग

+मल अंग्रेजी में

विमान लाए या अमरीका से गेहूं लाए। देश की और सरकार की दृष्टि इतनी ज्यादा बिगाड़ी गई है कि हम आन्तरिक प्रयत्न की जगह पर बाहरी प्रयत्नों पर ज्यादा विश्वास करने लग गये हैं।

विष्णु महाराज की तो कई बाहें हैं और मैं श्री हिरेण मुकर्जी से कहूंगा कि कहीं वह सहस्त्रबाहु के चपेटे में न आ जायें। न जाने कब कोई बाहु उन पर भी आ सकती हैं। जहां एक तरफ़ एक मंत्री अमरीका के साथ चिटपटता है, वहां दूसरा मंत्री सोवियत कैम्प के साथ चिपट जाया करता है। यह भी विदेश नीति, बिन-लगाव, निरपेक्ष नीति का परिणाम हुआ है। मैं यहां ज़ोर के साथ कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति बिल्कुल ही निरपेक्ष नीति और बिन-लगाव की नीति नहीं है, क्योंकि शुरू से ही कोशिश यह की गई है कि कुछ मंत्रियों को लगा दिया जाये सोवियट कैम्प के साथ और कुछ मंत्रियों को लगा दिया जाये अटलांटिक कैम्प के साथ और जादूगर ने सोचा कि वह व्यक्तित्व के चमत्कार से न जाने किसी तरह तराजू के दोनों पलड़ों को ठीक रख लेगा। वह निरपेक्ष नीति नहीं है। निरपेक्ष नीति तब होती, जब देश विदेशी मसलों पर एक देश की तरह से सोचता। आज हम टूटे हुए हैं। मंत्री-मंडल दो हिस्सों में टूटा हुआ है। लोक सभा विदेशी मामलों में दो हिस्सों में टूटी हुई है। अगर देशी मामलों में टूटती, तो समझ सकता। सारा देश टुटा हुआ है। देश की आत्मा टूट गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतिहास में और कोई भी देश ऐसा रहा है, जो किसी विदेशी प्रश्न पर इतना टूटा है, जितना हिन्दुस्तान।

नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में उन्नति नहीं हुई है। मैं कोई गंवार आंकड़े आप को नहीं दूंगा। हालांकि मैं पढ़ा-लिखा बहुत ज्यादा नहीं हूं, लेकिन फिर भी इन दोस्तों से तो कुछ बात कर ही सकता हूं। जहां तक उन्नति का प्रश्न है, सब से पहले हम को दो दृष्टियां सामने रखनी होंगी। एक तो यह कि पड़ौसी के मुकाबले हमारी क्या हालत रही और दूसरे, हमारी खुद की भूत के मुकाबले हालत क्या रही।

जहां तक पड़ौसी के मुकाबले में हमारी हालत का सवाल है, घाना अफ्रीका का बिल्कुल कल का देश है, जो अभी आज़ाद हुआ। वह तीस, चालीस रुपया फ़ी आदमी फ़ी साल उन्नति कर रहा है, बढ़ रहा है। अमरीका, रूस वग़ैरह २००, २५०, ३०० रुपये के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इन के मुकाबले में हिन्दुस्तान छः सात रुपये के हिसाब से बढ़ रहा है। सैकड़े-बाज़ी के आंकड़े बड़े खराब होंगे, क्योंकि अमरीका और हिन्दुस्तान दोनों दो, ढाई सैकड़ा के हिसाब से बढ़ रहे हैं और इस सरकार की चाल यह रहती है कि सैकड़ा बता दें—ढाई सैकड़ा, लेकिन वह ढाई सैकड़ा अमरीका के लिए ३०० रुपये हैं और हिन्दुस्तान के लिए रहता है ७ रुपये। यह मैं उन्नति की बात कह रहा हूं, वर्तमान राष्ट्रीय आमदनी वग़ैरह की नहीं।

कम से कम पहले दस बरस तक अपने खुद के भूत के मुकाबले में हम थोड़ा बहुत आगे रेंग रहे थे। उसी से कुछ लोगों को यह कहने का मौका मिल जाता था कि हम बढ़े। हम थोड़ा रेंग रहे थे, चाहे कोई कारखाना बन गया सिंदरी का, चाहे कोई चीज़ हो गई। लेकिन अब हालत यह है कि हम लोग पैदावार बढ़ा रहे हैं डेढ़ सैकड़ा के हिसाब से और आबादी हमारी बढ़ रही है दो, सवा दो, ढाई सैकड़ा के हिसाब से। हम अपने भूत के हिसाब से भी बन्ध गए हैं। जिस तरह बंधा हुआ पानी सड़ जाता है, उसी तरह से हमारा आर्थिक जीवन भी बंधा चला जा रहा है।

अब मैं इस को एक दूसरे ढंग से भी बताना चाहता हूं। १९४८ में कोई ८,५०० करोड़ रुपये हमारी राष्ट्रीय आमदनी थी, जो अब उन्हीं दरों के हिसाब से करीब १३,५०० करोड़ हुई है। ५,००० करोड़ रुपये के हिसाब से हमारी जो आमदमी बढ़ी है, वह गई कहां है, उस के भी आंकड़े मैं

[डा० राम मनोहर लोहिया]

आप को बताता हूं। १९४८ में १,००० करोड़ रुपये खर्च होता था सरकार के द्वारा, जो अब बढ़ कर ५,५०० करोड़ रुपये हो गया है। सरकारी नौकर, जो पहले आबादी का डेढ़ सैंकड़ा था, अब बढ़ कर करीब तीन सैंकड़ा हो गया है। अगर ये सरकारी नौकर पैदावार-बढ़ाऊ होता, तो मुझे इस में कोई एतराज न होता, लेकिन यह कलम-घिसू सरकारी नौकर है, जो काग़ज़ भरा करता है, जिस से पैदा-वार नहीं बढ़ पाती है, लेकिन जिस से ख़ाली दिखाने के लिए चमत्कार सा हो जाता है कि लोग काम-धाम कर रहे हैं।

इस बारे में मैं आपसे एक तफ़सील की बात कहे देता हूं कि योजना का एक तरीका है कि बरस के आख़िर में कितना पैसा ख़र्च किया गया। इस से योजना कूती जाती है। आदमियों के हिसाब से नहीं, चीज़ों के हिसाब से नहीं, पैसा कितना ख़र्च किया गया, इस हिसाब से कूती जाती है। इस का लाज़िमी नतीजा यह होता है कि जब बरस ख़त्म होने लगता है, पैसा बच जाता है, तो सरकारी दफ़्तर और महकमे उस पैसे को अंधा धुंध ख़र्च करने लगते हैं और अपने रिश्तेदारों और जात-बिरादरी वालों को नौकरी में रख लेते हैं। कहा जाता है कि विकास-ख़र्च हुआ, लेकिन वास्तव में वह ख़र्च हो जाता है अपने ख़ानदान को बढ़ाने के लिए।

उसी तरह से मुझे एक सवाल पूछना है, या जवाब देना है, कि आख़िर यह सब हुआ क्यों। बहुत सोचा मैंने। इसका एक ही जवाब मुझे मिला और वह यह है कि जब अंग्रेज़ यहां से गए, तो सरकार के सामने प्रश्न था कि कैसा राज्य चलायें और बजाये इसके कि वे अंग्रेज़ों से भिन्न एक राज्य चलाते, उन्होंने सोचा कि शायद उनका बड़प्पन इसी में होगा कि उनका जैसा बढ़िया राज्य हम भी चला सकते हैं। नतीजा यह निकला कि बजाये इसके कि वे बड़े लोगों को ऊंची जगह से पकड़ कर नीचे लाते और सारी जनता के स्तर को उठाते, मंत्रियों ने यह सोचा कि हम भी छलांग मार कर बड़े लोगों के साथ बैठ जायेंगे।

जैसा कि हिन्दुस्तान के योजना कमीशन के एक सदस्य ने कहा है, इसका नतीजा यह हुआ है कि ६० सैकड़ा कुटुम्ब २५ रुपये महीना पर निर्वाह करते हैं, यानी २७ करोड़ आदमी तीन आने रोज़ के ख़र्च पर ज़िन्दगी निर्वाह करते हैं। मैं चाहता हूं कि यह हमेशा याद रखा जाये कि २७ करोड़ आदमी तीन आने रोज़ के ख़र्च पर आज ज़िन्दगी चला रहे हैं, जबकि प्रधान मन्त्री के कुत्ते पर तीन रुपये रोज़ ख़र्च करना पड़ता है। यह है आज हमारे हिन्दुस्तान की हालत। **(अन्तर्बाधायें)** ज्यादा होगा, लेकिन मैं जान-बूझ कर कम कह रहा हूं, ताकि कोई मेरी जीभ न पकड़े।

इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में ग़ैर-बराबरी जितनी थी, उससे ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। मैं ख़ाली यही बताऊं कि हमारे देश में खेत-मज़दूर १२ आने रोज़ कमाता है, क, ख, ग या अलिफ़ बे पे पढ़ाने वाला अध्यापक दो रुपये रोज़ कमाता है हिन्दुस्तान का एक व्यापारी ख़ानदान है, जो तीन लाख रुपये रोज़ कमाता है, जो सबसे अमीर व्यक्ति है हिन्दुस्तान का, वह तीस हज़ार रुपये रोज़ कमाता है और जो सरकार में सबसे बड़ा आदमी है, यानी प्रधान मन्त्री, उसके ऊपर पच्चीस, तीस हज़ार रुपये रोज़ ख़र्च होते हैं।

एक माननीय सदस्य : क्वेस्टियन।

डा० राम मनोहर लोहिया : किताब छप चुकी है।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : माननीय सदस्य ने छापी है।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने छापी है। नहीं तो क्या माननीय सदस्य छापते? अगर उनमें छापने की हिम्मत होती, तो फिर मामला ही कुछ और हो गया होता। ज्यादा कहोगे, तो मैं ज्यादा बताऊंगा कि प्रधान मन्त्री की क्या क्या हरकतें होती हैं। इसलिए इस बात को छोड़ो।

लोग समझते हैं कि मैं प्रधान मन्त्री से कोई द्वेष करता हूं। यह बिल्कुल झूठ बात है। मेरा उनसे कोई निजी द्वेष नहीं है। मैं माफ़ कर देता, मैं सोचता कि उम्र बड़ी है, चलो, कुछ तकाज़े हुए हैं, लेकिन पचास लाख बड़े लोगों ने उनकी नकल करते हुए आज हिन्दुस्तान को बर्बाद कर दिया है। पचास लाख बड़े लोग डेढ़ खरब रुपये की राष्ट्रीय आमदनी में से पचास अरब रुपये हज़्म कर लेते हैं और साढ़े ४३ करोड़ लोगों के लिए कुल सौ अरब रुपये बच जाते हैं। इस सबब से पूंजीकरण नहीं हो पाता। क्या कारण है कि हमारा पूंजीकरण इतना ख़राब है, खेती ख़राब है, उद्योग धंधे ख़राब हैं, सब ख़राब हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? चीन ने हमको आ दबोचा, है, इसलिए नहीं कि हमारी पल्टन ख़राब थी—वह भी एक सबब था—बल्कि इसलिए हमारा आर्थिक जीवन बिल्कुल सड़ चुका है और चीन को एक मौका मिल गया हम पर हमला करने का।

इस सम्बन्ध में मैं एक चीज़ जरूर कह देना चाहता हूं इस योजना के बारे में। आदमी और चीजों का जो रिश्ता होना चाहिये वह इस योजना ने बिगाड़ दिया है। हम गाय, बकरी, बैल नहीं हैं, बोली के लोग हैं। हमारी बोली नहीं रही। अंग्रेज़ी के ज़रिये इस योजना को चलाने की कोशिश की गई है। अगर गाय बैल बकरी का कोई खेत होता तब फिर बोली के बिना काम चल सकता था। और मैं अर्ज करूं कि मेरा मतलब हिन्दी से बिल्कुल नहीं है, मातृभाषा से है। जिस किसी की जो मातृभाषा हो, उसके ज़रिये काम काज चले तो पैदावार बढ़ सकती है। इस सम्बन्ध में मैं द्रविड़ मुनेत्र कड़घम की स्तुति करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुभाषी केन्द्र अथवा दो भाषी केन्द्र के सिद्धान्त को अपनाया है और अंग्रेजी को वे हटाना चाहते हैं। प्रधान मन्त्री जी से मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वह द्र० मु० क० के साथ बैठ करके इस अंग्रेज़ी को जल्दी से जल्दी खत्म करने का रास्ता निकालें।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संविधान की ३४४ वीं धारा को हम लोग रोज़ यहां तोड़ रहे हैं। उसमें लिखा है कि अंग्रेज़ी का घटता स्थान होना चाहिये, हिन्दी का बढ़ता स्थान होना चाहिये। मैं स्वयं हिन्दी की जगह मातृभाषा कहूंगा, मातृभाषा का बढ़ना स्थान होना चाहिये। इस लोक सभा में मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाषण अंग्रेज़ी में हो, सब अपनी मातृभाषा में बोलें और अगर विज्ञान भवन में कानूफून से सब लोग तर्जुमा सुन लेते हैं तो यहां पर क्यों नहीं कानफून से सब तर्जुमा सुना जा सकता है?

ऐसी चीज़ जब उठती है तो मैं आप से कुछ व्यापार और राजनीति के सम्बन्ध में भी कहूंगा। वैसे श्री द्विवेदी ताकतवर आदमी हैं, इनको मेरी रक्षा की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं दंग रह गया जो सवाल भ्रष्टाचार के बारे में उठा। वह क्या है? क्या राजनीति और व्यापार का ऐसा सम्बन्ध रहेगा कि राजनीति के जरिये व्यापार फायदा उठाये और व्यापार के जरिये राजनीति फायदा उठाये? यह सवाल है जिसका जवाब हमें देना है। श्री सुरेन्द्र द्विवेदी जी के पास कौनसी ऐसी चीज़ थी कि जो बदले में वह किसी को दे सकते थे असली सवाल तो यह है कि व्यापार और राजनीति का रिश्ता हिन्दुस्तान में इतना बिगड़ गया है कि वे एक ही कुटुम्ब के दो अंग हो जाते हैं और ऐसी जोड़ियां मशहूर हैं अपने देश में, बाप बेटों की जोड़ी, मियां बीवी की जोड़ी आदि। अगर आप चाहें तो बाप बेटों की जोड़ी के बारे में मैं कुछ कहूं . . .

श्री त्यागी : कोई भी नसीब न हुई आपको।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या करें त्यागी जी, आपने कभी कोई ऐसा मौका ही मुझे नहीं दिया ।

उपाध्यक्ष महोदय, बाप बेटों की जोड़ी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो मैं सदन के सामने ऐसे कागज़ रख सकता हूं जिनसे यह साबित होगा कि बाप तो एक सूबे की मोटर यातायात को चलाता है और बेटा उसी को अपनी मोटर बसें वगैरह बेचा करता है। यह एक ऐसा काम है जो बिल्कुल ही भ्रष्टाचार वाला है । एक ही कुटुम्ब के दो अंगों ने काम का बटवारा कर लिया, एक अंग बन जाता है मंत्री और दूसरा अंग बन जाता है व्यापारी ।

इसके अलावा एक और सिलसिला भी चला है । कुछ व्यापारी कम्पनियां चाहे चन्दे के रूप में और चाहे मंत्रियों के लड़कों को ऊंची ऊंची नौकरियां दे करके अपने काम-काज को चलाया करती है, जैसे बड़े कम्पनियों वाला हिसाब है । बिल्कुल साफ है । मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि अब तक यह कहा गया है कि अंग्रेज लोग बड़े अच्छे होते हैं व्यापार में, लेकिन अब यह साबित हो गया है कि कम से कम हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ लोग बहुत गन्दा व्यापार चलाया करते हैं और एक पानी के जहाज़ से जिसमें वे क्रोम ले जाया करते थे अस्सी नव्वे लाख रुपया कमाया करते थे । मुझमें इतनी ताकत नहीं है । लेकिन त्यागी जी के एक दोस्त थे । मुझे अफसोस है वह यहां नहीं हैं और चाहता हूं कि वह यहां होते क्योंकि सरकारी पार्टी के वह आदमी थे । एक मसला उठा सकता हूं और वह मसला कानपुर की उस कम्पनी का है जिसमें एक मन्त्री लुढ़का । उसी कम्पनी में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, जिसमें न जाने और कितने लोग लुढ़क सकते हैं ।

इन सबका नतीजा हुआ है कि दामों की जबर्दस्त लूट चल रही है । कोई भी कारखाने की जरूरी चीज़ को आप लें तो आपको पता चलेगा कि औसत लागत खर्चा ४० सैकड़ा होता है और सरकारी कर ३० सैकड़ा और कम्पनी का मुनाफा २० सैकड़ा और फिजूली दस सैकड़ा । चाहे वह चीनी हो या मिट्टी का तेल हो या कोई भी चीज़ हो । खाली तपेदिक की बीमारी के खिलाफ जो सुई होती है उसका मैं ज़िक्र करता हूं । स्ट्रेप्टोमाइसीन की सुई सरकारी कारखाने में बनती है दो आने के खर्च में तैयार होती है लेकिन बाजार में वह दो आने के बजाय बारह चौदह आने में बिक रही है । तपेदिक के फेंफड़े से लूट करते हुए सरकार को शर्म नहीं आती है ? जरूरी चीज़ों के दाम में इतनी ज़बर्दस्त लूट कम्पनियों और सरकार की चल रही है । लेकिन मैं एक बात इस वक्त कह देना चाहता हूं । यह सही है कि हम में से कुछ हैं जो सिर्फ कम्पनियों की लूट बन्द करना चाहते हैं, कुछ हैं, जो सिर्फ सरकार की लूट को बन्द करना चाहते हैं लेकिन कम से कम मैं उन में से हूं जो दोनों लूटों को बन्द करवाना चाहते हैं ।

रूस को बहुत कुछ चिन्ता हम लोगों के बारे में हुई है और वे कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान के कुछ प्रतिक्रियावादियों ने कोशिश की है कि इस सरकार को हटायें । मैं एक बात बता दूं कि रूस है शिखर बामपंथी, चीन है दखलअंदाज़ी वाला राक्षसी बामपंथी और हिन्दुस्तान की सरकार ? प्रधान मन्त्री साहब बामपंथी कहते हैं अपने को । शायद दिखाऊ वामपंथी हैं । उनके मुंह में बामपंथ और समाजवाद रहता है लेकिन इनके हाथों में पूंजीवाद भी नहीं, सामन्तवाद रहता है । हिन्दुस्तान में एक नकली और घूसखोर बामपंथ को चलाना चाहते हैं । मुझे जैसे आदमी ने उस पर फैसला दिया है । रूस चाहे हमको गलत समझे लेकिन हिन्दुस्तान में हम जनता का तनदुरुस्त बामपंथ चला करके वहां जनता की क्रान्ति करेंगे ।

नीति की तरफ जब हम जाते हैं तो मैं आपका ध्यान चार बन्दियों की तरफ खींचना चाहता हूं, शराबबन्दी, वैश्या बन्दी, चकबन्दी और अब जो चौथी बनाई है, सोना बन्दी । । हमेशा से ही अब

तक मैं शराबबन्दी के हक में रहा हूं लेकिन आज नहीं हूं। ऐसा कोई न समझे कि मुझे अब शराब की आदत पड़ गई है। लेकिन अब मैं शराब बन्दी के हक में नहीं हूं क्योंकि मैंने देख लिया है कि बारह तेरह बरस के लगातार जुल्म, अत्याचार, पुलिस के डंडे के बाद एक प्रान्त जिसने शराबबन्दी चलाई थी, चीन की लड़ाई शुरू होते ही उसने शराबबन्दी खत्म कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि यह सरकार उस बच्चे की तरह है जो झूले में बैठ करके पेंगे मारता है, कभी इधर पेंगे और कभी उधर पेंग मारता है। विपरीत दिशाओं में जाती हुई, कभी शराबबन्दी बारह तेरह बरस तक और कभी फिर शराब खुली, उससे तो मुझे इस वक्त यह भी डर लगता रहा है कि सोना बन्दी का भी वही हाल होगा। इतनी जोर जबर्दस्ती, इतना जुल्म और नतीजा कुछ नहीं निकल पाता क्योंकि जो काम खुल कर होता था वह काम छिप कर होता है। नए धंधे अलबत्ता खुल जाते हैं, नए रोज़गार अलबत्ता खुल जाते हैं, पुलिस वगैरह के।

इसका सबब क्या है? सबसे बड़ा सबब है कि सरकार के इरादे बड़े कच्चे हैं, किसी चीज़ पर यह जम नहीं पाती है। शराबबन्दी भी अगर करती है तो जम करके शराबबन्दी को करें तो शायद कुछ नतीजे हासिल हों, लेकिन जरा सा धक्का लगा, इरादा छोड़ा, शराबबन्दी खत्म कर दी और अब जरा सा धक्का लगेगा तो सोना बन्दी भी छूट जाएगी। कल या परसों जब वित्त मन्त्री को मैंने यह कहते हुए सुना कि सोने का तस्कर व्यापार अब बन्द हो चला है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह का जवाब वह दे सकते हैं। पता नहीं कैसे उन्होंने यह जवाब दे दिया। सोने का तस्कर व्यापार चल रहा है। यह भी मैं कह देना चाहता हूं कि सोने के कर्मचारियों ने, सुनारों ने आश्वासन दिया है सरकार को भी और मैं आपके सामने उस आश्वासन को रख देना चाहता हूं कि अगर यहां पर सरकार तैयार है सब तरह की कानूनी कार्रवाई तस्करों के खिलाफ करने को, चाहे वे लोग मंत्रियों के बेटे क्यों न हों, तो सुनार लोग भी तैयार हैं, हिन्दुस्तान से सोने के तस्कर व्यापार को बिल्कुल खत्म करवा देने के लिए। इसके लिए सोनाबन्दी की जरूरत नहीं थी।

एक सरकार की और भी नीति है, भला चाहती है शायद, आधुनिकता भी। लेकिन कब्ल-अज़-वक्त भला, कब्ल-अज़-वक्त आधुनिकता। इसी के कारण ऐसी नीति चलती है। नतीजा यह हुआ है है कि आज हम एक संकट-कानून के बस में हैं। मैं आपका ध्यान यहीं के एक माननीय सदस्य की तरफ खींचना चाहता हूं, श्री किशन पटनायक। हमारे साथ वे होने चाहियें थे, लेकिन आज वे जेल में बन्द हैं। इसका क्या कारण है? उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि इस संकट स्थिति में सब को त्याग करना चाहिये, लेकिन सरकारी लोगों के जो बड़े बड़े बंगले हैं, उन में और एक कमरा बढ़ाने के लिए जो कोशिश करते हैं, उनको गर्दन पकड़ करके निकाल देना चाहिये। कुछ लोग कहेंगे गर्दन पकड़ कर निकालना या कान पकड़ कर निकालना भाषा अच्छी नहीं है, अपनी अपनी राय है। चर्चिल साहब इस भाषा को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जार्ज फर्नेन्डीज चार महीनों से जेल में पड़ हुए हैं। यह जार्ज फर्नेन्डीज हैं कौन? इतनी उत्कट राष्ट्रीयता का जो आदमी कि उस के सवाल को ले कर खुद प्रधान मंत्री ने मैं समझता हूं बड़े अनुचित ढंग से चीन के प्रधान मंत्री से माफी मांगी थी, उस जार्ज फर्नेन्डीज को जेल में रख छोड़ा है। कफ़ील अहमद कैफी, दरभंगा, क्या कसूर उनका? १,००० मन मिट्टी खोदने के लिये ११० रु० ठेकेदार को दिया जाता है और सब से बड़ा जो है, मजदूर, उस को जा कर मिलता है ३० रु०। इतनी जबर्दस्त लूट।

इसी तरह से बम्बई की हड़ताल के सम्बन्ध में देखिये। इस पर ज्यादा न कह कर इतना मैं बतला दूं कि वही मेहतर लोग, जो हड़ताल किये हुए थे, जुलाई, १९६२ में ९० रू० पाने लगे थे और सितम्बर १९६२ के बाद ८५ रु० महीना पाने लगे थे। उन की तनख्वाह घट गई,

[डा० राम मनोहर लोहिया]

बढ़ी नहीं। कोई यह कहे कि जीवन का खर्च बम्बई में उसी समय में घट गया तो मैं कहूंगा कि फिर यह आंकड़े किसी विश्वास के लायक नहीं। मैं तो यह भी तजवीज रखना चाहूंगा कि अगर मेहतरों की आमदनी खूब बढ़ा ली जाय और ऊंची जाति वाले मेहतरी करने लग जायें तो इस से जाति पांत टूटने का कुछ मौका आये। कुछ ब्राह्मण और बनिये भी मेहतरी करें तो अच्छा है।

इसी के साथ साथ मैं आप से हिन्दुस्तान के जबर्दस्त अन्दरूनी पतन के साथ साथ चीन के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। चीन का रहस्य क्या है? क्यों हम ने चीन के सम्बन्ध मे इतनी बुरी नीति अपनाई। मैं इस पर भी सोचता रहा। बरसों सोचता रहा, तब जा कर मुझे एक अन्दरूनी कारण मालूम हुआ, और वह है स्पर्श क्रान्तिकारिता। जब आदमी खुद पीछे देखू होता, है, प्रतिगामी होता है, देश को आगे बढ़ा नहीं पाता, अपने देश की गैरबराबरी दूर नहीं कर पाता अगर क्रान्ति ला नहीं पाता तो सोचता है कि जो मशहूर है क्रान्तिकारिता के हिसाब से उसे छू लूंगा तो मैं भी थोड़ा बहुत क्रान्तिकारी बन जाऊंगा। मैं बड़ी नम्रता से इस सदन के सामने इस विचार को रखना चाहूंगा क्योंकि मैं सन् १९४८ से देख रहा हूं कि चीन के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान की विदेश नीति बिगड़ी, और खुद प्रधान मंत्री के सिद्धान्तों के हिसाब से बिगड़ी, क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में हर एक देश को, जो अपनी जमीन का मालिक है, जगह मिलनी चाहिये। दो चीन थे। एक कम्यूनिस्ट चीन और दूसरा चांग काई शेक वाला कुमितांग चीन। स्पर्श क्रान्तिकारिता की लालच से प्रधान मंत्री ने चीन को छुआ। सोचा शायद उस से क्रान्ति अथवा क्रान्तिकारिता बढ़ जायेगी। लेकिन इस के नतीजे बड़े खराब होते हैं। पूरे अफ्रीका और एशिया में एशिया के कम्यूनिज्म के बारे में जो विचार चलने चाहिये थे वे चल नहीं पाये। एशिया का कम्यूनिज्म दखलअंदाज हो गया, राक्षसी हो गया क्योंकि उस का सामना करने वाला पूंजीवाद या सामन्तवाद या नकली घूसखोर वामपंथ ताकतवर है नहीं। योरप में जर्मनी, फ्रांस और अमरीका में यह सब ताकतवर थे, वह रूस का मुकाबला कर सकते थे। चीन का मुकाबला करने की ताकत अभी तक एशिया में नहीं पैदा हुई। मैं समझता हूं कि सन् १९४८ में वह मौका खो दिया गया जब हिन्दुस्तान ने चीन के प्रति इस प्रकार की नीति अपनाई। और नीतिहीनता कैसी है? चीन हमारे देश पर हमला किये हुए है। युद्ध है, कहते हैं। लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान राष्ट्र संघ में चीन की भरती के लिये पैरवी करता है। कोई लड़का अपनी मां के बलात्कारी के साथ अपनी मां की शादी करवाने की इच्छा करे, यह कैसी बात है?

एक माननीय सदस्य: यह उपमा बड़ी खराब है।

डा० राम मनोहर लोहिया: यह उपमा बहुत खराब है, लेकिन इस से भी ज्यादा खराब काम मामले चल रहे हैं। मैं ने तो खाली उपमा ही दी है नीतिहीनता की। मैं आप को नीतिहीनता के और भी सबूत दूंगा। मगर मेरा पूरा विश्वास है यह सब चीजें देख कर कि अगस्त, १९६२ में सरकार को चीनियों से कहीं ज्यादा अच्छी शर्तें मिल सकती थीं बनिस्बत उन के जो आज कोलम्बो प्रस्तावों में हैं। क्योंकि तब तो दिमाग ऊंचा था। मैं आप को याद दिलाता हूं हजरत प्रधान मंत्री का १७ अक्तूबर का बयान और फिर १९ नवम्बर का बयान। १२ नवम्बर को उन्होंने कहा कि चीनियों को खदेड़ बाहर करो, यह शेर की दहाड़ थी और ३७ दिन बाद १९ नवम्बर को जब बामडीला और वालांग गिर गये तब रेडियो पर उन्होंने भाषण दिया, घिग्घी बंधी हुई थी, वह बकरी की पुकार थी। मंत्री का मन बड़ा संयमी होना चाहिये। इतनी जल्दी

खुश और इतनी जल्दी दुखी उसे नहीं होना चाहिये। अगर मंत्री का, राज करने वालों का मन संयमी नहीं रहता, तो हिन्दुस्तान की विदेश नीति कभी चल नहीं पायेगी।

फिर इसी सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान हवाई जहाज की तरफ ले जाऊंगा। भारत की एक विद्रोही सन्तान है नागा। उन के ऊपर हवाई जहाज से बम वर्षा की गई। भागते हुए पुर्तगाल वालों पर बमवर्षा की गई। अगर हिन्दुस्तान बिल्कुल बमवर्षा न करता तो मैं इस चीज को समझ पाता। बमवर्षा हिन्दुस्तान कर रहा है। लेकिन बढ़ते हुए चीनियों पर कोई बमवर्षा नहीं हुई। लोग कहते हैं कि हमें विश्व शांति बड़ी प्रिय है। सारी दुनिया जानती है कि विश्व की शांति को अगर कोई तोड़ सकता है तो वे हैं रूस और अमरीका। इन दो के अलावा कोई तीसरा ऐसा नहीं है जो चाहें भी तो शांति को तोड़ सके क्योंकि कम्यूनिस्ट चीन के पास वह ताकत नहीं है जो विश्व की शान्ति को खत्म कर सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप का समय समाप्त हो गया। अब आप शीघ्र ही अपनी बात समाप्त कीजिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपनी बात पूरी कर लूं लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव है। आज यहां पर मैं ही अकेला ऐसा हूं इस सदन में जिस को पहले चार महीनों को छोड़ कर पूरे पन्द्रह वर्ष इस सरकार में विश्वास नहीं रहा है।

एक माननीय सदस्य : कृपालानी जी हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : कृपालानी जी पछतावा कर के अविश्वास प्रकट कर रहे हैं लेकिन मुझे पछतावा नहीं है। प्रधान मंत्री से मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरी सिर्फ नीति की लड़ाई है। मैं इस सम्बन्ध में आप से एक बात कह दूं। जब अमरीका में भारतीय राजदूत से पूछा गया कि तुम्हारी सरकार हवाई जहाज का इस्तेमाल क्यों नहीं करती तब उन्होंने सीधा जवाब दिया कि इसलिये कि हमें डर है कि चीनी लोग बदले में अपने हवाई जहाज इस्तेमाल करेंगे। यह है असली बात। मैं ने गप्प सुनी है कि दिल्ली के राजमहलों में अक्तूबर और नवम्बर के महीनों में जब कभी भुर भुर की ज्यादा आवाज सुनाई पड़ती थी तब लोग पूछते थे "क्या आ गया ?"

बहुत बातें चलती हैं हथियारों की। हथियारों से और निरपेक्ष नीति से कोई सम्बन्ध नहीं और मैं प्रधान मंत्री को उन की बहुत पुरानी एक बात याद दिलाना चाहूंगा जब वह ऐसा कहा करते थे कि जब घोड़ा ही नहीं है तो लगाम किस काम की ? जब हिन्दुस्तान का राष्ट्र ही नहीं बचा रह पाता तो क्या निरपेक्ष नीति, क्या सापेक्ष नीति और क्या कोई नीति ? सब से पहला कर्तव्य यह हो जाता है कि जब देश पर हमला हो तो हम उस की रक्षा करें। अब इस सम्बन्ध में आप नीति देखिये। कभी तो प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम नाखून से लड़ेंगे, लाठी से लड़ लेंगे, फिर कहते हैं कि हम हथियार खरीद लेंगे। जब चीनी डंडा जोर से पड़ता है तो कहते हैं कि हम उधार और दान ले लेंगे, जब और जोर की मार पड़ती है तो कहते हैं कि अब हम अपनी हवाई ताकत की शिक्षा के लिये शिक्षक भी ले लेंगे। अगर और मामला जाता तो कहते कि हम सिपाही भी ले लेंगे। निजी जीवन में यह सही हो सकता है, मोहब्बत करते वक्त, कि उंगली पकड़ो अब आगे मत बढ़ना, पहुंचा पकड़ो अब आगे मत बढ़ना, कोहनी पकड़ो लेकिन अब आगे मत बढ़ना, मगर राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं हो सकता।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

अब मैं प्रधान मंत्री की एक और बात बतलाऊं। यहां पर बड़ी चर्चा हुई वायस ऑफ अमेरिका की। खाली यही कहा न कि मैं ने पढ़ा है, लेकिन उसे आप ऐसा ही मानें कि बेपढ़ा है। यह कोई नई बात नहीं है। केरल में मुस्लिम लीग से जब इन्होंने समझौता किया था, जब उस समझौते के नतीजे निकल रहे थे, कांग्रेस के चुनाव में जीतने की सम्भावना थी, तो कुछ नहीं बोले। जब कांग्रेस जीत गयी तो उन्होंने कहा, मैं ने मुस्लिम लीग के घोषणापत्र को ठीक तरह से पढ़ा नहीं। मैं हीरेन मुखर्जी साहब से कहूंगा कि याद रखा करो, अपने दोस्त की आदतों को पहचानो कि कैसी हैं।

प्रधान मंत्री होने के पहले की तो मैं नहीं जानता। किसी जमाने में मैं भी थोड़ा बहुत चक्कर में रहा हूं, लेकिन जब से यह प्रधान मंत्री बने हैं तब से साफ बात कहने की आदत तो बिल्कुल ही नहीं रही। हमेशा गोल बात करते हैं। मैं ने ऐसा सुना है कि वाइस ऑफ अमरीका के समझौते को इन्होंने करीब करीब हर सफे पर देखा है और टिक लगायी है। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। आखिर वाइस ऑफ अमरीका के समझौते का मतलब क्या था? यही न कि अमरीका भी हिन्दुस्तान की जमीन से अपने भाषण कर दिया करे। इस में तफ़सील में जाने की क्या ज़रूरत थी।

इसी तरह से मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि चीन पाकिस्तान की सरहद के मामले में सन् १९५७ के पहले प्रधान मंत्री को बिल्कुल चिन्ता नहीं थी। जब हिन्दुस्तान के अफसर चीन के अफसरों से बात करने लगे और इतने मोटे मोटे पोथे छपे, उन में कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन अब उन को चीन पाकिस्तान की सरहद की बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है।

अब आप को लांगजू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। लांगजू घाटी है। उसके बारे में प्रधान मंत्री ने अक्सर कहा है कि वह विवादग्रस्त इलाका है। सब से पहले तो मैं आप के जरिये एक यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि किसी भी देश के प्रधान मंत्री को अपने देश की भूमि के किसी भी अंग के बारे में, खास तौर से लड़ाई के दिनों में, यह नहीं कहना चाहिए कि यह विवादग्रस्त इलाका है। इस तरह के शब्द किसी अच्छे प्रधान मंत्री के नहीं होते। लांगजू के बारे में कई बार इस सदन को प्रधान मंत्री ने गुम राह किया है क्योंकि मैं जानता हूं कि लांगजू दो तीन वर्गमील का इलाका नहीं सैकड़ों वर्गमील का इलाका है। लांगजू में लोग बसते हैं।

प्रधान मंत्री साहब बहस नहीं चलाना जानते, शायद चाहते नहीं, क्या मालूम क्या सबब हैं। दूसरे भी इनकी नकल करने लगते हैं। मैं एक देसी मिसाल देता हूं। हमारी तरफ से कई बार कहा गया कि साढ़े ६ एकड़ से कम खेती वाले किसानों का लगान माफ कर देना चाहिए, जो कि वह खुद कहा करते थे। इस पर इन्होंने फरमाया कि लगान खत्म कर दिया जायेगा तो सरकार कैसे चलेगी। मैं आप को बताऊं कि आज सरकार साढ़े पांच हज़ार करोड़ रूपया सालान खर्च कर रही है और साढ़े ६ एकड़ तक की खेती करने वाले किसानों से केवल ७० या ८० करोड़ रुपया आता है। यानी सौ पैसे में से एक पैसा। यदि सरकार की इच्छा हो तो इस को आसानी से छोड़ सकती है। ये ३५–४० करोड़ किसान लोग तीन आने रोज़ में अपना कपड़ा, लत्ता, खाना पीना, बच्चे की फीस, पढ़ाई लिखाई सब चलाते हैं। लेकिन उनका लगान खत्म करने को कहा जाता है तो क्या तर्क किया जाता है।

इसी तरह से तिब्बत की हत्या के सम्बन्ध में क्या तर्क दिया है। सब से पहले तो मैं यह कह दूं कि मैं युद्धवादी नहीं हूं। न पहले था न आज हूं। चीन ने हिन्दुस्तान की बहुत सी जमीन पर कब्जा

कर लिया है। मैं चाहता कि हिन्दुस्तान की पल्टनें जायें और उस ज़मीन को वापस ले लें, और मैं कहूं भी किस मुंह से। मैं इस सरकार से किस मुंह से कहूं जो पांच दिन तक लगातार ३० मील की रफ्तार से उलटे मुंह भागी हो। क्या मैं उस सरकार से कहूं कि जाओ उस जमीन को वापस ले लो। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि उन कारणों को दूर करो जिन कारणों से हम कमजोर रह गए। और तिब्बत के मामले में बिल्कुल साफ़ बात है। १९४९ में मुझे जैसे लोगों ने कहा था, करो तिब्बत की रक्षा, और रक्षा से मतलब लड़ाई से नहीं होता। मेरा कहना था स्वीकारो मत। जो तिब्बत की शिशु हत्या चीन ने की थी उसे स्वीकार करके प्रधान मंत्री ने बड़ी भूल की। जब मैंने कहा था कि स्वीकारो मत तो उसका यह मतलब नहीं था कि अपनी फौजें भेज दो। उस समय प्रधान मंत्री ने अपने लिए एक तर्क यह दिया कि तिब्बत के मामले के समय हम बहुत कमज़ोर थे, अब हम ताकतवर हो रहे हैं। यह तर्क बिल्कुल गलत है क्यों कि चीन उस वक्त कमज़ोर था। इस सम्बन्ध में आपको एक आंकड़ा देता हूं। उस वक्त चीन दस लाख टन फौलाद पैदा करता था साल भर में, और हम साल भर में ११ लाख टन फौलाद पैदा करते थे। लेकिन आज चीन साल भर में डेढ़ करोड़ टन फौलाद पैदा करता है जब कि हम साल भर में ३५ लाख टन पैदा कर पा रहे हैं। यहां आंकड़े बहुत दिये जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे इजाजत दें तो जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अगर कोई लोग मुझे पांच मिनट अपने समय में से दे दें तो मैं तो अपनी बात खत्म कर सकता हूं।

श्री ब्रज राज सिंह (बरेली) : मैं देता हूं।

श्री मौर्य : मैं देता हूं।

डा० राम मनोहर लोहिया : उस वक्त आपसी गृह युद्ध के कारण जो कि कुओमिटुंग और कम्युनिस्टों के बीच चल रहा था चीन की स्थिति कमज़ोर थी और अगर उस वक्त तिब्बत के मामले में हिन्दुस्तान ने स्वीकारोक्ति न की होती तो नतीजा निकल सकता था।

यहां कूटनीति का बहुत जिक्र किया जात । कहा जाता है कि हम लड़ाई के मैदान में हार गये लेकिन कूटनीति में हम लोग जीत गए। अगर कूटनीति से ही नतीजा निकालना था तो उस कूटनीति को सन् १९६२ में दिखलाना चाहिये था और चीन के साथ समझौता करके इस से ज्यादा अच्छी शर्तें ले लेनी चाहिये थीं।

प्रधान मंत्री को पछतावा नहीं होता। जितनी भूलें हों ....

श्री कृपालानी (अमरोहा) : कभी होता नहीं।

डा० राम मनोहर लोहिया : जितना भी देश गिरता चला जाता है, लेकिन पफिर भी वह पूरी ताकत के साथ कहा करते हैं कि देश तो बढ़ रहा है। मेरा सरकार से कोई सरोकार नहीं रहा। अंग्रेजों ने आठ बार मुझे जेल में रखा, तो प्रधान मंत्री ने भी मुझे दस बार जेल में रखा। फिर भी मेरे मन में ग्लानि होती है, मैं शर्म खाता हूं कि आज हिन्दुस्तान कमजोर रह गया और हम उसके लिये कुछ न कर पाय। लेकिन प्रधान मंत्री को कोई शर्म नहीं लगती कि हिन्दुस्तान इतना कमजोर रह गया और हम चीनियों के मुकाबिले में नहीं अड़ पाये और हमारे २७ करोड़ आदमी तीन आना रोज पर अपनी जिन्दगी बसर कर रहे हैं।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

प्रधान मंत्री हमेशा अपनी गलतियां मानते हैं, वे बार बार कहते हैं कि हम से गलतियां हुई लेकिन कोई एक गलती नहीं मानते क्यों कि उसको माने तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी आती है। वह कोई एक गलती नहीं मानते।

फिर कहा जाता है कि चीन ने हमको धोखा दिया। यह बात बिल्कुल गलत है। चीन ने शुरू से आखिर तक बिल्कुल साफ़ बताया है कि जिस पर इतने पोथे लिखे गये हैं। जो हुआ उसमें चीन ने कोई धोखा नहीं दिया। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिये मान लिया जाए कि यह तर्क सही है और चीन ने धोखा दिया, तो जो मंत्री इस तर्क को इस्तेमाल करता है उसको क्या कहा जाय। आज से ढाई हजार साल पहले चाणक्य कह गया है कि जो राजा अपने पक्ष में यह बात कहता है कि विपक्षी की तरफ से, दुश्मन की तरफ से उसको धोखा हो गया, उस राजा को एक क्षण में हटा कर बाहर करो।

अब मैं कुछ ऐसी चीज कहूंगा जिस पर मेरे कुछ पुराने दोस्त तिलमिला उठेंगे। लेकिन मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम सब इसके शिकार हैं, और वह है जाति प्रथा। डेढ़ हजार वर्ष से यह देश रोगी है और १५ वर्ष से इसको कोढ़ हो रहा है। डेढ़ हजार वर्ष का रोग और १५ वर्ष का कोढ़ है। इस जाति प्रथा के कारण अवसर और योग्यता की निरन्तर, लगातार, सिकुड़न होती रहती है। जिन योग्य लोगों को मौका मिलता है वे बहुत कम तादाद में होते हैं। यह सही है कि मेरे बाप के मेरे सिवा और कोई लड़का या लड़की नहीं थे। मैं अपने लिये कोई बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं। शायद यही एक अकस्मात बात हो गयी जिसके सबब से मेरा कोई लगाव बुझाव नहीं। लेकिन . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : बड़े बाप के लड़के हो।

डा० राम मनोहर लोहिया : मेरा बाप कहां बड़ा था।

तो कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। और हो सकता है कि मैं भी अगर कहीं किसी जगह पर पहुंच जाता तो मेरी जाति बिरादरी के लोग मेरी तरफ खिंच जाते। और अभी भी मैंने देखा है कि कुछ लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारे भाई हैं या बहिन हैं। मैं इस को बहुत खराब समझता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस जाति परस्ती और कुनबा परस्ती का अगर कोई सरदार है तो इस देश में तो वह प्रधान मंत्री हैं। उनके जितने भी मुहकमें हैं आप देख लीजिये, केन्द्रीय सरकार के सब मुहकमों में उन की जाति बिरादरी के और उन के रिश्तेदार लोग भरे हुए हैं। मैं उनका नाम यहां लूंगा। खाली एक का लेता हूं। वह सेनापति जिसके कि बारे में उन्होंने गलत बयानी की थी कि उस ने लड़ाई के मैदान में लड़ाई देखी थी जो कि बिल्कुल गलत बात है। कभी देखी नहीं थी। उस अफसर को उर्वसीअं का अफसर बना कर भेजा। मैंने कुछ दिनों पहले प्रधान मंत्री से सवाल किया कि क्या दिल्ली से कोई ऐसा सरकुलर भेजा गया कि है जब कोई जगह गिरने वाली हो तो उसको खाली कर दो। उसका अर्थ क्या लगाया गया ? जब कोई चीज़ गिरने वाली हो तो खाली कर दो। बोमडीला में तो गोली वगैरह चली नहीं फिरभी लोगोंने फैसला करलिया कि यह तो खाली कर देना चाहिये। पतन और खाली करना इन दोनों के सम्बन्ध में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। शब्दों को लेकर एक गलतफहमी हो सकती है लेकिन मैं यह बतला दूं कि उस वक्त रक्षा मंत्री मेनन साहब नहीं थे। बल्कि रक्षा मंत्री खुद प्रधान मंत्री थे।

बहुत ज्यादा मामले बिगड़ जाया करते हैं। इतने बिगड़ जाते हैं कि पिता बन जाता है सरकार का मालिक और पुत्री बन जाती है जनता की मालिक। योग्यता की अवसर की इतनी जबरदस्त

कुड़न होती है। मैं आप से बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की औरतें हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी जातियां धार्मिक अल्पसंख्यगकों की और शूद्र यह जो पांच बड़े वर्ग हैं जिनकी कि आबादी कुल मिलाकर ६० सैकड़ा होती है उनको जब तक आप विशेष अवसर नहीं देंगे तब तक देश का गंदा पानी साफ नहीं हो सकता है।

समान अवसर के सिद्धांत को लेकर सारे लोग चल रहे हैं, रूस और फ्रांस वाले सिद्धांत, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि विशेष अवसर के सिद्धांत को हमें अपनाना पड़ेगा। योग्यता और अवसर इस समय कुछ ही लोगों में सिकुड़ कर रह गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मन में एक टीस अनुभव करता हूं और वह यह कि मैं चुनावों वगैरह के चक्कर में पड़ गया क्यों कि मेरे पास साधन नहीं हैं, पैसा नहीं है फिर भी सैकड़ों लोग आते हैं कि हमारा फलांना काम कर दो हमारा ढिकाना काम कर दो। सिर्फ राज्य दल के लिये नहीं कह रहा हूं बल्कि हम सब इस चक्की में पिसे जा रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों को लेकर हम लोग इतने फंस जाते हैं कि सार्वजनिक नीति के मामलों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। इस में कोई शक नहीं कि हम सबको मिल कर इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा।

इसी तरीके से मैं आपको ध्यान दिलाऊं इस बात पर कि अक्तूबर नवम्बर से देश में बड़ा बदलाव हुआ है। यहां पर बहुत आंकड़े दिये गये। १९६२ का एक तर्क मैं रखना चाहता हूं। सन् ६२ के शुरू में शायद स्थिति रही हो कि कांग्रेस सरकार को देश की जनता का समर्थन रहा हो लेकिन अक्तूबर-नवम्बर १९६२ के बाद से यह स्थिति नहीं रह गयी है। हिन्दुस्पतान की जनता का समर्थन कांग्रेस सरकार को नहीं है यह मैं नवम्बर ६२ के बाद की बात कहना चाहता हूं। इसलिये मैं यह मांग करता हूं कि इस बदली हुई परिस्थिति में इस सरकार को इस्तीफा दे कर नये चुनाव कराने चाहियें। मैं आम चुनाव की मांग करता हूं।

यह सही है कि यहां पर कहा गया है कि विरोध बड़ा टूटा हुआ है। जरूर टूटा हुआ है हालांकि कुछ ऐसे हैं जो शायद फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन यह जरूर है कि आज वह टूटा हुआ है। लेकिन ये हजरत खुद अपने में कितने टूटे हुए हैं? राज्यों के मंत्रिमंडल टूटे हुए हैं। केन्द्रीय मंत्रिमंडल टूटा हुआ है। सरकारी बेंचों पर बैठने वालों की बात का तो कहना ही क्या? यहां मेरे खिलाफ़ और भले ही वे सरकार के समर्थन में कितना ही थपथपाते हों लेकिन रात में पहुंच कर घर में जाकर यह कहेंगे कि भाई वाकई लोहिया खूब बोला, जो हमारे मन की बात है वह उसने साफ तौर से रख दी। लोहिया ने हमारे मन की बात कह दी है यह वह यहां से बाहर निकल कर कहेंगे।

मैं इस टूटे हुए विरोधी पक्ष के बारे में केवल इतना ही कहूंगा कि अभी मसाला गीला है, सांचा बना नहीं लेकिन सांचा बन रहा है। हो सकता है कि अगले दो, तीन साल में ऐसा कोई सांचा बन जाय कि एक दल तो हो १५ अगस्त १९४७ की सीमा रखने वालों का और दूसरा दल हो ८ सितम्बर १९६२ की सीमा रखने वालों का।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपनी स्पीच को खतम करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : दो माननीय सदस्यों ने मुझे अपना समय दे दिया है इसलिये थोड़े समय मुझे और बोलने दिया जाय।

[डा० राम मनोहर लोहिया]

हो सकता है कि इस १५ अगस्त १९४७ की सीमा मानने वालों में भी विरोध हो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इनमें वे लोग हैं जो कि कम्पनी लूट और सरकारी लूट दोनों के खिलाफ हैं तो कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सरकारी लूट के खिलाफ हैं और कम्पनी लूट के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन मेरी यह आशा है कि जब सांचा पूरी तरह से बन जायेगा तो हमारे जैसे लोग इस सांचे में बहुसंख्या में रहेंगे और तब मैं आशा करूंगा कि श्री हीरेन मुकर्जी तो शायद इस सांचे में न आयें लेकिन गोपालन साहब इसमें जरूर चले आयेंगे।

श्री त्यागी : आप सारी पार्टियों में फूट डालना चाहते हैं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : जी हां मैं सब पार्टियों में फूट डालना चाहता हूं।

मेरा धंधा और है क्या ? त्यागी जी भी यदि इधर चले आयें तो बड़ा अच्छा होगा। मैं तो चाहूंगा कि साथ में वे अपने पुराने दोस्तों को भी इधर लेते चले आयें तो बहुत अच्छा होगा।

एक तरीका यह है कि हम लोग हिन्दुस्तान में आम चुनाव करवा कर जनता की दृष्टि का अंदाजा लगा लें क्यों कि मैं फिर जोर से कहना चाहता हूं कि यह सरकार राष्ट्रीय शर्म की सरकार है और जनता का इस सरकार को समर्थन प्राप्त नहीं है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** अब आप समाप्त करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : बस एक, दो मिनट में मैं खत्म कर देता हूं। मुझे खुद बड़ा बुरा लगता है इस तरह बोलना।

प्रधान मंत्री ने एक बार एक जलूस के बारे में कहा था कि वह ढाई सौ आदमियों की हुल्लड़बाजी से इस्तीफा नहीं देंगे। कलकत्ते में २५० आदमियों ने प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन और जुलूस को उन्होने हुल्लड़बाजी कहा था। बिलकुल सही बात है। ढाई सौ लोगों की हुल्लड़बाजी से यह इस्तीफा देंगे ? लेकिन २०—३० हजार की हुल्लड़बाजी हो गयी तब तो इस्तीफा दे देंगे न ? मैं कहना चाहता हूं ज़ोर से कि जब सरकार अपने समर्थन में प्रदर्शन निकालना शुरू कर देती है, जिस सरकार को पलटन, सेना, पैसा, ५ हजार ५०० करोड़ रुपये साल का जिसको खर्चा करने का मौका मिलता है, जब वह भी अपने पक्ष में प्रदर्शन निकालना शुरू कर दे तब समझना चाहिये कि वह सरकार खुद एक हुल्लड़बाज सरकार है।

मैं हुल्लड़बाज़ी पसन्द नहीं करता। मैं शांति पसन्द करता हूं। शांति के आधार पर विरोध चलाना चाहता हूं लेकिन मैं आप से अर्ज करूंगा कि मैंने पिछले ५—७ दिन में आपने आपको मैंने दबाया है और जब तक बन सकेगा आखिर तक अपने को मैं दबाता रहूंगा लेकिन हुआ क्या था जिस चीज के लिए मुझ को यहां पर लोगों ने न जाने क्या क्या कह डाला ? यह कहा कि इस की शिक्षा नहीं है। इशारे से यह भी कहा गया कि इसके न जाने किस तरह के मां-बाप रहे हैं। एक हजरत ने ब्रीडिंग का शब्द इस्तेमाल किया था . . .

श्री त्यागी : किसी ने नहीं किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी महाराज ऐसा कहा गया था। यह कहा गया कि मुहम्मद-अली जिन्ना की इतनी अच्छी ब्रीडिंग थी कि वह निजी हमला नहीं करते थे लेकिन यह हजरत तो निजी हमला कर दिया करते हैं।

श्री त्यागी मजाक में कह दिया होगा।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह खूब रही। जब मैं बड़े लोग वाली बात कह दिया करता हूं तो इतना क्यों भन्ना जाते हैं? मजाक वगैरह क्या है।

यह चीज़ क्या हुई थी, उपाध्यक्ष महोदय, में आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करूंगा कि मैंने प्रधान मंत्री से प्रश्न पूछा था, इस दिल्ली से भेजे हुए सरकुलर के बारे में प्रश्न पूछा था कि किसी जगह का पतन हो रहा है तब उसे खाली करेंगे या जैसा कि उसका अर्थ लगा कर खाली किया गया वह अपने इलाके खाली कर दिये गये, वैसा उसका अर्थ है? क्या सिर्फ पलटन की ही तैयारी हो रही है या मन की भी तैयारी हो रही है? प्रधान मंत्री ने मेरे उस सवाल का जवाब देने के बदले कहा कि यह सब बहाना है। यह क्या हो रहा है? तरह तरह की बातें कह दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री बहुत रोब से, बहुत हिम्मत से और घमंड से बोला करते हैं और व्यंग कसा करते हैं। इसी पर मैंने कहा था कि प्रधान मंत्री नौकर हैं, सदन मालिक है। एक ऐसा शब्द, बढ़िया शब्द, जिस पर कि हर एक को खुश होना चाहिये था लेकिन उसके बजाय मेरे ऊपर न जाने किन किन लोगों ने क्या क्या कह डाला। मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि मैं कभी भी कोई निजी झगड़ा किसी से नहीं चलाना चाहता, मैंने चलाया नहीं है, चलाऊंगा भी नहीं, जब तक कि मैं मजबूर न कर दिया जाऊंगा। वह अलग बात है। मैंने निजी झगड़ा नहीं किया। अगर कहीं किसी अदालत में जायें, तो यह साबित हो जाये कि मैंने निजी झगड़ा नहीं किया, बल्कि हमेशा प्रधान मंत्री ने मुझे गालियां दीं, कभी गुंडा कहा है, कभी झूठा कहा है, कभी बदतमीज़ कहा है। यह सही है कि एक जमाना था कि जब मैं जवाब दे दिया करता था उनके गुस्से का गुस्से से, लेकिन आज वह भी नहीं करता हूं। रहम आता है। मैं यह कहूंगा कि कुछ देर के लिये मन में ही होता है कि जब गुंडा कहते हैं, तो उन को गुंडई कर के दिखलाया जाये।

श्री त्यागी : वह जिस से प्यार करते हैं, उन को कहते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह सही है कि यह चेहरा ऐसा था कि कभी हम ने भी मुहब्बत की थी। **(अन्तर्बाधायें)** हो सकता है कि बदगुमानी रह जाये। अब मैं मुहब्बत बिल्कुल नहीं करता हूं, यह बात मैं अच्छी तरह से कह देना चाहता हूं, ताकि कहीं गलतफहमी न रह जाये।

शायद बहस के दौरान में कहा जाये कि मेरे एक भाषण में कहा गया है कि मैं इस सरकार के बारे में पूरा इस्तीफा नहीं चाहता हूं। मैं पहले से साफ किये देता हूं। यह उस समय था जब अगर वे अपनी मर्जी से काम करते, तो पूरा इस्तीफा न होता। मैंने चाहा था कि प्रधान मंत्री जी खुद इस्तीफा दे दें, फूलपुर में फिर से चुनाव लड़ लें, जिस से नवम्बर के बाद जो कुछ भी चीजें हुई हैं, वे साफ हो जायें। लेकिन आज यह प्रस्ताव इस्तीफे वाला नहीं है, यह प्रस्ताव है निकालने वाला।

श्री राम सहाय पांडेय (गुना) : उपाध्यक्ष जी, मंत्रि-मंडल के प्रति जो अविश्वास-प्रस्ताव हमारे तथा-कथित गांधीवादी, आचार्य कृपलानी, ने इस सदन में उपस्थित किया है, उसका विरोध करते हुए मैं उनसे उस को वापस लेने की राय देता हूं ।

[**श्री खाडिलकर** पीठासीन हुए]

यह एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर था, जब कि चीनी आक्रमण की पृष्ठभूमि में, चीन के आक्रमण की एक तस्वीर रख कर, इस सदन को, विरोधी दल को, यह निर्णय करना था कि वे सदन के समक्ष किस प्रकार का प्रस्ताव लाना चाहते हैं । जब चीन ने हम पर आक्रमण किया, तो हमारे पास जो भी साधन थे, उनके द्वारा हम ने उसका मुकाबला किया । तब एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई । अभी हमारे शहीदों का खून भी नहीं सूखा था और उन शहीदों की माताओं के आंसू भी न सूखे थे कि इस प्रकार का प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया गया और हमें यह मौका दिया गया कि हम प्रतिशोध की भावना लेते और अपनी एक एक इंच धरती को वापस लेने का जो संकल्प हमने किया था, उस को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त करते ।

जो परिस्थिति आक्रमण के बाद उत्पन्न हुई, उसमें सारा राष्ट्र एक व्यक्ति के रुप में खड़ा हो गया । हम ने सोचा कि इस ऐतिहासिक परिस्थिति में कम से कम एक बात हुई कि सारा देश एक सूत्र में आबद्ध हो गया । इस सदन के पवित्र कक्ष में अविश्वास-प्रस्ताव पर विरोधी दलों की परस्पर-विरोधी नीतियों, दलीलों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों पर दिये गये तर्कों से यह सिद्ध हो गया कि वह दलीलें कितनी थोथी हैं और दृष्टिकोण कितने संकीर्ण हैं ।

आचार्य कृपलानी के द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव अविश्वास का प्रस्ताव नहीं, बल्कि उनके थके हुए जीवन की नैराश्य पूर्ण झलक मात्र है । उसीसे यह सिद्ध होता है कि उन्होने अपने भानमती के कुनेब को एक ऐसे कच्चे धागे से बांध कर सदन के सामन उपस्थित किया, जिस के ७३ टुकड़े होते देर नहीं लगी । यह कैसा अविश्वास का प्रस्ताव है कि जब विरोधियों के आक्रमण का उत्तर प्रचंड प्रत्याक्रमण से दिया गया, तब कुछ विरोधी तो अपनी सीटों पर धराशायी हो गए और कुछ आनन्द से विभोर हो कर समर्थन में तालियां पीटत देखे गये ।

देश के सोलह वर्ष के संसदीय जीवन में यह एक पहली ऐतिहासिक घटना है कि अनेक दिशाओं में चलने वाले विरोधी दल एक अनहोली एलायंस के साथ दो शब्दों के अविश्वास का प्रस्ताव लाये, जब कि सत्य यह है कि उन दलों में परस्पर विश्वास की भावना उतनी ही दूर है, जितना हिमालय से रामेश्वरम् है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

संसार के किसी अन्य राष्ट्र के संसदीय जीवन में ऐसी घटना का इतिहास कम मिलता है कि विरोधी दलों की क्षीर्ण और दुर्बल शक्ति होते हुए भी व एसा प्रस्ताव लायें हों और इस प्रकार बेमौके शहनाई बजाई हो ।

पंडित जी के नेतृत्व में शासन हमारे साथ में आया । वह हमारे या हमारी पार्टी के ही नहीं, वरन् सारे राष्ट्र के नेता हैं । प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय जीवन के पन्ने खुले हुए हैं, स्पष्ट हैं । इबारत साफ है ।

ये विरोधी उन को किस भावना और किस विवेक से पढ़ते हैं, यह उन्हीं पर निर्भर है। विरोधी दल यह समझ लें कि कांग्रेस दल उनकी कृपा या मेहरबानी से सत्ता रूढ़ नहीं है। हमारा सीधा सम्बन्ध हमारे देश के करोड़ो मतदाताओं से है। जब तक उनकी आज्ञा है, तब तक हम गौरव के साथ सेवा के रूप में देश का नेतृत्व करेंगे।

हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया और हम शांति से क्रांति की ओर बढ़े। हम शांति भी चाहते हैं और अवसर होगा, तो क्रांति भी। चीन के आक्रमण ने देश को झकझोर दिया। हमें यहां यह समझ लेना चाहिये कि हमारी राष्ट्रीय भावना अहंकारी और विस्तारवादी नहीं थी। इतिहास के पन्ने ही क्यों, घटनाओं से सिद्ध है कि विस्तारवादी तानाशाही राष्ट्र अन्त में राख के ढेर हो गये। यह भी सत्य है कि विस्तारवादी आवेश ने राष्ट्रों को खोद खोद कर बहाया ही है, जोड़ जोड़ कर बनाया नहीं है। यह उन तानाशाही राष्ट्रों का इतिहास है, जो कि युद्ध में लिप्त हुए।

विरोधी हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम अपनी उत्तरी पर्वतमालाओं की सीमाओं की रक्षा में सफल नहीं हुए। यह बात सत्य होते हुए भी जिस तरह कही जाती है, सत्य नहीं है। हमें भूलना नहीं चाहिये कि उत्तरी सीमायें पूरे कान्टिनट की सीमाओं के बराबर हैं। पहाड़ियों पर युद्ध करना हमारे लिए एक समस्या बन गई थी। यह सत्य है कि आक्रमण के बाद कुछ रिवर्सिज हुए, लेकिन तुरन्त ही उसके बाद रक्षा की तैयारी हुई। शुभचिंतक राष्ट्रों से हमें सहायता मिली और हमने उस को स्वीकार किया। हवाई अभ्यास का एरेंजमेंट हुआ और रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा। हमारी सरकार कृत-संकल्प है कि हम अपनी सीमाओं की प्राणपण से रक्षा करेंगे।

आक्रमण के बाद जो भारतीय एकरूपता के दर्शन हुए थे, जवानों और वीरों पर देश जो कुर्बान होने को तैयार हो गया था विरोधियों ने दो महीने बाद आलोचना, प्रहार और झूठे प्रचार से उस एकता के टुकड़े टुकड़े करने में संकोच नहीं किया। नेफा इन्कावयरी, जूतों और सामान की कमी और थ्री नाट थ्री की चर्चा कर विरोधी मैम्बर मिलिटरी एक्सपर्ट हो गए। साम्यवादियों ने हमारे दल में राइट और लैफ्ट की बात शुरू की, जब कि उन का लैफ्ट विंग चीन के साथ है। जनसंघ तो इस देश का ज्योतिषी बन गया। आर०एस०एस० के स्वयंसेवकों ने गांव गांव जा कर यह कहने की धृष्ठता की कि उनके गुरु जी ने तो पहले ही पंडित जी से कहा था कि चीन आक्रमण करेगा। पी० एस० पी० इस संक्रामक काल में, जब एमरजेंसी थी देश की रक्षा व्यस्था मजबूत करने के स्थान पर सिराजुद्दीन के मामले को महत्व दे रही थी जब कि स्वतन्त्र पार्टी के लोग हमको एक कैम्प में धकेल कर युद्ध की विभीषिका में झोंक देना चाहते थे। इन संकीर्ण कपटपूर्ण विचार और प्रचार ने हमारे वीर जवानों का बड़ा अपमान किया। विरोधी दलों के इस फतवे से कि सीमा युद्ध में हम हार गए हैं, उस मां पर क्या बीती होगी जिसका जवान बेटा शहीद हो गया, मातृ भूमि की खातिर कुर्बान हो गया। कुछ रिवर्सिस अगर युद्ध में होती हैं तो उस को युद्ध का अन्त नहीं माना जाता है। फिर हमारे जवानों के प्रति हार का फतवा उन्हें गहरी और गम्भीर चोट पहुंचाता है। ऐसी बात करके जो शहीद हुए हैं, उन की आत्मा को हम शान्ति नहीं पहुंचा रहे हैं। विरोधी दल समझ लें कि अंग्रेजों से लड़ने वाला कांग्रेस दल चीनियों से से भी लड़ सकता है, एक एक इंच अपनी भूमि उनके कब्जे से वापिस ले सकता है। वह रक्षा प्रसाधनों को गठित करेगा।

श्रीमन् संसदीय प्रणाली के हम और आप सब, विरोधी दल वाले भी, हिस्सेदार हैं। जो निर्णय संसद् में होते हैं, उनको मानना सबका ध होना चाहिये। लेकिन यह कैसी विडम्बना है कि जिस

रक्षा के नाम पर हमने बजट उपस्थित किया, उसमें टैक्स लगाने की बात कही और टैक्स लगाये और उन पर हमारे भाइयों ने वोट दिया, लेकिन ठीक संसद् के बाहर जाने के बाद उन्हों ने विद्रोह की भावना बगावत की भावना फैलाई लोगों के जज़बात को भड़काने वाली बातें कहीं।

मैं ने अभी माननीय लोहिया जी का जो भाषण हुआ है, उसको सुना है। संसदीय प्रणाली के अनुसार जब उन्होंने हमारे प्रधान मंत्री जी पर और हमारी सरकार पर आक्रमण किया है, तो शिष्टता का यह तकाजा था कि वह दूसरे माननीय सदस्य जो भाषण करते हैं, उनको भी सुनें। उनको चाहिये था कि वह यह भी सुनते कि दूसरे माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं। जिस प्रकार की डेमागागी का उन्होंने परिचय दिया, ठीक उसी प्रकार का उन्होंने फरूखाबाद के चनाव में दिया था। उस वक्त उन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं जिस प्रकार की जर्मन राष्ट्र में युद्ध के पहले युद्ध का वातावरण तैयार करने के लिये कही जाती रही हैं। एक उनके गोवल्स थे। उनका यह स्लोगन था कि जहां तक हो सके। वहां तक जनता में झूठ बोलो, रोज झूठ बोलो, जोर से बोलो। उनका यह निष्कर्ष था कि एक बात जब परवर्टिड वे में तथा कैलकुलेटिड ढ़ंग से झूठ बोल कर, रोज बोल कर, जोर से बोल कर कही जायेगी तो उसका असर अवश्य जनता पर पड़ेगा। प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में उन्होंने साफ साफ नहीं कहा। उन्होंने कह दिया कि प्रधान मंत्री जी की कोठी पर तीन रुपये कुत्ते पर रोज खर्च होते हैं। एक पुस्तिका भी उन्होंने निकाली है जिसमें कहा गया है कि पच्चीस हजार रुपया रोज प्रधान मंत्री पर खर्च होता है। इसका उन्होंने उल्लेख भी किया है। इस पुस्तिका को मैं ने पढ़ा है। इसमें एक जगह तो लिखा हुआ है कि दस हजार रुपया खर्च होता है, एक जगह लिखा हुआ है कि पन्द्रह हजार रुपये खर्च होता है, और एक अन्य जगह पर लिखा हुआ है कि पच्चीस हजार रुपया खर्च होता है और चौथी जगह पर लिख दिया है कि चालीस हजार खर्च होता है। इतना ही नहीं, यह सरकार कैसी है, इसकी ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति भवन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है कि वहां पर डी० सी० करेंट को ए० सी० करेंट में बदलने पर ४१ लाख ३९ हजार २०० रुपया खर्च हुआ है। इस पुस्तिका को जन साधारण के सामने प्रकाशित करवा कर रखा गया है और इसमें ये सब आंकड़े दिये हुए हैं। आखिर में वह कहते हैं, भाई देखो, केवल तीन आने तुम्हारी आमदनी है, सिर्फ छः एकड़ धरती तुम्हारे पास है। तुमको इन लोगों ने अकिंचन और गरीब बना कर रख दिया है। हमें भेज दो। राष्ट्रपतिजी इस करेंट के बदलने पर देखो कितना खर्च कर दिया गया है। बाद में जब मैंने पता लगाया तो पता चला कि यह खर्च ४१ लाख नहीं था, ४ लाख ३९ हजार २ सौ था और इतना ही अनुदान यहां से स्वीकृत कराया गया था। वह आदमी जी सदन का सदस्य नहीं होता है और उसको इस प्रकार की एन्क्वायरी करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, वह तो अपने मन में इस प्रकार की भावना पैदा होने दे सकता है कि राष्ट्रपति जी पर इतना खर्च हुआ है, लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है।

राष्ट्रपति जी के घर की कल्पना की गई है, उन के घर के अन्तर्गत प्रधान मंत्री जी का भी घर आता है। किशन पटनायक जी से प्रधान मंत्री जी का पत्र व्यवहार हुआ है। प्रधान मंत्री जी ने अपने पत्र में उन्हें लिखा है कि उनके रहने सहने का जो इंतजाम है, वह इंतजाम एक होटल जैसा है। हमारी पुत्री और हमारे दो नाती उसमें रहते हैं और उनका जो सारा खर्चा है, वह हम बरदाश्त करते हैं। लेकिन फिर भी प्रधान मंत्री जी के उस उत्तर के बाद उन को सन्तोष नहीं हुआ और वे वितण्डावाद में पड़े रहे।

संसदीय प्रजातन्त्र का यह एक नियम है कि जब कोई शंका हमारे मन में पैदा हो और उसका क्लेरिफिकेशन हम सीक करें और उस की सफाई दी जाय तो जो प्रधान मंत्री कहें, उस को हम मान लें। इसके बाद भी इसरार करना, विद्रोह करना और यह कहना कि प्रधान मंत्री झूठ बोलते हैं और यह कहना कि प्रधान मंत्री स्पष्ट बात नहीं कहते हैं, बड़ी ही गलत बात है। यह प्रधान मंत्री जी की बात को झूठी बात कहते हैं और जब इस तरह से कहा जाता है तो यह प्रोपैगन्डा को बात हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन की बात हो जाती है। इस तरह को बातें उनकी तानाशाही मनोवृत्ति की प्रतीक हैं, यह मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी का कहना क्या है, इसको आप देखें। उन की बात पर विश्वास किया जाना चाहिये था।

मैं कहना चाहता हूं कि लोहिया जी का सारा पोलिटिकल कैलकुलेशन यह है कि लोगों को भड़काया जाए, उन को झूठ बोल कर सरकार के और कांग्रेस के खिलाफ किया जाय। कुछ लोग कहते हैं कि उनका तरीका यह है कि जनता को असली बात बताई जाय। अच्छा होता अगर यह बात ठीक होती लेकिन एक कैलकुलेटिड वे में, एक गुणा बाकी करके हमारे इस राष्ट्र के एक अत्यन्त आदरणीय व्यक्ति के बारे में जिस प्रकार का यह भ्रमात्मक प्रचार करते हैं, जिस प्रकार का एक हास्यास्पद प्रहार करते हैं, झूठा प्रचार करते हैं, उसको बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

एक बात स्पष्ट है। पंडित जी ने पत्र के उत्तर में कहा है कि मेरी गाड़ी के आगे एक आदमी चलता चलता है जो कि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है, उससे सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी की जान की रक्षा के लिय हम को २५ हजार नहीं २ लाख २५ हजार या २ लाख ५० हजार भी खर्च करना पड़े तो वह भी हम करेंगे। इतिहास को हम भले नहीं हैं। जरा सी गफलत से जरा सी भूल के कारण और सम्भव है कि कुछ खर्चे की बात भी रहीं हो, हम ने बापू को खो दिया और इस तरह के कुछ लोग बैठ हुए हैं जिन का दामन आज भी उनके खून से रंगा हुआ है। स्पष्ट बात वे नहीं कह सकते हैं क्योंकि दबी हुई हैं उन की भावनायें। बापू की याद आते हम भारतीय संस्कृति की गर्दन नीची हो जाती है। सुरक्षा प्रशासन की गर्दन झुक जाती है। आज तक उसका कोई एक्सप्लेनशन नहीं हो सका है कि क्यों हम बापू को बचा नहीं सके।

यह भी कहा जाता है कि लाखों की दरियां हैं। लेकिन जब उन्होंने कह दिया है कि हम होटल के समान रहते हैं और बात साफ हो जानी चाहिये। मैं आपके द्वारा सदन में यह कह देना चाहता हूं कि वह झठ बात कहते हैं प्रगल्भ सत्य बात कहते हैं और असत्य ही नहीं बल्कि द्वेष के कारण एसी बातें कहते हैं और द्वेष भी कैसा, व्यक्तिगत। इसका उत्तर दिया जाना चाहिये। राष्ट्र को पता चलना चाहिये कि इस प्रकार की प्रगल्भ झूठी बातें वर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं।

चीन के सम्बन्ध में डा० लोहिया ने कहा कि इस बात को हम से छिपाय रखा गया और सब बातें नहीं बताई गयीं। मैं कहना चहता हूं कि एक एक नहीं नौ नौ श्वेतपत्र इस हाउस की टैबल पर रखे गये हैं पूरा पूरा जितना पत्र-व्यवहार चीन के साथ हुआ है, उसको सदन के सम्मुख रखा गया है, जितनी भी डिप्लोमैटिक नैगोशियशंज हुई हैं, जितना भी आना जाना रहा है, वह सब का सब सदन को बताया गया है। जो हमारो रिवर्सिस हुई है, उस को भी हम ने नहीं छिपाया है। कोई भी बात हमने छिपाई नहीं है। प्रजातन्त्र की उद्दात प्रणाली को हमने स्वीकार किया है और उस पर हम चले हैं। कभी कोई बात छिपाई नहीं है। इतना होने पर भी आरोप लगाया जाता है कि बातें कोई हम ने छिपाई हैं। जो बात जिस तरीके से वह उस की कल्पना करते हैं, जो बात सत्य नहीं है, उस तरह से उन के विचारों के अनुरूप हम उस को कैसे प्रकट कर सकते हैं, किस तरह से कागजों को फब्रिकेट कर के हम

उनको कोई बात बता सकते हैं। अगर आप यह चाहते हैं कि इस तरीके से जिस तरह से आप चाहते हैं, कोई बात आप के समने रखें तो यह कैसे हो सकता है। जिस तरह का आप का इंटरप्रटेशन है, जिस तरह से आप की कल्पना शक्ति और इमिजिनशन है उस से तो देश में बगावत ही पैदा हो सकती है और इस को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है।

चारों तरफ हम ने तरक्की की है। हमारे विरोधी दलों के सदस्य कहते हैं कि हम ने कोई तरक्की नहीं की है और सरकार को चले जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि आप की मेहरबानी से हम यहां बैठे हुए नहीं हैं करोड़ों मतदाताओं ने हम को यहां बिठाया है, आप में से किसी की मेहरबानी हम पर नहीं हुई है। अपने अधिकार से बैठ हैं और बैठे रहेंगे। मैं दावके साथ कह सकता हूं कि अगर इलैक्शन हों जो नहीं होने चाहिये, तो भी मैं प्राफैसी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये ७३ जो कच्चे धागे में बंधे हुए हैं ये अगले आम चुनाव में ७३ भी नहीं आ सकते हैं। देश पागल नहीं है, देश जागृत है, उस को ज्ञान है, और वह समझता है कि इस प्रोपैगनडा को, और वह जानता है कि यह झूठा प्रगल्भ वातावरण बनाया जा रहा है और इस डैमागोगी को वह जानता है और आप फ्रस्ट्रिटिड हैं, इस को भी वह जानता है। आप क्या चाहते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप चाहते हैं, पद, प्रतिष्ठा, राज्य। आप चाहते हैं सत्ता को। लेकिन सत्ता, प्रतिष्ठा, पद आदि पाने का यह रास्ता नहीं है। उसका रास्ता यह है कि जनता के साथ ईमानदारी का व्यवहार किया जाए।

जो हमारी पंचवर्षीय योजना के आंकड़ हैं, स्पष्ट और साफ होने चाहियें। एक आईना हम को सामने रखना चाहिय जिस में कोई दरार नहीं। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिये जिस में द्वन्द्व न हो, ईर्ष्या न हो और इस प्रकार राष्ट्र को हम महत्व दें कि राष्ट्र के निर्माण में जनता भी हमारा साथ दे।

बात करते करते हमारे लोहिया जी ने यह भी कहा कि प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि खेती गमलों में हो और छतों पर हो। गमले से मतलब एक छोटा गमल भी हो सकता है और काफी बड़ा भी और अगर गमले में बेल लगा दी जाय तो उसमें कुछ वैजीटबिल भी पैदा हो सकती है। अगर गम्भीरता के साथ प्रधानमंत्री जी की बात को लिया जाय तो छत का मतलब जमीन से भी हो सकता और यह उस का बौद्धिक इन्टरप्रैटेशन होगा। जमीन में खती का मतलब उन्हों ने छत लगा लिया और अच्छी खती का मतलब उन्हों ने गमला लगा लिया। यह कटुता ही हो सकती है और कुछ नहीं।

श्री विभूति मिश्र : गमले में पेड़ रोपा जाता है, भाई।

श्री राम सहाय पांडेय : उन्हों ने कहा कि हमारे यहां दो प्रकार के मंत्री हैं। कुछ रूस से लाये गये और कुछ अमरीका से लगाये गये। मुझ याद आया, हमारी नानअलाइनमेंट की पालिसी में जो प्रोफाउंडिटी है, प्रसाइजनेस है, जो उस का प्रभाव है, वह इसी बात से सिद्ध हो जाता है कि संसार के दो बड़े राष्ट्र हैं, एक अमरीका और एक रूस। आइडियालोजिकली वे एक दूसरे को देख नहीं सकते, बड़ा अन्तर है, दोनों में, एक टोटैलिटरियन है, एक प्रजातांत्रिक है लेकिन हमारा सम्बन्ध दोनों से है और हमारे मंत्रियों की नीति है कि हम सब के साथ सहयोग करेंगे। अगर मिग वहां से आयेगा तो लेंगे, अगर एअर ट्रनिंग का एग्रिमेंट होता है तो वहां से लायेंगे। मैं समझता हूं कि नान-

†मूल अंग्रजी में

अलाइनमेंट पालिसी की जो प्रोफाउंडिटी है, जो प्रेसाइजनेस है, जो उस की मौलिकता है, वह इसी से सिद्ध हो जाती है। जैसा लोहिया जी ने कहा उन की भावना है कि सब एक हैं, उसी तरह से हमारी सरकार की नीति संसार के सामने वसुधैव कुटम्बकम् की है और रहेगी।

हम पर जब आक्रमण हुआ तो हम ने सहायता मांगी। उस के साथ ही तमाम प्रजातांत्रिक राष्ट्रों ने हमारे लिए कहा कि वे बगैर किसी शर्त के हमारी सहायता करने के लिये तैयार हैं। और वह स्पाटेनिअस हेल्प थी। हम ने उसे स्वीकार किया। अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध क्षेत्र आप देखिए। जब ऐसा संक्रामक काल होता है, युद्ध के बादल मंडराते हैं तब पहले संधियां होती हैं। मगर हम ने संधि नहीं की। हम ने कोई कंडिशन नहीं रक्खी। हम ने अपना दामन साफ़ रक्खा और कहा कि डिमोक्रेटिक क्षेत्र से सहायता आती है तो स्वागत है, रूस से आती है तो स्वागत है, अमरीका से आती है तो स्वागत है, आये। जो भी हमारे साधन हैं हम उन से अपनी रक्षा करेंगे। इस के पीछ जो बैकग्राउंड है और चीन की जो अहंकारी नीति है उस का हम जवाब देंगे और डट कर देंगे। इसलिये आज देश हमारे साथ है, नेहरू जी के साथ है, सरकार जो उन के नेतृत्व में चलती है उस के साथ है। हमें किसी से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ आप रहें या न रहें लेकिन एक संसदीय प्रणाली की जो उदात्त भावना है वह यह है कि जो भी हम निर्णय करते हैं उस के हिस्सेदार सब होंगे। हम ने यहां पर टैक्सेज़ की बात पास की, हम ने बजट पास किया। यह संसदीय प्रणाली संसार के किसी डिमोक्रटिक कंट्री में नहीं होती कि जो भी सदन पास करता है उस का बाद में विरोध किया जाय। चाहे सदन में उस पर वोट हो या न हो, लेकिन वह एक मैन्डट बन जाता है। लेकिन हमारे विरोधी दल के भाई यहां पर वोट भी करते हैं और यहां से बाहर जा कर विद्रोह करते हैं गोल्ड पालिसी के खिलाफ, भाव बढ़ गये हैं, उस के खिलाफ। अनाज कम है, शकर कम है। लेकिन इस युद्ध की सब से बड़ी पुकार जो थी वह यह थी कि विरोधी दल के लोग, विरोधी दल का एक व्यक्ति उठ कर कहता है कि इस वक्त क्यूबा की शकर चूंकि कम है इसलिए आवश्यकता यह है कि हम शकर खाना बन्द कर दें या कम कर दें, फारेन एक्सचेंज की एक्यूट शार्टेज है, उसे हम प्राप्त करें। लेकिन एक भी राष्ट्र भक्त सामने नहीं आया जो यह कहता कि आज शकर की क्यू लगी हुई है, अनाज के भाव बढ़ रहे हैं, चावल की कमी है तो उस का सामना किया जाय। मैं कहता हूं, जैसाकि श्री पाटिल ने कहा, यहां चावल की कमी है, लेकिन क्या चावल का काम गहूं के द्वारा नहीं चल सकता? आज लोगों की हैबिट पड़ गई है, वे हैबिचुअल हो गये हैं यह कहने कि हम चावल खायेंगे, चावल खायेंगे। चावल खाना ठीक है, लेकिन आज अगर चावल की कमी है तो एक रोटी और खा लीजिये। हमारे पास बफर स्टाक है, आप चाहे जितना गहूं ले लीजिये। लेकिन चावल के नाम पर विद्रोह करना, यह कहना कि भाव बढ़ गये हैं, यह ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि देश को अपनी हैबिट बदलनी पड़ेगी, अपनी नीति बदलनी पड़ेगी। हिन्दुस्तान आज जिस चौराहे पर खड़ा है वह दिशा बतलाता है कि स्थिति कैसे हो गई है, वह आह्वान करता है कि चावल का त्याग किया जाये, चावल के स्थान पर गेहूं खाया जाय। यह आलोचना की बात नहीं है, इस प्रकार की स्थिति आज बदलनी चाहिये। चावल के स्थान पर रोटी का उपयोग होना चाहिये। मैं समझता हूं कि भाव बढ़ने की जो स्थिति है वह सदा नहीं रहेगी और इस प्रकार की समस्याओं का, जोकि हमारी सामाजिक समस्यायें हैं, अपने आप निर्णय हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : अगर गेहूं खत्म हो गया तो क्या कीजियेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : गेहूं है हमारे पास।

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

अब मैं भाषा के समय के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे श्री किशन पटनायक ने कहा कि नेहरू की गर्दन पकड़ कर निकाल दिया जाये। पटनायक ने तो कहा ही, इस पुस्तिका में भी इसी प्रकार की बात कही गई कि गर्दन पकड़ कर निकाल दिया जाये। हिन्दुस्तान की लोक सभा के लिए उन्होंने कहा, लोक सभा तो मालिक है। प्रधान मंत्री जी के लिए क्या कहा गया, वह मेरे मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन लोक सभा के लिए उन्होंने क्या कहा है। उन्हों ने कहा जो कुछ उसे मैं कोट करना चाहता हूं जो कि पेज ८९ पर है और उस के बाद मैं बैठ जाऊंगा। आप लोक सभा के उपाध्यक्ष हैं . . . .

श्री स० (बु०) बनर्जी : कौन सी किताब है ?

श्री राम सहाय पांडेय : लोहिया जी की। वह कहते हैं :

"सौ वर्षों में ऐसी लोक सभायें हिन्दुस्तान में औद्योगीकरण और समाजीकरण तथा न्यायपूर्ण वितरण को नहीं ला सकेंगी। वह स्थिति आ जानी ही चाहिए।"

यह फासिस्ट मन्टैलिटी बतलाती है। लोक सभायें न कह कर अगर कांग्रेस कहते कि कांग्रेस दल १०० वर्षों में समाजीकरण नहीं कर सकता, औद्योगीकरण नहीं कर सकता तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन लोक सभा जो सावरेन बाडी है, डिमोक्रेटिक बाडी है, उस के लिये ऐसा कहना कहां तक उचित है ? कांग्रेस आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन १०० वर्षों के बाद की प्रोफेसी करना, ज्योतिष से काम लेना, यह लोक सभा की मर्यादा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात है। जो लोक सभा हमारी मालिक है उस की यह धृष्टतापूर्ण व्याख्या सुन कर हमारी गर्दन शर्म से झुक जाती है। उन्होंने आरोप लगाया और पंडित जी की लफ्फाजी की बात कही। उन के एक एक चैप्टर की बात को अगर मैं आप के सम्मुख उपस्थित करूं तो इस प्रकार की गन्दी भाषा, इस प्रकार की असंस्कारिक भाषा, इस में लिखी हुई है कि उस को पढ़ने में भी लज्जा आती है।

आप ने मुझे समय दिया इस के लिये मैं आप का अनुग्रहीत हूं और यह चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव आया है उसे न केवल हम अस्वीकार करेंगे बल्कि करोड़ों आदमी जो इस सदन के बाहर हैं वे भी रिजेक्ट कर देंगे, आउटराइट रिजेक्ट करेंगे, अस्वीकृत कर देंगे।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दो दिन से उस अविश्वास प्रस्ताव पर हो रहे वाद-विवाद को ध्यान से सुन रहा हूं और मुझे यह सब बातें सुन कर बहुत खेद हुआ है क्योंकि यह प्रस्ताव एक अनुपयुक्त समय पर लाया गया है। एक वह दिन था जब यहां एक-मत हो कर सभी ने चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए सरकार का समर्थन किया था परन्तु आज उसी चीन की प्रशंसा हो रही है। चीन एक ऐसा देश है जिस के बारे में तथ्यों का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। कोई नहीं जानता कि उन का विभिन्न वस्तुओं में उत्पादन कितना है, परन्तु आज एक विरोधी पक्ष के सदस्य खड़े हो कर चीन में उत्पादन के आंकड़ दे रहे हैं और वहां की स्थिति को अपने देश की तुलना में अच्छी बता रहे हैं। मेरा मस्तक शर्म से झुक जाता है जब मैं ऐसी बातें यहां सुनता हूं ? भारत एक खुली हुई किताब है। कोई भी यहां आ सकता है, यहां सरकार की कार्यवाहियों और देश की सामान्य स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जबकि चीन के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठिम है। फिर भी यहां सदस्य द्वारा चीन सम्बन्धी आकड़े दे कर भारत से उस की तुलना की गई।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री काशीराम गुप्त** (अलवर) : आप ने सहकारी खेती दल चीन क्यों भेजा था ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह दल तो कई वर्ष पूर्व भेजा गया था। परन्तु आप शायद नहीं जानते कि आंकड़े निरन्तर बदलते रहते हैं।

विरोधी दल के सदस्यों के भाषणों को यदि देखा जाये तो पता चलेगा कि वे एक दूसरे को काटती हैं और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता।

हमें निर्वाचनों के बारे में कहा गया है। हम तीन चुनाव देख चुके हैं और हम ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। विरोधी दल के नेता आम तौर पर हारते हैं।

हम पूरे जोर से चुनाव लड़ेंगे। केन्द्र में और राज्यों में कांग्रेस ही सत्तारूढ़ होगी। विरोधी दल के नेताओं के शक्ति प्राप्त करने के बारे में स्वप्न निष्फल रहेंगे।

विरोधी दल के आक्षेपों को हम भली भांति जानते हैं। उन बातों को बार बार कहने का क्या लाभ है।

विरोधी दल के नेताओं के भाषणों से हमारे शत्रु देश पाकिस्तान और चीन लाभ उठायेंगे। वे इन भाषणों को पढ़ कर बहुत प्रसन्न होंगे और इन का प्रचार करेंगे। इस प्रकार से हम भारत का जो सम्मान विदेशों में है उसे नष्ट कर देंगे। भारत लोकतंत्र की सफलता का प्रतीक माना जाता है। जो देश भी लोक तंत्र है इस का अभिमान करता है। अतः हमें अपने सम्मान का नाश नहीं करना चाहिए।

बाहर के लोग भारत में जो लोकतंत्र का तजरुबा हो रहा है उसे काफी ध्यान से और आदर से देखते हैं। तो हमें भारत के आदर का नाश नहीं करना चाहिए।

तटस्थता की नीति सैनिक गठजोड़ों के सम्बन्ध में है।

हमारी आर्थिक नीति बहुत सफल रही है, तभी इतने देश हमारी सहायता कर रहे हैं।

इस्पात संयंत्रों के विषय में कहा गया है कि उन से लाभ नहीं होता। वे तो अभी बच्चे की तरह हैं। जब पूरी तरह से चल पड़ेंगे तो उन से भी काफी लाभ होगा।

हमारे देश में भूमिहीन मजदूरों की हालत पहले से काफी अच्छी है। उन के पास भूमि है। कोई नहीं कह सकता कि भूमिहीन किसान के साथ देश में अच्छा बर्ताव नहीं होता।

किसी ने नहीं कहा कि देश में उदासीनता की भावना है। लोग इसलिए नाखुश हैं कि वे कांग्रेस से प्यार करते हैं और यह जानते हैं कि यह जनता की पार्टी है।

इस अविश्वास प्रस्ताव को पूर्ण रूप से अस्वीकृत किया जाना चाहिए।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस अविश्वास-प्रस्ताव के ख़िलाफ़ बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, उस को इस सदन में पेश करने के लिए जिस सज्जन को शिकार बनाया गया है, अर्थात् कृपालानी जी, उन्होंने गांधी जी के कदमों में बैठ कर बहुत दिनों तक उन से सबक लिया। मैं समझता हूं कि उन के लिए भी यह एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात इसलिए है कि तमाम विरोधी पार्टियों ने, जिन के न सिद्धांतों में एका है और न काम और वचन में, . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

एक माननीय सदस्य : आप लोगों में है ?

श्री अ० प्र० शर्मा : आप से ज्यादा है ।

. . . उन सब ने मिल कर इस काम के लिए दादा को अपना नेता चुना ।

श्री कृपालानी (अमरोहा) : आपने निकाल दिया, इस लिए उन्होंने चुना ।

श्री अ० प्र० शर्मा : दादा को यह अच्छा काम मिला है, क्योंकि महाभारत में भी एक शिखंडी का उपयोग किया गया था ।

इस प्रस्ताव के लिए दादा कृपालानी जी, मसानी साहब और लोहिया जी, इन विचित्र त्रि-मूर्तियों का मिलन हुआ है । कृपालानी जी सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी अल्पदृष्टि के लिए मशहूर हैं । आज यहां और कल वहां, इस तरह की बातें करते हैं । मसानी साहब की बात तो कहने लायक ही नहीं है, क्योंकि कल तक तो वह देश में समाजवाद स्थापित करना चाहते थे और आज वह देश में पूंजीपतियों का समर्थन कर रहे हैं । जहां तक लोहिया जी का सम्बन्ध है, जो कुछ दुनिया में बना हुआ है, उस सब को वह विध्वंस करना चाहते हैं, यहां तक कि अंग्रेज़ी में लिखे हुए साइन-बोर्डों को भी तोड़ना चाहते हैं । आज उन्होंने बहुत ही नाटकीय भाषण दिया और मैं समझता हूं कि पिछले पंद्रह बरस से उन की जो भूख थी, वह आज पूरी हुई है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब ज्यादा खा लेने से कहीं उन की तबियत ख़राब न हो जाये । अगर उन के सारे भाषण को देखा जाये---मैंने उन की दो चार बातों को नोट किया है---उस भाषण में प्रधान मंत्री पर कीचड़ उछालने, उनकी निन्दा करने और उनकी आलोचना करने के सिवाये कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी, जिस के आधार पर इस सरकार या किसी भी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट किया जा सकता हो ।

वास्तव में विरोधी पार्टियों की तरफ़ से यह प्रस्ताव सरकार के प्रति कोई अविश्वास प्रकट करने के लिए, या अविश्वास पैदा करने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि यह नाटक इसलिए रचा गया है कि जो देश का सब से बड़ा नेता है और जो देश की ज़िम्मेदार सरकार है, उनको लोगों के बीच में बदनाम किया जाये और अपनी पार्टियों और अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया जाये । इस प्रस्ताव के मूवर, दादा, अच्छी तरह से जानते हैं कि कल जब इस प्रस्ताव पर राय ली जायेगी, तो इसका हस्र क्या होने वाला है । यह बात सब लोगों को मालूम है ।

मुझे अफ़सोस तो इस बात का है कि काश, इस अविश्वास-प्रस्ताव को पेश करने से पहले आचार्य कृपालानी ने यह भी देखने की कुछ कोशिश की होती कि पिछले पंद्रह बरसों में इस देश में उन्नति का कोई काम हुआ है या नहीं । मुझे याद है कि आज से तीन चार दिन पहले हमारे क्षेत्र के एक बूढ़े बुजुर्ग कांग्रेसी प्रधान मंत्री को मिलने आये । उन्होंने कहा कि मेरी एक आंख रह गई है और मेरी ख़्वाहिश थी कि मरने से पहले आप को देखूं । प्रधान मंत्री ने उनको कहा कि आप की एक आंख तो है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, जिन की दो आंखें होते हुए भी वे कुछ नहीं देख सकते । लोहिया जी की दो के बदले चार आंखें हैं और कृपालानी जी की भी चार आंखें हैं---वह चश्मा पहनते हैं---लेकिन फिर भी वे देश में पिछले पंद्रह बरसों में हुई उन्नति और काम को नहीं देख सकते, अथवा देखना ही नहीं चाहते । इसीलिए वे यह अविश्वास-प्रस्ताव लाये हैं ।

उन सज्जनों ने जितनी भी बातें कहीं, उनमें सिवाये व्यक्तिगत आक्षेप के कोई भी ऐसी बात नहीं थी, जिस से यह कहा जा सके कि उनके पास कोई कारण है सरकार पर अविश्वास प्रकट करने का ।

मुझे आज मालूम हुआ कि लोहिया जी को ३६, अशोका रोड एलाट हुआ, जो उन्हें पसन्द नहीं है । लेकिन प्रधान मंत्री जी की और उन के ऊपर खर्च की चर्चा करते हैं । कांग्रेस पार्टी की भी चर्चा की जाती है, लेकिन क्या वह बता सकते हैं कि अपनी पार्टी को चलाने के लिए उन लोगों के पास ख़र्चा कहां से आता है । जब ये लोग कलकत्ता जाते हैं, उस समय मजदूरों का क्या काम करते हैं यह बात मैं जानता हूं । आज लोहिया जी चुनाव की बातें करते हैं । मैंने मुगल सराय में चौदह बरस मजदूरों के बीच में काम किया है । वहां पर उनको शिकस्त किसने दी थी ? मजदूरों ने दी थी या किसानों ने दी थी ? किस ने दी थी ? आज वह चुनाव का चैलेंज करते हैं । मैं सदन के सामने उन को चैलेंज करता हूं कि लोहिया जी इस्तीफ़ा दे कर जहां भी खड़े हों, मैं वहां विरोध में खड़ा होने के लिए तैयार हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इस्तीफ़ा दे दो ।

श्री अ० प्र० शर्मा : लोहिया जी से इस्तीफ़ा दिलाओ । मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं ।

आज प्रधान मंत्री जी ने लीडर आफ़ दि हाउस की हैसियत से और उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि सदन में उचित और सभ्य व्यवहार किया जाये और शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाये, लेकिन आज सदन के सामने जिस प्रकार की अशिष्टतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया, चाहे वह पार्लियामेंटरी भाषा रही हो, उस को कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता । विरोधी पार्टियों के दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि चाहे वे जितना भी प्रोत्साहन लोहिया जी को दें, लेकिन लोहिया जी की एक एक बात उन पर भी लागू हो सकती है—स्वतंत्र पार्टी पर भी हो सकती है और कम्यूनिस्ट पार्टी पर भी हो सकती है और दादा की तो कोई बात ही नहीं है ।

मैंने इस सदन के सामने रखने के लिए कोयले के उत्पादन में वृद्धि और इडस्ट्रीज़ की प्रगति आदि के बारे में आंकड़े तैयार किये थे, लेकिन समय कम होने के कारण उनको यहां रखना कठिन है । कल पाटिल साहब ने खाद्य के बारे में सब बातें सदन को बताईं । मेरे जैसा साधारण कार्यकर्त्ता तो इन बातों को देख सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि कृपालानी जी, लोहिया जी और मसानी साहब उनको नहीं देख सकते हैं ।

अब मैं कम्यूनिस्ट पार्टी और उस के उन समर्थकों, फ़ैलो ट्रैवलर्ज़ , के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, लेकिन जिन को आज से कुछ समय पहले हमारे फ़िनांस मिनिस्टर साहब ने फ़ैलो वांडरर कहा था । आज से कुछ दिन पहले इन लोगों ने इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन मंजूर किया और अब दो तीन रोज़ से वे बम्बई की स्ट्राइक को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इस कम्यूनिस्ट पार्टी ने १९४२ में क्या किया ? आज कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम का विरोध किया जा रहा है, प्राइसिज़ और डीयरनैस एलाउंस की बातें कही जा रही हैं, लेकिन १९४२ में जब हिन्दुस्तान गांधी जी के नेतृत्व में एक झंडे के नीचे आज़ादी की आख़िरी लड़ाई लड़ रहा था, उस समय चूंकि ब्रिटेन और रूस के बीच में संधि थी, इसलिए हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्ट साथियों ने मज़दूरों से जबर्दस्ती काम कराया और कारख़ानों में लड़ाई का सामान तैयार करवाया । और इस को जन युद्ध बतलाया । उन्होंने उस समय महंगाई का

[श्री अ० प्र० शर्मा]

सवाल नहीं उठाया, उस समय उन्होंने मजदूरों के खिलाफ क्या ज्यादती हुई इस सवाल को नहीं उठाया । गोपालन सा ़ब ने कहा कि ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं को आज जेल में बन्द किया जाता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता को ट्रेड यूनियन के काम के लिये जेल में नहीं बन्द किया गया है । बन्द किया जाता है जब उस के ऊपर शक होता है कि वह चीन का मददगार है, जब वह देशद्रोह का काम करता है, जब वह ऐन्टी-सोशल काम करता है तब जेल में बन्द किया जाता है । मुझे आश्चर्य मालूम हुआ कि आज से एक दिन प ले सदन के सामने मारे गोपालन साहब ने कहा "वर्कर्स आर वर्किंग मोर ऐंड डिमान्डिंग मोर" । मैं क ना चा ता हूं कि जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, काम करने का सवाल है, इस देश में उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, उस के ि ये वे क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन आज इमर्जेन्सी के समय में ट्रूस रेजोल्यूशन मानने के बाद उन का नारा क्या है ? क ते हैं "आधा दाम और आधा काम, जैसा दाम वैसा काम" । इस प्रकार की बातें करते हैं और लोगों को स्ट्राइक के लिये इन्स्टिगेट करते हैं । एक तरफ मैन डेज लास्ट में कमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ता है तो उस का क्रेडिट लेना चा ते हैं । इस पार्टी ने इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन को मंजूर किया और उसे तोड़ा भी । सब से बड़ा अफसोस तो तब मालूम होता है जब देखते हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी की आड़ में तीन चार आदमियों की जो सोशलिस्ट पार्टी यहां पर है, जिसने मुस्लिम लीग से साठ गांठ किया, जन संघ से साठ गांठ किया वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जोकि आखिरी दम तोड़ रही है, वह भी उस के पीछे लंगड़ाती हुई चलने की कोशिश करती है । इन पार्टियों की हालत आज क्या है ? मैं खास तौर पर मज़दूरों के बीच में काम करता हूं । यह बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन सारे देश में पिछले १५, १६ वर्षों में, या २० वर्षों में कोशिश करने के बाद भी आज मजदूरों के बीच में उन की क्या हालत है ? किसी की सदस्य संख्या १ लाख है, किसी की १½ लाख है, ए० आई० टी० यू० सी० की ३ या ४ लाख के बीच है, लेकिन उस के मुकाबले राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस है, उसके अन्दर लाखों की तादाद में मजदूर हैं । उन की संख्या १९–२० लाख तक पहुंच चुकी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वह बोगस होंगे ।

श्री अ० प्र० शर्मा : जो बोगस होते हैं वे दूसरों को भी बोगस समझते हैं क्योंकि उनकी कोई हैसियत नहीं है । ये न तो सोशलिस्ट पार्टी में हैं न कम्यूनिस्ट पार्टी में हैं और न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में हैं । ये तो अपार्चुनिस्ट पार्टी में हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस समय में जो उनकी संख्या आज देश के अन्दर कम है वह क्यों है । लोगों को बहका कर, छोटी मोटी बातों के लिये जरूर वे तैयार कर सकते हैं वह भी किसी किसी जगह में, लेकिन सब जगह पर वे ऐसा नहीं कर सकते । आज से दो दिन पहले इस सदन में बनर्जी साहब ने कहा था कि सारे देश में स्ट्राइक फैल जायेगा । क्या वे १९६० की बात भूल गये ? सारे देश में उन्होंने सैकड़ों मजदूरों को गुमराह करके स्ट्राइक करवाया और आज वे भूखे मर र हैं । इसका दोष किसके ऊपर जायेगा ? कल श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि जो लोग लड़ाई में मारे गये उनकी माताओं को कौन जवाब देगा ? मैं पूछूंगा उन बामपन्थियों से जिन्होंने सन् १९६० में मजदूरों को गुमराह करके हड़ताल करवया । सैंकड़ों लोग आज नौकरी से बाहर बैठे हुए हैं । उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? गुमराह करवाने वालों के ऊपर है **(अन्तर्बाधायें)** आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आज इस प्रकार की प्रवृति जो देश में फैल रही है वह इसलिये कि वे कांग्रेस पार्टी

†मूल अंग्रेजी में

को कमजोर करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। आपकी जब कोई गणना नहीं है देश में तो फिर क्यों चिल्लाते हैं।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए।]

लोहिया साहब का क्या उद्देश्य है यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन्होंने फर्रुखाबाद एलेक्शन में कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बदले अगर देश में अराजकता भी फैल जाये तो वह ज्यादा अच्छी है। वे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लोहिया साहबदेश में अराजकता क्यों फैलाना चाहते हैं यह मैं आपसे बतला रहा था। जहां तक उनके आपस के विचारों का सवाल है हमेशा वे आपस में टकराते रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां पर आकर एक साजिश की ताकि यहां पर एक तमाशा खड़ा करे। उस साजिश के पीछे एक ही बात थी कि दो तीन दिनों से ल लोगों को पढ़ा लिखा कर, समझा बुझा कर यहां पर यह प्रस्ताव लाये। (**अन्तर्बाधाएं**) जिसमें देश के सामने और लोगों के सामने कांग्रेस के प्रति एक अश्रद्धा फैल जाये और कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति अश्रद्धा फैल जाये। इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे और कोई बात नहीं है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि लोहिया जी ने जो कुछ अपने भाषण में कहा उसमें वे व्यक्तिगत बातों के सिवाय और क्या है। उन्होंने प्रधान मंत्री के लिये कहा कि वे व्यक्तिगत बातों में बहुत अधिक उलझ जाते हैं। मैं इस सदन के सामने पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर कोई ईमानदार व्यक्ति ऐसा है जो इन्कार कर सके कि लोहिया जी ने व्यक्तिगत बातों के सिवाय और कोई भी बात कही ? तो उनका उद्देश्य सिर्फ यह था। मुझे याद है पटना के एक होटल में बैठ कर उनके एक नेता जो बम्बई में हड़ताल कराते हैं और सुलह की बात भी करते हैं। वहां पर मैं भी बैठा था, वे शायद मुझे पहचानते नहीं थे। लोहिया साहब भी पहचानते नहीं हैं कि हमारे ही लोगों ने लोहिया साहब को हराया था चन्दोली में।

श्री राम सेवक यादव : कौन सी जगह की बात है ?

श्री प्र० अ० शर्मा : पटना की जी। आप तो होटलों में बैठते हैं। वहां पूछा गया कि संसद में आपका कार्यक्रम क्या होगा ? उन्होंने कहा कि संसद में हमारा कार्यक्रम सिर्फ नेहरू के खिलाफ बोलने का है, और कुछ नहीं। उन्होंने एक बात और कही कि कलकत्ते में ढाई हजार आदमियों ने प्रदर्शन किया और प्रधान मंत्री से इस्तीफा देने के लिये कहा।

एक माननीय सदस्य ढाई सौ।

श्री अ० प्र० शर्मा : ढाई सौ आदमियों ने प्रदर्शन किया और प्रधान मंत्री ने उसे हुल्लड़बाजी बतलाया और कहा कि वे उनकी हुल्लड़बाजी से इस्तीफा नहीं दे सकते हैं, बीस हजार लोग हुल्लड़-बाजी करे तो भले ही वे इस्तीफा दे दें। मैं कहना चाहता हूं कि लोहिया जी अगर इसमें विश्वास करते हैं कि हुल्लड़बाजी ही बहुत अच्छी चीज है और उससे वह देश की हुकूमत बदल सकते हैं, तो उन्हें समझना चाहिये कि जिस अस्त्र को अपना कर वह देश की हुकूमत बदलना चाहते हैं उसी अस्त्र के उससे पहले वे शिकार हो जायेंगे क्योंकि दुनिया में यह बात सही मानी गई है कि जो इन्सान दूसरों के लिये जो रास्ता अख्त्यार करता है उसी रास्ते से उसे जाना पड़ता है।

मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का समय नहीं है। इस सदन में कुछ लोगों ने कहा, श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा, कि उन्हें सफेद टोपी से शिकायत है। वे शायद चाहते हैं कि सब लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन कर साधू सन्यासी बन जायें ताकि उन लोगों को ज्यादा फायदा हो सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कपड़े का दोष नहीं है। यह है मनोवृत्ति का दोष जो कि अच्छी चीजों को अच्छी चीज़ की तरह नहीं देख सकते हैं। उन्होंने गांधी जी के कोटेशन्स दिये, गांधी जी के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ कहा। लेकिन गांधी जी के सम्बन्ध में उन्होंने वह कहा

जो कि उन्हें सूट करता है। जो उनको नापसन्द है उसे नहीं कहा। मैं बतलाना चाहता हूं कि गांधी जी का जो सब से बड़ा सिद्धान्त था वह यह था कि पहले अपने को देखो उसके बाद दूसरे को देख सकते हो। पता नहीं आचार्य जी ने गांधी जी के कदमों में बैठ कर क्या सीखा। उनको गांधी जी से जो सबक लेने का मौका मिला उन पर विचार करते हुए कैसे उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन में रक्खा। आज अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का समय नहीं है। आज तो समय इस बात का है, जिस तरह से सारे देश की और आज भी चीन का आक्रमण जारी है, लड़ाई बन्द है लेकिन आक्रमण जारी है, चीन तैयारी कर रहा है आक्राण करने के लिये, उसमें जरूरत इस बात की है कि सारे देश की जनता, सारे देश के लोग मिल कर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इस देश की आजादी की रक्षा उसी तरह से करें जिस तरह से हिन्दुस्तान की आजादी हासिल करने के लिये गांधी जी के नेतृत्व में देश ने एक हो कर लड़ाई की थी। मेरा विश्वास है कि देश की जनता जो हुल्लड़बाजी होती है उसके ऊपर ध्यान नहीं देगी क्योंकि इस देश की जनता को पंडित जवाहरलाल नेहरू की ईमानदारी में विश्वास है, उनके नेतृत्व में विश्वास है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं।

†**श्री बूटा सिंह** (मोगा) : सरकार ने तीन घातक पाप किए हैं। एक तो यह कि उन्होंने १९४७ में और उससे पहले सिखों से जो प्रतिज्ञा की थी उसका उल्लंघन करके उन्होंने भारत के विभिन्न समुदायों में विश्वास खत्म कर दिया।

सिखों के राजनैतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण सिखों को १९४७ में तीसरे दल का महत्व दे दिया गया था। उस समय सिखों ने दो कारणों से अपने लिए अलग स्थान नहीं बनाया। एक तो उन्हें विश्वास था कि भारत का अंग होने के बिना व अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते थे दूसरे वे भारत की किसी राजनैतिक समस्या का हल देश के बंटवारे पर आधारति नहीं करना चाहते थे। कांग्रेस नेताओं ने आश्वासन दिया था कि देश का कोई संविधान नहीं बनाया जाएगा जिसे सिख नहीं मानेंगे और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की जाएगी जिससे सिखों को स्वन्तत्रता का प्रकाश मिलेगा। सत्तारूढ़ होने पर कांग्रेस सरकार ने इन आश्वासनों का उल्लंघन किया।

मैं पंजाबी सूबे की रियायत के लिए नहीं मांग करता हूं। सिखों को जो मिलना चाहिए वे ले लेंगे।

कांग्रेस सरकार विभिन्न दलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा करने के लिए उत्तरदायी है।

कांग्रेस लोकतन्त्रात्मक समाज की बुनियादों को नष्ट करती है और आतंकबादी की स्थापना करना चाहती है।

मैं कहता हूं कि कांग्रेस को हुकूमत छोड़ देनी चाहिए।

†**श्री करुथिरमण** (गोबीचेटिटपलयम): डी० एम० की दल के लोग बहुत राष्ट्र विरोधी हैं। वे कहते हैं कि राष्ट्रीय झंडा का अनादर भी किया जा सकता है। उन्हें इस देशमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगले चुनावों में उन्हें सबक सिखा दिया जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिरोधी दल के लोग कहते हैं कि तटस्थता की नोति देश के लिए हितकारी नहीं है । देश की रक्षा लोगों के और सेना के मनोवल को मजबूत बनाने से की जा सकती है ।

यदि हमारी सेना काफी मजबूत हो फिर भी राष्ट्र की सफलता का भेद शान्तिमय सहअस्तित्व है । अविश्वास प्रस्ताव लोगों में गड़बड़ी पैदा करना चाहता है । इस से चीन लाभ उठा सकता है । यह प्रस्ताव इस समय नहीं लाया जाना चाहिए था ।

हमारे प्रधान मंत्री भारत के ही नेता नहीं हैं, परन्तु एशिया के प्रकाश और संसार के नेता हैं । यदि कोई विश्व सरकार बनी तो नेहरू जी उस के नेता चुने जाएंगे । उन में अशोक और अकबर दोनों मिले हुए हैं । लोगों और राष्ट्र के लिये पंडित नेहरू चिरंजीव हों ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर (अमृतसर) सभापति महोदय, डा० लोहिया की तक़रीर के बाद कुछ हमारे मेम्बर्स बोले हैं जिन्होंने बारबार डा० लोहिया का नाम लिया है । मैं बहुत ज्यादा उन का नाम लेना नहीं चाहता । शायद यह तक़रीर उन्होंने इसीलिए की मालूम पड़ती है कि वे ऐसा समझते हैं कि हुकूमत तो कभी उनके हाथ में आ नहीं सकती है तो चलो मेरा जिक्र ही बारबार अगर पार्लियामेंट में आ जाय तो वही काफी होगा । इस मौके पर मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है :–

"नजरे गज़ब से देखते हैं, देखते तो हैं, मैं शाद हूं कि तो किसी की निगाह में ।"

डा० लोहिया की जो तक़रीर हुई है । जो शख्स बहैसियत पार्लियामेंट के एक मेम्बर के, माननीय प्रधान मंत्री को सम्बोधन करके इस क़िस्म के अल्फाज़ इस्तेमाल कर सकता है, बेशरमी के अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, उस के बारे में आप खुद ख़याल कर सकते हैं कि वह किस क़िस्म का है । इसलिए उन का जिक्र ज्यादा करने का क्या फायदा है ।

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक क़तरये खूंन निकला ।"

जितनी भी बातें उन्होंने की हैं मैं तो समझता हूं कि उनकी तरदीद करने की ज़रूरत नहीं है । हो सकता है कि उन का मतभेद हो । डिफ्रेंस ओफ ओपीनियन हो सकता है मगर व्यक्तिगत इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, यह शायद डा० लोहिया ही कर सकते हैं ।यह जो बएतवारी का प्रस्ताव इस हाउस में पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि यह बाएतबारों पर बेएतवारों की तरफ से बेएतवारी का प्रस्ताव है, क्योंकि जिन्होंने यह बेएतवारी का प्रस्ताव पेश किया है उन पर तो किसी को ऐतबार नहीं है । जनता ने उन पर एतबार नहीं किया । उन्होंने इस इलैक्शन में मिल कर पूरा जोर लगाया, लेकिन एक एक पार्टी फेल हुई इक्तदार हासिल करने में । इसलिए बेएतवारों का यह जो पैकेट है, अगर वह एतबार वालों पर बेएतवारी का प्रस्ताव पेश करता है, तो यह एक मज़ाक है ।

दो रोज़ तक, कल शाम तक, जो तकरीरें हुईं, उन से तो कुछ यह अन्दाज़ा लगता था कि शायद कोई अच्छे ढंग से यहां पर बहस होगी, लेकिन कल शाम और आज की कुछ तकरीरें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तकरीर करने वालों ने यह ख़याल किया है कि आचार्य कृपालानी और मसानी साहब ने हमारे साथ इन्साफ़ नहीं किया है, क्योंकि यह प्रस्ताव पास तो हो नहीं सकता, इसलिए हम ने तो कुछ कहने सुनने के लिए ही प्रस्ताव पेश करने के लिए उन को आगे किया था, लेकिन अगर वे अच्छी तरह कह सुन नहीं सकते और हम को कहने सुनने का मौका नहीं मिलता, जो कुछ कहना सुनना है, अगर वह भी हम ने ज़ोर से नहीं कहा, तो हम को यह प्रस्ताव पेश करने का फ़ायदा नहीं है ।

जैसाकि मैं ने कहा है, यहां पर बड़े दावे किये गये कि इस प्रस्ताव के पीछे इस वक्त जनता की आवाज़ है । लोहिया साहब ने यह कहा कि और मसानी साहब ने भी इस तरफ़ इशारा किया । मैं नहीं समझता कि यह गात समझने का उन का मैयार क्या है । आचार्य कृपालानी ने जिस ड्रामेटिक तरीके से अपने थैले में से कुछ चिट्ठियां निकाल कर मेज़ पर रखी, क्या मसानी साहब उस से अंदाजा लगाते हैं कि २१ करोड़ वोटर्ज़ उन के साथ हैं । आख़िर क्या मैयार है, जिस से यह अन्दाज़ा लगाया जा सके कि इस वक्त जनता इस प्रस्ताव के पीछे है । किस तरह अन्दाज़ा लगायेंगे ?

एक अन्दाज़ा लगाने की आवाज़ पंजाब से उठी, तो सब तड़प उठे । कहा गया कि जो कांस्टीट्यूशन की बात है, तरीके की बात है, वह हो, ऐसा काम करें । लेकिन यह मुज़ाहिरों का काम शुरू किस ने न किया है ? अगर किसी मकान को गिराने के लिए मुज़ाहिरे हो सकते हैं, कुदालें उठाई जा सकती हैं, तो जो लोग उस मकान को बचाने की कोशिश करते हैं, क्या वे बुरा करते हैं ? फ़ारसी की एक मसल है कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसन्द नहीं करते, दूसरों के लिए क्यों पसन्द करते हो । अगर मुज़ाहिरों की बात बुरी है, तो पांच दस हज़ार आदमी क्यों इकट्ठे किये गये मुज़ाहिरा करने के लिए ? अगर पंजाब के एक स्ट्रांग आदमी ने, जो मैन आफ़ मासिज़ है, उस का जवाब देने के लिए यह आवाज़ उठाई, तो फिर उस का विरोध क्यों किया जा रहा है ?

इस बारे में कल माननीय मेम्बर, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, ने कहा कि रक्षा दल के लोग आयेंगे । उन्हों ने पहले ही अन्दाज़ा लगा लिया है । पंजाब की जनता यह बताना चाहती है कि जो बार्डर का सूबा है, वहां के लोगों की अवस्था दूसरों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है । उन में अपनी सरकार पर एतमाद, कान्फ़िडेन्स, पैदा हुआ है । अगर आप मेरी कांस्टीटुएन्सी, अमृतसर, में जा कर देखें—मैं माननीय मेम्बरों को वहां आने की दावत देता हूं—तो आप को पता चलेगा कि हमारे किसान बार्डर के सिरे पर अपने कंधे पर बन्दूक रख कर हल चलाता है और एक इंच ज़मीन भी नहीं छोड़ता है ।

यह एतमाद उस को किस ने दिया है ? यह एतमाद उस को गवर्नमेंट ने दिया है । वह इस एतमाद को गिरने नहीं देना चाहता है । वह लोगों को यह इम्प्रैशन नहीं होने देना चाहता है कि यह गवर्नमेंट कमज़ोर है ।

आज लोहिया साहब ने कहा कि पहले इस्तीफे की बात थी, लेकिन अब हम जवारहरलाल को निकालना चाहते हैं । ये किन लोगों के हमनवा हैं ? मेरे हाथ में एक वह पेपर है, जो पाकिस्तान सरकार की नुमायंदगी करता है । वह लिखता है :—

> "मिस्टर नेहरू अगर वाकई मुस्तफ़ी होना चाहते हैं, तो उन्हें यह कदम फ़ौरन उठाना चाहिए । मज़ीद ताख़ीर उन्हें महंगी पड़ेगी और कुछ अरसे के बाद उन का इस्तीफ़ा बेमानी होगा ।"

यानी जो भाई यह बात कहते हैं, वे पाकिस्तान के हमनवा हैं । जो पाकिस्तान वाले चाहते हैं, वही बात हमारे कुछ भाई भी चाहते हैं ।

जैसाकि मैं ने पहले कहा है, यह बेऐतबारी का प्रस्ताव बेऐतबारों की तरफ़ से किया गया है और उन गुलचीनों की तरफ़ से किया गया है, जो हमारे बाग़ के फूल चुनना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं, लेकिन इन फूलों के गिर्द जो बाड़ लगी हुई है, उस पर वे नाराज़ हैं । इस बारे में मुझे एक शेर याद आता है :

> फूलों के गिर्द क्यों है लगा दी बाड़ कांटों की,
> यह गुलचीनी ने नालिश दाग़ दी है बाग़वानों पर ।

सेठ गोविन्द दास ने इस गठजोड़ के बारे में हिन्दी एक मसल सुमाई थी कि "कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा" । यह ठीक है, मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर ये रोड़े हैं, तो वे पांवों में चुभने के लिए हैं और अगर ईंटें हैं, तो इमारत की तामीर के लिए नहीं, बल्कि किसी का माथा फोड़ने के लिए हैं, क्योंकि इन की बनावट ही ऐसी है। अगर डा० लोहिया जैसे कारीगरों ने इनको इमारत में लगाना है, तो फिर यह किसी सूरत में किसी इमारत में काम नहीं आ सकतीं ।

अभी हमारे भाई, सरदार बूटासिंह, ने आप के सामने तकरीर की । मैं आप को एक मिसाल देना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बहनें और खास कर तौर से माननीय सदस्या, श्रीमती सुभद्रा जोशी, मुझे माफ़ करेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ मिसाल के तौर पर ही यह बात कहना चाहता हूं । मैं कुछ औरतों के इकट्टे की उपमा देना चाहता हूं, जो हर वक्त इस ताक में रहती हैं कि कहीं रोने-पीटने का अवसर मिले । लेकिन जब उन को रोने-पीटने का अवसर मिलता है, तो वे सिर्फ़ अपनों को ही रोती हैं, चाहे वे कितनी देर के मरे हुए हों । मसानी साहब ने कुछ कहा, द्विवेदी साहब ने कुछ कहा और सरदार बूटासिंह ने कुछ कहा । मैं आप को सच कहता हूं कि अगर अकाली दल, मुस्लिम लीग और जनसंघ वाले मिल सकते, तो हमारे देश की गुलामी की उम्र कभी भी इतनी लम्बी न होती ।

श्री कछवाय (देवास) : उस वक्त जनसंघ था ही नहीं ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : यह पाकिस्तान, जो आज हमारे लिए दर्दे-सिर बना हुआ है, जिस का जिक्र हर एक माननीय सदस्य ने किया है, कभी न बनता, अगर अकाली दल, मुस्लिम लीग और जनसंघ वाले इकट्ठे हो जाते । फ़ारसी में कहा गया है, "ई ख़याल अस्तो महाल अस्तो जनूं" । उन का मिलना बड़ी मुश्किल बात है । कृपालानी और मसानी, यह काफ़िया तो मिल सकता है, लेकिन मिल कर वे कोई हुकूमत चला सकेंगे, "ई खयाल अस्तो महाल अस्तो जनूं ।" यह खयाल कभी भी किसी तरह पूरा नहीं हो सकता है ।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि बेशक अगर किसी मकान को गिराने के लिए कई मनचले कुदालें ले कर इकट्ठे हो जायें, तो उसे बहुत जल्दी गिरा सकते हैं । लेकिन बनाने के लिए प्लान की जरूरत होती है, नक्शे की जरूरत होती है, मैटीरियल की जरूरत होती है, अच्छे कारीगरों की तलाश करनी पड़ती है । जब यह सब कुछ हो जाता है तब जा कर इमारत बनती है । जो गिराने की बात सोचते हैं, बनाने की बात अगर वे नहीं सोच सकते हैं तो कम से कम गिराने की बात तो न सोचें, जो कुछ बना हुआ है, उस को तो बनाये रखें । अगर वे उस को चार चांद नहीं लगा सकते हैं तो वह जो नक्शा बना हुआ है, उस को तो न बिगाड़ें । तामीर करना बड़ा मुशिकल है, गिराना बड़ा आसान है ।

खुदा न ख़्वास्ता अगर जो भाई हमारे इकट्ठे हुए हैं, जो गुट मिले हैं, और जो मिल कर इस बनी बनाई इमारत को गिरा भी देते हैं और अपनी हुकूमत कायम भी करना चाहते हैं, तो उन से तो मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं । मुझे भाई पंजाब का फिक्र है । मैं जानना चाहता हूं आचार्य जी से कि पंजाब में अकालियों का पंजाबी सूबा वह बनायेंगे या जनसंघ वाले जो बात कहते हैं, उस को मानेंगे । क्या यह इस के मुताल्लिक फैसला करेंगे, इस को तो जरा बता दें ।

राय में ज़रूर इख़्तलाफ़ हो सकता है, सब बातें हो सकती हैं । लेकिन फिर भी कोई न कोई उस की बुनियाद जरूर होनी चाहिये । बुनियाद के बगैर जो भी तामीर होगा, वह टेढ़ा होगा, जल्दी

[श्री गु० सिं० मुसाफिर]

गिर जायेगा और अव्वल तो किसी सूरत में भी वह बन ही नहीं पायेगा ।

इस मौके पर मुझे बड़े दुःख के साथ अपने एक पुराने लीडर श्री राजगोपालाचारी का ज़िक्र करना पड़ रहा है । मैं उन का बड़ा अदब करता हूं मुझे उन का बड़ा लिहाज़ है और उन की मैं पूरी इज्ज़त करता हूं । मैं चाहता हूं कि मेरी जबान से कोई भी ऐसा लफ्ज़ न निकले जोकि उन की शान के खिलाफ जाता हो । लेकिन ये जो हमारे भाई बात करते हैं और चैलेंज देते फिरते हैं उन को मैं बतलाना चाहता हूं कि मेरी चैलेंज लफ्ज करने की आदत नहीं हैं । लेकिन मुझे इससे अच्छा लफ्ज़ और कोई मिलता भी नहीं है । मैं किसी जज़बात के मातहत नहीं कह रहा हूं । लेकिन राजा जी ने यह जो नई तजवीज़ छोड़ी है कि काश्मीर को या तो यू० एन० ओ० के हवाले कर दिया जाय या मुशतरिका मिल कर दोनों कोई निज़ाम बना लें या जम्मू और काश्मीर को खुद-मुख्तियार करार दे दिया जाय, यह ऐसी तजवीज़ है, जोकि किसी भी हिन्दुस्तानी के गले नहीं उतर सकती है । काश्मीर का सवाल एक बर्निंग सवाल है । ऐसी बात नहीं है कि राजा जी जैसी शखसियत अगर इस के बारे में कुछ कहे, तो उस का कोई असर ही न हो । अगर कोई ऐसा कहता है, तो मैं उस की बात को नहीं मान सकता हूं । लेकिन यह सवाल इतना नाजुक सवाल है कि अगर इस पर कुछ भी न कहा जाय तब भी एक बड़ी भारी गलती होगी । मेरी बात को आप चैलेंज समझिये या उसे एक सजैशन समझिये । ये हमारे भाई अगर इन में हिम्मत है, उन को अपने आप पर भरोसा है और हमारे लोहिया जी देर से इस का इंतजार कर रहे हैं कि अगले जनरल इलैक्शन में वह हकूमत सम्भालेंगे और उन के सामने मैं नाचीज़ सा हूं, मेरी उतनी आवाज़ भी नहीं है, तो मैं मौका दे देता हूं कि इसी इशू पर राजा जी कहीं से भी खड़े हो जायें या कोई और उन का कहीं से भी खड़ा हो जाय और मैं उनकी इज्ज़त की वजह से कांग्रेस के किसी चपड़ासी के बारे में तो नहीं कहता लेकिन छोटे से छोटा कांग्रेसी भाई जो है, अगर उस को भी खड़ा कर दिया जाय, तो इस इशू पर उन की ज़मानत ज़ब्त हो जायगी । अगर कहीं से भी इस इशू पर पर वह चुनाव लड़ कर देख लें । अगर कोई व्यक्तिगत बात नहीं है और पालिसी का ही मतभेद है, तो इसी इशू पर चुनाव लड़ा जा सकता है और उस का जो परिणाम आयेगा, उस को देखा जा सकता है । कश्मीर का सवाल एक बर्निंग सवाल है । इस सवाल के बारे में हमारे सेंटर के एक मिनिस्टर ने पाकिस्तान के साथ बड़ी सकसैसफुली बात की और आप जानते ही हैं कि कितनी देर तक बात होती रही । आखिर कुछ बात तो है जिस की वजह से यह सारी चीज़ चलती रही है । जो बात मैं कह रहा हूं यूं ही नहीं कह रहा हूं । लेकिन मैं खास तौर पर पंजाब की और आम तौर पर सारे हिन्दुस्तान की फीलिंग्ज़ को अच्छी तरह से जानता हूं । इस मामले में राजा जी का यह कहना और इस तरह के विचार प्रकट करना, मैं समझता हूं देश की पीठ में छुरा घोंपने के बराबर है । किसी सूरत में भी . . .

श्री रंगा : आप उपचुनाव से भी डरते हैं इन बातों के बारे में डींग क्यों हाक रहे हैं ।

श्री गु० सिं० मुसाफिर : मुझे एक शैर याद आता है :

बागवां ने आग दी जब आश्याने को मेरे ।
जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे ।।

चीन ने हिन्दुस्तान पर हमला किया तो हमने कहा कि एक दोस्त नुमां दुश्मन है और उसको माफ नहीं किया जा सकता है लेकिन जो भाई होकर इस तरह की बात कहे तो बड़े गज़ब का शैर और बड़ा बामानी शैर मुझे याद आता है:

खाके जो तीर देखा कभी निगाह की तरफ ।
अपने ही दोस्त से मुलाकात हो गई ।।

ये जो तीर अपने भाई लगा रहे हैं, यह हंसने की बात नहीं है, सोचने की बात है । चीन हिन्दुस्तान को हड़प करना चाहता है तो ये हमारे भाई उनको हड़प करना चाहते हैं जो हिन्दुस्तान की हिफाज़त कर रहे हैं ।

मैं काफी देर हुई १९५४ में मास्को गया था और आते ही मैं ने अपने कम्युनिस्ट भाइयों को सलाह दी थी कि मास्को का जो वातावरण है वह तो ऐसा है कि आपको कम्युनिस्ट पार्टी की हिन्दुस्तान में जरूरत नहीं है । उसके बाद हिन्दुस्तान के ताल्लुकात रूस के साथ अच्छे ही होते गए हैं । कई बातों में इख्तलाफ होता होगा क्योंकि मसलों पर उन्होंने अपने ढंग से सोचना होता है और हमने अपने ढंग से सोचना होता है । बहुत से भाइयों ने, राजनीतिक सज्जनों ने नान-एलाइनमेंट की पालिसी की नुक्ताचीनी की है । अगर वे इस पालिसी को गलत समझते हैं तो वे भाई यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर नान-एलाइनमेंट की पालिसी पर न चला जाए तो एलाइनमेंट किस के साथ होना चाहिये । अपोजीशन के भाई बतायें कि किस के का साथ हम करें । जब आपस में बात होती है तो कहते हैं कि खुशी की बात है कि हमारी रूस भी मदद करता है और अमरीका भी मदद करता है । मैं यह कहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर अक्ल से काम ले तो शायद रूस और अमरीका एक दिन एक हो जायें, आपस के ये जो सारे झगड़ हैं, ये खत्म हो जायें, बड़ी ताकतें जो झगड़ती हैं, वे झगड़ना बन्द कर दें । हमारे नेता ने जो पालिसी अख्त्यार की है, उस पालिसी की इस वक्त यही नहीं बल्कि दूसरे लोगों ने भी सराहना की है । हमारे भाई जो नुक्ताचीनी करते हैं, वे इस वास्ते करते हैं कि एक आदत सी हो गई है कि जरूर गवर्नमेंट के किसी भी काम की नुक्ताचीनी करनी है, चाहे वह अच्छा भी काम क्यों न हो । मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में फर्क होता है, काम काम में फर्क होता है । परवाना भी जलता है और शमा भी जलती है, लेकिन दोनों के जलने में फर्क है "शमा और परवाना जल जाते हैं लेकिन फर्क है ।" एक जलने के लिए है और एक जलाने के लिए है ।" इसलिए उनको समझना चाहिये कि यह सरकार जो है, इसकी बेशक वे नुक्ताचीनी करें । लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे देश में पैदावार बढ़ी है, लोहे का प्रोडक्शन बढ़ा है, इर्रीगशन के मामले में हमने तरक्की की है और सबसे ज्यादा बिजली और पावर हमारे देश में बढ़ी है । लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भाई जो नंगल के इर्द गिर्द अपोजीशन वाले रहते हैं, वे क्या कहते हैं ? इलैक्शन के दिनों में मैंने खुद उनके भाषणों को सुना है । उन्होंने कहा है कि इस पानी से नंगल में जो बिजली तैयार की जा रही है यह पानी से बिजली तैयार नहीं की जा रही है बल्कि पानी में बिजली तैयार की जा रही है और जब यह पानी खेत में लगेगा तो खेत जल जायेंगे । दूसरी बात वे ये कहते थे कि पानी से जो ताकत है, उसको निकाल रहे हैं और फीका पानी जो है, वह खेतों को दिया जा रहा है । इस तरह का प्रचार हमारे अपोजीशन वालों ने चुनावों में किया है । मैं आपको एक मिसाल देता हूं । जाट और तेली का आपस में झगड़ा हो गया । तेली ने गुस्से में जाट से कहा जाट रे जाट तेरे सिर पर खाट । जाट ने कहा तेली रे तेली तेरे सिर पर कोल्हू । तेली ने कहा कि यह काफिया नहीं मिला और उसको जवाब दिया गया कि जिसके सिर पर कोल्हू होगा वह उसके बोझ से तो मरेगा । यही हमारे भाइयों की भी बात है । बात करते हैं । पंडित नेहरू से गद्दी छुड़वाने की । मगर यह गद्दी छुड़ाने का जो नारा है वह ऐसा ही है जैसा नारा कभी पाकिस्तान ने लगाया था कि "दिल्ली चलो", "दिल्ली चलो" । मगर वह भूल गये थे कि दिल्ली जाने के लिये

रास्ते में अमृतसर भी आता है । यह हमारे भाई घबरा गये हैं इस जुलूस से जो यहां इसलिये आयेगा कि वह बतलाये पाकिस्तान को, बतलाये चीन को, कि जनता जो है हिन्दुस्तान की, जनता जो है पंजाब की, वह नेहरू के साथ है नेहरू सरकार के साथ है । इसमें बुराई क्या है ? अगर वह यह बतलाते हैं तो इसमें कौनसी खराबी है ? अगर उन्होंने एक चीज शुरू की है तो उससे घबराने की क्या जरूरत है ? प्रतापसिंह को उसमें बार बार क्यों लाते हैं । प्रदेश कांग्रस कमेटी ने यह फैसला किया है और चूंकि प्रतापसिंह स्ट्रांग आदमी है और वही इस फैसले को पूरा कर सकता है, तो इसमें बुराई की क्या बात है ? उसको जेरे बहस किसलिये ला रहे हैं ? यह तो एक सीधी सी बात है कि पंजाब के जो लोग हैं, रक्षा दल में । वह एक सेकेण्ड लाइन आफ डिफन्स है । एक माननीय मेम्बर हैं राज्य सभा के, इस पार्लियामेंट के, जिनकी रहनुमाई में यह रक्षा दल चल रहा है । रक्षा दल में क्या बुराई है ? जलूस में तो आप सिर्फ जनता के लोग आयेंगे । आप देख लेंगे कि पंडित नेहरू के हाथ में हुकूमत आई । उनके हाथ में हुकूमत आने के बाद पंडित जी ने हुकूमत की गेंद एडल्ट फ्रेंचाइज के मैदान में फेंक दी । जिसकी ताकत हो उस गेंद को ले जाये । सारी टीमें तैयार हुईं । एक दफे हारे, दूसरी दफे हारे, तीसरी दफे हारे ।

सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे,
जो इस पे भी वह न समझें तो उस बुत से खुदा समझे ।

यानी तीन दफे हराने के बाद भी यह कहते हैं कि नेहरू ने गद्दी अपने पास रखी हुई है । हालांकि उन्होंने गेंद फेंका हुआ है । जिसकी ताकत हो ले जाये । लेकिन अगर ले जाने की ताकत नहीं है तो याद रखिये :

नूरे खुदा है कुफर की हरकत पै खन्दाजन,
फूंकों से यह चिराग बुझाया न जायेगा ।

†**सभापति महोदय** : उन्हें दस मिनट मिलेंगे ।

†**श्री मौर्य** : मैं अधिक समय चाहता हूं ।

†**सभापति महोदय** : उन्हें समय-सीमा का पालन करना पड़ेगा क्योंकि वित्त मन्त्री को वाद-विवाद का उत्तर देना है ।

†**श्री मौर्य** : मेरे दल को यह आश्वासन दिया गया था कि हमें २० मिनट दिये जायेंगे ।

†**सभापति महोदय** : शान्ति शान्ति । उपाध्यक्ष महोदय ने यह प्रबन्ध किया है । वह अपना भाषण आरम्भ करें ।

†**श्री मौर्य** : कुछ माननीय सदस्यों को बीस मिनट और उससे भी अधिक का समय दिया गया है ।

†**सभापति महोदय** : सभापति द्वारा निर्धारित समय के विषय में कोई बहस नहीं की जा सकती ।

श्री मौर्य : सभापति महोदय, मैं इसी से शुरू करता हूं आज की चर्चा को । अफसोस इस बात का है कि सदन में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है । सुबह मुझको बतलाया गया था कि १० मिनट तुम को मिलेंगे, उसमें डा० लोहिया को समय देने या न देने का कोई प्रश्न नहीं उठता था । लेकिन मैंने देखा कि कुछ विशेष व्यक्तियों को जो कि किसी दल से कोई सम्बन्ध नहीं रखते, बीस मिनट और उससे ज्यादा समय मिला । पर जैसी आप की आज्ञा है, मैं तो वैसे ही चलता हूं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये ।]

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने आपसे कहा था कि आपको केवल १० मिनट मिलेंगे ।

†**श्री मौर्य** : यही तो मैं भी कह रहा हूं । किन्तु कुछ कांग्रसी सक्ष्म कह रहे हैं कि मुझे कम समय दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कुछ आदरणीय सदस्यों ने, इस सदन के, अपनी चर्चा के समय यह कहा है कि विरोधी दलों का यह अपवित्र गठबन्धन है । कुछ हैं जो अराजकता में विश्वास करते हैं, कुछ हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं,कुछ हैं जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, मगर इस के बावजूद भी व आज एक हैं । मैं यहां से ही अपनी बात को शुरू करता हूं । बहुत सी सफेद टोपियां इस सदन में नजर आ रही हैं । वे इसी प्रकार से हैं जैसे कि अगर सूरज की किरण को एक प्रिज्म के भीतर से देखा जाय तो सफेद किरण में बहुत से रंग दिखलाई देते हैं । मुझे सफद टोपियों में सबके सब रंग नजर आते हैं । उनमें कुछ जनसंघी हैं, कुछ मुस्लिम लीगी हैं, उनमें से कुछ स्वतन्त्र विचार धारा के हैं, उनमें से कुछ समाजवादी हैं, उनमें से कुछ कम्युनिस्ट हैं, कुछ उनमें से जनसंघ से भी ज्यादा दकियानूसी विचारधारा के हैं । यहां पर जब कांग्रस के लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो कम से कम वे अपनी तरफ तो देख लिया करें । इस बात की ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए यहां पर जो मैं अविश्वास के प्रस्ताव में सम्मिलित हुआ हूं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं ।

भारत में जिस प्रकार आम चुनाव होते हैं, मेरा और मेरी पार्टी का विश्वास उनमें से जाता सा रहा है । गरीब आदमी, जो कि ९५ फी सदी भारत में रहते हैं, वे यहां पर इस तरह की व्यवस्था में चुनाव नहीं लड़ सकते । यदि वे लड़ेंगे तो जीत नहीं सकते, यदि जीत जायेंग तो पिटीशन से बच नहीं सकते आज की व्यवस्था कुछ ऐसी है जिसमें ९५ फीसदी आदमी चुनाव में अपने सच्चे प्रतिनिधि नहीं भेज सकते । प्रधान मन्त्री यहां उपस्थित हैं, और भी मन्त्री यहां उपस्थित हैं और कांग्रेस सत्ता दल के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं, उनके दिल जानते हैं कि चुनाव के अन्दर उनके कितने रुपये खर्च हुए हैं । आम चुनावों में या उपचुनावों में रुपयों की होली फूंकी जाती है । पहले तो मैं यह कहता हूं कि चुनाव की जो प्रथा है उसको बदला जाय ताकि ९५ फी सदी लोगों के प्रतिनिधि, उनके रिप्रेजेन्टेटिव सही मानों में इस सदन में आ सकें । इसी कारण से मैं अविश्वास के प्रस्ताव में सम्मिलित हुआ हूं ।

यही नहीं है, हमारे यहां संविधान है, हमारा कांस्टिट्यूशन है, वह इतना ही पवित्र है जैसे भगवत गीता, जैसे धम्मपद, जैसे कुरान शरीफ, जैसे गुरुओं की वाणी हमारा संविधान एक पवित्र ग्रन्थ है, उसके अन्दर धारायें हैं, वे भी उसी तरह पवित्र हैं । एक हमारे संविधान की धारा है ७५ सब-क्लाज (३) वह कहती है :

"मन्त्रि परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।"

यह हमारे संविधान की पवित्र धारा है । मैं पुरानी चर्चाओं में नहीं जाना चाहता, परन्तु जो घटनायें कल और परसों, उन में जाना चाहता हूं ।

चीन ने हमला किया । सन १९५४ में हमला हुआ । व्हाइट पेपर में जो चर्चा चलती है वह बारा-होती से चलती है । आदरणीय प्रधान मन्त्री जी इस बात को जानते थे फिर भी हिन्दी चीनी भाई भाई का नारा लगा, चीनी प्रधान मन्त्री यहां बुलाये गये और सब चर्चायें उनसे चलती रहीं । मैं यह नहीं कहता कि डिफेन्स मिनिस्टर जिम्मेदार थे । मैं खाली संविधान की धारा को लेता हूं ।

अनुच्छेद ७५, उपखण्ड (३) :

"मन्त्रि परिषद् लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।"

[श्री मौर्य]

श्री कृष्ण मेनन के पंडित जवाहरलाल नेहरू गुरू थे और वे उनके चेले थे। उनके कहने पर ही चलते थे। पूरी कैबिनेट की यह जिम्मेदारी थी कि जो भी उन्होंने गलती की, उस पर सब के सब इस्तीफा देते। भले ही वे दुबारा इस सदन के नेता चुन लिये जाते परन्तु उन्हें इस्तीफा देना चाहिये था।

यही नहीं अभी वायेस आफ अमरीका की चर्चा हुई। उन दिनों मैं अमरीका में था। अमरीका के लोग हिन्दुस्तान के नेतृत्व पर हंस रहे हैं, यहां की जनता चाहे जैसी हो लेकिन यहां के नेतृत्व पर वे हंस रहे हैं। वह कहते थे कि क्या अब भी तुम कह सकते हो कि तुम नान-एलाइंड हो, क्या अब भी तुम कह सकते हो कि तुम किसी ब्लाक में नहीं गए हो, इस प्रकार वहां के लोग हमारी हंसी उड़ाते थे। ये चर्चाएं जून के महीने में चली थीं। प्रधान मन्त्री से जब पूछा जाता है तो कह देते हैं कि मुझे पता नहीं था। प्रश्न यह है कि पता क्यों नहीं था, और था तो ऐसा क्यों होने दिया गया।

टाटा, बिड़ला, डालमिया का प्रेस नाराज हो गया, कुछ मारवाड़ियों का प्रेस नाराज हो गया। उस नाराजी को दूर करने के लिए जो समझदार साथी थे उनकी कुरबानी दे दी जाती है। यह अच्छा तरीका नहीं है। यहां पर संविधान के आधार को तोड़कर हम कुछ एसे कनवेंशन बनाते जा रहे हैं जिनसे कि आगे चल कर देश में एक सिविल वार हो सकती है।

बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं रोशनी डालना चाहता था। लेकिन समय नहीं है। आपने केवल मुझे दस मिनट का समय दिया है।

भ्रष्टाचार, मिलावट और छूत-छात, ये तीन इस देश के सबसे बड़े अभिशाप हैं। चीन चाहे हमको समाप्त न कर सके, लेकिन मैं दाव से कह सकता हूं कि यदि ये तीन अभिशाप भारत वर्ष में रहे तो एक लाख नेहरू भी इस को नहीं बचा सकते, यह देश इस ज्वाला में स्वाहा हो जाएगा। जातिवाद, अस्पृश्यता, भ्रष्टाचार और मिलावट, इन चीजों को समाप्त किया जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू में केवल कांग्रेस को ही विश्वास नहीं है बल्कि विरोधी दलों को और देश के जनता को भी उन में बहुत कुछ विश्वास है, परन्तु वे कुछ कदम ऐसे उठा लेते हैं अपने भ्रष्टाचारी साथियों को शरण देते हैं। जिसे देख कर हमारे दिलों में बगावत पैदा होती है। क्या वह यह नहीं जानते कि बहुत से चीफ मिनिस्टर रिश्वत लेते हैं और पूंजीपतियों को बढ़ाते हैं जो कि कांग्रेस को रुपया ला कर देते हैं। और इसी लिए उनको चीफ मिनिस्टर रखा जाता है। क्या वह नहीं जानते कि बहुत से चीफ मिनिस्टर हिन्दू मुस्लिम दंगे करवाते हैं और उनके कारण कलक्टरों को कमिश्नर बना कर तरक्की देते हैं। क्या वह यह सब नहीं जानते। वह सब जानते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते।

जो छूतछात का अभिशाप है, मैं उसकी ओर जाना चाहता हूं। "जातिहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज्य प्राप्ति का कोई महत्व नहीं", यह शब्द भारत के एक महान् सपूत बाबा सहाब अम्बेडकर ने कहे थे। उनका कहना था कि यह किस तरह का स्वराज्य और स्वतंत्रता है जिस में जातिवाद बढ़ता जा रहा है। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने भी कहा था--"छूतछात कलंक है। हम शीघ्र इस कलंक को मिटा दे नहीं तो यह कलंक हमारी स्वतंत्रता को समाप्त कर देगा"। क्या हमने छूत छात को समाप्त किया। आपके शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन की रिपोर्टें मेरे हाथ में हैं। ये कहती हैं कि यहां पर अभी भी छूत छात चल रही है। काश मेरे पास समय होता और मैं इसको पढ़ कर आपको सुना सकता। यहां पर जाति वाद है और अस्पृश्यता है। मैं इस रिपोर्ट में से कुछ पढ़ कर आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है :

"आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों में अब भी अनुसूचित जाति के लोग तालाबों के किनारे अपने मिट्टी के बर्तन लेकर लाइन में खड़े रहते हैं कि कोई सवर्ण हिन्दू आकर अपनी

सुविधानुसार उनमें पानी डाल लेगा। उन्हें घुटनों से नीचे धोती नहीं पहनने दी जाती। मध्य प्रदेश के कुछ भाग में अनुसूचित जाति के लोगों को विवाह के समय बैंड नहीं बजाने दिया जाता। उनकी स्त्रियों को चांदी की चूड़ियां और अन्य गहने नहीं पहनने दिये जाते। यह मानना पड़ेगा कि देश के कई भागों में किसी न किसी रूप में अब भी अस्पृश्यता विद्यमान है।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री मौर्य : अभी तो मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। पर मैं उनको छोड़े देता हूं और आगे चलता हूं।

हम रिजरवेशन के विरुद्ध हैं। रिपबलिकन पार्टी रिजरवेशन की नीति के विरुद्ध है। आप कमीशन की रिपोर्टों को उठाकर देखें। क्लास वन सरविसेज में एक फी सदी भी अछूत नहीं पाए जाते। क्लास टू में...

उपाध्यक्ष महोदय : इस रिपोर्ट पर तो चर्चा आगे आने वाला है।

श्री मौर्य : उस वक्त मैं इस पर डिटेल में बोलूंगा। मैं तो यह बताना चाहता हूं कि हम इस अविश्वास के प्रस्पाव के साथ क्यों हैं। हमारा उन लोगों से जो कि समाजवाद के दुश्मन हैं कोई लगाव नहीं है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि इस देश में भूखी मरती हुई जनता जिसको २० फीसदी कहा गया है, उस में ९ करोड़ अछूत लोग हैं। अर्थात् अछूत कहे जाने वाले लोग शत प्रति शत भूखे मरते हैं, उनके पास जमीन नहीं हैं, उन से बेगारें ली जाती हैं। वे लोग राजा महाराजाओं के समय में जितना बुरा जीवन बिताते थे आज राम राज्य में भी वे वैसा ही बुरा जीवन बिता रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम को चीन से उतना खतरा नहीं है जितना कि गरीबी, भुखमरी, छूत छात, भ्रष्टाचार आदि से है। हो सकता है कि चीन आज की परिस्थितियों में हम पर हमला न करे। लेकिन आज जो डर कम्युनिज्म से है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अछूत कहे जाने वाले, हम शोषित लोग कम्युनिज्म को एक गंदा हथियार कहते हैं---कम्युनिस्ट मित्र मुझे क्षमा करेंगे। हम ने उसका बड़ी मात्रा में उपयोग नहीं किया है। लेकिन इस समाजवादी समाज में समाज रचना के उच्च स्थान पर बैठे हुए उच्च वर्ग के पूंजीपति लोग हमको घूंसे मारते हैं। हम कमजोर होने के कारण घूंसे का जवाब घूंसे से नहीं दे सकते। लेकिन वह गंदा हथियार हमारी जब में है...

†**श्री राम सहाय पाण्डेय** : उनके पास कौन सा हथियार है ?

†**श्री मौर्य** : आप चुप करें। बतलाता हूं।

उस गंदे हथियार को हम इस्तमाल कर सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमसे सब्र का दामन छूट जाए और हम उस हथियार को उनके सीने में भोंक दे और यहां बगावत हो जाए। इसलिए श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि भुखमरी को समाप्त करो। आज तक यह समाजवाद हमको रोटी और कपड़ा नहीं दे सका है। ये पंचवर्षीय योजनाएं किस काम की हैं। हमको ज्यादा नहीं चाहिए। हमको विधान सभाओं की और संसद् की सदस्यता नहीं चाहिए, हमको बड़ी बड़ी चीज नहीं चाहिए। हमको रिजरवेशन नहीं चाहिए। आपने रिजरवेशन रखते हुए भी १३०० शिड्यूल्ड कास्ट अफसरों को नालायक बना कर निकाल दिया। मैं कहता हूं कि आप नालायकों को लेते क्यों हो। उनको विद्वान बना कर लेना चाहिए। हम कहते हैं कि हम शोषितों को रोटी दो, कपड़ा दो और उसके साथ मकान दो, निशुल्क ज्ञान दो और अगर यह नहीं दे सकते तो इन गद्दियों को छोड़ दो वरना यहां बगावत हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आज की सभा ६ बजे तक बैठगी । श्री मोरारजी देसाई ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : उपाध्यक्ष महोदय श्रीमान् मैं अत्यन्त सावधानी से और ध्यानपूर्वक अपने माननीय मित्र जिन्हें मैं हमेशा से अपने से बड़ा समझता आया हूं, आचार्य कृपलानी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कही हुई प्रत्येक बात को सुनता रहा हूं । उन्होंने साम्यवादी दल के अतिरिक्त अन्य सब विरोधी दलों की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया है । फिर भी एक बात से मुझे अत्यन्त हर्ष है कि विरोधियों के एक भाषण के अतिरिक्त और किसी में किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये गये । मुझे इस बात का भी हर्ष है कि मेरे माननीय मित्र श्री कृपलानी ने कोई व्यंग नहीं किया, जिसमें कि वे दक्ष हैं । मुझे यह जानकर भी हर्ष हुआ कि मेरे माननीय मित्र श्री मसानी ने भी जो हमेशा समाजवाद के विरुद्ध खुद आपत्तियां उठाया करते थे, आज समाजवाद की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है और अब वे मिश्रित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करने लगे हैं ।

कुछ समय तक उन के सभा से बाहर रहने से और विशषतः राजकोट निर्वाचन क्षेत्र से उनके सम्पर्क से उन्हें काफी शिक्षा मिली है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** (टुमकुर) : उन के लिए वहां अधिक प्रलोभन मत दिखाइये ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : जल्दी ही वे लोग इन्हें जान जायेंगे और ये भी—उनसे परिचित हो जायेंगे । इस में कोई संदेह नहीं है, जैसा कि उन्होंने अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में उन लोगों को देखा है । वे एक ही निर्वाचन क्षेत्र से दुबारा खड़े नहीं होते ।

†**श्री मी० रू० मसानी** (राजकोट) : मैं वचन देता हूं कि अगली बार वहीं से चुनाव लड़ूंगा ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करके उन्हें बहुत पछतावा होगा । किन्तु वह दूसरी बात है । मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि वे यहां आ गये हैं । मैं अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के विरोधी पक्ष के अधिकार का विरोध नहीं करता। यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें इस बात का विश्वास हो कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जायगा । और न ही उन के लिये यह आवश्यक है कि वे उसी समय इसे प्रस्तुत करें जब उन्हें यह विश्वास हो कि सरकार बदली जा सकती है और वे लोग सत्तारूढ़ हो सकते हैं । मैं उस अधिकार को स्वीकार करता हूं बल्कि मेरे स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं है । प्रजातंत्र देश में, और संविधान के अधीन उन्हें यह अधिकार प्राप्त है । इसे वे उचित समय पर उपयोग करें अथवा नहीं यह उनकी पसंद है, मरी नहीं । मैं इसका इसलिये स्वागत करता हूं कि वह उन्हें इस सब को बाहर निकालने का अवसर देगा जो उन्हें परेशान करता रहता है और उनकी भावनाओं में कटुता लाता रहता है, जिससे कि वह अपनी सारी बेचैनी को दूर कर सकें और यह हमारे लिये भी अच्छा है; क्योंकि हम जो कुछ हमारे विरुद्ध कहा जा सकता है उसे सुन सकते हैं, जिससे कि कमियों की ओर हमारा ध्यान जाय और हम उससे लाभ उठायें । इससे हमें यह भी लाभ होगा कि हम में धैर्य की भावना बढ़ेगी और ऐसी बातों को सुनने की सौजन्यता भी उत्पन्न होगी जो अत्यधिक अशिष्ट और अप्रिय ढ़ंग से कही जाती है ।

इस अविश्वास पुस्तक में कुछ विचित्र बातें हैं, मुख्यतः एक बात जो बहुत ही विचित्र है । यह बात आश्चर्यजनक, किन्तु शायद अपरिहार्य, थी कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी दल के नेता द्वारा प्रस्तुत नहीं कियागया अपितु ऐसे नेता को इसे प्रस्तुत करना पड़ा जिसका कोई दल नहीं था और इसका कारण यह था कि दूसरे दल इसे प्रस्ताव के लिये दिये जाने वाले कारणों से सहमत नहीं हो सके थे । यह स्पष्ट है क्योंकि यह प्रस्ताव १३ शब्दों का एक छोटा सा प्रस्ताव है । यदि चौदहवां शब्द जोड़ दिया जाता तो संभवतः ७२ की संख्या पूरी नहीं होती । किन्तु यह भी अच्छी बात थी । मुझे अत्यधिक हर्ष होगा

†मूल अंग्रेजी में

यदि विरोधी पक्ष स्थायी रूप से संगठत हो जायें और हमेशा ही संगठित बना रहे। यह प्रजातंत्र के लिये अच्छा है,हमारे लिये भी अच्छा है। निश्चय ही यह हमारे लिये अत्यन्त हानिप्रद विषय है कि यहां सशक्त विरोधी पक्ष नहीं है। यदि विरोधी पक्ष सशक्त है तो जहां हमें औचित्य दिखाई नहीं देता अथवा हम देखने में असमर्थ हैं वहां हम उसे देख सकते हैं और वह हमें हमेशा सही रास्ते पर चला सकता है जिससे हम अधिक से अधिक सेवा कर सकें। अतः मैं इस अस्थाई एकता का भी स्वागत करता हूं। किन्तु इस अस्थायी एकता के लिये ऐसे कारण बताये गये है जो एक दूसरे का खंडन करने वाले हैं। यह दुर्भाग्य की बात थी। मेरी कामना थी कि हमें बताये जाने वाले कारणों के संबंध में भी वे एकमत हो जाते। राजनैतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के कारण बताये गये हैं और मैं अपने दृष्टिकोण से उन दोनों पर प्रकाश डालूंगा मैं वाद-विवाद का उत्तर नहीं दे रहा। यह मेरा काम नहीं है। प्रधान मंत्री ऐसा करेंगे और वे इसके लिये सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं। किन्तु मैं आर्थिक और राजनैतिक समस्याओं पर यहां उठाये गये प्रश्नों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

एक राजनैतिक प्रश्न का, जिसका कि मैं उत्तर देना चाहूंगा, कृपलानी जी ने उल्लेख किया था। उन्हों ने कहा कि इस दल को जो प्रशासन कर रहा है लगभग ४५ प्रतिशत मत मिले हैं जबकि विरोधी पक्ष को लगभग ५४ प्रतिशत। मुझे सन्देह है कि क्या कृपालानी जी को यह जानकारी है कि इस से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? और फिर भी वे कहते हैं; कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं। किन्तु विरोधी पक्ष के सब प्रकार के सदस्यों ने यह दिखाने के लिये कि यह दल बहुमत में नहीं है सब प्रकार के मत मिला लिये हैं—वो जो सफल हुए हैं और वो जिन्हों ने मत दिये हैं। हमेशा ऐसा ही होगा, चाहे यह दल सत्तारूढ़ हो अथवा कोई अन्य दल, जब तक देश में कई दल होंगे। जब एक निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार खड़े होते हैं तो मत कई व्यक्तियों में विभक्त हो जाते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जीतने वाले उम्मीदवार को उस निर्वाचन-क्षेत्र से बहुमत प्राप्त हो। किन्तु यदि आप गुजरात को देखें, जहां अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्यतः सीधा संघर्ष हुआ था, तो आप को पता चलेगा कि कांग्रेस को ५२ प्रतिशत और वरोधी पक्ष को ४८ प्रतिशत मत मिले हैं।

†**श्री कृपलानी** (अमरोहा) : मैं मानता हूं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अतः यदि आप इन बातों को उचित दृष्टिकोण से देखें तो यह तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा कि वह दल अल्प संख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है।

मेरे माननीय मित्र श्री मसानी ने यह दावा किया है कि यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति हो तो मैं अधिक स्थान प्राप्त कर सकता हूं। मैं नहीं जानता कि यदि आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो तो क्या होगा। अतः गंभीरतापूर्वक यह तर्क किया गया कि इस देश में हम लोकसभा और विधानमंडलों के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति से करें। मुझे सन्देह है कि आप कभी ऐसा करेंगे। यह तर्क सुविधा के हेतु ही प्रस्तुत किया गया है, इससे कोई जानकारी हासिल नहीं होती। आखिर इस सभा में हम इस देश की सरकार को चलाने के लिए इकट्ठे होते हैं, कि हर प्रकार से हमारा स्तर ऊंचा हो जाये, केवल इसलिए नहीं कि प्रश्नों पर परस्पर वाद-विवाद करते रहें। हमें इस बात में दिलचस्पी नहीं है, कम से कम मुझे नहीं है। अतः हम उन कार्यों में जिन्हें हम ने कर लिया है या जिन्हें हम करेंगे पूर्णतः प्राप्त करने का दावा नहीं करते।

कृपलानी जी ने आरम्भ करते समय कहा था कि इस देश में योजना कार्य बिल्कुल निरर्थक, और इसका निष्पादन इस से भी अधिक निरर्थक रहा है। यदि उन्हों ने यह कहा होता कि योजना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

का कार्य सर्वांगपूर्ण नहीं है और त्रुटियों से भरा हुआ है तो मैं उन से असहमत नहीं होता। किसी भी कार्य विषयक योजना में, जिस के लिये मानव उत्तरदायी है त्रुटियां होना स्वाभाविक ही है। कोई भी मानव यह दम्भ नहीं कर सकता कि वह सर्वांगपूर्ण है अथवा त्रुटियों से रहित है। किन्तु इस से किसी को त्रुटियां करने की अनुज्ञप्ति नहीं मिल जाती। हमें निश्चय ही त्रुटियों को देखना चाहिये और उन्हें ठीक करना चाहिये। हम ऐसा करते रहे हैं या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस की हमें जांच करनी है। योजना कार्य को निरर्थक सिद्ध करने के लिए क्या किया गया? श्री कृपलानी ने तीन परियोजनाओं का उद्धरण दिया था—जिन की लागत २५ करोड़ रुपया है। यह स्वीकार करते हुए भी कि इन परियोजनाओं की योजना त्रुटिपूर्ण ढंग से की गई थी और इन का निष्पादन भी सुचारु रूप से नहीं किया गया अथवा बिल्कुल भी नहीं किया गया, इस आधार पर कि २५ करोड़ रुपये की तीन परियोजनायें त्रुटिपूर्ण हैं अथवा योजना बनाने वाले इन तीन योजनाओं की राह में आने वाली कमजोरियों को नहीं देख सके। क्या यह कहना उचित है कि सारा योजना कार्य ही निरर्थक है? आखिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिये ११०० करोड़ रुपये निधारित किये गये हैं।

†**श्री कृपलानी**: यह केवल एक उदाहरण था।

†**श्री मोरारजी देसाई**: और इन तीन परियोजनाओं की लागत १० प्रतिशत से भी कम है। उन्हों ने भी यह स्वीकार किया है कि १० अथवा १५ प्रतिशत तक की त्रुटियां माफ़ की जा सकती हैं। यदि यह भी मान लिया जाय कि यह तीन परियोजनायें निरर्थक हैं वह उन त्रुटियों की सीमाओं में आ जाता है जो उन के कहे अनुसार की जा सकती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा। हम यह भी कह सकते हैं कि यह सब ठीक है और हमने कोई गलती नहीं की। मैं त्रुटियों की उस सीमा की आड़ लेना नहीं चाहता। किन्तु क्या एक बात को देख कर सारी चीज़ को व्यर्थ बता देना उचित है। आखिर इन तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में क्या किया गया? इन्हें छोड़ा नहीं गया। महाराष्ट्र की परियोजना पर अब भी विचार किया जा रहा है। जो कुछ हुआ वह यह था कि जब यह जान लिया गया कि कुछ अन्य बातें भी प्रकाश में आई हैं अथवा कुछ नई खोजें की गई हैं जिन के कारण यदि उसी योजना का चालू रखा जाये तो वह अधिक खर्चीली होगी। इसलिये हमें इस पर विचार करना है और हम ने विचार किया। विदेशी सहयोगियों का भी प्रश्न था। और यदि विदेशी सहयोगी इस बात से संकोच करें, क्योंकि कुछ नई परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि योजना आयोग ने भूल की है। आखिर देश में आज जो कुछ भी योजना का कार्य है उसे हम ने अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में किया है। हमें याद रखना चाहिये कि हम ने किस स्थिति से कार्य आरम्भ किया था? आखिर जब वह कहा जाता है कि इस देश ने कोई प्रगति नहीं की—यह आचार्य कृपलानी द्वारा की गई सरकार की दूसरी कड़ी आलोचना है—तब हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हम ने किस स्थिति से कार्य आरम्भ किया था। जब हम स्वतंत्र हुए उस समय अनुसूचित क्षेत्रों में, और कुछ अन्य क्षेत्रों में कई व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें वर्ष के कई महीनों में दिन में एक समय भी पूरा भोजन नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति थी। आज वह स्थिति नहीं रही। आज इस देश में एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे अनाज उपलब्ध नहीं है। हम इस स्थिति पर पहुंच गये हैं। किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि हम बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंच गये हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम अब भी बहुत गरीब हैं और हम यथा सम्भव शीघ्र अपनी स्थिति को अधिकाधिक अच्छा बनाना चाहते हैं। किन्तु कांग्रेस दल को अपवचन कहने से देश की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। यदि मेरे माननीय मित्रों ने यह बताने के लिए कि स्थिति को कैसे सुधारा

†मूल अंग्रेजी में

जा सकता है और अच्छी योजनायें कैसे बनाई जा सकती हैं कुछ और बातों पर प्रकाश डाला होता, उन के बारे में सुझाव दिया होता तो निश्चय ही मैं उन्हें निश्चय ही धन्यवाद देता । किन्तु क्या यह प्रगति का अच्छा चिन्ह है कि जो योजना में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, अब उसमें विश्वास करने लगे हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि योजना दोषपूर्ण है ; मैं समझता हूं कि कांग्रेस की योजना ने कुछ सेवा की है और यदि इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो हम सन्तुष्ट होंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री मसानी ने कहा है कि एक वर्ष इस्पात परियोजना में हानि हुई है । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने सारे लेखे का निरीक्षण नहीं किया । एक बड़ी राशि, कई करोड़ रुपये, अपलाभ निधि में डाल दिये गये थे और इसी लिये ऐसा प्रतीत हुआ । किन्तु यदि ऐसा न भी होता तो आरम्भ के वर्षों में जब तक पूरा उत्पादन न होने लगे ऐसा होता ही है । क्या उन्हें टाटा के विषय में याद है, जहां उन्होंने काफी समय तक कार्य किया था ? मैं नहीं जानता कि क्या अब भी वे वहीं काम कर रहे हैं । वे लोग काफ़ी योग्य हैं और इस देश के अच्छे उद्योगपतियों में से हैं । यह एक अच्छी बात थी कि वे वहां थे । किन्तु ऐसा लगता है कि उन्हों ने इससे कोई लाभ नहीं उठाया । यदि उन्हों ने ध्यान दिया होता तो उन्हें यह बात मालूम हो जाती कि उन्होंने २० वर्षों में केवल तीन बार लाभांश दिये हैं । यह जमशेदपुर के इस्पात कारखाने की बात है । बर्नपुर में भी १८ वर्षों में ३ बार लाभांश दिये गये हैं । और यह बात भुला दी जाती है और आशा यह की जाती है कि सरकार के इस्पात के कारखाने पूरे बनने के पहले ही अथवा पूरा उत्पादन आरम्भ करने के पहले ही लाभांश देने लगें । अब उत्पादन किया जा रहा है और लाभांश भी दिया जा रहा है । उन्होंने यह भी कहा है कि प्राथमिकता गलत रूप से दी गई है और सरकार अनावश्यक रूप से मूल उद्योगों जैसे इस्पात उद्योग पर ध्यान केन्द्रित कर रही, जोकि पूंजी वाले और भारी उद्योग है । तर्क यह दिया गया है कि हम उपभोक्ता उद्योगों अथवा हल्के उद्योगों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करें । जहां कम पूंजी की आवश्यकता है और जहां लाभ अधिक होता है और यह कहा जाता है कि हम इस्पात कारखानों में अधिक रुपया नहीं लगायें । क्या वह इस बात को समझते हैं कि इस्पात सारे उद्योगीकरण का आधार है ?

†**श्री मी० रू० मसानी** : इसका आधार कृषि है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : कृषि निश्चय ही आधार है । उद्योग के लिये कृषि से अधिक इस्पात की आवश्यकता है । हमने कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है । वह पहली प्राथमिकता है । मेरे माननीय मित्र इस बात का विरोध कर सकते हैं क्योंकि वे विरोध करने में ही विश्वास करते हैं ; तथ्यों को प्रस्तुत करने में नहीं । वह भूल जाते हैं कि जमशेदजी टाटा इस देश में उद्योगीकरण के अगुवा थे; जिनका देश के लोग सम्मान करते हैं । १९०७ में और उसके भी पहले उन्होंने इस देश में, जहां बिल्कुल भी उद्योगीकरण नहीं हुआ था । इस्पात कारखाना आरम्भ करना उचित समझा और मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि हम जमशेदजी टाटा से भी अधिक बुद्धिमान हैं । मैं इन बातों को नहीं समझ पाता ।

†**श्री मी० रू० मसानी** : उन्होंने अपनी पूंजी लगा कर खतरा मोल लिया था, कर-दाता की पूंजी लगा कर नहीं ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह सच है, किन्तु फिर भी अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में, जब देश में कोई भी उद्योग नहीं था, उन्होंने यहां इस्पात कारखाना आरम्भ किया । उनमें इस बात को समझने की दूरदर्शिता थी कि यह बहुत आवश्यक है । यदि वे ऐसा नहीं करते तो शायद

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री मोरारजी देसाई]

आज हम इन तीन कारखानों को भी, जिन्हें सरकार ने लगाया है, आरम्भ करने की स्थिति में नहीं होते और फिर भी मेरे माननीय मित्र इन तथ्यों को अनदेखा करके कहते हैं कि भारी उद्योग नहीं होने चाहियें, उन पर कम ध्यान देना चाहिये और कम रुपया लगाना चाहिये। किन्तु फिर भी मुझे हर्ष है कि आखिर वे निश्चित अर्थ-व्यवस्था में विश्वास करते ही हैं।

†**श्री मी० रु० मसानी** : सबसे पहले मैंने ही १९४५ में मिश्रित अर्थ व्यवस्था की बात उठाई थी।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे माननीय मित्र पते की बात सुनते ही अधीर हो उठते हैं। उनके बोलते समय मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था न ही उनकी बात को ठीक करने का प्रयत्न किया था। वह अपनी इच्छा के अनुसार बोलते हैं और मैं अपनी इच्छा के अनुसार, इसलिये इन बातों से क्रोधित होने अथवा इनको ठीक करने का प्रयत्न करने का कोई लाभ नहीं है।

†**श्री मी० रु० मसानी** : १९४५ में मैंने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई थी "मिश्रित अर्थ व्यवस्था के लिये एक तर्क"।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे माननीय मित्र श्री मसानी से अधिक उदण्ड कोई नहीं होगा। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में दूसरे पक्ष को भली प्रकार सुनना चाहिये किन्तु वे इस के लिये तैयार नहीं। वे तुरन्त निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। मैं सब कुछ हज्म करता रहा हूं और फिर इन तथ्यों और आंकड़ों को ले कर आया हूं। मैं यदि केवल सार को लेता तो वह मृत्यु के सदृश्य होता। मैं कठिन से कठिन चीज को हज्म कर सकता हूं अतः उनके लिये मेरा हाज्मा खराब करना संभव नहीं।

आपको स्मरण होगा कि हमने योजनाओं का कार्य बिना किसी अनुभव और बिना प्रविधिज्ञों के १९५१ में आरम्भ किया था। तबसे हम अनुभव से लाभ उठा कर योजनाओं का अधिकाधिक अच्छा संचालन कर रहे हैं। अब भी हम इसे त्रुटिहीन नहीं बना पाये। हमें जीवन पर्यंत सीखते रहना होगा। एक माननीय सदस्य ने कुछ त्रुटियों का उल्लेख किया है। हम निस्संदेह उससे लाभ उठायेंगे किन्तु बिना किसी तथ्य के सारे के सारे कार्य की निन्दा की जा रही है क्यों कि वे इस सरकार की निन्दा करना चाहते हैं। मैं विरोधी पक्ष की निराशा को अनुभव करता हूं क्यों कि वे ऐसी स्थिति में हैं कि कभी भी सता को प्राप्त नहीं कर सकता। किन्तु सत्ता प्राप्त करने का यह उपाय नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस ही सत्तारूढ़ रहे। यह ठीक भी नहीं होगा। किन्तु कांग्रेस उत्तर-दायित्व को छोड़ना नहीं चाहती जब तक अन्य दल जनता का विश्वास भाजन नहीं बन जाता।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्लि) : केरल में क्या हुआ ? वहां दूसरा दल सत्तारूढ़ था और आपने उसे दबाने के लिये हिंसात्मक कार्य तक कर डाले थे।

†**श्री मोरारजी देसाई** : माननीय मित्र स्वयं उपद्रव कर रहे हैं अतः वह आरोप हम पर भी लगा रहे हैं। वे बम्बई में भी उपद्रव करना चाहते थे किन्तु वहां असफल रहे, इसलिये उन्हें खेद है। हम तो लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं और मुझे पूरी आशा है कि मेरे माननीय मित्र भी एक दिन मार्ग पर आ जायेंगे और गलत मार्ग को छोड़ देंगे, यदि हममें पर्याप्त धैर्य है और हम जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक है।

†मूल अंग्रेजी में

योजना में जहां गलती है हम सीखने का प्रयत्न करते हैं किन्तु कोई यह नहीं कह सकता कि योजना कार्य व्यर्थ रहा है। विश्व के सभी ऐसे अर्थ शास्त्रियों के जो पक्षपात हीन और वस्तु निष्ट हैं यह प्रमाण दिया है कि न केवल योजना कार्य ने इस देश को लाभ पहुंचाया है बल्कि इससे अन्य लोक-तन्त्रात्मक राष्ट्रों को भी लाभ हुआ है। क्यों कि इस योजना कार्य से पूर्व यह धारणा थी कि योजना कार्य का सम्बन्ध केवल तानाशाही सरकारों, साम्यवादी सरकारों या फासिस्ट सरकारों से है क्योंकि लोगों का विचार था कि वही सरकारें आयोजित कार्य कर सकती हैं। इस लिये लोकतन्त्र-वादी हमें इस संदेह की दृष्टि से देखते थे कि साम्यवाद के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। किन्तु जब लोगों ने अनुभव किया कि हमारी आयोजना वास्तविक रूप में लोकतन्त्रात्मक है तो वे भी आयोजित आधार पर काम करने का विचार कर रहे हैं। यह सेवा हमने न केवल देश की बल्कि समस्त लोकतन्त्रात्मक जगत की की है।

आचार्य कृपालानी ने कहा कि हम कोयले लोहे और उर्वरकों के उत्पादन में विफल हुए हैं जो भावी प्रगति का आधार है। उन्होंने यह भी कहा कि कृषि में भी कोई प्रगति नहीं हुई। कोयले में कुछ कमी रही है जिसे हम पूरा कर रहे हैं और कुछ प्रगति कर भी ली है। भारत सरीखे देश में जहां संसाधन कम हैं, जनसंख्या अधिक है और प्रविधिज्ञ कम हैं तथा हर वर्ष उनमें भी वृद्धि करनी होती है, योजना की कार्यान्विति में अवरोध स्वाभाविक है। अतः यदि हमने वह धन खर्च कर दिया है जो हम योजना पर व्यय करना था और यदि हम प्राप्य लक्ष्यों को उपलब्ध नहीं कर सके तो उसका कारण यह है कि हमें विदेश से मशीनें मंगानी पड़ती हैं जिनका मूल्य समय समय पर बढ़ता रहता है। दूसरे हमें अनुभव भी नहीं है और उसे हम प्राप्त कर रहे हैं। हम अधिक प्रगति करने के लिये अधीर भी है। अतः हम अधिकाधिक कार्यों को योजना में सम्मिलित करना चाहते हैं और अपनी योग्यतानुसार अधिकाधिक परियोजनाओं को शामिल करते हैं। अतः प्राक्कलन बढ़ जाते हैं और समय भी अधिक लग जाता है। अधिक समय अकारण नहीं लग जाता। हमारा अनुभव होता है कि अल्प काल में कार्य पूरा हो जायेगा किन्तु अधिक समय लग जाना स्वाभाविक है।

†**श्री कृपालानी** : नाई मर्खों की हजामत करने से सीख जाता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे पता नहीं कि नाई सदा मूर्खों के पास जाता है। पता नहीं माननीय मित्र इस व्यवसाय को कैसे जानते हैं।

हम बिजली का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। उर्वरक का उत्पादन भी बढ़ रहा है। उसमें भी कुछ सीमायें हैं किन्तु हम प्रगति के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। प्रगति के आंकड़े होते हुए आचार्य कृपालानी जैसे विद्वान व्यक्ति का यह कहना कि प्रगति नहीं हो रही समझ में नहीं आता। सम्भवतः यह इस कारण हैं कि वे जब से हमसे जुदा हुए हैं हमसे क्रुद्ध हैं और हममें कोई अच्छाई नहीं देख पाते। किन्तु आशा है कि वे भी अपनी अर्धांगनी की तरह हममें अच्छाई देखने लगेंगे।

†**श्री कृपालानी** : मैं आपकी तरह जोरू का गुलाम नहीं हूं।

†**श्री त्यागी** : आपतो कांग्रस के बहनोई हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैंने तो गाली नहीं दी यही कहा है कि उनकी पत्नी वास्तव में अच्छी हैं।

फिर यह प्रश्न उठाया गया कि करों का बोझ बहुत अधिक है। किन्तु सभी मानते हैं कि हमारी प्रतिरक्षा व्यवस्था अधिक अच्छी होनी चाहिये तो इसका अभिप्राय है कि हमें अधिक पूंजी लगानी

†मूल अंग्रेजी में

चाहिये अधिक संसाधन पैदा करने चाहियें। संसाधन बढ़ाने के दो ही साधन हैं अर्थात् कराधान या ऋण अथवा नोट छाप कर घाटे की व्यवस्था करना। संभवतः सभा इतनी मूर्ख नहीं होगी कि मुझे घाटे की वित्त व्यवस्था करने के लिए कहेगी। यह व्यवस्था तो जितनी हम कर रहे हैं उससे भी कम होनी चाहिये। अतः इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। सभा इससे सहमत होगी कि हम ने इसे दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी कम रख कर अच्छा किया है। दूसरे योजना में १२०० करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था करनी थी किन्तु हमने २५० करोड़ रुपये तक ही की। तीसरी योजना के प्रथम बर्ष में घाटे की वित्त व्यवस्था ५७ करोड़ रुपये और दूसरे वर्ष में १३२ करोड़ रुपये तक की गई। १९६२-६३ में २४० करोड़ की बजाय १३२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। १९६३-६४ में हमने १८२ करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था की है। मुझे आशा है कि हमने इसे सीमा में रखा है। किन्तु उसके लिए हमें अधिक कर चाहिये और कर कौन देगा? इस वर्ष लगाये गये कर निःसंदेह बहुत अधिक हैं। क्या आप चीनियों को बाहर धकेलने और विकास के लिये इतना बोझ उठाने के लिये तैयार नहीं।

†**एक माननीय सदस्य** : क्या सरकार उन्हें बाहर धकेल रही है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि सरकार नहीं तो क्या विरोधी पक्ष ऐसा कर रहा है जो कि अवरोध पैदा कर रहा है।

†**श्री रंगा** (तेनालि) : प्रधान मंत्री को यह कहने दीजियें कि चीनियों को निकाल रहे हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : प्रधान मंत्री ने तो अनेक बार कहा है कि यदि संभव हुआ तो उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से बाहर निकाला जायगा अन्यथा सशस्त्र शक्ति द्वारा ऐसा किया जायेगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो विक्षिप्त ही होगा कि बिना तैयारी के जूझ पड़िये और नष्ट हो जाये।

हमने प्रतिरक्षा के लिये ८६७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जो कि गत वर्ष से दुगुनी है। हम अपनी सेनाओं को अधिक कुशल बनाने के लिये चार पांच वर्ष से प्रतिरक्षा व्यय को बढ़ा रहे हैं। यह चाहने मात्र से नहीं हो सकता। इसके लिये लोगों को प्रशिक्षित करने, और शस्त्रास्त्र बनाने में समय लगेगा, अन्य लोगों से प्राप्त करने में भी समय लगेगा। हम मित्र देशों से भी सहायता मांग रहे हैं और वे दे भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सी चीजें दी भी हैं और भविष्य में और भी देंगे। किन्तु कुछ बातें हैं जिन पर विचार करना है। वे सब जनता में नहीं बताई जा सकती। इस प्रकार युद्ध नहीं जीते जाते। ऐसा करने पर तो सब समाप्त हो जायेगा और कुछ प्राप्त नहीं होगा।

अतः इन विषयों के बारे में मैं स्वतन्त्रता से नहीं बोल सकता और मुझे अपने मित्रों की अधीरतापूर्ण आलोचना को सुनना है। यदि वे अधिक आलोचना भी करें तो भी मुझे क्रोध नहीं आयेगा क्यों कि हम अनुभव करते हैं कि यह अच्छा है इस से हम अधिक सचेत और सजग रहेंगे। इसके लिये मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। किन्तु ऐसा निरंतर करते रहना ठीक नहीं क्योंकि तब उससे प्रेरणा मिलनी बंद हो जायेगी।

इस की भी एक सीमा होनी चाहिये जिस पर उन्हें स्वयं विचार करना है। मैं तो केवल इस लिए कह रहा हूं कि हमारा सब का उद्देश्य एक ही है? विभिन्न दल होते हुए भी कुछ मामलों में हमें एकमत होना चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

इस विषय में केवल साम्यवादियों का मत भिन्न हो सकता है। किन्तु वे भी अन्य लोगों की तरह अपने आपको देशभक्त कहते हैं और कहते हैं कि वे भी अन्य लोगों की ही तरह चीनियों को बाहर धकेलने के समर्थक हैं।

मुझे निश्चय तो नहीं किन्तु वे ऐसा कहते हैं अन्यथा उनके कामों से ऐसा प्रतीत नहीं होता। यदि यह बात नहीं तो क्या वे देश में हड़ताल करना बंद कर देंगे ? वे कहते हैं कि वे सभी संसाधनों को संगठित करने में रुचि रखते हैं। तो क्या वे अधिकाधिक मंहगाई मांग कर उन संसाधनों को खर्च करेंगे जो कि अत्यधिक मूल्यवान हैं और अन्य कामों के लिये अपेक्षित हैं और गरीबी के नाम पर उपद्रव नहीं करवायेंगे। निश्चय ही ये देशभक्ति के काम नहीं हैं।

कर भले ही भारी हैं किन्तु वे अनावश्यक प्रयोजनों के लिये नहीं। यदि इनके प्रयोजन आवश्यक हैं तो कर भी आवश्यक हैं। हमने सिवाय मिट्टी के तेल के दरिद्रों के उपभोग की सभी वस्तुओं को कर मुक्त रखा है। कई सदस्यों की प्रार्थना पर कर को कम भी किया गया था। किन्तु कर से गत तीन मास में प्रयोजनों की सिद्धि हुई है। इससे मिट्टी के तेल का उपभोग कम हो गया है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।

हमने खाद्य तेल पर कर लगाने की बजाये उसे हटा दिया था ताकि लोग इसे सहन कर सकें। बेशक कर को कठिनाई से सहन किया जा सकता है कि कठिन दिनों में कठिनाई को सहन करना ही चाहिये अन्यथा हम नष्ट हो जायेंगे। यदि हम उन्हें इसका विरोध करने के लिये कहते हैं तो हम देशद्रोह करते हैं। अतः मैं अपने मित्रों से आग्रह कर रहा हूं कि वे उचित दृष्टि से इस पर विचार करें। अतः भारी कर की बात करना अनुचित है, यह लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने के लिये है। बजट को पास करते समय मैंने मित्रों से कहा था कि वे प्रयत्न करें कि लोग इन करों को प्रसन्नता से गहन करें और लोग संगठित रूपसे उत्तर सीमा पर पैदा हुए खतरे का मुकाबला करने के लिये तैयार हों।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मुख्य बात तो यह है कि आप मूल्य वृद्धि को क्यों नही रोकते ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं उस बात को भी लेता हूं। :

कहा जाता है कि यदि बैंकों का और आयात निर्यात का राष्ट्रीयकरण किया जाता तो अधिक कर न लगाने पड़ते। सरकार को राष्ट्रीयकरण के पक्ष या विपक्ष में कोई रुचि नहीं है। किन्तु राष्ट्रीयकरण से ही काम होगा। गत वर्ष को लीजिये, यदि सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया होता तो ६·५ करोड़ रुपये का लाभ होता। क्या इससे प्रतिरक्षा का सब अपेक्षित सामान मिल जाता। वहां जमा पूंजी तो लोगों को दी जाती है। वह हम नहीं ले सकते। हम लोगों की सम्पत्ति हथियाने में विश्वास नहीं रखते। उन्हें राष्ट्रीयकृत करने पर हमें क्षतिपूर्ति देनी होगी जिसका मोटा अनुमान १०० करोड़ रुपये से कम नहीं होगा और इसे लाभ से चुकाने में १६ वर्ष लग जायेंगे। बैंकों में प्रदत्त पूंजी २००० करोड़ रुपये होगी और उसके बदले प्रतिरक्षा बंधपत्र देने पर भी उन का ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा करते ही हमारे मित्र अनुरोध करने लगेंगे कि कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने चाहियें। अतः सरकार के पास बैंक आने पर लाभ भी कम होगा। इस के बजाय रक्षित बैंक के पास काफी अधिकार हैं जिनसे वह बैंकों का कार्य संचालन उपयुक्त रीति से करवा सकता है। बैंक अपना कर्तव्य कर रहे हैं और कई करोड़ रुपया सरकार की प्रतिभूतियों में निर्धारित सीमा तक लगा रहे हैं। वह सीमा हाल में ही बढ़ाई गई है और इसलिये इस समय राष्ट्रीयकरण से लाभ की बजाय हानि होगी। अन्य उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर भी क्षतिपूर्ति देनी होगी। वह कहां से आयेगी। इससे यह अच्छा है कि सरकार के पास जो धन हो उसे कमं उद्योगों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरार जी देसाई]

में लगाकर रोजगार की क्षमता को बढ़ाया जाए जिससे देश समृद्ध हो। राष्ट्रीयकरण भी निरन्तर ऐसे सिद्धान्तों के समर्थकों की ओर से है जो देश के लिए हितकर नहीं।

अब मैं मूल्यों को लेते हुए पहले श्री त्रिदिब कुमार चौधरी की बात को लेता हूं। उन्होंने 'टाइम्स आफ इंडिया' का उद्धरण दिया है जिसमें लिखा है कि "एक वर्ष में जीवन लागत में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है।" पता नहीं कि उन्होंने शीर्षक को ही पढ़ा अथवा उस लेख को पढ़ा है। अच्छा होता कि वे यह गलती न करते। उन्होंने नियमित सर्वेक्षण नहीं किया और केवल कुछ एक तथ्य ले कर निष्कर्ष निकाल दिया है और उसका यह शीर्षक दे दिया है। पहले वाक्य में कहा गया है कि विभिन्न स्थानों पर जीवन लागत में १५ से ४० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है किन्तु शीर्षक में ४० प्रतिशत कहा गया है और वह भी गलत है। फिर सारे लेख में किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं है शीर्षक में तो जीवन लागत में वृद्धि का उल्लेख है किन्तु लेख में कहा गया है कि कभी अठारह महीनों में कभी १९६२ के छः महीनों में और कभी १९६३ के प्रारंभ के ६ महीनों में जीवन लागत में वृद्धि हुई है नियमित सर्वेक्षण की बजाय पत्र ने कुछ एक व्यक्तियों और संगठनों के विचार प्राप्त किये हैं। सामान्य निष्कर्ष तथा कथित तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। यह केवल रोमांचकारी लेख है और इसमें कुछ नहीं।

फिर भी एक उदाहरण देखिये—काश्मीर का, जहां काश्मीर वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष के अनुसार, निर्वाह व्यय पिछले १८ मासों में ४० प्रतिशत बढ़ गया है किन्तु प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़ों को देखते हुए यह वृद्धि इतनी नहीं हो सकती थी। प्रतिवेदन की सारिणी से पता चलता है कि जुलाई, १९६३ में उचित मूल्य दुकानों पर चावल उतने मूल्य पर मिल रहा था, जितना कि जनवरी, १९६३ में था, अर्थात् ३६ नये पैसा प्रति किलोग्राम। गेंहूं का मूल्य ६४ नये पैसे से ६९ नये पैसे तक बढ़ा। खाद्य तेल २·४२ रुपये से २·७० रुपये तक, चीनी १·३० रुपये से १·५५ रुपये तक और मिट्टी का तेल ६६ न०पै० से ८३ न० प० प्रति लिटर। ये वस्तुयें उपभोग वस्तुओं का ७० प्रतिशत हैं, फिर भी पत्र का कहना है कि मूल्य ४० प्रतिशत बढ़ गये हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मित्र आंकड़े देने से पहले उनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लिया करें।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : चावल १९६३ में कभी ३६ न० प० प्रति किलोग्राम पर नहीं बेचा गया।]

†**श्री मोरारजी देसाई** : यह काश्मीर में है। केरल में नहीं। आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं।

अब देखना है कि मूल्यों में वृद्धि कितनी हुई है। ३ अगस्त, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्यों का सामान्य देशनांक मार्च, १९६३ के देशनांक से, जो कि १२७·१ था, १३५·७ हो गया था, अर्थात् ६·८ प्रतिशत वृद्धि हुई। मैं जानता हूं कि मूल्यों की हाल की प्रवृत्ति से न केवल हमें बल्कि बाहर के लोगों को भी चिन्ता हुई है। इसलिये हमें इसकी उचित जांच करनी है।

कुछ हद तक मूल्यों में वृद्धि मौसमी कारणों से होती है। मार्च से अगस्त तक मूल्यों में अवश्य वृद्धि होती है और प्रतिवर्ष होती है। सितम्बर से मार्च तक गिरजाते हैं। मार्च १९६३ से अगस्त १९६३ तक ६ से ८ प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बुरी नहीं है। यदि आप पिछले वर्ष के तत्स्थानी समय के साथ तुलना करें तो वृद्धि केवल ३·५ प्रतिशत है। इसलिय मैं कहूंगा कि सरकार के सामने गलत आंकड़े नहीं देने चाहियें।

†मूल अंग्रेजी में

मूल्यों में वृद्धि केवल तीन चीज़ों—चावल, चीनी और गुड़ के सम्बन्ध में हुई है। पर, चावल कम पैदा हुआ है। तो यह सरकार के किसी दोष के कारण नहीं हुआ, बल्कि मौसम खराब होने के कारण हुआ, जो कि इस देश में प्रायः होता है, कल श्री पाटिल ने कृषि के बारे में उत्तर दिया था। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। चावल के मूल्य अधिकतर तीन राज्यों, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश में बढ़े हैं। अन्य स्थानों पर इतने नहीं बढ़े।

†**श्री प्रिय गुप्त** : आसाम में भी।

†**श्री मोरारजी देसाई** : आसाम में मूल्य सामान्यतया ऊंचे हैं और इस पर ध्यान दिया गया है। किन्तु गेहूं, ज्वार और बाजरा के मूल्य कम हुए हैं। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। ३ अगस्त, १९६३ को समाप्त होने वाले सप्ताह में गहूं के थोक मूल्य का देशनांक ९०·५ था, जब पिछले वर्ष उसी सप्ताह में ९२·६ था। इसी तरह ज्वार के मामले में १०९·० था और गत वर्ष १४०·१ था। बाजरा के आंकड़े हैं १३३·३ और १३६·५। मक्की के १०७·१ और ११०·१ हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** : ये आंकड़े सब गलत हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : क्या वे यह स्वीकार नहीं करते कि आंकड़े इकट्ठा करने की व्यवस्था केवल सरकार के पास है और माननीय सदस्य केवल इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग कर रहे हैं। वे अपने दिमाग से कोई अन्य आंकड़े पैदा नहीं कर सकते।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : रिज़र्व बैंक के आंकड़े देखिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : ये सब रिज़र्व बैंक के आंकड़े हैं।

इसलिए हमें यह समझना है कि ये वृद्धियां असाधारण नहीं हैं।

जब हम मूल्यों में स्थिरता की बात करते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ये एक ही स्थान पर और कम रहें। यदि कृषि पदार्थों के मूल्य बढ़े हैं वे इसलिये बढ़े हैं कि कृषकों को प्रोत्साहन दिया जाना था और इसके बिना कृषि की उन्नति नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में मुझे डा० लोहिया से यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि खाद्यान्न उत्पादन ६ करोड़ रुपय से ८ करोड़ रुपये हो गया है। वे भूल रहे हैं कि यह ५·२ करोड़ रुपये थे और ६ करोड़ रुपये नहीं। वे उन आंकड़ों के बारे में विवाद करते हैं, जिन्हें जानते नहीं। वे एक बड़े अर्थशास्त्री हो सकते हैं, किन्तु उनके जो आधार हैं, उनके कारण उन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

जब मूल्य गिरते हैं, तो माननीय सदस्य तुरन्त कहते हैं कि इन्हें स्थैर्य दे कर बढ़ाना चाहिये। जब वे बढ़ते हैं, तो वे चिल्लाते हैं कि मूल्य बढ़ रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम कोई चमत्कार कर दिखायें। आखिर इस मामले में कुछ लचीलापन होना चाहिये। हम पिछले १२ वर्षोंके समय में अन्य देशों के साथ तुलना करेंगे।

१९५० और १९६२ के बीच, भारत में थोक मूल्य २१ प्रतिशत बढ़े हैं अर्थात् १·६ प्रतिशत वार्षिक इन की तुलना अन्य देशों के साथ इस प्रकार है :

आस्ट्रेलिया ३·४ प्रतिशत

डेन्मार्क २·१ प्रतिशत

संयुक्त अरब गणराज्य १७ प्रतिशत

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

फ्रांस ४·८ प्रतिशत

पश्चिमी जर्मनी २·१ प्रतिशत

जापान ३ प्रतिशत

ब्रिटेन २·८ प्रतिशत

ब्रांजील २२·७ प्रतिशत

चिली ३० प्रतिशत

केनेडा, स्विटज़रलैंड और अमेरीका में यह हमारे से कम है। किन्तु वहां भी मूल्यों में कोई स्थिरता नहीं है।

श्री मसानी नियंत्रणों का उल्लेख कर रहे थे। क्या वे चाहते हैं कि आयात पर कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिये।

†**श्री मी० रु० मसानी** : कम से कम नियंत्रण।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वे कम से कम हैं।

†**श्री मसानी** : ये अधिक से अधिक हैं।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वे बतायें कि कौन से क्षेत्रों में ये अधिक हैं। अस्पष्ट आरोप लगाना व्यर्थ है। यह सरकार नियंत्रणों की विचाराधारा में विश्वास नहीं करती।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं उदाहरण देता हूं। उद्योगों के लिये लाइसेंस की नीति बदल दीजिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : यदि ऐसा किया गया, तो इस खर्चे के लिए कोई रुपया नहीं रहेगा और कोई लाभ नहीं होगा। क्या वे जानते हैं कि ऐसे उद्योग के लिए जिसके लिए १० लाख की पूंजी आवश्यक है, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता।

†**श्री मसानी** : कोई सीमा नहीं होनी चाहिये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : लाइसेंसों के बारे में सीमा आवश्यक है।

भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान का उद्धरण दिया गया है, किन्तु यह शुद्ध रूप में नहीं दिया गया। मेरे विचार में भ्रष्टाचार के ये सब आरोप ईमानदारी से नहीं लगाये गये। क्या सारा कांग्रेस दल और सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है और केवल विरोधी पक्ष वाले फरिश्ते हैं? यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मेरे माननीय मित्र ने कहा था कि हमने बहुत विदेशी ऋण ले रखे हैं और हमें अत्यधिक सूद देना पड़ता है। किन्तु विकास के लिए ऋण आवश्यक है। इन ऋणों के मुकाबले में हम बड़ी बड़ी आस्तियां भी बना रहे हैं और इन आस्तियों के होते हुए ये ऋण ऐसे नहीं हो जायेंगे कि वापस न किये जा सकें।

†मूल अंग्रेजी में

स्वर्ण नियंत्रण के बारे में कहा गया कि मैंने यह कहा था कि किसी ने आत्म-हत्या नहीं की। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैंने यह कहा था कि सैकड़ों लोगों ने आत्म-हत्या नहीं की। मैंने राज्यों से मालूम किया है कि इस प्रकार १७ मौतें हुई हैं और १६५ या २०० नहीं। इन १७ में से बहुत सी अन्य कारणों से भी हुई हैं।

यह भी कहा गया है कि मुझे मालूम नहीं कि बंगाल में लाखों लोग गिरफ्तार किये जा रहे हैं। वहां केवल ५४०० लोग जुलाई और १० अगस्त के बीच गिरफ्तार किये गये थे, किन्तु वे अब जेल में नहीं हैं। वे सब रिहा कर दिये गये हैं, क्योंकि उन्होंने आन्दोलन छोड़ दिया था और अपनी गलती मान ली थी।

अनिवार्य जमा योजना के बारे में, मैं इसका प्रयोजन और सिद्धान्त पहले बता चुका हूं। मुझे हर्ष है कि इस विधेयक को बिना मत विभाजन के पारित कर दिया गया था।

†**श्री रंगा** : हमने इसका विरोध किया था और इसको कभी स्वीकार नहीं किया था।

अब मैं श्री लोहिया की बातों का उत्तर दूंगा। मैंने उन्हें सदन में पहली बार सुना है। पहले उनके बयान भी पढ़ता था, किन्तु बाद में बन्द कर दिया था, क्योंकि उनमें सिवाय कुछ लोगों को गाली देने के अलावा कुछ नहीं होता था। मैं उनकी किताब में से पढूंगा, जोकि हिन्दी में है। अंग्रेजी संस्करण भी है, किन्तु मैं हिन्दी में से ही पढूंगा। संसद के बारे में उन्होंने जून, १९६३ में यह कहा था :

> "हिन्दुस्तान की संसद् इस गन्दी स्थिति की हूबहू तस्वीर है। इसके द्वारा जनता के लिए महत्वपूर्ण किसी सवाल पर विचार-विमर्श होता ही नहीं है। 'काम रोको' प्रस्तावों के ध्यानाकर्षण की सूचना दी जाती है और ऐसा लगता है कि सरकार को और विशेषत: प्रधान मंत्री को यह प्रदर्शित करने का मौका देने के लिए ही इसकी अनुमति दी जाती है कि सरकार कितनी बहादुर और अक्लमन्द है। लकीर से बिना इधर-उधर खिसके चीन या पाकिस्तान के सम्बन्ध में प्रस्तावों के लगातार उपस्थित किये जाने का लगता है कि एक प्रचलन-सा हो गया है। हिन्दुस्तान की संसद्, कभी-कभी अपने प्रधान मंत्री के रूप में एकमात्र रईसे-आलम के समक्ष, भूल से कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले पाले गये तेंदुओं के बच्चों, ..."
>
> **(अन्तर्बाधा)**

मुझे आशा है, माननीय सदस्य सुन रहे हैं। मैं इसे फिर कह सकता हूं।

†**श्री त्यागी** : हम सुन नहीं सके थे।

श्री मोरारजी देसाई : ". . . . . भूल से कम्यूनिस्ट कहे जाने वाले पाले गये तेंदुओं के बच्चों, प्रजा सोशलिस्टों और स्वतंत्राइयों के रूप में राजनीतिक भांडों"

अब वे कांग्रेस के बारे में कुछ कहते हैं।

> "और स्त्रियोचित स्वर वाले कांग्रेसियों का भों-भों राग वाला तबला-सितार-वादन का नजारा है। कुछ सोशलिस्ट वहां अवश्य हैं जो मौलिक सवालों को उठाते हैं लेकिन मैं यह जरूर मंजूर करूंगा कि हम भी असर पैदा न कर सकने वालों के समूह हैं। वर्तमान समय में तो मैं केवल आशा ही कर सकता हूं।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मोरारजी देसाई]

अपने मित्रों को छोड़ कर, यही कुछ उन्होंने अन्य लोगों के बारे में कहा है। वे आगे कहते हैं :—

"कुछ लोग सोचते हैं कि प्रधान मंत्री के साथ मेरा व्यक्तिगत द्वेष है। यह एकदम गलत बात है। उनके लम्बे जीवन की अगर कोई अकेला व्यक्ति कामना कर सकता है तो वह मैं हूं, यद्यपि इसके लिए मेरे पास जो कारण हैं, उन्हें वे बहुत पसन्द नहीं करेंगे। मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र इतना मजबूत हो जाता कि एक दिन उनकी गर्दन का टेंटुआ पकड़ कर उन्हें अपने पद से हटा दिया जाता।"

†**कुछ माननीय सदस्य** : यह शर्म की बात है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : पहले इस पुस्तक को पढ़ने का मेरा विचार नहीं था। फिर भी मैं देखना चाहता था कि इसमें क्या लिखा है। इसी तरह उन्होंने यह बताया है कि प्रधान मंत्री पर २५,००० रुपये दैनिक खर्च होते हैं। कुछ भी हो पुलिस सुरक्षा के लिए है और यह केवल प्रधान मंत्री के लिए नहीं है। यह खर्च हमेशा होता है। जब श्री लोहिया जैसे माननीय सदस्य ऐसी बातें कहते हैं, तो क्या प्रधान मंत्री की सुरक्षा की ओर ध्यान न दिया जाये। इस देश में पागल व्यक्ति भी हो सकता है और राष्ट्रपिता की हत्या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा हुई थी जो ऐसी बातें सुन कर पथ भ्रष्ट हो गया था। **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री राम सेवक यादव** : महात्मा गांधी को आपने मारा था। **(अन्तर्बाधा) क्या कह** रहे हैं ? आप बैठ जाइये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति।

श्री मौर्य : महात्मा गांधी का खून कांग्रेस जनों के मस्तिष्क पर है .....

श्री राम सेवक यादव : आप रक्षा उनकी नहीं कर सके —

†**श्री मोरारजी देसाई** : मेरे माननीय मित्र को क्रोध नहीं करना चाहिये।

श्री लोहिया ने प्रधान मंत्री पर जो व्यक्तिगत आघात किये हैं, उन पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये, क्योंकि वे कई वर्षों से ऐसा कर रहे हैं अब १५ वर्षों के बाद सदन में वही बातें करके उन्होंने अपनी सन्तुष्टि कर ली है।

एक बात उन्होंने यह कही थी कि प्रधान मंत्री केवल अपने रिश्तेदारों और काश्मीरियों को ही ध्यान में रखते हैं। उन्होंने जनरल कौल का नाम लिया था। किन्तु क्या उन्हें मालूम है कि जनरल कौल श्री नेहरू के प्रधान मंत्री बनने से बहुत पहले सेना में थे।

श्री बी० के० नेहरू, श्री आर० के० नेहरू और श्री कौल प्रधान मंत्री ने नियुक्त नहीं किये। वे श्री नेहरू के प्रधान मंत्री बनने से बहुत पहले सरकारी सेवा में थे और वे २० वर्ष से उसमें हैं फिर भी प्रधान मंत्री का सम्बन्धी होना कोई अपराध नहीं है यदि काश्मीरी चतुर हैं और सेना या असैनिक सेवा में आ जाते हैं, तो यह प्रधान मंत्री का दोष नहीं है। क्या प्रधान मंत्री ऐसा कानून पास कर दें कि उनके परिवार या जाति का कोई व्यक्ति सेवा में न रहे।

†**श्री रंगा** : किन्तु उन्हें सब से ऊंचा तो न पहुंचाया जाये।

†**श्री मोरारजी देसाई** : वे अपनी योग्यता से ऊंचे पहुंचे हैं।

और फिर जिस तरह श्री लोहिया ने प्रधान मंत्री की लड़की के बारे में **लिखा है** वह बहुत ही अशोभनीय है। मुझे इसको पढ़ते हुए शर्म आती है। **(अन्तर्बाधा)**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** : आप अंग्रेजी में पढ़िये, ताकि सारा सदन समझ सके ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : श्रीमती इन्द्रा गांधी के सम्बन्ध में उन्होंने यह कहा है :—

"जब ५, ६ वर्ष पूर्व मैंने यह भविष्यवाणी की थी तो मुझे सारी कथा ज्ञात नहीं थी, मैं केवल नाटक के पात्रों को ही जानता था, अब कहानी मेरे मस्तिष्क को पूरा करती है ।"

—भविष्यवाणी यह है कि वे प्रधान मंत्री की उत्तराधिकारिणी होंगी—

"इस सम्बन्ध में मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया यह है । मैं कांग्रेस दल में से उनको कम से कम इस कारण अवश्य प्रधान मंत्री बनाना चाहूंगा कि मुझे प्रातः काल अखबार में एक सुमुखी के दर्शन होंगे ।"

एक दिन में २५००० रु० नामक पुस्तक में इसी प्रकार की बातें हैं । मेरे माननीय मित्र एक विद्वान व्यक्ति हैं, तथापि उनकी बुद्धि भटक गई है । मैं आशा करता हूं कि वे इसका उपयोग अपने देश तथा दल के हित में करेंगे ।

मैं श्री हीरेन मुकर्जी का उल्लेख करना चाहता हूं उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि वित्त मंत्री तथा खाद्य तथा कृषि मंत्री मंत्री परिषद से हट जायें । दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा कि मैं स्पष्टवादी हूं इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वे स्पष्टवादी व्यक्ति को नहीं चाहते हैं । मेरे विचार से वे मुझे जिन्दा भी नहीं रहने देना चाहते हैं क्योंकि वे मुझे एक निरन्तर खतरा समझते हैं । मुझे विश्वास है कि वे एक दिन मेरी बात अवश्य मानेंगे ।

तथापि उनकी एक चाल है और वह यह है कि दल में फूट हो जाये और वे अपना उल्लू सीधा कर सकें । वे गिद्ध की तरह हैं जो लाश पर दृष्टि लगाये रहते हैं । वे सोचते हैं कि कांग्रेस उनके मार्ग में कंटक है, वे मुझे अपने मार्ग का रोड़ा समझ कर मुझे मार्ग से हटाना चाहते हैं । वे ऐसा इस कारण कहते हैं कि मैं कांग्रेस समाजवाद में विश्वास नहीं करता हूं । क्या वे ऐसा कह कर प्रधान मंत्री में अविश्वास प्रगट नहीं कर रहे हैं । क्या यह प्रधान मंत्री के प्रति अन्याय नहीं है क्योंकि यदि मुझे कांग्रेस की नीतियों पर अविश्वास हो तो मैं एक क्षण को भी कांग्रेस में नहीं रह सकता हूं ।

मैंने प्रधान मंत्री की अनुमति के बिना एक भी बात नहीं कही है । तब ऐसी बातें कहने से क्या लाभ ? मैंने जो कुछ भी किया है वह कांग्रेस नीति के अनुरूप है ।

†**श्री जोकीम अल्वा** (कनारा) : श्री लोहिया ने प्रधान मंत्री के कुत्ते का उल्लेख किया । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी एक बार यह कहा था कि मेरे शत्रुओं ने मेरी हर एक चीज पर चोट की है, यहां तक कि उन्होंने मेरे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा है ।

विरोधी पक्ष के तीनों सदस्यों का संगठन बहुत विचित्र है, इनमें से श्री कृपलानी तो प्रधान मंत्री का मुंह का मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, श्री मसानी स्वयं प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं और डा० लोहिया नेहरूवाद के कट्टर शत्रु हैं । वित्त मंत्री श्री मोराजी देसाई ने जो कुछ भी कहा है उससे यह स्पष्ट है कि वह अस्वस्थ मस्तिष्क की उपज है । डा० लोहिया ने प्रधान मंत्री के लिये जो कुछ भी कहा है वह उन्हें शोभा नहीं देता वस्तुतः उन्हें ऐसी बातें कहने के लिये बन्द कर दिया जाना चाहिये क्योंकि उन्होंने और उनके अनुयायियों ने संसदीय प्रणाली पर कुठाराघात किया है ।

मुझे आश्चर्य है कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा सम्बन्धी प्रबन्धों पर आपत्ति की जाती है और उन पर जो व्यय किया जाता है उसकी आलोचना की जाती है । राष्ट्र के महान् नेता की सुरक्षा के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकिम आल्वा]

इस प्रकार के प्रबन्ध करने आवश्यक हैं। क्योंकि इस प्रबन्ध के बिना उनके जीवन को खतरा हो सकता है। देश को प्रधान मंत्री की तरह का योग्य व्यक्ति मिलना बहुत कठिन है। हम यह बात निस्संदेह कह सकते हैं कि वे अद्वितीय नेता हैं तथा अन्य कोई भी व्यक्ति उनसे टक्कर नहीं ले सकता है।

कहना न होगा कि वर्तमान सरकार के अधीन भारत ने काफी प्रगति की है। सभी बातों जैसे विमान सेवाओं, नौवहन, सिंचाई, बंध, चिकित्सा सेवाओं में काफी प्रगति हुई है। खाद्य उत्पादन में ५०० लाख टन से बढ़ कर ८०० लाख टन हो गया। अणुशक्ति और तेल के बारे में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। आज हमारे देश में तीन तेल शोधन शालायें तथा कई मिट्टी तेल और गैस कूप हैं।

जहां तक बेरोजगारी का प्रश्न है, जो लोग सरकारी नीतियों की आलोचना करते हैं उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि अमेरिका में भी ४० लाख बेरोजगार व्यक्ति थे। वस्तुतः जर्मनी और जापान जैसे औद्योगिक रूप से विकासशील देशों से तुलना करने से कोई लाभ नहीं होगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारे देश को विकास के मार्ग पर चलते हुए अभी २० वर्ष भी नहीं हुए हैं, जसे-जैसे समय बीतेगा हम सभी दिशाओं में तरक्की करेंगे।

दुःख की बात है कि श्री मसानी, जो १९४७ के पश्चात् से विदेशों में राजदूत के पद पर रहे उन्होंने प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में यह कहा कि उनमें साहस का अभाव है। प्रधान मंत्री में चाहे किसी बात का अभाव कहा जाये किन्तु उनमें साहस का अभाव कहना सरासर गलत है। हम सदैव शान्ति के पुजारी हैं। हम अब भी चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने का समर्थन करते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि यदि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ में होता तो वह ऐसा व्यवहार नहीं करता जैसाकि उसने किया है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (बिसौली) : मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि अभी कुछ दिन पूर्व ७२ व्यक्तियों ने एक अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये। वह एक सिद्धांतहीन व्यक्तियों का समूह था। यह प्रस्ताव श्री कृपालानी ने प्रस्तुत किया जो कभी अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष और महासचिव रह चुके हैं।

यह अत्यधिक आश्चर्य की बात है कि ऐसे दलों के सदस्यों ने अविश्वास का प्रस्ताव किया है जोकि अपने को समाजवादी और प्रगतिवादी मानते हैं। वे लोग ऐसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव कर रहे हैं जोकि हमारे राष्ट्रपिता हमें दे गये हैं।

दुःख का विषय यह है कि उक्त प्रगतिवादी दलों ने ऐसे दलों के साथ गठबंधन किया है जो नितांत सांप्रदायिक हैं और जो भारत की एकता के विरोधी हैं जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, मुस्लिम लीग और जनसंघ इत्यादि।

जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है मैं श्री कृपालनी से पूछना चाहता हूं कि तिब्बती शरणार्थियों की सहायता के लिये प्राप्त निधि का उन्होंने क्या किया? गांधी आश्रम की निधि में से अमरोहा और उत्तर बम्बई के चुनाव में कितना व्यय किया गया? क्या उन्होंने लोक प्रतिनिधान अधिनियम में निहित व्यय अर्थात् २५,००० रुपये के अन्दर ही व्यय किया?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे। अब सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा की बैठक, गुरुवार, २२, अगस्त, १९६३/ ३१ श्रावण, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २१ अगस्त, १९६३
३० श्रावण, १८८५ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		८३३--५७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८०	विवियन बोस आयोग की सिफारिशें	८३३--३६
१८१	जीवन मरण के आंकड़े	६--३८
१८२	पिछड़ेपन की कसौटी .	३८-४३
१८३	विश्वविद्यालय शिक्षा का मूल्यांकन	८४३--४६
१८४	केन्द्रीय जांच ब्यूरो . .	८४६--५४
१८५	मद्रास में तेल शोधक कारखाना	८५४--५६
१८६	गैर-सरकारी क्षेत्र की कोयला खानें	८५६-५७
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८५७--९१५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८७	साक्षरता	८५७-५८
१८८	सहकारी गृह निर्माण समितियां	८५८
१८९	प्राथमिक शिक्षा	८५८-५९
१९०	ह्विटले परिषदें	८५९
१९१	सामान्य शब्दों का हिन्दी-अंग्रेजी शब्दकोष .	८५९-६०
१९२	'एस्सो'	८६०
१९३	राजपथों पर होटल . .	८६०-६१
१९४	मिट्टी का तेल . . .	८६१
१९५	विश्वविद्यालयों की स्थापना . .	८६१-६२
१९६	केरल के तटीय क्षेत्रों में तेल के लिये खोज .	८६२
१९७	तेल शोधक कारखाने	८६३

विषय　पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९८ राजस्थान भूमि सुधार विधेयक . . . ८६३
१९९ पदाधिकारियों का केन्द्रीय पूल . . . ८६३–६४
२०० राष्ट्रीय परियोजनाओं में भारतीय वैज्ञानिकों की नियुक्ति ८६४
२०१ गुजरात के राजधानी क्षेत्र में तेल मिलने की सम्भावना . ८६४
२०२ कोयले का उत्पादन ८६४–६५
२०३ आपातकाल की घोषणा का प्रतिसंहरण ८६५
२०४ ग्रीष्मकालीन स्कूल ८६५–६६
२०५ कावेरी बेसिन में तेल छिद्रण कार्य . . ८६६
२०६ कोयली तेल शोधक कारखाना . . ८६७
२०७ शिक्षा प्रणाली में सुधार . . ८६७–६८
२०८ दिल्ली विश्वविद्यालय में डाक द्वारा शिक्षा . . ८६८
२०९ शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति . . ८६८–६९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५७७ वाराणसी के पास खुदाई . ८६९
५७८ नाट्य-मण्डलियों को स ायता . . ८६९
५७९ शिकायत की पेटियां ८७०
५८० "मद्यपान की बुराइयां" अध्ययन का एक विषय . ८७०
५८१ आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी . . ८७०
५८२ म िलाओं के लिए छात्रावास ८७०–७१
५८३ दिल्ली में अनैतिक पण्य रोक अधिनियम . . ८७१
५८४ कोयले का परिव न ८७१
५८५ पुलिस के लिए मकान बनाने की योजनाएं . ८७१–७२
५८६ वयस्क औरतों की शिक्षा ८७२
५८७ अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए मकान बनाने की योजनाएं ८७२
५८८ उड़िया भाषा का विकास ८७३
५८९ पंजाब में एकीकरण सूत्र ८७३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

५९०	भारत का प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण विभाग	८७३–७४
५९१	रायनाड में लिग्नाइट	८७४
५९२	जम्मू और काश्मीर को ऋण और सहायक अनुदान	८७५
५९३	माताटीला बांध परियोजना	८७५
५९४	पुस्तकालयों के लिए सम्पत्ति पर अधिकार	८७६
५९५	प्राथमिक शिक्षा समिति	८७६
५९६	स्कूलों में उत्पादक श्रम योजना .	८७६–७७
५९७	सेकेन्डरी स्कूलों के अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय वेतन क्रम	८७७
५९८	ग्राम शिक्षा	८७७
५९९	दिल्ली में हायर सेकेन्डरी कक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या	८७८
६००	पिछड़े वर्ग .	८७८
६०१	दिल्ली के स्कूलों में फीस	८७८–७९
६०२	सानन्द के समीप निकला तेल .	८७९–८०
६०३	पाठ्य-पुस्तकें	८८०
६०४	रिम्स और फालतू पुर्जों का सम्भरण	८८०
६०५	तम्बुओं वाले स्कूल	८८१
६०६	स्कूलों में हिन्दी	८८१–८२
६०७	प्राथमिक शिक्षा .	८८२–८३
६०८	मकान बनाने के लिए ऋण . . .	८८३
६०९	अम्बाला जिले में चूने के पत्थर वाले क्षेत्र	८८३
६१०	२,००० वर्ष ई० पू० का मानव ढांचा	८८३
६११	दिल्ली में अवैध शराब	८८४
६१२	स्वीडन से कागज	८८४
६१३	मलकानी समिति .	८८४
६१४	मलकानी समिति की रिपोर्ट	८८४
६१५	दिल्ली में अर्जित भूमि	८८५
६१६	कोयला उद्योग में प्रति व्यक्ति उत्पादन .	८८५–८६
६१७	नूनमाटी तेलशोधक कारखाने को दिया गया कच्चा तेल	८८६–८७
६१८	कोयला क्षेत्रों में रज्जुपथ	८८६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

६१९	संगीत नाटक अकादमी	८८८
६२०	दिल्ली के लिए उच्च न्यायालय	८८८
६२१	महिला अधिकारी	८८९
६२२	विश्व प्राच्यविद्याओं का सम्मेलन	८९९
६२३	स्कूलों का पाठ्यक्रम	८९०
६२४	स्कूलों में समाचार की शिक्षा	८९०–९१
६२५	कोयले के परिवहन की समस्या	८९१
६२६	तेलशोधक कारखानों के कार्यकरण में समन्वय	८९१
६२७	सैनिक इंजीनियर कालिज, बैंगकाक के लिये प्रशिक्षणार्थी	८९२
६२८	खेलों की शिक्षा के लिए रूसी छात्रवृत्तियां	८९२–९३
६२९	नेत्रविज्ञान की हिन्दी पुस्तकें	८९३
६३०	हिन्दी का समेकित शब्द संग्रह	८९३
६३१	गूंगे और बहरे लोगों के लिये होस्टल	८९३
६३२	होम यार्ड	८९४
६३३	हल्दियां-बरौनी तेल पाइपलाइन	८९४
६३४	एम० ए० परीक्षा	८९४
६३५	राष्ट्रीय एटलस	८९५
६३६	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	८९५
६३७	दिल्ली शिक्षा विभाग के प्रकाशन	८९५–९६
६३८	कोयला खानों का विकास	८९६
६३९	"एकरा" सरकंडे से 'फुरफुरल'	८९६–९७
६४०	पेट्रोल की बर्बादी	८९७
६४१	नूनमाटी तेल शोधक कारखाना	८९७–९८
६४२	करनपुरा कोयला खानें	८९८
६४३	अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम	८९९
६४४	हरिजनों के लिये मकान	८९९
६४५	राज्य के शिक्षा सचिवों का सम्मेलन	८९९–९००
६४६	राज्यों में अंग्रेजी को जारी रखने के लिये अधिनियम	९००

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

६४७	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	९००–०१
६४८	कोयला उद्योग	९०१–०२
६४९	राजस्थान में वायु वेग का सर्वेक्षण	९०२
६५०	भूतपूर्व बस्तर नरेश	९०३
६५१	राष्ट्रीय रक्षा कोष	९०३
६५२	जीव उत्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान	९०३–०४
६५३	आस्ट्रेलियाई टेनिस शिक्षक का प्रस्थान	९०४
६५४	पदोन्नतियों पर रोक	९०४–०५
६५५	भारत सर्वेक्षण समिति	९०५
६५६	विज्ञान का अध्यापन	९०५
६५७	दिल्ली में उच्च शिक्षा	९०६
६५८	कालीकट में सन्ध्याकालीन कालिज	९०६
६५९	शिक्षा के लिए योजना आवंटन	९०७
६६०	एस० वी० अध्यापिकायें	९०७
६६१	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला	९०७
६६२	कोयले का उत्पादन	९०८
६६३	नागरिक-शास्त्र के शिक्षक	९०८
६६४	भारत सेवक समाज को सहायता	९०८
६६५	वैज्ञानिक जलविज्ञान का अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	९०९
६६६	गुरु गोविन्द सिंह की "कलगी"	९०९
६६७	मैसूर के मुद्रणालय द्वारा पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन	९०९–१०
६६८	ज्योतिष में अनुसन्धान	९१०–११
६६९	मुद्रण के क्षेत्रीय स्कूल	९११
६७०	केन्द्रीय पुलिस रेडियो संस्था	९११
६७१	मिर्जापुर जिले में लौह अयस्क और चूने का पत्थर	९११–१२
६७२	समस्त कोयला धोने के कारखानों को एक संगठन के अधीन लाना	९१२
६७३	रुद्र सागर क्षेत्र में तेल	९१२
६७४	'ग्राफिक' कलाओं के लिए केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था	९१२–१३
६७५	भारतीय अर्थ सेवा	९१३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

६७६	दिल्ली के स्कूलों में भाषाओं का अध्ययन	९१३–१४
६७७	दिल्ली विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय भाषायें	९१४–१५
६७८	संघ राज्य-क्षेत्रों में आत्म हत्यायें .	९१५
६७९	नेफा में कल्याण विस्तार परियोजनायें .	९१५
६८०	शिक्षा संस्थाओं के लिए हिन्दी की पुस्तकें	९१५

३. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना । ९१६—२०

(एक) श्री स० मो० बनर्जी ने १३ अगस्त, १९६३ को गौहाटी के निकट पुलिस स्टोरेज मैगज़ीन में हुए विस्फोट की ओर, जिसके फलस्वरूप अनेक व्यक्ति मारे गये, निर्माण आवास तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाया ।

निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

(दो) श्री यशपाल सिंह ने बम्बई में हड़ताल की वर्तमान स्थिति और राज्य सरकार को हिदायतें देने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९२०–२१

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(२) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति :—

(क) दिनांक १५ मई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८५४ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (छठा संशोधन) नियम, १९६३ ।

(ख) दिनांक २० जुलाई, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९६ द्वारा संशोधित दिनांक २४ जून, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७२ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (आठवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

विषय पृष्ठ

(३) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५९–६० के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे, तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(ख) वर्ष १९६०–६१ के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे, तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

(४) ऊपर (३) में बताये गये पत्रों को रखने में विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ९२१

तेईसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव । ९२१–७८

१९ अगस्त, १९६३ को श्री कृपलानी द्वारा प्रस्तुत मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २२ अगस्त, १९६३/३१ श्रावण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—**LS** III—961 (Ai) LS.— 21-9-9-63—160.

विषय पृष्ठ

(३) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा २२ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) वर्ष १९५९-६० के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे, तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(ख) वर्ष १९६०-६१ के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रमाणित लेखे, तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित।

(४) ऊपर (३) में बताये गये पत्रों को रखने में विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन——

उपस्थापित ६२१

छब्बीसवाँ प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव। ६२१--२८

१९ अगस्त, १९६३ को श्री जे० बी० कृपालानी द्वारा प्रस्तुत मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

कार्यावलि

गुरुवार, २२ अगस्त, १९६३/३१ श्रावण, १८८५ (शक) के लिये

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास के प्रस्ताव पर आगे चर्चा।